मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा चतुर्दश सत्र

जुलाई, 2017 सत्र

बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2017

(28 आषाढ़, शक संवत् 1939)

[खण्ड- 14] [अंक- 3]

मध्यप्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2017

(28 आषाढ़, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

1. (*क्र. 26) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के 03 मार्च 2017 के परि.अता. प्रश्न क्रमांक 29 के संदर्भ में बताएं कि राशन माफिया कर्मचारी जगदीश कुशवाह जिसके न्यायालय में जाने से व स्थगन लाने से खाद्य प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल अधिकारी सुकृति सिंह व चंदेल की सिफारिशों पर पिछले 7 वर्ष से कार्यवाही नहीं हो पा रही है, क्या जगदीश कुशवाह को दण्ड स्वरूप पनवारीहार आरोन स्थानांतरण किया गया था? क्या पुनः उसे महोली चंदेरी स्थानांतरण किया व उसे अशोकनगर जिले की कालाबाजारी व राशन की व्यवस्था से अलग किया था? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या उसको महोली भेजकर राशन वितरण में शामिल कर लिया है? क्या पुनः जिलाधीश को इसकी शिकायत हुई? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।

खाद्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश धुर्वे) : (क) श्री जगदीश कुशवाह से संबंधित प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 4747/2010 में स्थगन दिया गया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. गुना द्वारा श्री जगदीश कुशवाह का स्थानांतरण आदेश क्रमांक/स्थापना/केडर/2016-17/534, दिनांक 14.06.2016 को संस्था डोंगर (चंदेरी), जिला अशोकनगर से पनवाडीहाट (आरोन), जिला गुना किया गया तथा पुन: आदेश क्रमांक स्थापना/2016-17/2469 दिनांक 14.10.2016 के द्वारा पनवाडीहाट (आरोन), जिला गुना से प्राथमिक साख सहकारी संस्था महोली (चंदेरी), जिला अशोकनगर किया गया है। **(ख)** श्री जगदीश कुशवाह का स्थानांतरण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. गुना द्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया अनुसार किया जाकर पुन: पदस्थापना सेवा सहकारी समिति महोली तहसील चंदेरी पर की गई

है, जिसमें संबंधित संस्था द्वारा राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। उक्त के संबंध में माननीय विधायक मुंगावली के पत्र क्रमांक 945, दिनांक 16.03.2017 से श्री जगदीश कुशवाह का स्थानांतरण पुन: चंदेरी किये जाने पर शिकायत की गई है।

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा - अध्यक्ष महोदय, एक डेलीवेजेज वाला मामूली संविदा कर्मचारी राशन माफिया का uncrown king है. इसके तीन मकान,कोठियां,फतेहाबाद में,दो चंदेरी में, एक अशोक नगर में, एक ग्वालियर में है. इसके पास जे.सी.बी.,डंपर गाड़ियां हैं. वह खनन माफिया और भूमाफिया भी है. चंदेरी के भाजपा विधायक श्री राजकुमार सिंह वर्ष,2010 में ध्यानाकर्षण विधान सभा में लाये थे कि यह व्यक्ति करोड़ों रुपये की राशि एस.सी,एस.टी,बी.पी.एल. के लोगो की करोड़ों रुपये की राशि राशन की कालाबाजारी करके खा जाता है उसके बाद भी उस पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है. विभाग गलत आदेश निकालते हैं और वह उस पर कोर्ट से स्टे ले आता है. इससे गुना,अशोक नगर के कलेक्टर,चंदेरी,मुंगावली के एस.डी.ओ.,खाद्य और सहाकरिता विभाग के सभी कर्मचारी इसकी उंगलियों पर नाचते हैं. मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिछले 7 वर्ष से जो अधिकारी इसकी सेवा प्रतिवर्ष 11 महीने बढ़ा रहे हैं और इसको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं और इससे मिले हुए हैं. इसके कहने पर राशन की दुकानें अटैच करते हैं. उन पर कार्यवाही करेंगे और दूसरे इतनी सारी संपत्ति इस गरीब कर्मचारी ने एकत्रित कर ली है तो इसकी जांच करवाएंगे ?

श्री ओमप्रकाश धुर्वे - माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अनियमितता की शिकायतें कई बार हमारे विभाग को और कलेक्टर साहब को प्राप्त होती रही हैं लेकिन इन्होंने माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा था, इस कारण इस पर कार्यवाही नहीं हो पाई थी लेकिन अब हम इस पर कार्यवाही कर कर रहे हैं. जैसी माननीय विधायक जी ने शिकायत की है तो सेवा से हम इस कर्मचारी को पृथक कर देंगे. इसकी ढेर सारी शिकायतें हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा - अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि इसकी आय से अधिक सम्पत्ति की जांच आप करवाएंगे क्योंकि बहुत गरीब,एस.सी.एस.टी.,बी.पी.एल. के लोगों का राशन यह पिछले सात सालों से कालाबाजारी करके बेच रहा है और इतना बड़ा अपराध इसने किया है. तो उन सबकी आह उसको तो लगेगी ही लगेगी आप और हम सबको भी लगेगी अगर आपने इसकी सम्पत्ति की जांच नहीं की. बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा.

श्री ओमप्रकाश धुर्वे - माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संविदा सेवा में है. इसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिये. ट्रांसफर नहीं करना चाहिये. इसको संविदा सेवा से अलग कर देना चाहिये तो हम इसको सेवा से अलग कर रहे हैं और जांच करवा लेंगे.

सीमांकन प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व]

2. (*क्र. 1188) डॉ. मोहन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 01 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले की समस्त तहसीलों में सीमांकन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए?दिनांकवार, ग्रामवार, तहसीलवार जानकारी प्रदान करें। उनमें से कितने प्रकरणों में सीमांकन कर दिया गया है? कितने प्रकरणों में सीमांकन होना शेष है? शेष प्रकरणों में सीमांकन नहीं होने के क्या कारण हैं? ग्रामवार, तहसीलवार जानकारी प्रदान करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार क्या जिन कृषकों ने अवैध राशि प्रदान की सिर्फ उन्हीं कृषकों का सीमांकन किया गया है तथा बाद में प्राप्त आवेदन पर पहले सीमांकन कर दिया गया है तथा जिन्होंने पहले आवेदन दिया उनका सीमांकन नहीं किया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) :-

(क) 1 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले की निम्नानुसार तहसीलों में सीमांकन के आवेदन की प्राप्ती एंव निराकरण तथा शेष प्रकरणों की जानाकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	तहसील	प्राप्त सीमांकन आवेदन की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	शेष प्रकरणों की संख्या
1.	उज्जैन	842	695	147
2.	घट्टिया	94	92	02
3.	बड़नगर	1260	1069	191
4.	खचरौद	276	218	58
5.	नागदा	416	375	41
6.	महीदपुर	277	198	79
7.	तराना	176	165	11
	योग	3341	2812	529

शेष जानकारी परिशिष्ट "अ" पुस्तकालय में रखे अनुसार । (ख) जी नही । आवेदन प्राप्ती के क्रम में ही सीमांकन कार्य किया गया है तथा किसी से कोई धनराशि प्राप्त नही की गई है ।

डॉ. मोहन यादव - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में मैंने वैसे तो इस जिले की बात कही लेकिन यह पूरे प्रदेश के लिये अत्यंत प्रभावी और समसामयिक है. बड़े पैमाने पर सीमांकन के आवेदन हम अपने-अपने जिलों,तहसीलों में लगाते हैं तो जिनके निर्धारित क्रम आते हैं और वे नपती कराने जाते हैं लेकिन उनकी नपती न होकर अन्य लोगों की नपती हो जाती है. कई दिनों तक किसान परेशान होते हैं और यह दिक्कत का विषय बनता है. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा

कि उज्जैन जिले का जो मैंने प्रश्न पूछा था तो क्या प्रश्न दिनांक तक जिनके आवेदन लगे थे उसी क्रम में उनकी नपती हुई है ? क्योंकि जो जानकारी आई है उसमें थोड़ा अंतर आया है.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय विधायक जी को कि एक बड़ी विसंगति पर हमारा ध्यान इन्होंने आकर्षित किया. अभी तक कोई रिकार्ड नहीं रहता था, एप्लीकेशन किस क्रम में आ रही हैं, किसकी नपती कब हो रही है, यह नपती करने वालों के मन पर निर्भर करता था और इसलिये कल ही हमने इस प्रश्न के बाद आदेश निकाल दिये हैं कि साधारणत: फर्स्ट कम फर्स्ट के आधार पर ही नपती होगी, जब तक कोई विशेष, कोई अपवाद स्वरूप बात नहीं हो, कोई आदेश नहीं हो और इसलिये भविष्य में अब जो भी नपती होगी वैसे भी अब आरसीएमएस सिस्टम में सब एंट्री होने लगी है फर्स्ट कम फर्स्ट के आधार पर ही करेंगे.

डॉ. मोहन यादव-- बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष महोदय.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय मंत्री जी इसे लोक सेवा गारंटी में लेंगे ? समय सीमा निर्धारित करेंगे ? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, जबरदस्त रूप से भ्रष्टाचार होता है, साल-साल भर तक पड़े रहते हैं.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं. एक तो हमारा आरसीएमएस सिस्टम जो लागू हुआ है इसमें प्रतिदिन की स्थिति हर जिले कि आप खुद वेबसाइट पर देख सकते हैं और अधिकारी भी मॉनीटरिंग कर सकेंगे और मुझे लगता थोड़ा समय दीजिये इसे और ठीक कर देंगे.

सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण हेतु ऑनलाईन सुविधा

[राजस्व]

3. (*क्र. 1098) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में सीमांकन के प्रकरणों के संदर्भ में आवेदन प्राप्त करने तथा उनके निराकरण के लिये ऑनलाईन व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उसकी प्रक्रिया क्या है और यह कब से लागू है और यदि नहीं, तो क्या शासन भूमिधारकों की सुविधा हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की योजना लागू करेगा? यदि हाँ, तो कब तक लागू की जावेगी? **(ख)** क्या सीमांकन के संदर्भ में आवेदन प्राप्त करने एवं सीमांकन कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा है? यदि हाँ, तो वह क्या है और आवेदन प्राप्ति के कितने दिनों के अंदर सीमांकन का कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य है? **(ग)** बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में सीमांकन के कितने प्रकरण प्राप्त हुए? उसमें से कितने प्रकरणों का

निराकरण किया गया तथा कितने प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा सका? क्या जिन प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाया है, उनके आवेदकों को सूचना प्रदान की गई है या नहीं। पिछले 3 वर्षों में स्वीकृत प्रकरण एवं अस्वीकृत प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी ग्राम सहित प्रदान करें?

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हां. म.प्र.शासन राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 2 जून 2017 से उक्त प्रक्रिया निर्धारित की गई. शेष जानकारी परिशिष्ट "अ" पुस्तकालय में रखे अनुसार. (ख) जी हां. सामान्यत: सीमांकन के आवेदन 15 अक्टूबर से 15 जून तक प्राप्त किये जाते हैं. सीमांकन कार्य पूर्ण करने के लिये 30 दिवस निश्चित हैं. (ग) उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में सीमांकन के 1402 प्रकरण प्राप्त हुये उसमें 1211 प्रकरणों का निराकरण किया गया. सीमांकन हेतु शेष रहे 191 प्रकरणों में पटवारियों की हड़ताल, किसानों का सम्मेलन लो एण्ड ऑर्डर में ड्यूटी, प्याज उपार्जन में ड्यूटी, खरीफ फसल की बोवनी होने के कारण नहीं किये जा सके हैं. विगत तीन वर्षों में प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण की स्वीकृत एवं अस्वीकृत की जानकारी ग्रामवार सूची परिशिष्ट "ब" पुस्तकालय में रखे अनुसार.

श्री मुकेश पण्ड्या-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सीमांकन के संबंध में प्रकरण था. मेरे द्वारा प्रश्न में मुख्य रूप से पूछा गया है कि सीमांकन के निराकरण के लिये ऑनलाइन व्यवस्था है, यदि हां तो उसकी प्रक्रिया क्या है और यह कब से लागू हुई ? इस संबंध में जानकारी पूछी गई थी किंतु मेरे प्रश्न के उत्तर में जानकारी बिलकुल नहीं आई है. मुझे कृपया यह जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें ?

अध्यक्ष महोदय-- इसका उत्तर तो अलग से आया है.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे जो प्रश्न में कहा है 23 सितम्बर 2010 से है, ऑनलाइन का आप पूछ रहे हैं वह 2 जून से यह प्रक्रिया शुरू हुई है.

श्री मुकेश पण्ड्या-- ठीक है, धन्यवाद.

विवादित/अविवादित/नामांतरण/बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरण

[राजस्व]

4. (*क्र. 1005) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक कितने विवादित एवं अविवादित नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन के प्रकरण प्राप्त हुये? प्राप्त प्रकरणों में से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा कितने प्रकरणों का निराकरण किन कारणों से किया जाना शेष है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उपरोक्तानुसार प्रकरणों का

निराकरण करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनका निराकरण निर्धारित समय-सीमा उपरांत भी नहीं किया जा सका है? इसके लिये कौन दोषी है? क्या शासन ऐसे दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कुंवर हजारी लाल दांगी-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे प्रश्न में यह पूछा था कि अविवादित नामांतरण और अविवादित बंटवारे जो लंबित हैं, क्या इनकी समय-सीमा निर्धारित करके उनका समय-सीमा में निपटारा करायेंगे और इतने ज्यादा लंबित है कि उसकी वजह से किसान पटवारियों के और तहसील के चक्कर लगाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं तो उसकी समय-सीमा निर्धारित करेंगे क्या ताकि किसान परेशान न हो ?

श्री उमाशंकर गुप्ता-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी समय-सीमा निर्धारित है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो प्रश्न आपने पूछा है यहां निर्धारित समय-सीमा के अंदर के ही जो अविवादित प्रकरण हैं वही पेंडिंग हैं, उस सीमा के बाहर का कोई नहीं है जो विवादित नहीं है.

कुंवर हजारी लाल दांगी-- माननीय मंत्री जी इसमें 138 अविवादित नामांतरण पेंडिंग हैं मेरी विधान सभा क्षेत्र में, अगर यह अविवादित हैं तो फिर पेंडिंग क्यों रहे ?

श्री उमाशंकर गुप्ता-- जो समय-सीमा है उसके अंदर में ही हैं, जितने दिन में उनको करना चाहिये, जो तत्काल आती हैं, रोज एप्लीकेशन आती हैं वही पेंडिंग हैं, समय-सीमा के बाहर का कोई भी एक भी पेंडिंग नहीं है.

कुंवर हजारी लाल दांगी-- ऐसे ही नामांतरण और बंटवारा, इनका भी समय सीमा में निपटारा होगा क्या ?

श्री उमाशंकर गुप्ता-- दोनों ही, यह चार्ट लगा है, यह सभी समय-सीमा के अंदर के ही हैं.

कुंवर हजारी लाल दांगी-- धन्यवाद.

प्रदेश में स्वीकृत श्रमोदय विद्यालय

[श्रम]

5. (*क्र. 393) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत प्रदेश में श्रमोदय विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन शहरों में स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत राशि सहित विद्यालयवार बतावें। **(ख)** क्या सागर संभाग में कर्मकार मण्डल के अंतर्गत लगभग 3 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं? क्या संभागीय मुख्यालय सागर में श्रमोदय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि नहीं, तो क्या शासन श्रमिक परिवारों के हित में श्रमोदय विद्यालय खोले जाने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

खाद्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश धुर्वे) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत प्रदेश में स्वीकृत श्रमोदय विद्यालय एवं स्वीकृत राशि की विद्यालयवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)**जी हाँ। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत सागर संभाग में मई 2017 की स्थिति में कुल 338739 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। संभागीय मुख्यालय सागर में वर्तमान में मंडल द्वारा श्रमोदय विद्यालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है। अतः प्रश्नांश की शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत सागर संभाग में पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों हेतु वर्तमान में श्रमोदय विद्यालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट - "एक"

श्री शैलेन्द्र जैन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि सागर संभाग में 3 लाख 38 हजार 739 पंजीकृत श्रमिक हैं और मैं मानता हूं कि लगभग इससे दोगुनी संख्या जो है अपंजीकृत श्रमिकों की होगी. इतनी बड़ी श्रमिकों के परिवारों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, सागर संभाग में श्रमिकों के लिये जो श्रमोदय विद्यालय लगभग 4 स्थानों पर वर्ष 2015 में खोले गये थे, हालांकि उनका निर्माण कार्य अभी चालू है. वर्ष 2015 के बाद 2016, 2017 में कोई भी नया विद्यालय नहीं खोला गया है. आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बुंदेलखंड रीजन में

हमारे श्रमिकों की बड़ी संख्या को देखते हुये और श्रमिकों के परिवार के बच्चों की अच्छी शिक्षा-दीक्षा के लिये इस तरह के श्रमोदय विद्यालय खोलने की घोषणा करेंगे क्या ?

श्री ओमप्रकाश धुर्वे -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्य न्यायालय में दायर रिट पिटीशन क्रमांक 318/2006 में दिये गये निर्देश के परिपालन में भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये 7.6.2016 को यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि कर्मकार मण्डल में जमा उप कर की राशि में से हास्पीटल, विद्यालय आदि हेतु भवनों का निर्माण नहीं किया जाये. इस संबंध में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा माननीय सर्वोच्य न्यायालय में दिनांक 9.7.2016 को दायर शपथ पत्र में इस भी इसका उल्लेख किया गया है. इसलिये अब इस तरीके से भवन निर्माण आदि का कार्य कर्मकार मण्डल के द्वारा होना संभव नहीं हो पायेगा.

श्री शैलेन्द्र जैन- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उस राशि से नहीं किया जा सकता है जिस राशि का उल्लेख आदेश में है तो शासन अपने स्तर पर पृथक से अपने बजट में इसको शामिल करे और मैं तो समझता हूं कि हरेक संभाग में इस तरह का महाविद्यालय श्रमिकों के हित में खोला जाना आवश्यक है. हमारी सरकार श्रमिकों की हितकारी सरकार है, इसलिये मंत्री जी से पुन: एक बार निवेदन है कि राज्य सरकार अपने बजट से ऐसे विद्यालय खोलने के लिये पृथक से बजट की घोषणा करेगी तो बहुत अच्छा होगा.

श्री ओमप्रकाश धुर्वे-- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग में ऐसा कोई बजट नहीं है, कर्मकार मण्डल में शेष की राशि आती है उससे ही यह संभव हो पाता है लेकिन सर्वोच्य न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं इसलिये अब इस प्रकार की संस्थायें खोलना संभव नहीं है.

श्री शैलेन्द्र जैन- धन्यवाद.

शासकीय भूमि पर काबिज पट्टेधारियों का विस्थापन

[राजस्व]

6. (*क्र. 830) श्री वीरसिंह पंवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 5128 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने दिनांक 20.03.2017 में मौखिक चर्चा में यह माना था कि महलुआ चौराहा पर शासकीय भूमि

वर्ष 2011 और 2013 में अपात्र लोगों को गलत तरीके से पट्टे के रूप में दी गई थी और आश्वस्त किया था कि एडीशनल कमिश्नर भोपाल को वहां भेजकर कार्यवाही की जावेगी तथा अतिक्रमण हटाकर संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या आवास हेतु पट्टे पर दी गई भूमि पर व्यवसायिक रूप में बजाज का शोरूम खोलकर दुरूपयोग किया जा रहा है? शासन को मालूम होने पर भी ऐसे दोषियों पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र के माध्यम से राजस्व मंत्रीजी एवं राजस्व सचिव को बार-बार लिखने पर भी दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही, क्या कारण है? स्पष्ट करें। **(ग)** क्या सरपंच ने स्वयं अपने पुत्र तथा देवेन्द्र पुत्र जमुनाप्रसाद तिवारी एवं देवेन्द्र की पत्नी श्रीमती कालेन्द्री तिवारी जो तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य के भाई हैं, को 30 X 30 के पट्टे उनके प्रभाव में दिये तथा यह तीनों शासकीय पट्टे पाने के हकदार नहीं थे? इनके पास कई बीघा जमीन और पक्के बहुमंजिला मकान हैं, दिए गए पट्टे गलत हैं, क्या इन्हें तत्काल शासकीय भूमि से बेदखल कराया जावेगा? **(घ)** क्या शासन द्वारा इन षड्यन्त्रकारी दोषियों पर तथा इसमें संलग्न शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों पर समय-सीमा निश्चित करके कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) विभागीय पत्र क्रमांक एफ 20/129/2017/सात/2ए, दिनांक 11.7.2017 से प्रश्नाधीन कथित गलत आवंटित पट्टों एवं अतिक्रमण की जाँच एडीशनल कमिश्नर भोपाल से कराये जाने हेतु कमिश्नर भोपाल को लिखा गया है। **(ख)** से **(घ)** जांचोपरांत अपात्र लोगों को बेदखल किया जाकर, दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री वीरसिंह पंवार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 20 मार्च को इसी विधानसभा में मेरे द्वारा महलुआ चौराहा पर गलत तरीके से पट्टे वितरण संबंधी प्रश्न लगाया गया था, तब मंत्री जी के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया था कि अतिरिक्त आयुक्त को भेजकर मामले की जांच करायेंगे और मुझे जांच के समय सूचना दी जायेगी. यह विधानसभा की प्रतिवेदित कार्यवाही मेरे पास में है. लेकिन जब पुन: मैंने यह प्रश्न लगाया तो अतिरिक्त आयुक्त परसों के दिन गये थे, मुझे सूचना भी नहीं दी. इसके बाद वहां के जो पंचायत के सचिव और सरपंच जो थे उनको मामले में दोषी मानते हुये उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिये.वास्तव में जो भूमि माफिया हैं जिन्होंने करोड़ों-अरबों रूपये की शासन की संपत्ति पर अवैध तरीके से पट्टे लेकर के अपने मकानों का निर्माण किया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही

नहीं की गई है. इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूमि माफिया लाभान्वित हुये हैं, जिन्होंने करोड़ों रूपये की संपत्ति के पट्टे लिये हैं क्या शासन उन पट्टों को निरस्त करेगा और शासन उनके द्वारा जो अवैध कब्जा किया गया है उनको तोड़ेगा ? कृपया समय सीमा भी बतायें. दूसरा निवेदन मेरा मंत्री जी से यह है कि पंचायत सचिव और सरपंच के ऊपर जो एफआईआर कराई गई है तो क्या जिन्होंने कब्जा किया उन भू-माफियाओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करायेंगे.

श्री उमाशंकर गुप्ता -- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राइमाफेसी पंचायत सचिव और सरपंच की मिलीभगत ध्यान में आई है कि उनके प्लाट नहीं होने के बाद भी उनको बेच दिये. दे दिये हैं . रिपार्ट में जो बात आई है उसके आधार पर सरपंच और पंचायत सचिव के खिलाफ एफआईआर की गई है. जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिन्होंने खरीदा है उनके खिलाफ कार्यवाही का तो जब तक जांच नहीं होती कि वह कितने इसमें इन्वाल्व हैं, लेकिन जो पट्टा निरस्त करने की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं वह कार्यवाही तो शुरू हो गई है नोटिस जारी कर दिये गये हैं और पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही भी करेंगे और यह सारी वैधानिक कार्यवाही करके, अवैधानिक सारी जो बातें हैं उनको तोड़ेगे भी अगर जरूरत पड़ी तो अगर किसी भू-माफिया की मिलीभगत ध्यान में आती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे.

श्री वीरसिंह पंवार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बेचे नहीं गये हैं इन पर तो अवैध रूप से कब्जा किया है पंचायत के माध्यम से एक वैसे ही जनरल पट्टा बना लिया और अवैध रूप से कब्जा कर लिया बेचारे पंचायत सचिव और सरपंच का क्या दोष है. प्रभावी लोग हैं उन्होंने दवाब देकर के उनसे करा लिया तो जो प्रभावी लोग हैं, जो इन पट्टों के मालिक हैं जिन्होंने निर्माण किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाये. यह मेरा मंत्री जी से निवेदन है और इसकी कोई समय सीमा निश्चित कराई जाये.

श्री उमाशंकर गुप्ता -- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सरपंच और पंचायत सचिव यह लिखकर के दे देंगे कि दवाब में हुये हैं तो कार्यवाही हो जायेगी. लेकिन उनके दस्तखत से ही पट्टे दिये गये हैं. अभी एकदम प्राइमाफेसी वह आरोपी नहीं बनते हैं लेकिन यदि प्रकरण की जांच में यह बात निकलकर आई कि उन्होंने दवाब से या मिलीभगत से किया है तो अगर वो भी होगे तो उनके खिलाफ भी एफआईआर की जायेगी.

श्री वीरसिंह पंवार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा लाभान्वित तो वही पक्ष है जो आलरेडी उस जमीन पर कब्जा करके रह रहा है, उस पर शोरूम बनाकर के शोरूम चला रहे हैं,

गरीबों के हक पर डाका डाल रहा है, वह टोटल भू-माफियां हैं उस जांच में क्या सिद्ध होगा यह सारी चीजें मंत्री जी आपके जवाब में पहले भी आ चुकी है 20 मार्च को, इसी सदन की कार्यवाही में सारी बातें आ चुकी हैं कि गलत तरीके से शो रूम का इन्होंने निर्माण किया है और रह रहे हैं. अध्यक्ष जी मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन पर कार्यवाही की जाये, इन पर आपराधिक मुकद्दमे दर्ज कराये जायें ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो और दूसरे लोग कब्जे न कर पाये और इन सब पर कार्यवाही के लिये समय सीमा बताई जाये कि एक-दो माह के अंदर उनको तुड़वा दिया जायेगा.

श्री उमाशंकर गुप्ता - माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यह बात आई है और जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने प्लॉट दिया है, अब इन्होंने प्लॉट दबाव में दिया या कैसे दिया यह तथ्य सिद्ध होने के बाद अगर गड़बड़ है तो उसे तोड़ेंगे, इस संबंध में हमने नोटिस भी दिया है और पट्टा निरस्ती की कार्यवाही भी कर रहे हैं, हमने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अधिकार के बाहर जाकर दिया है, उनको नहीं देना चाहिए था, इसलिए उनके खिलाफ एफ.आई.आर. की गई है, लेकिन अभी बिना जांच के एकदम किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता है.

श्री वीरसिंह पंवार - माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी समय अवधि दिलवा दी जाए कि इन पर कब तक कार्यवाही करेंगे और जांच कब तक पूरी हो जाएगी.

श्री उमाशंकर गुप्ता - माननीय अध्यक्ष महोदय,हम कार्यवाही बहुत जल्दी करेंगे, इसमें कोई विलंब नहीं होने देंगे.

श्री वीरसिंह पंवार - माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा तो निश्चित कराना ही चाहिए. वहां पर जाकर एडिशनल कमिश्नर देख आये हैं और यह सारी बातें आपने भी पहले अपने जवाब में दे दी हैं फिर अब इसके बाद कौन सा जांच का विषय रह जाता है.

श्री के.पी.सिंह - अब इसके बाद फिर क्या जांच होना हैं ?

श्री उमाशंकर गुप्ता - श्री के.पी.सिंह आप तो बहुत वरिष्ठ रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं. अगर किसी सरपंच और पंच ने आपको पट्टा दे दिया है तो आपको भी एकदम कैसे आरोपी मान लें. मेरा यह कहना है कि पहले पट्टा निरस्त हो जाए फिर ही तो उस पर कार्यवाही होगी कम से कम आप इतना तो ध्यान रखें.

श्री के.पी.सिंह - आप खुद ही तो कह रहे हैं कि आपको पता है कि पट्टा गलत हुआ है तो आप पट्टा निरस्ती की कार्यवाही करें.

श्री उमाशंकर गुप्ता - मैंने यही कहा है आपने सुना नहीं है आपका ध्यान शायद यहां पर नहीं था शायद. मैंने यह बोला है कि यह पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है और उसके बाद फिर आगे कार्यवाही करेंगे. आपके शायद ऊपर से निकल गया होगा.

श्री के.पी.सिंह - आपके बाल हैं और मेरे नहीं है इसलिए ऊपर से निकल जाता है (हंसी)

अध्यक्ष महोदय - माननीय मंत्री जी यही कह रहे हैं कि पट्टा निरस्त हो जाए उसके बाद कार्यवाही करेंगे.

श्री वीरसिंह पंवार - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उसमें जो लाभांवित लोग हैं, उन पर कार्यवाही होना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय - माननीय मंत्री जी इससे सहमत हैं.

श्री उमाशंकर गुप्ता - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सहमत हूं.

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह) - माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण में यह पता लगा लीजिए कि कौन- कौन से प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनकी वजह से कार्यवाही नहीं हो पा रही है. माननीय विधायक जी बहुत चिंतित हैं और वह बाहर कह चुके हैं कि कोई कार्यवाही नहीं होगी क्योंकि बहुत ही प्रभावशाली लोग उसमें शामिल हैं.

श्री उमाशंकर गुप्ता - माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप कहो तो कह दूं कि ऊधर के ही लोग हैं और इधर का ही संरक्षण हैं.(हंसी)

श्री अजय सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर के हों या ऊधर के हों उचित कार्यवाही आप करिए.

श्री उमाशंकर गुप्ता - किधर के भी हों आप गलतफहमी में मत रहो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे.

श्री कैलाश चावला - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं कि पट्टा आवासीय दिया गया था और उसने व्यावसायिक उपयोग कर लिया है तो क्या जो गलत उपयोग किया गया है उस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा ?

श्री उमाशंकर गुप्ता - यह जो पट्टा दिया गया है, उसके बारे में मैंने कहा कि अभी रिपोर्ट आई है और हमने तत्काल एफ.आई.आर. की है. इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी सब की जाएगी.

श्री कैलाश चावला - यह आपके जवाब में भी आया है कि पट्टा पंचायत ने आवासीय दिया था और उसने शोरूम बना लिया. इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या यह समझ में आ रहा है कि उसने नियम

के विरूद्ध काम किया है तो क्या आप उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? आपने मंत्री और सचिव के खिलाफ कार्यवाही की है यहां तक तो ठीक हैं लेकिन उन्होंने एक पट्टा दिया, पट्टा गलत दिया परंतु अगर उसने पट्टा आवासीय लिया था और उसका व्यावसायिक उपयोग किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं हुई ?

श्री उमाशंकर गुप्ता - माननीय हम उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे.

अध्यक्ष महोदय - श्री कैलाश चावला जी आपका प्रश्न आ गया और उन्होंने उत्तर भी दिया, श्री वीरसिंह जी आपके प्रश्न का भी समाधान हो गया है. अब श्री कैलाश चावला जी आप बैठ जाएं.

श्री वीरसिंह पंवार - माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय - श्री वीरसिंह पंवार जी वैसे आपके प्रश्न का समाधान हो गया है लेकिन फिर भी आप एक आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए.

श्री वीरसिंह पंवार - माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पंचायत सचिव और पंचायत अध्यक्ष को दोषी मान रहे हैं लेकिन जो प्रापटी का लाभ ले रहे हैं और आलरेडी वहां पर बनाकर रह रहे हैं और शो रूम चला रहे हैं, क्या वह दोषी नहीं है ? यह सारी चीजें प्रथमदृष्ट्या ही स्पष्ट हो रही है और यह पहले भी 20 मार्च को इसी सदन में आपके जवाब में आ चुका है और इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जांच करायेंगे.

अध्यक्ष महोदय - श्री वीरसिंह पंवार जी पट्टा निरस्त हो जाए उसके बाद ही तो कार्यवाही होगी. पट्टा निरस्ती की कार्यवाही प्रारंभ है.

श्री वीरसिंह पंवार - माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्च के बाद आज तक क्या कार्यवाही हुई यह भी तो देखें. जब दूसरी बार प्रश्न लगा तब परसों वहां एडिशनल कमिश्नर जांच करने गये हैं.

अध्यक्ष महोदय - ठीक है चलिए आप सीधा एक प्वाइंटेड प्रश्न कोई हो तो पूछ लीजिए उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे.

श्री वीरसिंह पंवार - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो समय अवधि चाह रहा हूं और जिसका उस पर कब्जा है उसको हटाया जाए, उसको तोड़ा जाए और जिन्होंने षड़यंत्र पूर्वक पट्टे लिये हैं उन पर कार्यवाही की जाए. यह मेरे तीन बिंदु हैं और इसकी समय सीमा बता दी जाए.

श्री उमाशंकर गुप्ता - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार कह चुका हूं कि पट्टा निरस्ती की कार्यवाही कर रहे हैं जो भी अवैधानिक हैं उन सबके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, किसी को नहीं बचाएंगे और जो बिल्डिंग अवैध है उसको भी तोड़ेंगे.

नल-जल योजनाओं की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

7. (*क्र. 855) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा जनभागीदारी योजनान्तर्गत आदिवासी ग्रामों में कुल योजना लागत के1 प्रतिशत तथा सामान्य बाहुल्य क्षेत्रों में 3 प्रतिशत जनभागीदारी की उन ग्रामों में शेष राशि शासन द्वारा स्वीकृत कर पेयजल की योजना स्वीकृत की जाती है? **(ख)** यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र भितरवार अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों द्वारा यह जनभागीदारी राशि जमा कर योजना बनाने हेतु प्रस्ताव 01 अप्रैल, 2014 से प्रश्न दिनांक तक किया गया है तथा ग्रामीणों द्वारा यह जनभागीदारी राशि कब जमा की गई है? दिनांक सहित ग्रामों के नाम तथा जमा का विवरण देवें? **(ग)**क्या भितरवार विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या है? किन-किन ग्राम पंचायतों में 01 जून, 2017 की स्थिति में नल-जल योजना चालू है तथा किन-किन ग्राम पंचायतों में किन-किन कारणों से बन्द है? इतनी भीषण गर्मी में नल जल योजना बन्द होने के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं? क्या दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या? अब बन्द नल-जल योजनाओं को कब तक चालू कर दिया जावेगा? एक निश्चित समय-सीमा स्पष्ट करें।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ, परंतु प्राप्त जनभागीदारी की राशि विभाग में संचित रखी जाकर योजना स्वीकृति के पश्चात् पूर्ण लागत शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। **(ख)** विधानसभा क्षेत्र भितरवार के अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई जनभागीदारी की राशि जमा नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। नल-जल योजनाओं के संचालन-संधारण एवं मरम्मत कार्य कराने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। स्त्रोत अनुपयोगी होने पर विभाग द्वारा नये स्त्रोत खनन/निर्माण की कार्यवाही की जाती है। अतः योजना बंद होने के लिए विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दो"

श्री लाखन सिंह यादव - मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि मुझे आपका संरक्षण मिले.

अध्यक्ष महोदय - सभी माननीय सदस्यों के प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं.

श्री लाखन सिंह यादव - अध्यक्ष महोदय, मेरा ज्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है. मैं यह आपको इसलिए बताना चाहता हूँ और इसकी महत्वपूर्णता इसलिए भी है कि पिछले 7-8 वर्षों में समूचे मध्यप्रदेश में रेनफाल हुआ है. मैं पिछले वर्ष का आपको आंकड़ा बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल समूचे मध्यप्रदेश में औसतन रेनफाल हुआ, कई जगह औसत से ज्यादा हुआ लेकिन सबसे कम रेनफाल ग्वालियर जिले में हुआ और ग्वालियर जिले में मेरी विधानसभा का एक घाटीगांव ब्लॉक है, उसमें मात्र 275 से 280 एम.एम. के करीब बारिश हुई थी और मैंने माननीय मंत्री जी से अपने में प्रश्न पूछा था कि क्या भितरवार विधानसभा क्षेत्र में पेयजल का संकट है ? तो उन्होंने उत्तर में लिख दिया कि 'जी नहीं'. दूसरा, मैंने उसमें लिखा था कि हमारे भितरवार विधानसभा क्षेत्र में नल-जल योजनाएं कितनी संचालित और कितनी बन्द पड़ी हैं ? अध्यक्ष महोदय, आप परिशिष्टि देखें. उन्होंने 90 नल-जल योजनाएं दिखाई हैं, 90 नल-जल योजनाओं में 81 चालू हैं और मात्र 9 नल-जल योजनाएं बन्द हैं. क्या आप इस उत्तर से सहमत हैं ?

अध्यक्ष महोदय - आपको मालूम होगा, आपका विधानसभा क्षेत्र है. मैं असहमति या सहमति कैसे जता सकता हूँ ?

श्री लाखन सिंह यादव - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपने 90 नल-जल योजनाएं बताईं, उसमें 9 नल-जल योजनाएं बन्द बताई हैं. क्या यह बात सही है कि आपने जो लिखा है, वह सत्य है.

अध्यक्ष महोदय - आप प्रश्न क्लियर कीजिये.

श्री लाखन सिंह यादव - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में महीने में कम से कम 20 दिन रहता हूँ और जो आपने 90 नल-जल योजनाएं शो की हैं, इनमें से मात्र 9 नल-जल योजनाएं चालू होंगी और 81 बन्द पड़ी हैं. आपने इसमें लिख दिया कि 81 नल-जल योजनाएं चालू हैं और 9 नल-जल योजनाएं बन्द हैं. मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह उल्टा सिस्टम कर दिया है.

अध्यक्ष महोदय - आप बैठ जाइये, उत्तर ले लीजिए.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में 90 में से 9 बन्द हैं और बाकी 81 योजनाएं चालू हैं, जिसमें 4 सुधार योग्य हैं और आमी आमा बरई ग्राम पंचायत का मामला है.

श्री लाखन सिंह यादव - माननीय अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा जोर से बोलें. सभी सुन लें कि आप क्या कह रही हैं ?

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 नल-जल योजनाएं सुधार योग्य नहीं हैं.

श्री लाखन सिंह यादव - आपने क्या कह दिया ? हमारी समझ में नहीं आया.

अध्यक्ष महोदय - आप श्रवण यंत्र लगवाइये.

श्री लाखन सिंह यादव - माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया आप रिपीट कर दें कि कितनी चालू हैं एवं कितनी बन्द हैं ?

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, 90 में से 9 बन्द हैं, 81 योजनाएं चालू हैं, 4 सुधार योग्य हैं एवं 5 सुधार योग्य नहीं हैं.

श्री लाखन सिंह यादव - अध्यक्ष महोदय, आप बड़ी गंभीरता से जवाब दे रही हैं कि 9 बन्द हैं एवं बाकी सभी चालू हैं. 9 नल-जल योजनाएं बन्द में भी 5 सुधार योग्य हैं, वह 9 में ही इनक्लूड हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप इस सदन में सत्य उत्तर दे रही हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि आप एक समिति बनाकर जांच करवा लें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सत्य ही बता रही हूँ अगर आप आदेश दें तो समिति बन जाये, हमें क्या तकलीफ है ?

श्री लाखन सिंह यादव - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 90 में से 81 नल-जल योजनाएं आप छोड़िये, मैं 5-7 नल-जल योजनाओं का उल्लेख करना चाहता हूँ, आरोन पंचायत परिशिष्ट-7 में अंकित है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी प्रश्नोत्तर में कहा है कि 5 चालू होंगी और बाकी बन्द होंगी. अध्यक्ष महोदय, 'होंगी' और 'है' में बड़ा अन्तर होता है.

श्री लाखन सिंह यादव - अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूँ. आप कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिये. 81 नल-जल योजनाएंबन्द पड़ी होंगी. मैं तो यह कह रहा हूँ कि अगर आप सदन में सत्य उत्तर दे रही हैं तो एक समिति बनाकर इसकी जांच करवा लें और उसमें क्षेत्रीय विधायक को साथ रखें तो 'सब दूध का दूध और पानी का पानी' हो जायेगा.

अध्यक्ष महोदय - क्या आप इससे संतुष्ट हैं ?

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि आप अंदाज से कह रहे हैं कि इतनी बन्द होंगी और इतनी चालू होंगी. आप कृपा कर देखकर आयें.

श्री लाखन सिंह यादव - माननीय मंत्री महोदया, मैं आपसे देखकर ही बात कर रहा हूँ.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप देखकर बात नहीं कर रहे हैं.

श्री लाखन सिंह यादव - अध्यक्ष महोदय,आप जरूर देखकर आई हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - आप एक बार देख आयें और जितनी भी नल-जल योजनाएं बन्द होंगी, सबको चालू करवा देंगे.

श्री लाखन सिंह यादव - नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे यहां काफी लम्बे समय 8-9 वर्ष से रेनफाल बहुत कम हुआ है. आप डाटा निकलवा लें. मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जो नल-जल योजनाएं बन्द पड़ी हैं. आप एक समिति बनाकर जांच करवा दें और उस समिति में मुझे भी रखें चूँकि यह मेरा विधानसभा क्षेत्र है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें समिति की जरूरत नहीं है. मैं विधायक जी से निवेदन करती हूँ कि आप खुद एक बार जाकर देख आएं.

श्री लाखन सिंह यादव - माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है, जांच समिति बननी चाहिए, जब आप बोल रही हैं तो आपको समिति बनाने में क्या दिक्कत हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - आप खुद एक बार जाकर देख लें, आप होंगी कह रहे हैं, हैं और होंगी में बड़ा अंतर होता है.

श्री लाखन यादव सिंह - आप तो जांच के लिए समिति बना लें, सच्चाई का पता लग जाएगा.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, जाकर देख लीजिए जहां भी बंद होगी उसको ठीक करवा देंगे.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा - अध्यक्ष महोदय, आप आदेश कीजिए कि समिति बनाए और जांच की जाए.

अध्यक्ष महोदय - एक मिनट जयवर्द्धन सिंह जी, इनका मंत्री जी का उत्तर तो आ जाने दीजिए.

श्री जयवर्द्धन सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही प्रश्न था, तारांकित प्रश्न क्रमांक 274, उसमें उत्तर दिया गया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 78 नल जल योजनाओं में से सिर्फ 5 पांच बंद है, जो कि उल्टा है.

अध्यक्ष महोदय - उससे यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

श्री जयवर्द्धन सिंह - मेरी भी समस्या वही है, जबकि 78 नल जल योजनाओं में से 5 चालू है, बाकी सब बंद है, अगर विधायक जांच समिति की मांग कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है. अगर मंत्री महोदया, आदेश दे दें कि जांच समिति गठित की जाए और विधायक शामिल हो तो क्या गलत है.

अध्यक्ष महोदय - जयवर्द्धन सिंह जी, बैठ जाये, सिर्फ आखिरी राय ही उद्भूत होती है.

श्री जयवर्द्धन सिंह - अध्यक्ष महोदय, इन दो विधान सभा में जांच समिति गठित की जाए और विधायक उसमें शामिल रहे.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - जब आपका प्रश्न आए तो पूछ लीजिए, अभी उनको उनका प्रश्न करने दीजिए, वे सक्षम है प्रश्न पूछने में.

श्री लाखन सिंह यादव - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन है कि मंत्री महोदया ने जो जानकारी दी है, उसकी जांच करा लें, और जांच समिति में मुझे भी रखा जाए, चूंकि मैं क्षेत्रीय विधायक हूं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - मैं अपने अधिकारियों को भेजकर जांच करवा लूंगी और जितनी भी योजनाएं बंद हैं, उनको ठीक करवा दूंगी.

श्री लाखन सिंह यादव - आपके अधिकारियों के द्वारा ही यह रिपोर्ट दी गई है. यह जानकारी असत्य है, मुझे आप समिति में रखेंगे तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

अध्यक्ष महोदय - माननीय मंत्री जी आप जांच कराने के लिए राजी हैं और माननीय विधायक को भी यदि आपके अधिकारी सूचना दे दें तो विधायक जी भी उनके साथ जाकर फिजिकल वेरीफिकेशन कर लेंगे.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि हम अधिकारियों को भेजकर जांच करवा लेंगे. माननीय विधायक जी की यदि इच्छा होगी तो वह भी साथ में जा सकते हैं.

श्री लाखन सिंह यादव - मंत्री महोदया, आप अपने क्षेत्र में नहीं जाती क्या. आप तो यह घोषणा करें कि क्षेत्रीय विधायक को उस जांच समिति में साथ में रखेंगे और जांच कराएंगे.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारी जांच करने जाएंगे और उनके साथ माननीय विधायक भी जाएंगे और जो भी योजना चालू नहीं होंगी हम वादा करते हैं कि हम उसको चालू कराएंगे.

श्री लाखन सिंह यादव - बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी देर में हमारा निवेदन स्वीकार किया.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - (बैठे-बैठे) अनावश्यक पूछेंगे तो हम क्या करेंगे (हंसी ...)

कसरावद तहसील कार्यालय भवन का निर्माण

[राजस्व]

8. (क्र. 1274) श्री सचिन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तारांकित प्रश्न क्रमांक 2004, दिनांक 27.02.2017 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या अन्य प्रस्तावित भूमि पर कसरावद तहसील कार्यालय के भवन निर्माण से संबंधित कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? हाँ तो बतायें नहीं तो कारण दें? **(ग)** उक्त तहसील कार्यालय के भवन निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) निविदा स्वीकृत होकर दिनांक 19 मई, 2017 को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। **(ख)** जी नहीं। पूर्व से प्रस्तावित भूमि। **(ग)** मानक मानचित्र प्राप्त करने में समय लगा है। दिनांक 18 मई, 2018तक पूर्ण करने हेतु अनुबंध किया गया है।

श्री सचिन यादव - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा कसरावद के तहसील कार्यालय के भवन निर्माण को लेकर मैं पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हूं. इसी सदन में प्रश्नों के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की हूं. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारी तहसील कसरावद में भवन का जो निर्माण हो रहा है वह कितने क्षेत्रफल में हो रहा है, कितनी राशि आवंटित की गई है और कौन सी एजेंसी को किन किन शर्तों में यह कार्य करने के लिए दिया गया है.

श्री उमाशंकर गुप्ता - अध्यक्ष महोदय, इतनी जानकारी तो मेरे पास नहीं है और इस प्रश्न से उद्‌भूत भी नहीं होता है, वर्क-आर्डर हो गया है यह जानकारी जो आप चाह रहे हैं, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा.

श्री सचिन यादव - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में आया है कि जांच राशि स्वीकृत की गई है वह राशि बहुत कम है, क्योंकि वहां पर तहसील भवन के साथ एसडीएम का कार्यालय भी बनना है, इसके लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता भी होगी. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बजट को बढ़ाया जाए ताकि तहसील कार्यालय और एसडीएम आफिस दोनों एक साथ बन जाए.

श्री उमाशंकर गुप्ता - माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया हूं, उसका वर्कआर्डर हो गया है 18 मई 2018 तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं, इस काम में कहीं बजट की कमी आड़े नहीं आने देंगे.

श्री सचिव यादव - माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ तहसील भवन के लिए 1 करोड़ 58 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है, इसमें एसडीएम भवन नहीं बन पाएगा, तहसील कार्यालय कहीं और बनेगा, एसडीएम कार्यालय कहीं और बनेगा तो इससे क्षेत्रीय जनता को समस्या होगी. अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके दोनों काम एक साथ हो जाए इसलिए बजट की राशि का प्रावधान करने का कष्ट करें.

अध्यक्ष महोदय - माननीय मंत्री जी, सदस्य चाहते हैं कि दोनों कार्यालय एक ही जगह हो.

श्री उमाशंकर गुप्ता - अध्यक्ष महोदय, यदि संभव होगा तो नया प्रस्ताव बनाकर दोनों कार्यालय को एक ही जगह में बनवा देंगे.

सीधी/सिंगरौली जिले में संचालित नल-जल योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

9. (*क्र. 931) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सीधी/सिंगरौली जिले के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र धौहनी में कितनी नल-जल योजनाएं एवं मुख्यमंत्री पेयजल योजनायें संचालित हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितनी नल-जल योजनायें एवं मुख्यमंत्री पेयजल योजनायें बंद व खराब हैं? इन नल-जल योजनाओं के संधारण व संचालन के लिये शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है? योजनावार कितनी राशि स्वीकृत की गई है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नल-जल योजनाएं कब तक संचालित कर दी जावेंगी? कुसमी की पेयजल योजना की वर्तमान स्थिति क्या है? बंद पड़ी पेयजल योजना को संचालित करने के लिये विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? कब तक योजना को चालू कर दिया जावेगा? **(घ)** समूह नल-जल योजना मझौली की स्वीकृति कब एवं कितनी राशि की दी गई थी? धीमी गति से नल-जल योजना का निर्माण कार्य चल रहा है, शीघ्र पूर्ण किये जाने के संबंध में विभाग के द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं? कब तक योजना को पूर्ण कर लिया जावेगा? विलम्ब होने के क्या कारण हैं? दोषीजनों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 29 नल-जल योजनाएं एवं 29 मुख्यमंत्री पेयजल योजनाएं संचालित हैं। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। ''नल से जल आज और कल'' कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सुधार (रू. 2 लाख से कम सुधार लागत) वाली बंद नल-जल योजनाओं को चालू करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को जिला पंचायत के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाई गई है तथा वृहद सुधार (रूपये 2.00 लाख से अधिक सुधार लागत) वाली बंद नल-जल योजनाओं को विभाग द्वारा निविदा आमंत्रण कर चालू करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** कुसमी की योजना चालू है। शेष उत्तरांश (ख)अनुसार। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती। **(घ)** 19 जुलाई, 2013 को एवं रूपये 8166.21 लाख की। योजनांतर्गत इंटेकवेल, सोनघड़ियाल वन्य प्राणी अभ्यारण्य एवं ग्राम बडकाडोल में प्रस्तावित पेयजल टंकी एवं पाईप लाईन कार्य संजय दुबरी टाईगर रिजर्व के अंतर्गत आने के कारण राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड एवं राज्य वन्य प्राणी बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के प्रयास किये गये तथा ठेकेदार को अन्य कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु सूचना-पत्र जारी किये गये। राज्य वन्य प्राणी

बोर्ड से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत योजना के कार्य पूर्ण कराये जा सकेंगे। वर्तमान में निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है। सोनघड़ियाल वन्य प्राणी अभ्यारण्य एवं संजय दुबरी टाईगर रिजर्व के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य वन्य प्राणी बोर्ड से अनुमति प्राप्त न होने के कारण विलम्ब हुआ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तीन

श्री कुंवर सिंह टेकाम--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में 29 नल-जल योजनाएं हैं, लेकिन इसमें से कई बंद हैं. आपने जानकारी में दिया है कि चालू हैं. मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि 27 नल जल योजनाएं बंद हैं. या इसमें बोर नहीं हैं या कई जगहों पर बोल फेल हो गये हैं, कहीं पर स्रोत नहीं मिला है. मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें जो नल-जल योजनाएं बंद पड़ी हैं उनको आप कब तक चालू करवा देंगे ?

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में तो कुल 31 योजनाएं हैं जिनमें से 25 चालू हैं, 6 बंद हैं. जिसमें 4 के मोटर पम्प खराब हैं, 2 स्रोत सूख गये हैं. माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहती हूं कि आपकी जानकारी में अगर ज्यादा बंद हों आप मुझे सूचना दे देंगे तो मैं सुधरवा लूंगी.

श्री कुंवर सिंह टेकाम--अध्यक्ष महोदय, मैं आपको लिखित में अलग से दे दूंगा. इस तरह से प्रश्न की जानकारी गलत आती है. इससे आम जनमानस को पानी नहीं मिलता है.

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह)--अध्यक्ष महोदय, यह 2-3 तीन उदाहरण हाल ही में 10 मिनट के अंदर हो चुके हैं. कहीं गुना, ग्वालियर की बात, कहीं भितरवार की बात, तो कहीं सिंगरौली की बात. मेरे ख्याल से हमारे क्षेत्र की भी इसी तरह के हालात हैं. पूछेंगी तो 72 नल जल योजनाएं स्वीकृत हैं, 71 चालू हैं. बल्कि चालू 6 हैं. मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सत्तापक्ष के विपक्ष के दोनों विधायकों की तरफ से आप प्रदेश में अच्छे तरह से जांच कर लें. नल जल योजनाओं पर शासन का पैसा लगा हुआ है. नल जल योजनाएं एक गरीब आदमी के लिये पेयजल के लिये है. अधिकांश बंद होने से किसको लाभ हो रहा है. आप सदन में जानकारी कुछ भी दे दें, लेकिन जमीनी हकीकत दूसरी है. माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि या तो यह कह दें कि पन्ना अथवा दो चार संभागों का दौरा करके वहां पर इसकी जांच कर लें तो ज्यादा सोन घड़ियाल

उचित रहेगा.

श्री कुंवर सिंह टेकाम--अध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासी विकासखण्ड कुसुमी की नल-जल योजनाओं के बारे में मैंने पूछा था इसमें जानकारी दी कि नल जल योजनाएं चालू हैं. वहां पर

पुरानी एक नल-जल योजना थी वह भी आंशिक रूप से चालू है. उसमें भी पांच-सात लोगों को लाभ हो रहा है, लेकिन एक और योजना स्वीकृत थी उसमें एक ओव्हरहेड टेंक बना है लेकिन उसमें पाईप-लाईन और इंटकवेल का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है इसमें जानकारी नहीं आयी है. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसकी स्वीकृति कब तक देकर के निर्माण कार्य करवाएंगी.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--अध्यक्ष महोदय, सोन घड़ियाल वन क्षेत्र रिजर्व एरिया वन विभाग में आता है.

श्री कुंवर सिंह टेकाम--अध्यक्ष महोदय, यह सोन घड़ियाल में नहीं है. कुसुमी आदिवासी विकासखंड है. सोन घड़ियाल वहां से 200 किलोमीटर दूर है. आपको इसकी गलत जानकारी है. मैं अपने विकासखंड मुख्यालय की बात कर रहा हूं. उसमें जो नल जल योजनाएं थीं. तीसरी मंझौली वाली समूह नल जल योजना है. यह सोन घड़ियाल का मामला है. अभी तो मैं दूसरे नंबर पर बात कर रहा हूं. कुसुमी की बात कह रहा हूं. कुसुमी की एक जानकारी नहीं आयी है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--अध्यक्ष महोदय, कुसुमी में योजना चालू है. 4 पंचायते हैं जिनको पैसा दे दिया है. दो मैं टेन्डर की प्रक्रिया चालू है.

श्री कुंवर सिंह टेकाम--अध्यक्ष महोदय, आप गलत जानकारी बता रही हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--अध्यक्ष महोदय, योजना चालू है तो गलत जानकारी बता रही हूं.

श्री कुंवर सिंह टेकाम--अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी मैं बता रहा हूं. आप सुन लीजिये. इसमें एक नल-जल आंशिक रूप से चालू है. एक नल जल योजना और स्वीकृत थी जिसका कि ओव्हरहेड टेंक का निर्माण हो चुका है. पाईप लाईन एवं इंटकवेल का निर्माण कार्य अभी नहीं हुआ है. टेन्डर हुआ था वह निरस्त हो गया है. मैं जानना चाहता हूं कि उसका पुनरीक्षित मांग-पत्र आया था उसकी स्वीकृति कब तक प्रदान करेंगे तथा निर्माण कार्य कब तक चालू करवा देंगी.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--अध्यक्ष महोदय, अतिशीघ्र.

श्री कुंवर सिंह टेकाम--अध्यक्ष महोदय, नल-जल योजना मंझौली की है यह सबसे बड़ी योजना है. जुलाई 2013 में इसकी स्वीकृति मिली थी अभी तक इसकी वाईट लाईफ बोर्ड से इसकी स्वीकृति नहीं मिली है. चार साल बीत गये हैं इसकी स्वीकृति कब तक मिलेगी.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--अध्यक्ष महोदय,10.7.17 को इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है.

श्री कुंवर सिंह टेकाम--अध्यक्ष महोदय,इसका निर्माण कार्य पूरा करवाकर कब तक पेयजल उपलब्ध कराएंगी.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--अध्यक्ष महोदय, पहले ही निवेदन किया था कि अतिशीघ्र.

खाद्यान्न कूपन जारी किये जाने हेतु पात्रता की शर्तें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

10. (क्र. 1297) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्रामीणजनों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान कूपन जारी किये जाने हेतु पात्रता की कौन-कौन सी शर्तें हैं? खाद्यान्न कूपन जारी कराये जाने के लिए क्या-क्या प्रक्रिया है? चरणबद्ध बतायें। जनपद पंचायत सिंहावल से लगभग 600 एस.सी./एस.टी. परिवारों को चिन्हांकन करके सूची जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को भेजने के बावजूद भी खाद्यान्न कूपन क्यों नहीं जारी किये जा रहे हैं? **(ख)** सीधी व सिंगरौली जिले में जनपदवार कितने परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है और कितने परिवारों को प्रदाय किया जाना शेष है? यदि शेष है तो वंचित संबंधित हितग्राहियों को आज दिनांक तक खाद्यान्न प्रदाय क्यों नहीं किया जा रहा है? **(ग)** क्या खाद्यान्न कूपन में किसी भी प्रकार का संसोधन नहीं हो रहा है? तो क्या मृतकों के नाम भी आवंटन जारी किया जा रहा है और नवीन चिन्हांकित परिवारों के खाद्यान कूपन जारी नहीं हो रहे हैं?

खाद्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश धुर्वे) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्राप्त करने हेतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 25 पात्रता श्रेणियों में होना अनिवार्य है। पात्रता पर्ची जारी करने हेतु स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित परिवार की संपूर्ण जानकारी समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर प्रविष्टी उपरांत समग्र परिवार आईडी निर्मित कराना, संबंधित पात्रता श्रेणी में सत्यापन एवं खाद्य विभाग के अमले द्वारा उचित मूल्य दुकान से मेपिंग उपरांत खाद्यान्न आवंटन सीमा के अंतर्गत पात्रता पर्ची एन.आई.सी. द्वारा जारी की जाती है। जनपद पंचायत सिंहावल के एस.सी./एस.टी. परिवारों का सत्यापन पोर्टल पर किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न आवंटन की सीमा से अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होने के कारण सत्यापित नवीन परिवारों को पात्रता पर्ची जारी नहीं की जा सकी है। **(ख)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीधी एवं सिंगरौली जिले में जनपदवार लाभान्वित एवं शेष परिवारों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न आवंटन की सीमा से अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होने के कारण सत्यापित नवीन परिवारों को पात्रता पर्ची जारी नहीं की जा सकी है। **(ग)** पात्र परिवारों के डाटाबेस में अपात्र परिवारों को विलोपित/अनमेप करना तथा नवीन सत्यापित परिवारों को पात्रता पर्ची जारी करने हेतु चिन्हांकन करने की सुविधा समग्र पोर्टल पर जिला अधिकारी को

उपलब्ध करा दी गई है, जिन हितग्राहियों द्वारा किसी कारण से राशन प्राप्त नहीं किया जाता है, उनको आवंटित सामग्री का समायोजन कर आगामी माह का आवंटन जारी किया जाता है। जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में 01 मई, 2017 की स्थिति में जितनी संख्या में अपात्र व्यक्तियों के नाम पोर्टल पर विलोपित किए जाएंगे उतनी ही संख्या में संबंधित जिले के नवीन सत्यापित व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किए जा सकेंगे। जिले में जुड़ने वाले नवीन हितग्राही के लिए पात्र बी.पी.एल. परिवारों को प्राथमिकता दी जाए, इसके पश्चात् अनुसूचित जाति/जनजाति के नवीन सत्यापित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए। मृतकों के नाम से आवंटन जारी करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

परिशिष्ट - "चार "

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि खाद्य पर्ची जरनेट करने की समस्या मध्यप्रदेश के हर जिले की है. गरीबों के नाम अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग और विधवा पांच किलो अनाज के लिये तड़प रही हैं, जबकि इस देश के अंदर कानून बनाया गया है. गरीबी रेखा में लाखों लोगों के नाम हैं, लेकिन पिछले लगभग 9-10 महीनों से कोई पर्ची जनरेट नहीं हो रही है. जिसकी वजह से गरीबों को अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उनके यह अधिकार सुरक्षित किये गये हैं कि हर गरीब को पांच किलो अनाज जो पात्र हैं, उनको दिया जायेगा. कई बार यह सवाल विधान सभा के अंदर आया, लेकिन इसका हल नहीं निकल पाया और उनमें से बहुत सारे गरीब हर रोज मर रहे हैं. अब उनकी क्या गलती है, जिन बेचारों को अनाज नहीं मिल रहा है. इस पर सरकार क्या करेगी, उन गरीबों के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है. हम यही आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं.

श्री ओम प्रकाश धुर्वे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस नियम कानून की किताब माननीय विधायक जी लेकर आये हैं और वह बहुत वरिष्ठ विधायक हैं. खाद्य अधिनियम में यह भी उल्लेख भी है कि हम उन लोगों को तो अनाज उपलब्ध कराते ही हैं. लेकिन आवंटन की भी एक सीमा है, उससे ज्यादा हम उनको अनाज नहीं दे सकते हैं.

हमारे प्रदेश की आबादी के 75 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को नहीं दे सकते हैं. यदि हम उससे ज्यादा को देंगे तो हमारे यहां सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं, क्या उसका उनको लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है. मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि (श्री सुन्दरलाल तिवारी के हंसने पर) आप हंस रहे हैं. आप पढ़ लीजिये उस अधिनियम में है, आपने उसको पूरा पढ़ कर नहीं बताया है. आपने दूसरी बात नहीं की है. अधिनियम में इसका भी उल्लेख है कि आबादी

का 75 प्रतिशत का ही आवंटन हमको प्राप्त होता है. इससे ज्यादा लोगों को हम नहीं दे सकते हैं. इसीलिये हमने पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को एक निर्देश जारी किया है कि जहां-जहां पर बोगस राशन कार्ड हैं, उनको विलोपित करवायें और उनके स्थान पर जो सत्यापित हुए हैं, उनको पात्रता पर्ची जारी करें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बात सही कही है कि इस कानून में उल्लेख है कि प्रदेश की जो जनसंख्या है उसकी 75 प्रतिशत जनसंख्या को अनाज उपलब्ध कराया जायेगा, उसकी सीमा निर्धारित की गयी है.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अभी एक महीने पहले ग्राम उदय और भारत उदय पूरे मध्यप्रदेश में आपका रथ चल रहा था. उसमें गरीबों से इस बात के आवेदन पत्र लिये गये कि आपका नाम गरीबी रेखा में नाम जोड़ा जायेगा. हितग्राहियों को जो लाभ मिलना चाहिये वह आपको लाभ दिलाया जायेगा. उसमें लोगों ने गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के लिये आवेदन पत्र दिया, उन्होंने यह शिकायत दर्ज करायी कि किसी भी गरीब आदमी को लाभ नहीं मिला. मेरा कहना यह है कि मंत्री जी ने कहा है कि आबादी के 75 प्रतिशत लोगों को लाभ दिया जायेगा. मैं यह बात दावे से कह सकता हूं कि किसी भी गांव की आबादी के 75 प्रतिशत लोगों को अनाज उपलब्ध नहीं हो रहा है. बल्कि यह संख्या 50 प्रतिशत से भी कम है. माननीय मंत्री जी आपका कहना यह है कि मध्यप्रदेश में 75 प्रतिशत लोग गरीब हैं, यह आपका कहना है. अभी 75 प्रतिशत की सीमा मध्यप्रदेश में नहीं गयी है, यह मंत्री जी का कहना गलत है, अगर यह सही है तो आंकड़ा बता दें कि इतने लोग अनाज पा रहे हैं और यह मध्यप्रदेश की जनसंख्या है, मैं यह जानना चाहता हूं.

श्री ओम प्रकाश धुर्वे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य ने पहले से बता दिया होता तो संख्या निकालकर बता देते. अभी इंतजार करिये. मैं जानकारी दे रहा हूं, आप धैर्य तो रखिये.

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने ही कहा है कि 75 प्रतिशत की सीमा है. देखिये वह आपके पास असत्य रिकार्ड आ गया है.

श्री ओम प्रकाश धुर्वे- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में मध्यप्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, जहां हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसी व्यवस्था की है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी- आप मुख्यमंत्री की बात छोड़िये. यहां गरीब 5 किलो अनाज के लिए मर रहा है.

श्री ओम प्रकाश धुर्वे- आप मेरी बात सुनने का साहस रखिये. मैं आपको जवाब दे रहा हूं. क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे ? तिवारी जी, आप लोग लाल गेहूं गरीब जनता को खिलाते थे. पूरे देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को 1 रूपये किलो में गेहूं और चावल उपलब्ध करवाया है.

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय- यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है. कृपया जवाब आने दें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी- आपने 75 प्रतिशत की बात कही है. आप हितग्राहियों की संख्या बताईये.

श्री रणजीत सिंह गुणवान- माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में 1 रूपये किलो में अनाज देने का जो कार्य प्रारंभ किया गया है, उसके अंतर्गत सभी को अनाज मिल रहा है. कहीं कोई कमी नहीं है. तिवारी जी, आप ज़रा इसके आंकड़े उठाकर देखिये. आप सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं. आज तक किसी व्यक्ति ने इस संबंध में शिकायत नहीं की है. सभी को अनाज मिल रहा है.

अध्यक्ष महोदय- गुणवान जी, कृपया आप बैठ जायें.

श्री सुदर्शन गुप्ता- तिवारी जी, को अनाज नहीं मिल रहा होगा, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है.

अध्यक्ष महोदय- कृपया आप सभी बैठ जायें. महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर आने दीजिये.

श्री ओम प्रकाश धुर्वे- माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश की जनसंख्या लगभग 7.5 करोड़ है. उसमें से 5 करोड़ 47 लाख लोगों को हम राशन दे रहे हैं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी- अध्यक्ष महोदय, यहां जो आंकड़े दिए गए हैं, इसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी गांव में, किसी पंचायत में अथवा किसी कस्बे में 75 प्रतिशत का आंकड़ा आज तक पूरा नहीं हुआ है. आप केंद्र सरकार की बात करते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं. जब तक आपको केंद्र सरकार अनाज नहीं देती है क्या तब तक आप लोगों को 5 किलो अनाज मुहैया करा पाने में समर्थ होते हैं ? आप बताईये कि आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय- तिवारी जी, आप प्वाईंटेड प्रश्न पूछिये. आपने जो प्रश्न किया था, मंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया है. अब आप एक मिनट में केवल प्वाईंटेड प्रश्न करिये.

श्री सुन्दरलाल तिवारी- अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि सरकार उन लाखों गरीबों की पर्ची कब तक जनरेट करवा देगी, जो मध्यप्रदेश में अनाज लेने से वंचित हैं. दूसरी बात यह है कि इसके निवारण की व्यवस्था की गई है. इसमें कमीशन बनाने का प्रावधान है और जिलों में

मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का भी प्रावधान है. लेकिन आज तक न ही कोई कमेटी बनी है और न ही कोई बैठक हुई है. मंत्री जी, बतायें कि यह कमेटी कब बनेगी और जिलों में उसकी बैठक कब तक शुरू करवा देंगे.

श्री ओम प्रकाश धुर्वे- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राय: सभी जिलों में कमेटियां बन गई हैं.

श्री हर्ष यादव- कहीं कोई बैठक नहीं होती है.

श्री ओम प्रकाश धुर्वे- अध्यक्ष महोदय, जारी किए गए निर्देशों के अनुसार बोगस राशन-कार्डों के नाम कटते जा रहे हैं और नए नाम जुड़ते भी जा रहे हैं. इस प्रश्न में सिंगरौली और सीधी जिले का उल्लेख किया गया है. बोगस राशन कार्ड संज्ञान में आने के कारण हमें लगभग 1 सौ 26 मीट्रिक टन खाद्यान्न की बचत हुई है. "ग्राम उदय" और "भारत उदय" अभियान के अंतर्गत सत्यापित लोगों के नाम जोड़ने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है.

श्री निशंक कुमार जैन- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी गलत जानकारी दे रहे हैं. आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा ? इनके विभाग ने गलत उत्तर दिया है.

....(व्यवधान)....

श्री ओम प्रकाश धुर्वे- जैन जी, मैं एक-एक ब्लॉक का नाम बता दूंगा. मैंने कोई गलत जानकारी नहीं दी है.

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय- जैन जी, आप बीच में 5 बार बोल चुके हैं. अब आप बैठ जायें. रावत जी, आप केवल एक प्रश्न करें.

श्री रामनिवास रावत- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सीधा-सीधा प्रश्न करना चाहता हूं. मंत्री जी, ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम का हवाला दिया है कि हम निर्धारित खाद्यान्न की सीमा से अधिक खाद्यान्न नहीं दे सकते हैं. क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम में अनुसूचित जाति और जनजाति के समस्त परिवारों को खाद्यान्न पर्ची दिए जाने का प्रावधान है ? यदि प्रावधान है तो आपके उत्तर में जनपद पंचायत सिंहावल के एस.सी./एस.टी. परिवारों का सत्यापन पोर्टल पर किया जा चुका है. भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न आवंटन की सीमा से अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होने के कारण सत्यापित नवीन परिवारों को पात्रता पर्ची जारी नहीं की जा सकी है. इसी प्रश्न से संबंधित इसी क्षेत्र के ऐसे कितने एस.सी./एस.टी. के परिवार हैं जिनको अभी खाद्यान्न नहीं मिल रहा है और क्या

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम में एस.सी./एस.टी. के समस्त परिवारों को खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान है.

श्री ओम प्रकाश धुर्वे-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार जो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम है उससे एक कदम बढ़कर भी हम काम कर रहे हैं. उसमें दो रुपए किलो देने का उल्लेख है हम तो एक रुपए किलो दे रहे हैं. आपके समय तो इतना भी नहीं हुआ था. (व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत-- मैं अनुसूचित जाति या जनजाति की बात कर रहा हूं. आप तो अनुसूचित जनजाति के मंत्री हैं. मेरा पाइंटेड प्रश्न है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- आप उत्तर तो ले लें. (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धुर्वे-- मैं एस.सी./एस.टी. की बात कर रहा हूं. पूरे प्रदेश में एस.सी./एस.टी. को एक रुपए किलो अनाज मुहैया करवाने वाला भारत वर्ष में मध्यप्रदेश पहला राज्य है. (व्यवधान) माननीय सदस्य आप जो बोल रहे थे जो आयकर दाता हैं उनको छोड़कर सभी एस.सी./एस.टी. को देने की पात्रता है.

श्री रामनिवास रावत-- ऐसे कितने एस.सी./एस.टी. के परिवार हैं जिनको प्रदेश में खाद्यान्न नहीं मिल रहा है और कब तक दिलवाएंगे?

अध्यक्ष महोदय-- इससे प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता है.

श्री रामनिवास रावत-- यह एस.सी./एस.टी. के परिवारों का पूछा है. प्रश्न के जवाब में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को खाद्यान्न सीमा अधिक होने के कारण खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है. उनके लिए सीमा नहीं लगा सकते, सीमा का हवाला नहीं दे सकते.

अध्यक्ष महोदय-- इसमें प्रश्न कहां है.

श्री रामनिवास रावत-- यह प्रश्न क्रमांक पहले का आप अंतिम शब्द पढ़िए कि जनपद पंचायत सिंहावल के एस.सी./एस.टी. परिवारों का सत्यापन पोर्टल पर किया जा चुका है भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न आवंटन की सीमा से अधिक.....

अध्यक्ष महोदय-- आपने पूरे प्रदेश भर का पूछा है.

श्री रामनिवास रावत-- सिंहावल में ऐसे कितने एस.सी./एस.टी. के परिवारों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है जो पात्र हैं.

अध्यक्ष महोदय-- क्या आपके पास इसके आंकड़े हैं. वैसे इसमें पूछा नहीं गया है.

श्री ओम प्रकाश धुर्वे -- अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय-- उन्होंने खुद ही 600 एस.सी./एस.टी. परिवार बताया है.

श्री ओम प्रकाश धुर्वे-- माननीय अध्यक्ष महोदय, 618 परिवार शेष हैं

अध्यक्ष महोदय-- आप पढ़िए तो उस प्रश्न को.

श्री ओम प्रकाश धुर्वे-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंहावल में 618 परिवार बाकी हैं जो सत्यापित हैं उनको भी दिया जाएगा.

अध्यक्ष महोदय-- रावत जी, यह प्रश्न में ही लिखा है आपने प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ा है.

विधिक सलाह हेतु भेजे गए प्रकरण

[गृह]

11. (*क्र. 1108) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिले में ए.डी.पी.ओ एवं डी.पी.ओ. के पद पर कौन कब से पदस्थ है? इन पदों पर नियुक्ति और पदस्थापना हेतु क्या नियम और निर्देश हैं? इनके क्या कार्य हैं? कार्यों को करने की समय-सीमा क्या है? **(ख)** छतरपुर जिले में जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरण ए.डी.पी.ओ./डी.पी.ओ. के पास विधिक सलाह हेतु आए? कितने प्रकरण पर अभिमत दिया? कितने लंबित हैं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में थानों से आए प्रकरणों को निराकृत करने की क्या समय-सीमा है? जिले में ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनका निराकरण समय-सीमा के भीतर नहीं किया गया? प्रत्येक प्रकरणों की जानकारी, लंबित होने के कारणों सहित प्रदाय करें।

गृह मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। ए.डी.पी.ओ एवं डी.पी.ओ. की नियुक्ति म.प्र. लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1991 के अनुसार लोक सेवा आयोग के चयन के आधार पर की जाती है। अभियोजकों का कार्य न्यायालय में आपराधिक प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करना है। अभियोजकों का कार्यसमय, न्यायालयीन कार्य समय अनुसार प्रातः 10.30 से 5.30 तक समय-सीमा निर्धारित है। **(ख)** छतरपुर जिले में193 प्रकरण प्राप्त एवं 193 प्रकरण पर विधिक अभिमत दिया गया। कोई प्रकरण लंबित नहीं है। **(ग)** थानों सेप्राप्त प्रकरण यथासंभव 2 दिवस में विधिक अभिमत प्रदान कर वापस किए जाते हैं। सभी प्रकरणों में विधिक अभिमत प्रदाय किया जा चुका है। कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय गृह मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि जिला छतरपुर थाना नौगांव की चौकी गरौली में ए.डी.पी.ओ. की अक्षमता के कारण

ब्रजकिशोर चौबे पर एक फर्जी 307 का मुकदमा लंबित है. जो पूरी तहर से असत्य है क्या गृह मंत्री जी उसको तीन दिन में खत्म कराने के आदेश करेंगे.

श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकरण के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उस प्रकरण में ए.डी.पी.ओ. ने अपनी राय दे दी है और उसमें बृजकिशोर चौबे जी निर्दोष पाए गए हैं. प्रकरण निर्दोषता के साथ न्यायालय में भेज दिया गया है.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक-- बहुत बहुत धन्यवाद. एक और विषय था इसी केस में इस झूठे मुकदमे में मूरत सिंह और उनके पुत्र पप्पू को भी इसी केस में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. वे जेल जा चुके हैं तो क्या उनके साथ कोई न्याय संगत राहत का काम पुलिस विभाग करेगा.

श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर -- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुल तीन आरोपी थे. तीन आरोपियों में से दो आरोपियों पर अपराध सिद्ध पाया गया है. एक आरोपी जो बृजकिशोर चौबे हैं उन पर अपराध सिद्ध नहीं पाया गया इसलिए उनका नाम निकालकर बाकी दो लोगों के विरुद्ध चालान पेश हो जाएगा.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक-- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न यह है कि कृष्ण कुमार गौतम ए.डी.पी.ओ. ने पांच माह तक इस मामले को उलझाकर रखा क्या माननीय गृह मंत्री महोदय उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करके उनको हटाने की कृपा करेंगे?

श्री भूपेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विलंब हुआ है उसके कारणों की भी हमने जानकारी ली है. मुख्य रुप से राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं आई थी यह रिपोर्ट न आ पाने के कारण एडीपीओ समय पर रिप्लाई नहीं कर पाए. जैसे ही राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई, तत्काल एडीपीओ ने अपने अभिमत सहित प्रकरण भेज दिया.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समाधान हुआ बहुत-बहुत धन्यवाद.

किसान आंदोलन में गोली चालन की घटना

[गृह]

12. (*क्र. 592) श्री मुकेश नायक (श्री रामनिवास रावत, श्री शैलेन्द्र पटेल) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में दिनांक 01 जून, 2017 से 16 जून, 2017 की अवधि में हुये राज्य व्यापी किसान आंदोलन में कहाँ-कहाँ किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई और उनके परिजनों को मुआवजे के रूप में कितनी-कितनी धनराशि का वितरण कब-कब किया गया? **(ख)** आंदोलन के दौरान पुलिस गोली चालन से नागरिकों की मृत्यु पर मुआवजा देने के लिये क्या शासन ने कोई नियम बनाये हैं या केवल मुख्यमंत्री या अफसरों के विवेक पर मुआवजा निर्धारण तय किया जाता है? इस बारे में स्थिति स्पष्ट

करें। **(ग)** इस आंदोलन के दौरान 15 दिनों में आगजनी लूटपाट आदि घटनाओं में नागरिकों की चल-अचल संपत्ति को जो नुकसान हुआ है, क्या उसका आंकलन कराया गया है? यदि हाँ, तो स्थान अनुसार नुकसान का और वितरित मुआवजे का विवरण देवें। **(घ)** क्या आंदोलन से पीड़ित अनेक लोगों को अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है? यदि हाँ, तो क्या कारण है? **(ड.)** क्या मंदसौर एवं नीमच जिले में प्रदर्शन कर रहे किसान हथियारों से लैस थे? यदि हाँ, तो कितने किसानों के पास हथियार थे?

गृह मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** आंदोलन के दौरान आगजनी, लूटपाट आदि घटनाओं में नागरिकों की अचल-चल सम्पत्ति के नुकसान के आंकलन एवं मुआवजे के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित प्रक्रियाधीन कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। **(ड.)** मंदसौर जिले के घटनाक्रम की जांच हेतु न्यायिक आयोग गठित है। अत: टीप दिया जाना न्याय संगत नहीं है। नीमच जिले में दर्ज प्रकरणों में विवेचना जारी है। अत: विवेचना पूर्ण होने के उपरांत ही जानकारी देना संभव हो पायेगा।

श्री मुकेश नायक--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न मैंने मंदसौर के संदर्भ में पूछा है लेकिन मेरा आशय मध्यप्रदेश में होने वाली इस तरह की दुर्घटनाओं और घटनाओं से संबंधित है. जब इस तरह की दुर्भाग्यजनक घटनाएं होती हैं और उसमें नागरिक मारे जाते हैं. ऐसी स्थिति में मुआवजे की पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गई है या माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार के विवेक पर ही यह निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को कितना मुआवजा दिया जाएगा. क्या सरकार भविष्य में ऐसे तमाम विषयों को लेकर कोई पॉलिसी निर्धारण पर काम करेगी.

श्री भूपेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी यदि किसी की सम्पत्ति का नुकसान होता है या अन्य किसी प्रकार से नुकसान होता है तो सामान्यत: इसके लिए आरबीसी में प्रावधान हैं, परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी को यह विशेष अधिकार होता है कि अगर कोई प्रकरण ऐसा है जिसमें मुख्यमंत्री जी को यह लगता है कि यह प्रकरण गंभीर है और प्रकरण के अनुसार इसमें सहायता राशि अधिक करना उचित है तो उन परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्वेच्छानुदान से आरबीसी में जो राहत के प्रावधान हैं उससे हटकर भी सहायता राशि प्रदान करते हैं. माननीय मुकेश नायक जी ने पूछा है कि इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान हैं क्या. यह बात सही है कि इस बारे में अभी शासन स्तर पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं. इस बारे में शासन विचार करेगा कि इसके स्पष्ट प्रावधान भी हम लोग बनाएं.

श्री रामनिवास रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने आज एक पत्र सचिवालय को भेजा है.

अध्यक्ष महोदय--वह पत्र मेरे ध्यान में आया है.

श्री रामनिवास रावत--अध्यक्ष महोदय, हमारे विशेषाधिकारों को आप संरक्षित नहीं करेंगे तो कौन करेगा. इस प्रश्न में मेरा नाम जोड़ दिया गया है. मेरा मूल प्रश्न ही अलग है. मैं अपना प्रश्न पढ़कर सुनाता हूँ. मेरा प्रश्न था कि किया यह सही है कि प्रदेश में 1 जून 2017 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न किसान संगठनों द्वारा किसानों की उत्पादित फसल के लागत मूल्य से डेढ़ गुना मूल्य दिलाने हेतु समस्त प्रकार की कर्ज माफी देने, उद्यानिकी उत्पादित सब्जी आदि का समर्थन मूल्य घोषित करने आदि मांगों को लेकर व्यापक स्तर पर आंदोलन किया गया था. यदि हाँ तो उक्त आंदोलन का किन-किन जिलों में क्या-क्या प्रभाव रहा. दूसरा प्रश्न था कि क्या यह सही है कि दिनांक 6 जून 2017 को मंदसौर जिले में आंदोलन कर रहे निहत्थे किसानों पर पुलिस द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के गोली चलाई गई जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई. यदि हाँ तो मृतकों के नाम पिता के नाम सहित जानकारी दें. तीसरा था गोली चालन के आदेश किस अधिकारी द्वारा दिए गए. चौथा था किसानों को राहत पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान आन्दोलन के दौरान मांगों सहित माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक क्या-क्या घोषणाएं कीं और प्रश्न के संदर्भ में किन-किन थानों में कितने-कितने किसानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए उनमें से कितने-कितने किसान अभी तक जेलों में बंद हैं. मेरा यह मूल प्रश्न था.

राजस्व मंत्री(श्री उमाशंकर गुप्ता)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से मेरे ख्याल से सदन लगातार इन्हीं मुद्दों पर चल रहा है. स्थगन भी इन्हीं बातों पर चल रहा है.

श्री रामनिवास रावत--क्या प्रश्न लगाना हमारा विशेषाधिकार नहीं है.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- पूरा अधिकार है.

श्री रामनिवास रावत--मैं माननीय अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूँ आप बीच में क्यों बोल रहे हैं. आप तो कह देते हो जानकारी एकत्रित की जा रही है. क्या हमारा विशेष अधिकार नहीं है.

श्री उमाशंकर गुप्ता--आपका पूरा अधिकार है. सब तरह का अधिकार है. मैं यह कह रहा हूँ कि जब सदन इस विषय पर चल ही रहा है उससे किसी दूसरे को मौका मिल जाएगा.

श्री रामनिवास रावत--यह चर्चा की बात नहीं है. मैं अपना जवाब चाहता हूँ.

अध्यक्ष महोदय--मैं जवाब दूंगा.

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मूलत: इनका जो प्रश्न था उसे सचिवालय ने रिजेक्ट कर दिया. सचिवालय में नियम है उसके अनुसार इन्हें अनुमति नहीं दी गई.

श्री रामनिवास रावत-- मुझे सूचना किसने दी? ये बताएँ सूचना दी गई क्या?

वन मंत्री (डॉ.गौरीशंकर शेजवार)-- आपकी विशेष कृपा से दूसरे प्रश्न में इनका नाम जोड़ दिया.

श्री रामनिवास रावत-- मुझे कोई कृपा की जरुरत नहीं है, आपकी कृपा की जरुरत नहीं है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- नियम प्रक्रिया के अंतर्गत ये प्रश्न नहीं कर सकते.

श्री रामनिवास रावत-- मैं आसन्दी से निवेदन कर रहा हूँ.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- ये जो इन्होंने पढ़ा है वह कुछ नहीं पढ़ सकते. यह विधान सभा का नियम है.

श्री रामनिवास रावत-- अस्वीकृत करने वाले आप कौन होते हों?

अध्यक्ष महोदय-- मैं उत्तर दे रहा हूँ.

श्री रामनिवास रावत-- मुझे अस्वीकृत करने की कोई सूचना अभी तक नहीं दी गई है.

अध्यक्ष महोदय-- रावत जी, आप सुन लें. मेरे को वस्तु स्थिति मालूम है. आपका पत्र भी मैंने पढ़ा है. ये मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी जो नियम हैं इसका नियम 40 (1), आप कृपया इसको देख लें,

"यदि अध्यक्ष की राय में किसी प्रश्न में जिसकी सूचना सदस्य से प्राप्त हुई हो, रूप भेद करना या उसको पृथक् प्रश्नों में विभाजित करना आवश्यक हो या दो या अधिक प्रश्नों को एक ही प्रश्न में एकत्रित करना आवश्यक हो तो अध्यक्ष आवश्यक रूप भेदों के साथ उस प्रश्न को स्वीकार कर सकेगा या उस प्रश्न को विभाजित कर सकेगा या सुसंगत प्रश्नों को एक में समेकित कर सकेगा."

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, अब आप लाख नियम बताओ पर ये नियमों पर चलते ही नहीं हैं. इनको नियम पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है.

अध्यक्ष महोदय-- डॉक्टर साहब, एक मिनट. बैठ जाएँ. अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 12, कृपया उस पर भी ध्यान दें,

" जब एक ही विषय पर या संबद्ध विषय पर अनेक सदस्यों से प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हों तो यदि अध्यक्ष सदस्यों द्वारा पूछी गई सभी महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित करके एक सम्पूर्ण प्रश्न

बनाना उचित समझे तो यह निदेश देगा कि सभी सूचनाओं को एक सूचना में समेकित कर दिया जाए:

परन्तु ऐसी अवस्था में उन सभी संबंधित सदस्यों के नाम, उनकी सूचनाओं को प्राथमिकता क्रम में, समेकित प्रश्न के सामने एक कोष्ठक में दिखाए जाएँगे."

यह मैंने नियम बता दिया कि यह अधिकार है. (श्री रामनिवास रावत जी के खड़े होने पर) अब बात पूरी तो सुन लो. आपने जो पत्र लिखा है उसमें आपने दो बात लिखी हैं, न तो आपकी भाषा और आपकी भावना इनके विपरीत है. भाषा की बात मैं कर सकता हूँ भाषा का मूल प्रश्न यह था कि किसानों के संबंध में, विशेषकर मंदसौर के किसानों के संबंध में था, पर जैसा कि मुकेश नायक जी ने भी पूरे एक समेकित प्रश्न में, प्रदेश भर में क्या ऐसी कोई नीति बनाई गई, ऐसा ही आपका भी मिलाजुला था. भावनाएँ आप अभी यहाँ बता दीजिए इसलिए उद्‌भूत करने की व्यवस्था है, तो आप अब अपना प्रश्न करिए.

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल बात यह नहीं है. अब मुकेश नायक जी के साथ रामनिवास रावत जी का नाम आपने कैसे लिख दिया, यह समस्या है.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथमतः आपकी बात से सहमत हूँ. अगर मेरे प्रश्न और मुकेश नायक जी के प्रश्न का एक ही भावार्थ होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती.

अध्यक्ष महोदय-- विषय एक ही है.

श्री रामनिवास रावत-- नहीं, मुकेश जी का जो प्रश्न है वह केवल गोली से मरने वाले किसानों एवं मुआवजे से संबंधित है.

अध्यक्ष महोदय-- गोली से मरने वाले नहीं, जो नुकसान दूसरों को होता है, उस पर भी है. आपने गुस्से में पढ़ा ही नहीं है.

श्री रामनिवास रावत-- मैंने नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा. मैंने नुकसान के संबंध में मेरे प्रश्न में एक बात नहीं पूछी. आप प्रश्न पढ़ कर देख लें और दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, आसन्दी से मुझे निर्देश मिला है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ. मंत्री जी ने अभी कहा कि रिजेक्ट कर दिया, किस हैसियत से किया.

अध्यक्ष महोदय-- रिजेक्ट नहीं किया. उनको जानकारी नहीं थी.

श्री रामनिवास रावत-- इन्हें आप डाँटें. ये माफी मांगें. ये क्या सचिवालय चलाएँगे?

अध्यक्ष महोदय-- आप तो अब अपना प्रश्न पूछिए. श्री शैलेन्द्र पटेल को भी पूछना है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, टेक्निकली हम समझ लें कि मैंने कोई प्रश्न दिया, आपने उसे प्रक्रिया में नहीं लिया, किताब में नहीं छपा, इसका अर्थ यह है कि उसे रिजेक्ट कर दिया.

अध्यक्ष महोदय-- डॉक्टर साहब, प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है, शैलेन्द्र पटेल जी को भी पूछना है. आप एक प्रश्न पूछ लीजिए फिर शैलेन्द्र पटेल एक प्रश्न पूछेंगे, इस विषय पर अब कोई विवाद नहीं होगा. श्री रामनिवास जी एक प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद श्री शैलेन्द्र पटेल जी एक प्रश्न पूछेंगे.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न यह था, एक तो मुझे जवाब दिला दें. दूसरा मैंने प्रथम प्रश्न यह किया है कि क्या विभिन्न किसान संगठनों द्वारा किसानों की उत्पादित फसल का लागत मूल्य दिलाने, डेढ़ गुना मूल्य दिलाने, समस्त प्रकार की कर्ज माफी करने का, किन किन मांगों को लेकर आन्दोलन किया था, किसान संघ ने भी आन्दोलन किया था, मुख्यमंत्री जी ने भी बुलाया था, मंदसौर के किसानों की मांगें क्या क्या थीं, स्पष्ट कर दें.

अध्यक्ष महोदय-- यह बड़ा विस्तृत प्रश्न है...

श्री रामनिवास रावत-- विस्तृत प्रश्न है ही नहीं. मांगें क्या क्या थीं और मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की.

अध्यक्ष महोदय-- स्थगन में सब आ गया. ..(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत-- (श्री उमाशंकर गुप्ता जी के खड़े होने पर) आप शांत बैठे रहो. क्यों मध्यप्रदेश के किसानों का मजाक उड़ा रहे हों? तुम्हें किसानी से मतलब है नहीं.

अध्यक्ष महोदय-- 12 बज गया है, समय समाप्त हो गया है पर मैं विशेष रूप से शैलेन्द्र पटेल जी को अनुमति दूँगा.इनका उत्तर आप दे दीजिए इसके बाद में आपका समय समाप्त.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, यह तो निर्देश दे दें कि मेरे प्रश्न का जवाब जरूर आ जाए. चर्चा न हो. जवाब तो आ जाए.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार-- जो प्रश्न आया ही नहीं है जो प्रक्रिया में लगा नहीं हैं और ना वह सप्लीमेंटरी में आ रहा है उसका जवाब कैसे दिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठें. भूपेन्द्र सिंह जी बोलें.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब के लिए निवेदन कर रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय-- आपका उत्तर आ रहा है.

श्री रामनिवास रावत--अध्यक्ष महोदय, इसका लिखित में जवाब आ जाये इसलिए निवेदन कर रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी, आप इसका लिखित में जवाब दे दीजिये. श्री शैलेन्द्र पटेल अपना प्रश्न करें , सिर्फ एक प्रश्न करेंगे.

श्री रामनिवास रावत-- जवाब कब तक आ जाएगा?

अध्यक्ष महोदय-- आज ही लिखित में जवाब पहुंचा देंगे.

श्री शैलेन्द्र पटेल-- माननीय अध्यक्ष महोदय,गृह मंत्री जी ने पॉलिसी बनाने की बात की है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. मेरा एक प्रश्न है कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण यदि कहीं पर घटना होती है, मंदसौर में तो जो दुकानें जली हैं, नुकसान हुआ है उनको राहत देने की बात की गई है लेकिन प्रदेश में अन्य जगह भी इस तरह का नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार क्या विचार करेगी, क्या उसी अनुरूप जिस अनुरूप मंदसौर में राशि दी गई उसी हिसाब से दूसरे जो नुकसान हुए हैं, क्या उसकी भी भरपाई सरकार करेगी?

श्री भूपेन्द्र सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर भी नुकसान हुआ है सभी जगह का आंकलन शासन करा रहा है और आंकलन के आधार पर जो नुकसान जहाँ पर भी हुआ है हम उनको सहायता राशि देंगे. मंदसौर के अलावा किसी भी जिले में अगर कहीं पर भी कोई नुकसान किसान आंदोलन में हुआ है या आपके द्वारा हुआ है तो उसमें हम लोग मदद करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न काल समाप्त.

(प्रश्न काल समाप्त)

12.02 बजे

स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय-- कल सदन की सहमति अनुसार किसान आंदोलन संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर आज चर्चा पूर्ण की जाना है. वैसे तो कल इस प्रस्ताव पर लंबी एवं पर्याप्त चर्चा हो चुकी है इसीलिए अब माननीय नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य एवं माननीय मुख्यमंत्री का जवाब आना है . इस बारे में यदि नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं कि आपको और मुख्यमंत्री जी को ही बोलना है?

नेता प्रतिपक्ष(श्री अजय सिंह)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, साधारण तौर से, सामान्य तौर से, परंपरा के हिसाब से जो लोग स्थगन देते हैं उनकी बात सुनी जाती है और उस पार से, सत्ता पक्ष के तरफ से सिर्फ एकाध मंत्री लोग उत्तर देते हैं. हम लोगों ने स्थगन दिया सिर्फ 9 लोग बोल पाये

हैं. मेरा आपसे अनुरोध है कि जो बाकी कुछ नाम हैं उनको भी थोड़े-थोड़े समय के लिए बोलने दिया जाये जिससे वह अपनी भावना रख सकें.

अध्यक्ष महोदय-- आपसे एक अनुरोध है जो आपने अनुरोध किया है, जो आपने प्रस्ताव किया है उससे सहमत होते हुए यदि दो-दो मिनट में अपनी बात रखे तो ठीक होगा. अभी 9 लोग बोल चुके हैं. आपको छोड़ दें तो 16 लोग अभी बोलना बाकी हैं और दूसरे पक्ष के लोग भी अभी बोलना शेष हैं.(श्री उमंग सिंघार जी के बोलने पर) श्री उमंग सिंघार जी, आप 5 मिनट के 10 मिनट कर देंगे.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की 80 प्रतिशत आबादी की बात दो मिनट में कैसे संभव है?

अध्यक्ष महोदय-- देखिये, सारी बात आ चुकी है. नेता प्रतिपक्ष जी उसको फिर सम अप भी करेंगे और इसीलिये आपसे अनुरोध है कि अब 2 मिनट हम कहते हैं 4 मिनट आप खुद कर लोगे. 5 कहेंगे तो 10 मिनट कर लोगे तो आपसे अनुरोध है कि 2-2 मिनट में अपनी बात कहें ताकि 1 घंटे में यह 16 सदस्यों की बात हो सके और कुछ सत्ता पक्ष के सदस्य भी बोलना चाहेंगे.

श्री अजय सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, 5-5 मिनट सबको बोलने दिया जाये.

अध्यक्ष महोदय-- पर इसका कठोरता से पालन हो मेरा यह आपसे अनुरोध है.

श्री अजय सिंह-- अध्यक्ष महोदय, यह तो आपको करना है.कल जब गोपाल भार्गव जी बोल रहे थे तब आपने नहीं किया, रामेश्वर शर्मा धारा प्रवाह 25-30 मिनट बोल रहे थे.

अध्यक्ष महोदय-- गोपाल भार्गव जी पहले वक्ता थे.

श्री अजय सिंह-- तब तो आपने कठोरता नहीं दिखाई क्या हम लोगों पर ही कठोरता होगी.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, आप पर बिल्कुल नहीं होगी. आपकी सहमति से ही सदन चलेगा.श्री उमंग सिंघार अपना भाषण प्रारंभ करें.

12.05 बजे **स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)**

प्रदेश के आंदोलनरत् किसानों पर लाठीचार्ज एवं गोलीचालन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

श्री उमंग सिंघार (गंधवानी) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नेता प्रतिपक्ष जी के अनुरोध को स्वीकार किया, उसके लिए आपको सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ.

अध्यक्ष महोदय -- आपका ही प्रस्ताव है.

श्री उमंग सिंघार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई. यह मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं. कल मैंने विधानसभा में देखा जिस प्रकार इस संवेदनशील मुद्दे को कुछ लोगों ने हास-परिहास में बदलने की कोशिश की और उस मुद्दे की गंभीरता को कम किया. कुछ लोगों को चर्चा के समय यह अहसास नहीं रहा कि जिसके घर में जिस किसान की मृत्यु हुई, उसके परिवार को एक करोड़ रूपए देने से उसके परिवार में उसका पति, उसका बेटा वापस नहीं आएगा. वह परिवार कैसे संघर्ष करेगा. कैसे अपने परिवार का भरण-पोषण करेगा, यह हमारे लिए एक सोचने का विषय हो सकता है. माननीय गृहमंत्री जी ने स्थगन का जवाब देते समय आखिर में एक बात कही थी कि प्रदेश के अंदर किसानों में कोई असंतोष व्याप्त नहीं है. कोई रोष व्याप्त नहीं है लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी उससे लग रहा था कि वे सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं. यह वे खुद ही अपनी अंतरात्मा से समझ सकते हैं. 12 साल के बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मेधावी छात्रों को भोपाल में पुरस्कार दे रहे थे और उन्होंने कहा कि कृषि लाभ का धंधा नहीं है टाटा, अंबानी बनो. आपने 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया. इतने साल सरकार चलाई, किसान का बेटा कहा, किसानों का हितैषी कहा और आज उन मेधावी छात्रों को, जो इस प्रदेश के युवा होनहार भविष्य हैं उनसे कहते हैं कि कृषि लाभ का धंधा नहीं रहा. मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केन्द्र में आपकी सरकार है. आपकी सरकार मध्यप्रदेश में है. सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे हिन्दुस्तान में यह स्थिति बन रही है. आज आप इतनी बात करते हैं तो यहां से शासकीय संकल्प पारित क्यों नहीं करते. आप केन्द्र से अनुरोध क्यों नहीं करते कि आयात नीति में कंट्रोल करें. ट्रैक्स बढ़ाएं, इम्पोर्ट पर टैक्स लगाएं, यहां के जो गेहूं उत्पादक, दलहन उत्पादक हैं उन लोगों को लाभ मिले. लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक सरकार ने इस प्रकार का कोई शासकीय संकल्प यहां से पारित करवाने के लिए कोई बात की है. एक मेरा सुझाव है कि चाहें तो इस बात को आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं. यह बात सही है कि पिछले 8 महीनों में नोटबंदी, जीएसटी के

कारण हर वर्ग को नुकसान हुआ है लेकिन दिल्ली स्तर तक के हमारे प्रयास भी होने चाहिए कि हम हमारे प्रदेश को कैसे मजबूत रखें और कैसे हम हर वर्ग के लोगों के, किसानों के हितैषी बनें. माननीय शिवराज सिंह जी कई बार बोल चुके हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप कोयले के मुद्दे को लेकर, बिजली के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठ जाते थे लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप कितनी बार गए और कितनी बार आपने इस बात को कहा. आज तक मुझे नहीं लगा और न ही मैंने मीडिया में पढ़ा कि आपने किसानों को लेकर इस मुद्दे पर बात की हो. मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बात को आप सरकार तक पहुंचाएं और मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार आज किसानों के कर्ज की भरपाई कर सकती है. किसानों के कर्ज की भरपाई केन्द्र सरकार कर सकती है.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया समाप्त करें.

श्री उमंग सिंघार -- अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में समाप्त करता हूँ. विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आत्महत्या की घटनाएं हुईं, गोलीबारी हुई. किसान कर्ज से मर रहा है तो प्रदेश में एक नई नीति चालू हो गई है कि वह किसान निजी कारणों से मरा है. उसके ऊपर कर्जा नहीं था. मेरे विधानसभा क्षेत्र गंधवानी में चुम्पिया गांव के अंदर विलाम पिता मालसिंह है, जिसके दोनों बच्चे गूंगे-बहरे हैं. वह किसान कर्ज से मर रहा है. सरकार प्रतिवेदन में दे रही है कि 23000 रूपए कर्जा था. 60000 रूपए का साहूकारों का कर्जा था, 60000 रूपए का अन्य कर्जा था लेकिन उसकी पत्नी से बयान नहीं लिया गया. उसके बच्चों से, उसके परिवार में बहुओं से किसी से नहीं पूछा गया, उसके घर के पास में रहने वाले भाई से हस्ताक्षर करवा दिए कि यह तो निजी कारण से, बीमारी के कारण से मर गया.

अध्यक्ष महोदय -- उमंग जी, कृपया समाप्त करें.

श्री उमंग सिंघार -- अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटना बालाघाट में भी हुई.

अध्यक्ष महोदय -- श्री राजेन्द्र पाण्डेय अपनी बात रखें.

श्री उमंघ सिंघार -- अध्यक्ष महोदय, अत: मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को जो अति संवेदनशील होना चाहिए, यह तो इतनी संवेदनहीन हो गई है कि जिनको आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता, राष्ट्रीय सहायता मिलनी चाहिए, उन परिवारों पर ऐसे प्रकरण बनाए जा रहे हैं ताकि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ न मिले.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया बैठें, अब नहीं.

श्री उमंग सिंघार -- अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी जो आत्महत्याएं हुई हैं, उन पर विशेष रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय -- बैठ जाएं, अब नहीं, इस तरह से समय बढ़ता जाएगा.

श्री उमंग सिंघार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंदसौर के बारे में बात कहना चाह रहा था कि दलोदा के जो घनश्याम जी धाकड़ थे.

अध्यक्ष महोदय -- श्री उमंग सिंघार जी का अब कुछ नहीं लिखा जाएगा.

श्री उमंग सिंघार -- (XXX)

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, प्लीज, अब नहीं, 10 मिनट सबके हो जाएंगे. आप कृपया सहयोग करें, आप सहयोग नहीं कर रहे हैं. श्री राजेन्द्र पाण्डेय अपनी बात रखें.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय (जावरा) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से स्थगन पर चर्चा चल रही है और पूरा सदन और पूरा प्रदेश भी इसे गंभीरता से देख रहा है.

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने जिस ढंग से स्थगन प्रस्ताव लाया, उनकी भावना क्या रही, उनके विचार क्या रहे, कांग्रेस के लोग अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं. इस स्थगन में घटना घटित होने के बाद कांग्रेस का चेहरा सामने आया था, उन्होंने उन लाशों पर राजनीति करने का प्रयास किया, लाशों पर रोटियां सेंकने का काम किया, और यह चरित्र तो प्रारंभ से कांग्रेस का रहा है, चाहे यहां पर महात्माओं का नाम लेकर, चाहे इनके बड़े नेतृत्व का नाम लेकर, इन्होंने हमेशा लाशों पर राजनीति करने का काम किया है.

अध्यक्ष महोदय, मंदसौर की घटना दु:खद है, निश्चित रूप से दु:खद है और उस पर दु:ख भी व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के बारे में तो न केवल मध्यप्रदेश वरन् पूरा देश इस बात को भलिभांति जानता है और जानने के साथ-साथ इस बात को स्पष्ट रूप से मानने भी लगा है कि प्रजातंत्र में ऐसा मुख्यमंत्री पहले देखने को नहीं मिला, जो स्वयं जनता से जाने कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ? जो समस्त वर्गों को अपने निवास पर बुलाकर पूछे कि तुम्हारे दु:ख-दर्द क्या हैं ? कठिनाइयां क्या हैं और मैं उसमें क्या मदद कर सकता हूँ ? जनता ने जैसा कहा, वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार करने का काम किया है और यही कारण रहा कि आज मध्यप्रदेश स्वर्णीम मध्यप्रदेश बन रहा है, मध्यप्रदेश में लगातार उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस, जिसको यहां पर मध्यप्रदेश में तो विपक्ष का अधिकार है, भले ही देश में इन्हें विपक्ष की भूमिका निभाने का भी अवसर देश की जनता ने नहीं दिया, देश की जनता ने इनको नकार दिया. अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं, उसके आवेदन ले रहे हैं, उसके पास दौड़कर चले जाते हैं, उसकी परेशानी पूछते हैं, वे किसी को मना नहीं करते हैं, मंदसौर में घटना हुई है, उससे लगा हुआ जिला हमारा रतलाम जिला है, रतलाम जिले में माननीय मुख्यमंत्री

जी के आने की घोषणा कि रतलाम जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, और वे रतलाम में न केवल आएंगे, वरन् रतलाम में रात्रि-विश्राम भी करेंगे, इन सब बातों की जानकारी समस्त लोगों को रही. माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस अगर विपक्ष में है, विरोध में है, कोई मांग रखना चाहती है, कोई आवेदन देना चाहती है, किसी मांग-पत्र के बारे में चर्चा करना चाहती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया जाना चाहिए था जब उनके रतलाम आने की सूचना अधिकृत रूप से जारी हो गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी जानी चाहिए थी कि हम आपसे इस बारे में मिलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते थे, कांग्रेस के लोग निश्चित रूप से प्रदेश में हा-हाकार मचाना चाहते थे, कांग्रेस के लोगों का यह षड्यंत्र था.

श्री उमंग सिंघार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मांग-पत्र की बात बार-बार की जा रही है, हम तो चाहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ हो. ये कौन-सी बात कर रहे हैं.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय -- उमंग सिंघार जी, मैं मेरे जिले की बात कर रहा हूं. मेरे जिले में जो हुआ, वह मैं बता रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय -- उमंग जी, यह उनके जिले का मामला है.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय -- उमंग जी, आप एक काम करें. आप मेरे साथ आ जायें, मैं आपको उस स्थान पर ले जा सकता हूं, जहां पर घटना जानबूझकर षडयंत्र के साथ की गई. वहां पर आपको ले जा सकता हूं. उन ग्रामीण लोगों से मैं बात करवा सकता हूं. उनसे मैं आपकी मुलाकात करवा सकता हूं.

श्री उमंग सिंघार -- मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि वहां पर मैं जा चुका हूं.

अध्यक्ष महोदय -- उमंग जी, आप बैठ जायें. आमने-सामने बहस नहीं होगी. पाण्डेय जी, आप भी उनका उत्तर मत दीजिये. सीधे आसंदी की तरफ बात कीजिये. उनका उत्तर देने की जरुरत नहीं है. अब आप कृपया समाप्त करें.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय -- अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि यदि वहां के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, श्री डी.पी. धाकड़ मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय लेते, तो उनकी मुख्यमंत्री जी से आसानी से मुलाकात हो जाती, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहते थे. उन्होंने जानबूझकर षडयंत्र किया. मुख्यमंत्री जी जब सैलाना जाना चाहते थे,बाय रोड उनके जाने का

कार्यक्रम था और निश्चित रुप से वहां पर मुलाकात के लिये अगर समय लेते तो सर्किट हाउस में उनकी मुलाकात हो जाती. उन्होंने ऐसा नहीं किया. ढेलनपुर में अज्ञात लोगों को वहां पर इकट्ठा किया. ढेलनपुर में आस पास के गांव के लोग इकट्ठा हो गये. वहां के स्थानीय लोग तब वहां पर पहुंचे नहीं थे और जब वहां पर वह खड़े हो गये, तो उन्होंने जो भाषण दिया, भाषण में उनका पहला वाक्य यह था कि जो पहली गाड़ी आये, उसमें आग लगा देना. जो पहली गाड़ी दिखे, उसको तोड़ देना. जो पहली गाड़ी दिखाई दे, उसको फोड़ देना, उसको खत्म कर देना. जैसा होगा, हम देख लेंगे. क्या नेता यह वक्तव्य देता है, क्या नेता का नेतृत्व इस तरह का होता है. अगर जनता की कोई मांग थी, तो निश्चित रुप से मुख्यमंत्री जी से आकर के वे मिलते,लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसके कारण वहां पर भगदड़ मची. वहां पर लाठी-चार्ज हुआ. मंदसौर की घटना बाद में हुई है. पहले तो वहां पर पुलिस अधिकारी की आंख चली गई. उसके प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं रही और उसके बाद भी जो इन्होंने नौटंकी की है, माननखेड़ा टोल पर जाकर के नाटक नौटंकी करना, राहुल गांधी जी का वहां पर पहुंचना. अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस मध्यप्रदेश में हो रहे लगातार विकास के कार्यों, कांग्रेस मुख्यमंत्री जी की छबि को खराब करने के लिये ऐसा कर रही है, मैं इसका विरोध करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद.

कुंवर विक्रम सिंह (राजनगर) -- अध्यक्ष महोदय, यह घटना अपने आप में बहुत दुखद घटना है और पूरे मध्यप्रदेश के लिये यह बड़ा दुख का विषय है. मैं ज्यादा समय न लेते हुए बहुत सी बातें इस पर हो चुकी हैं और रिपीटेशन न हो, इसलिये मैं अपनी बात सीधे पाइंट पर आकर करना चाहता हूं. यह तमाम साथी मित्रों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाये,परंतु जड़ तक कोई नहीं पहुंचा. भारतीय किसान संघ द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा था. यह भारतीय किसान संघ द्वारा आंदोलन बीच बीच में किये जाते हैं, बल्कि करवाये जाते हैं और इस आंदोलन के फलस्वरुप जब बात बिगड़ गई और वह हेंडल नहीं हो पाई, तो यह किसान लोग उग्र प्रदर्शन के रुप में आ गये, जिस पर गोली चालन हुआ. गोली चालन एक आखिरी स्टेज का काम होता है और इसकी आवश्यकता उस समय नहीं थी, जो हुआ, वह बहुत ही दुखद हुआ. मैं मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि ऐसी घटना आगे चलकर न हो. मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कारतूस इशू होते हैं एक कांस्टेबल को या किसी भी अधिकारी को, क्या उन जिंदा कारतूसों की गिनती वापस ली गई और जिनके कारतूस कम पाये गये, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया जाये. दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में किसानों के ऊपर जो कर्ज है, वह कर्ज माफ किया जाये, ऐसी मैं सदन के मुखिया

और प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं. अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, धन्यवाद.

श्री ओम प्रकाश सखलेचा (जावद) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समस्त सदस्य इस बात से तो सहमत हैं कि यह घटना बहुत दुखद हुई है. लेकिन जिस तरीके से इस घटना की चर्चा हो रही है वह उससे भी ज्यादा दुखद है, क्योंकि बजाय मुद्दे के राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं. कहीं न कहीं मैं यह बात चर्चा में लाना चाहता हूं कि 3 - 4 प्रमुख बातें जो मेरे ध्यान में आयीं सबसे पहली बात आयी कि किसान के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की कितनी चिंता है. एक साल में किसानों पर 24 हजार करोड़ रूपये का विभिन्न मदों में अनुदान मिल रहा है. इन्हें सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से यह बात चाहिए कि यह माफ कर दो या वह माफ कर दो, और काम करने वाले को जो माफी मांगे केवल उसका भला हो जाय एक का और दूसरे का बंटवारा कर दें. बंटवारे की जो रणनीति कांग्रेस की आजादी के समय से शुरू हुई है वह आज इस दुखद घटना में भी उनकी सबसे ज्यादा बात वह ही घटना आ रही है कि जो किसान समय ऋण चुकता करता है उ से छोड़ो और जो बचे हुए हैं उनको मदद देकर अलग करें न कि नीतिगत इस बात पर चर्चा करें कि सबको प्रपोशनेटली बराबर कैसे दिया जाय. खेती को फायदा का धंधा बनाया जाय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह आई, महत्वपूर्ण बात में सिर्फ एक वर्ग एक ही बात कि कीमतों को कैसे बढ़ाया जाय, अगर कीमतें बढ़ें तो आप कंज्यूमर की तरफ से चिल्लाना शुरू कर देंगे कि महंगाई का इंडेक्स बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और कीमत कम हो जाय तो यह कहेंगे तो विपक्ष का काम और ड्यूटी केवल विरोध करना है. उ सके बजाय अगर आप मध्यप्रदेश की क्षमता जो कि तेजी से बढ़ रही है उसके बारे में सोचें. अब यहां पर लागत कम करने के बारे में कितनी बातें हो रही हैं. लागत कैसे कम हो ताकि किसान को शुद्ध नफा बढ़ाने की हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर बार चर्चा की है और हर संभव प्रयास उस पर किया गया है तो लागत कम करने के प्रस्ताव के बारे में और चिंतन करना चाहिए ताकि और उसको कैसे फायदे का सौदा, कैसे किसान की आमदनी बढ़े यह मूल्य वाक्य होना चाहिए. उस भाव को बढ़ाने के लिए क्या हमने आयोग बनाकर उसकी लागत के बारे में चर्चा कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय हम थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं कि कैसे उनको और तकनीकी खेती में और नये उपकरण में अनुदान देकर कैसे उनके उत्पादन को बढ़ाया जाय. यहां पर यह बात किसी ने नहीं कही है कि सिंचाई का रकबा बढ़ाकर किसानों का टोटल सिंचित रकबा 7 लाख हेक्टेयर से 40 लाख हेक्टेयर तक गया है. नर्मदा जी के पानी का बंटवारा जो कि सन् 1979

में हुआ था उसका 30 साल तक, वर्ष 2005 तक किसी ने पानी रोकने का उसके अतिरिक्त उपयोग का किसी ने नहीं सोचा था, इसके बारे में 28 और 29 सालों तक किसी ने कोई काम नहीं किया है, उसकी चर्चा यहां पर नहीं की है. क्या यह सबसे बड़ा प्रदेश की जनता के साथ, जितनी भी 1980 से लेकर 2005 तक कोई काम नहीं हुआ है उसके बारे में एक बार भी चर्चा नहीं आयी है.आप यहां पर किसानों के हित की बात कर रहे हैं. सबसे बड़ा नुकसान तो इस विषय पर है, 40 लाख हेक्टेयर की जमीन अगर आज अगर पानी से अतिरिक्त रूप से सिंचित हुई है तो कितने लाख किसानों का फायदा इ स सरकार ने आते ही किया है, उसके बारें में कहीं पर चर्चा हुई है. केवल हम यह बात करें कि यहां पर यह नुकसान हुआ है. मैं अगर थोड़ी और हटकर बात करूं. क्या केवल एक विषय से पूरे प्रदेश को चलाना चाहिए, क्या उद्योग के बारे में बात करना गलत बात है, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात पर बहुत अभिनंदन करता हूं क्योंकि मैंने यह बात कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से कही है कि उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहिए, छोटे और बड़े उद्योग जो कि सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं. क्योंकि जैसे-जैसे तकनीकी खेती में बढ़ेगी..

अध्यक्ष महोदय - कृपया समाप्त करें.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा - अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई भी वाक्य रिपीट नहीं किया है. फिर भी आप जब बोलेंगे, मैं बैठ जाऊंगा.

अध्यक्ष महोदय - परन्तु समय की मर्यादा है, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा - अध्यक्ष महोदय, क्या यह शब्द बोलूं कि जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ेगी हमें दूसरे रोजगार के बारे में सोचना नहीं चाहिए, नवयुवकों को दूसरी दिशा में दिशा-निर्देश देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कहीं हैं वे क्या गलत हैं, क्या उनमें किसानों के बच्चे नहीं हैं. उन बच्चों को भी उद्योग लगाकर आगे बढ़ने का मौका देना क्या गलत बात है? स्पष्ट लाइन में यदि बात कहें कि केवल राजनीतिक भाषाओं का उपयोग करके जनता को गुमराह करना और किसी एक दुखद घटना पर राजनीतिक रोटी सेंकने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है. मैं अपनी बात को इसी वाक्य के साथ समाप्त करना चाहता हूं कि राजनीतिक रोटियां सेंकना बंद करें और व्यवस्थित उनको आगे बढ़ाने के लिए, किसानों की लागत कम करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. साथ ही उन्हें दूसरे रोजगार धंधे में आगे बढ़ाने के लिए उचित बढ़ावा देना चाहिए. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं. धन्यवाद.

श्री ओमकार सिंह मरकाम (डिण्डोरी) - अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर पर लोकतंत्र तक आने के लिए ऊर्जा देने वाला वह एक ईमानदार शब्द, जिनका जीवन सच्चाई, मेहनत और कर्तव्यों से भरा रहता है, उसके दर्द पर आज हम चर्चा कर रहे हैं. अफसोस की बात है कि जब हमने विधायक बनने का निश्चय किया था, उस समय यह कभी नहीं सोचा था कि उस ईमानदार व्यक्ति की मृत्यु पर कभी सदन में चर्चा करनी पड़ेगी. आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं. एक किसान, किसान का मैंने अपने शब्दों में वर्गीकरण किया है. 'कि' शब्द से होता है, किस्मत के भरोसे जीने वाला. 'सा' शब्द से होता है, सम्पूर्ण जीवन समर्पित करने वाला. 'न' शब्द से होता है, न्यायपूर्ण जीवन जीने वाला. यह किसान मैं समझता हूं, उस किसान के जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. चार प्रकार के किसान होते हैं; बड़े किसान, मध्यम किसान, छोटे किसान और अधियार किसान. जब किसान सवेरे 4 बजे उठता है तो अपने मवेशियों को पेरा भूसा देकर उसको तैयार करता है. अपने बाल-बच्चों को घर में छोड़कर खेत के लिए निकल जाता है. खुर्रा फांदता है. जब खुर्रा फांदने के बाद धान की फसल डालता है. वह फसल डालने के बाद जब खेत पर जाता है तो वहां पर सांप, बिच्छू निकलते हैं. किसान कभी डरता नहीं है. किसान अपने जीवन को लगाता है. अध्यक्ष महोदय, धान की गुहाई जब हमारे पिताजी हमें कराते थे, हम 3 बजे रात उठते थे. बर्फ रहता था. परन्तु उससे हम डरते नहीं थे, हम धान को पैदा करते थे. इसके बाद हम चावल लाते हैं. आज वह लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं जिन्हें धान के पेड़ को पहचानने के लिए भी मैं समझता हूं कि उनको मुसीबत होगी. आज इस विषय पर मैं तो कहना चाहता हूं. माननीय मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र के विषय में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष रहता है. परन्तु आज कहां गयी, दीनदयाल उपाध्याय जी की वह जनता पार्टी, कहां गया अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह संदेश, जो कर्तव्यों पर बात करते थे. आज कहते हैं कि स्क्रिप्ट कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लिखी गयी है. माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इसको समझिए. आपका बढ़ते हुए जनादेश से कहीं न कहीं आपके कक्का जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और जिस तरह से 15 मई को अमरकंटक में आपने अपनी पवित्र भावनाओं का प्रदर्शन किया. आपके विरुद्ध वहीं स्क्रिप्ट लिखी गयी कि यह मुख्यमंत्री को कैसे हम किसी तरह से फंसाएं और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कोई कांग्रेसी का कहीं हाथ नहीं है. इसमें भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र के लोगों का हाथ है कि आपको अस्थिर किया जाय.

एक माननीय सदस्य - मीडिया में किसको बताया? चिल्ला-चिल्ला कह रहे थे कि तोड़ दो, जला दो. मीडिया में किसको बताया? वे कौन-से नेता थे?

श्री उमाशंकर गुप्ता - इनको दिल्ली का बड़ा ज्ञान है? आप डिण्डौरी तक ही रहें.

श्री ओमकार सिंह मरकाम- आप किसान का दर्द नहीं समझते. आप वाजपेयी जी के विचारों के समर्थक नहीं हैं. आज तो आप उनके समर्थक हैं, जिनको वाजपेयी जी ने कहा था, अध्यक्ष महोदय, मैं एक शब्द के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं. माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं. मैं राजनीतिक भाषण इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं किसानी का दर्द जानता हूं और मैं आज ब्यूरोक्रेट्स की बात भी करता हूं कि ये एसी में बैठकर किसानों के लिए योजना बनाते हैं. हमारे साथ चलें फराह लगाकर अभी बता दें तो अक्ल आ जाएगी.

अध्यक्ष महोदय - कृपया समाप्त करें.

श्री प्रदीप अग्रवाल - एसी में बैठकर ही 70 साल तक योजनाएं बनाते रहे, तब आज आप लोगों ने किसानों की यह स्थिति कर दी.

श्री ओमकार सिंह मरकाम- अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

वन मंत्री(डॉ गौरीशंकर शेजवार)-- अध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं कह देता हूं कि धान का पेड़ नहीं पौधा होता है.

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- डॉक्टर साहब आप पढ़-लिख कर डॉक्टर बन गए. हमने डॉक्टरी नहीं की है. माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं. आपके 13 सालों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे आपकी छबि को कलंकित करने का मौका मिला. धन्यवाद.

डॉ मोहन यादव(उज्जैन-दक्षिण)--अध्यक्ष महोदय, किसानों के हित में सोचने वाली, आनंद के साथ चलने वाली अच्छी-खासी सरकार पर जिस प्रकार एक राजनैतिक षडयंत्र के कारण और मैं राजनैतिक षड़यंत्र सोच-समझ कर कह रहा हूं क्योंकि जब यह घटना घटी, मेरी अपनी विधान सभा में इंदौर और बड़नगर रोड़ पर दोनों रोड्स पर जहां आम जन अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए घर से निकल रहे हैं, इंदौर जाने के लिए निकल रहे हैं उसी समय सरेआम टंकियां पकड़-पकड़ कर दूध ऐसा गिराया जा रहा है जितना पानी भी इतनी बेदर्दी से नहीं गिराया जाता है. बच्चें, यात्री, महिलाएं सड़कों पर स्लीप हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, महिलाएं गिर रही हैं, घायल हो रहे हैं. किसी का हाथ, किसी का पांव टूट रहा है. किसी पर, किसी को दया नहीं आ रही. सांची का दूध का टेंकर आता उस टेंकर में नमक और फिटकरी डालकर सबके सामने फाड़ा जाता है. जिस प्रकार से हालात बनाये गए उससे ऐसा लगा कि हम अपने मध्यप्रदेश में उज्जैन के आसपास हैं या

अफगानिस्तान या दूसरी अरब कंट्री में खड़े हैं. जिस प्रकार से फसलों,सब्जियों को नष्ट कराया गया. जो माहौल यहां पर बनाया गया. लकड़ी से मारा गया. पुलिस बचाने आ रही है तो पुलिस पर हमला करने का जो माहौल बना,मंजर बना वास्तव में वह बहुत डरावना था.

अध्यक्ष महोदय, पुलिस रिकार्ड में वे नाम मौजूद हैं. मैं बताना चाहूंगा कि जो जो नाम थे वह सब कांग्रेस के वर्तमान में पदाधिकारी हैं. वो दूध को गिरा रहे हैं, सब्जियां फैंक रहे हैं. 1 तारीख से 3 तारीख तक की घटना में पहले दिन तो मैंने स्वयं किसान होने के नाते भले कांग्रेस के लोग थे, उनकी मदद की कि चलो कोई बात नहीं, ये माफी मांग रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए. लेकिन दूसरे दिन फिर देखते हैं तो यह लोग आते हैं और हमारे सब इंस्पेक्टर जाधव से सरेआम मारपीट करते हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी क्षिप्रा परिक्रमा में उज्जैन आते हैं और सब काम छोड़ कर सारे किसानों से बात करते हैं. बात करने के बाद यह घोषणा हो जाती है कि प्याज 8 रुपये किलो में खरीदा जाएगा. सारी बात समाप्त हो गई. इतना अच्छा माहौल बनाया उसके बाद 5 तारीख छोड़कर, 6 तारीख को वापस वही घटना होती है. जिस तरह की घटना 6 तारीख को बड़नगर रोड़ पर घटी है जब कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन करने के लिए कहा कि हम शांतिपूर्ण चक्काजाम करेंगे. पुलिस ने कहा ठीक है, आप चक्काजाम कर लीजिए. जब चक्काजाम शांतिपूर्ण समाप्त होने की स्थिति बनी तो उनको लगा कि मजा नहीं आया अभी तो और बाकी रह गया. उसी समय फूलों से भरी एक गाड़ी(वेन) आती है उसको 15 फीट ऊपर उठाकर ऐसा उछाला जैसे कोई गेंद उछाल रहे हैं. जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई है चार चार डम्पर पत्थर इकट्ठे हो जायें, इतने पत्थर थे जबकि वहां मिट्टी वाले खेत हैं, जहां पत्थर आ ही नहीं सकते थे लेकिन इतने सारे पत्थर लाकर जो माहौल बनाया. उस माहौल में टीआई, सीएसपी घायल होते हैं और 15 पुलिस वालों को चोट लगती है. जिस प्रकार से माहौल बनाया गया उससे लगता है कि यह घटना बहुत सुनियोजित षड़यंत्र के तहत हुई. जिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर होती. जिनकी रिपोर्ट होती है वह सारे के सारे कांग्रेस के पदाधिकारी होते और बाद में भाग कर जाते और भाजपा के लोगों के नाम बताने लग जाते. दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया उन्होंने भी देखा कि अपोजिशन का समय कैसे निकलता है. अपोजिशन का काम ऐसी अराजकता फैलाने के लिए होता है? ऐसे आंदोलन करके वह क्या साबित करना चाहते हैं. कौन सा संदेश देना चाहते हैं. अपने ही लोगों को घायल करके,अपने लोगों को मार कर दूध को गिरा कर, सब्जी को फैंक कर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं. किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं? मैं उज्जैन के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जहां खेती का मामला है वहां पूरे मालवा में नर्मदा

का पानी लाये. नर्मदा-क्षिप्रा, नर्मदा-पार्वती और अब तो नर्मदा-गंभीर भी आ गई और नर्मदा-कालीसिंध की जिस प्रकार से लंबी योजनाएं बनी हैं. एक के बाद एक पूरा क्षेत्र किसानों के लिये ही बना दिया है ऐसा लगता है कि सरकार ने सारा पैसा हमारे लिये ही दिया है.जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिये किया है वह किसी ने नहीं किया. वाकई हमने दर्द,कष्ट सहा है. हम यह देख-देख कर परेशान हैं कि किसी भी दल का आदमी यह काम कैसे कर सकता है, यह हो कैसे सकता है, अगर हम यह करने लगेंगे तो यह नक्सलाईटों को मात करने वाला व्यवहार हो जायेगा. सरकार द्वारा किये गये अच्छे कामों के बारे में हम कभी सोच नहीं सकते. इसी सदन के अंदर दर्ज है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का वह कथन, जब उन्होंने कहा था कि नर्मदा-क्षिप्रा कभी आ नहीं सकती हैं. नर्मदा का पानी कभी मालवा में नहीं मिल सकता है लेकिन हम सबने सोचा कि नर्मदा के पानी से कुम्भ का स्नान हुआ. न केवल नर्मदा बल्कि नर्मदा-गंभीर लाईन भी चालू हुई है. जिस प्रकार से जो माहौल बना है उसके लिये मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जहां सिंहस्थ में लगभग चार हजार करोड़ रुपये से सिंहस्थ का काम हुआ, वरन् साढ़े अठारह सौ करोड़ रुपये की लागत से नर्मदा-गंभीर लाईन का एक फेज और अब तीन हजार करोड़ की लागत से नर्मदा-क्षिप्रा का दूसरा फेज का काम हो रहा है. इसके अलावा कालीसिंध,पार्वती नदियों पर लगभग बीस हजार करोड़ खर्च करने की योजना है. वे पूरे मालवा को मरुस्थल से बचाने के लिये काम कर रहे हैं तो वह अपराध नहीं कर रहे हैं. मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि किसी बात से किसी के मतभेद हो सकते होंगे,मतभिन्नता हो सकती होगी लेकिन अगर ऐसा आचरण करेंगे तो हमारी राजनीतिक दिशा कौन सी होगी. हम कहां जाना चाहेंगे. इस प्रकार से प्रशासन कैसे व्यवस्था देखेगा. आने वाला पत्थर न कोई सरकारी अधिकारी देखता है न कोई नागरिक देखता है. आंदोलन जरूर करें लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार किसान की आड़ में बदनाम करने का प्रयास न करें. बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री हर्ष यादव(देवरी) - माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद. 6 जून की घटना देश के सामने मध्यप्रदेश को कलंकित करने वाली है. काला अध्याय है. मेरा ऐसा मानना है कि मध्यप्रदेश को किसानों के द्वारा अपने श्रम,खून-पसीने से 5 बार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड सरकार को दिलाया है. आज उन किसानों कि यह हालत है कि मध्यप्रदेश के पुलिस के लोग लाठी चार्ज करते हैं, गोली चालन करते हैं. यह निश्चित रूप से मध्यप्रदेश को शर्मसार करने वाली है. हमारा बुंदेलखण्ड का ऐरिया है. पांच जिलों का आर्थिक सर्वेक्षण पत्रिका समूह ने किया है, जिसमें किसानों की दुर्दशा के बारे में कहा गया है कि 90

प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं. चाहे वह कर्ज बैंक का हो, चाहे सेठ,साहूकार का हो, उन किसानों में से 60 प्रतिशत किसानों ने यह माना है कि हमारी अगली पीढ़ी किसानी करे. उनकी आर्थिक स्थिति जर्जर है. बुंदेलखण्ड का हर किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है. 6 जून की घटना के बाद से वहां 4 किसानों ने आत्महत्या की है. चाहे खुरई की घटना हो,चाहे बीना की घटना हो, चाहे सुरखी की घटना हो, चाहे बण्डा की घटना हो. उनकी बात सरकार नहीं मानती है न माने किसानों ने आत्महत्या की है. मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र की बात करते हैं. आज यह हालत है कि मध्यप्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो किसान की स्थिति सबसे बुरी है. अभी 2016 का आर्थिक सर्वेक्षण आया है जिसमें 45 बरसों का रिकार्ड है. जिसमें सरकार ने माना है कि अधिकारी,कर्मचारियों की आय 300 प्रतिशत बढ़ी है और किसानों की आय मात्र 19 प्रतिशत बढ़ी है. यह किसानों की हालत है. आज अधिकतर किसान कर्ज में हैं. बहुत ढिंढोरा पीटा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खसरा नंबर को खेत की इकाई बनाएंगे उसके बाद भी आज खेत को इकाई नहीं बनाया गया है. किसानों की यह मांग है मैं भी किसान हूं. यहां अधिकतर किसान विधायक साथी बैठे हैं. हमारी मांग है कि जब तक खसरे को बीमा में शामिल नहीं किया जायेगा, किसान को वास्तविक हक नहीं मिलेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ हों चाहे वह सीमांत किसान हों, चाहे लघु किसान हों, चाहे कोई भी किसान हों उनके कर्ज माफ हों. लगातार बिजली से परेशान हमारा किसान है, अटल ज्योति अभियान में 10 घंटे की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं. आज हालत यह है कि बहुत सारे गांव लाइट से वंचित हैं. 6 महीने पहले टेम्परेरी कनेक्शनधारियों के एडवांस में बिल भरवा लिये जाते हैं और जब लाइट देने की बात आती है तो स्थिति यह होती है कि गांव के गांव बंद किये जाते हैं. बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि गांव की वसूली नहीं हुई है इसलिये हम खेतों को लाइट नहीं दे पायेंगे. जब आप 6 महीने पहले टेम्परेरी कनेक्शन का बिल ले रहे हो तो उन किसानों का हक बनता है कि उनको लाइट मिले. इन 13 साढ़े 13 वर्षों में मध्यप्रदेश में 21 हजार किसानों ने आत्महत्या की. यदि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी होती तो मध्यप्रदेश की यह हालत नहीं होती, किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती. आज पूरे प्रदेश का किसान जागृत हो चुका है, सड़क पर आ चुका है, वह हक की लड़ाई समझ चुका है कि हमारे हक का शोषण कैसे हो रहा है. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद.

डॉ. रामकिशोर दोगने (हरदा)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं बताना चाहता हूं कि जो मंदसौर की घटना और उसके बाद पूरे मध्यप्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है वह बड़ा निंदनीय और दंडनीय भी है. यह हाहाकार हर आदमी को पीड़ित कर रहा है और सोचने के लिये मजबूर कर रहा है. अभी आपने देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे पीड़ित हैं और बीच-बीच में बातें जब आती थीं तो निश्चित ही वह अंदर से हिल जाते थे और अपनी बातों में कहते थे कि मौत के बारे में मैंने नहीं बोला. बाकी हम देख रहे हैं कि हमारे जो सभी सदस्यगण यहां बैठे हैं और मंत्रीगण भी इस घटना को हास्य परिहास में लेकर चर्चा कर रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है. किसानों की हत्या होती है और यहां बैठे हुये भी 80 प्रतिशत लोग किसान हैं, परंतु किसानों की जब बात आती है तो वह उस चीज को हास्य परिहास में निकाल देते हैं. मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ पाइंट मैं देना चाहता हूं, उस पाइंट पर हमारे मुख्यमंत्री जी विचार करें और अपने भाषण में घोषणा करेंगे तो निश्चित ही किसानों का भला होगा क्योंकि जो घटना हुई थी वह घटना मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं भी मंदसौर, नीमच का प्रभारी हूं संगठन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मैंने भी नजदीक से जाकर उस घटना को देखा है. वह घटना जो हुई थी एक टीआई के कारण हुई है, उस टीआई ने एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की दुकान किसान बंद कराने गये थे और उस किसान को जो बंद कराने गया था उसको दुकानदार ने भगाया और पुलिस को बुलवाकर खूब पिटवाया. उसे पिटवाने के कारण पूरा माहौल खराब हुआ और माहौल खराब होने के कारण यह घटना हुई है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, दूसरी अनर्गल बातें बहुत सारी की जा रही हैं. बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सत्तापक्ष के लोग वहां संसदीय क्षेत्र मंदसौर, नीमच अगर देखें तो नीमच में परिहार जी विधायक हैं, मंदसौर में सिसोदिया जी हैं, मनासा में चावला जी है, पिपल्यामंडी में जगदीश देवड़ा जी हैं, गरोठ में चंदर सिंह जी हैं, जावद में सखलेचा जी है, जावरा में पाण्डेय जी हैं. वहां कहां कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के विधायक हैं वहां तो कांग्रेस के लोगों ने घटना कर दी, यह सोचने की बात है. मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से यह बातें हो रही हैं यह बातें नहीं होना चाहिये. किसान के बारे में सजेशन दो, किसानी कैसे अच्छी हो सकती है, किसान को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, इस संबंध में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, समय कम है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि स्वामीनाथन आयोग की रिर्पोट आप कब लागू करेंगे जिसका बार-बार आपने उल्लेख किया है. दूसरा पाइंट है लागत के अनुसार फसल का मूल्य कब देंगे, यह भी आपने उल्लेख किया है. किसानों का ऋण कब

माफ करेंगे, इसका भी बार-बार उल्लेख आपने किया है, इसका भी निर्णय कब करेंगे यह स्पष्ट करें. जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा कब देंगे. किसानों की मौत के जवाबदार पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही कब करेंगे, किसानों पर जो गलत मुकदमे लगाये गये हैं उनको कब वापस करेंगे. किसानों को कर्ज होने या फसल न होने पर जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उन्हें भी क्या मुआवजा देंगे, जैसा कि दूसरे लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है क्या उनको भी मुआवजा देंगे. किसानों के बिजली बिल बड़े-बड़े आ रहे हैं उन्हें कब माफ करेंगे और फसल बीमा की पॉलिसी सरल करवायें जिससे किसानों को उसका लाभ मिल सके. जिस तरह की टेक्निकली छोटी-छोटी बातों के कारण लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको लाभ मिले यह मेरा निवेदन है. इसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद.

श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (बिजावर) - माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो स्थगन प्रस्ताव यहां पढ़ा गया उसकी तीसरी लाईन में आया है कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मालवांचल में किसान विवश हुए. मेरा निवेदन है कि मैं उस समय अपने विधानसभा क्षेत्र में था, तब बुंदेलखंड के लोगों ने वहां यह जानना चाहा कि " काय भईया जे कौन मेर के किसान हते जिनने दूध लुढ़का दओ, हमाये इते तो ऐसो होत कि दूध की बूंद अगर गिर जाए तो औरतें अपने पल्लू से पोंछती हैं" वास्तविकता यह है कि दूध के एक ग्लास में अगर मक्खी गिर जाए और यदि दूध पीने के उपयोग का न रहे तो उसको कहीं क्यारी में, कहीं पेड़ की जड़ों के पास सिरा दिया जाता है. बुंदेलखंडी में विसर्जन को सिराना कहते हैं. विसर्जन एक बहुत पवित्र शब्द है. किसी भी पूजा पाठ की सामग्री को यदि सम्मानजनक तरीके से कहीं रखना हैं तो उसको विसर्जन कहते हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि दूध में कहीं कोई अपवित्रता आ जाए और वह उपयोग के लायक नहीं रहे तो उसको विसर्जित किया जाता है. वहां के लोगों ने न केवल इस बात को बताया बल्कि लोगों ने तो यह भी बताया कि " भईया अपने इते तो जब मठ्ठा भी मुरत है और मठ्ठा भी अगर एक दूसरे के घरे जाए, अगर चार बूंदे भी गिर जाएं तो उखों भी पल्लों से पोंछकर उको सम्मान करो जात, जे कौन मेर के किसान हते " वास्तविता यह है कि बुंदेलखंड में जो सुख शांति है, जो सद्भाव है और किसानों की जो भावना सरकार को लेकर है, इसे देखकर उन किसान लोगों को आश्चर्य हुआ कि इस तरह का मध्यप्रदेश के किस कोने में यह आंदोलन हुआ है और क्यों हुआ है, इससे यह परिलक्षित होता है कि कहीं न कहीं किसानों के बीच में दूसरे लोग भी सम्मिलित रहे हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो स्थगन प्रस्ताव यहां पढ़ा गया उसमें आठवी और नौंवी लाईन में यह आई है कि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसान. मेरा इसमें निवेदन यह है कि मानव विज्ञान में यह आया है कि जब मनुष्य आखेट से धीरे- धीरे कृषि की तरफ बढ़ा है, तब से लेकर आज के आधुनिक समाज तक लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती रहीं हैं और किसान इनसे जूझता रहा है. सरकार अनेकानेक रहीं और सरकार नहीं भी रहीं, तब भी प्रकृति से जूझने का काम हमारे किसान भाई करते रहे हैं. इस प्रकार का उनका प्रकृति के साथ सामंजस्य रहता आया है. लेकिन मुझे एक घटना याद है, जब श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार छतरपुर जिले में प्राकृतिक आपदा को देखने के लिये आये थे, उस समय मैं जिले का महामंत्री था और जब हम लोग ओला पीड़ित क्षेत्र में एक जगह गये तो वहां पर लगभग तीन-तीन, चार-चार इंच के गहरे गड्ढे ओलों की वजह से धरती में हो गये थे और वह ओले वहां से नष्ट हो चुके थे. वह सब देखने के बाद जब यह बात चली की आखिर इनको मुआवजा कैसे दिया जाता है, तब यह बताया गया कि अभी नियमावली में यह है कि यदि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है और उसमें एक तहसील क्षेत्र प्रभावित होता है तो वहां इसका मुआवजा दिया जा सकता है. तब जाकर यह संशोधन की पहली प्रक्रिया वहां से चालू हुई थी और तब से लेकर आज तक सरकार ने किसानों के हित में जितने काम किये हैं, वह अवर्णनीय हैं. मेरा ख्याल है कि उनका पर्याप्त जिक्र यहां भी हो चुका है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और विषय मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लगातार बार-बार यह बात की जा रही है कि किसानों के कर्ज माफ किये जाएं, यह किसानों के कर्ज माफ करने की जो महानुभाव बात कर रहे हैं दरअसल वह किसानों की कमर, रीढ़ तोड़ना चाहते हैं. मध्यप्रदेश की सरकार ने जो काम किये हैं या जो लगातार काम हो रहे हैं, वह किसानों को सक्षम बनाने के लिये हो रहे हैं. किसान यदि मजबूती से खड़ा होगा तो तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं के साथ- साथ जो भी विसंगतियां उनके इस काम में आती हैं, उनसे वह निपटने में सक्षम होगा. मेरा ख्याल है कि उसको सक्षम करने की आवश्यकता है न कि उसका कर्ज माफ करके उसकी कमर तोड़ने की जरूरत है.

माननीय अध्यक्ष्ा महोदय, कल जो स्थगन प्रस्ताव यहां पढ़ा गया उसकी आखिरी लाईन में यह लिखा है कि आज सदन की कार्यवाही रोक कर विस्तृत चर्चा करवाई जाए. मेरा निवेदन है कि यह प्रस्ताव सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का नहीं है. मध्यप्रदेश में किसानों के हित में चलती बयार को रोकने का प्रयास है, मध्यप्रदेश में बढ़ती विकास दर को नीचे पटकने का प्रयास है. यह प्रस्ताव पूरे उत्साह और उमंग से मध्यप्रदेश की जनता और किसानों के हित में काम कर रही

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनके मंत्रिमंडल के उत्साह को क्षीण करने का है. मैं इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करता हूं. बहुत-बहुत धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय - कुंवर सौरभ सिंह आप बोलें.

कुंवर सौरभ सिंह (बहोरीबंद) - माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्न ब्रम्हा अर्थात अन्न में ही भगवान बसते हैं लेकिन यहां तो अन्नदाता ही परेशान है. लगातार सभी साथियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम लोग इस मुद्दे पर रोटी सेक रहे हैं. माननीय अगर आग नहीं होती तो यह धुँआ नहीं उठता. इस आन्दोलन का मतलब यह है कि किसान को सरकार की सूझ-बूझ और नीयत पर भरोसा नहीं है. यहां पर दो विषय हैं, एक केन्द्र से संबंधित है और दूसरा, बोनस से संबंधित है, दोनों विषयों की चर्चा अलग-अलग करना संभव नहीं है, यहां पर हम दोनों विषयों की बात करेंगे. किसानों की समस्याएं जो समाचार-पत्रों एवं अन्य माध्यमों से चल रही हैं. एक आत्महत्या है, खेती का लागत मूल्य है, समर्थन मूल्य है, ऋण का प्राप्त न होना, बिचौलियों के कीमतों के फसल पर आने पर, बाजार में फसल आने पर कीमतों का घट जाना, क्षेत्रवाद उत्पादित जितनी भी समस्याएं हैं, ये बहुत ही चिन्तनीय समस्याएं हैं पर जब माननीय भार्गव जी ने, हमारे वरिष्ठ आदरणीय रावत जी ने किसी विषय पर किसानों के बारे में कहा तो उन्होंने एक शब्द कह दिया था. जिसको आपने विलोपित करवाया था.

अध्यक्ष महोदय - वह कार्यवाही से निकल गया था.

कुँवर सौरभ सिंह - अध्यक्ष महोदय, विषय यह है कि क्या इस प्रदेश के किसान अपनी समस्या को उठाकर उनका स्तर डैश-डैश-डैश का है ? मैं मध्यप्रदेश विधानसभा की कृषि समिति का पिछले बार का सदस्य था. माननीय सभापति महोदय से मेरे, साथी विधायकों एवं भाजपा विधायकों द्वारा भी यह विषय रखा गया कि हमको समर्थन मूल्य और बोनस पर बात करनी चाहिए. मैं पहली बार का विधायक हूँ तो हो सकता है कि मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो पर जब हमने यह विषय रखा तो हमसे यह कहा गया कि यह विषय आपका नहीं है, इसको छोड़ दो बाकी विषयों पर बात करो. अगर इस विधानसभा में हम लोग किसानों की समस्या समिति के माध्यम से न रख सकें तो हम लोगों के बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है. जो चर्चा लगातार कल से चल रही है, सारे सत्ता पक्ष के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि और कोई समस्या ही नहीं है. यह जो पीडीएस का गल्ला है, यह दोबारा दुकानों में जाता है, बोरे बदले जाते हैं, तौला जाता है और अन्य प्रदेशों एवं सटे हुए प्रदेशों का गल्ला बिचौलिया के माध्यम से आता है. मैं यहां पर कहना चाहूँगा कि अभी हमारे प्रदेश में लगभग 2 लाख हैक्टेयर मूँग की पैदावार होती है. जो

कि केन्द्र के समर्थन मूल्य में नहीं है, जब मीडिया को किसानों ने बताया तब यह बात सरकार की संज्ञान में आई. सरकार कह रही है कि सब उचित चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है. कल कटनी मण्डी में 500 से ज्यादा कृषक उनकी उड़द और मूँग को तुलवाने के लिए खड़े थे और जब वे 50 रुपये से 100 रुपये प्रति क्विंटल दलाली न दें, उनकी दाल नहीं तुलती. एक कृषक श्री राम पटेल, निवासी कूड़ा, ब्लॉक बहोरीबन्द का है, उसकी 53 कट्टी उड़द, 28 कट्टी मूँग उसकी चोरी हो गई, उसको फोन करने पर मालूम पड़ा कि मात्र 18 कट्टी मिली, उसके पास पावती है. यह आपका सिस्टम है, जिसको आप फुल प्रूफ बताते हैं. माननीय उत्पादन की कीमत बढ़ी लेकिन किसान के उत्पादन की नहीं बढ़ी.

अध्यक्ष महोदय, सन् 1975-76 में 150 रुपये क्विंटल गेहूँ था. उस समय सोना 500 रुपये तोला था यानी 4 से 5 बोरे में एक तोला सोना आता था, आज सोना 30,000 रुपये तोला है. किसान कहां से जिन्दा रहेगा ? किसान को लगने वाले सामान की कीमत विक्रेता तय करता है पर किसान के उत्पाद की कीमत व्यापारी तय करता है और व्यापारी बिना लाभ के काम ही नहीं कर सकता है. मालवा में चर्चा चल रही है कि प्याज ज्यादा हुई. क्या सरकार को पता नहीं था कि प्याज की बौनी कितने हैक्टेयर में हो रही है? अगर यह नहीं पता था तो आपका सिस्टम फेल है.

अध्यक्ष महोदय, हमारा दुर्भाग्य है कि जब भी फसल अच्छी होती है तो रेट कम हो जाता है. आप उत्पादन की बात कर रहे हैं, अगर उत्पादन वाकई में ज्यादा है तो वेयरहाउस खाली क्यों पड़े हैं ? आप प्रोसेसिंग यूनिट कहीं नहीं डाल पा रहे हैं. आपने 10 साल से पुराने बीजों की सब्सिडी खत्म कर दी है. आपने लोकमन, नर्मदाचार, सी 306 एवं डब्ल्यू.एच. 147 की सब्सिडी खत्म कर दी है. धान में क्रांति आई.आर. 36 जो पुराने बीज हैं, जो एक या दो पानी में होते हैं. हमारे देश में स्वामीनाथन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि मात्र 100 दिन में साल भर की वर्षा होती है. 100 दिन में वर्षा में हमारा क्षेत्र असिंचित है. मेरा निवेदन यह है कि जो कह रहे हैं कि एक लाख रुपये ले जाओ और नब्बे हजार रुपये दे जाओ. मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूँगा कि हमारे जिले का एक किसान आप बता दीजिये जो नम्बे हजार रुपये ले गया हो. मैं उनकी बात सुनना चाहूँगा. समर्थन मूल्य, छोटे किसान जिनकी लिमिट नहीं है कुल मिलाकर जो गल्ला सरकार खरीदती है, 2 हैक्टेयर से छोटे किसान का गल्ला मण्डी में नहीं पहुँचता है. जो 2 हैक्टेयर से ऊपर के किसान हैं, वे ले जा पाते हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है और सरकार के लिए मेरी सलाह है कि जब आप हमसे गल्ला खरीदते हैं तो आप उस समय हमको खाद दे सकते हैं, जबकि आप खाद देना जुलाई में और अक्टूबर में चालू करते हैं, यदि किसान को उस समय खाद दे देंगे तो ठीक होगा, दुकान में मात्र

एक कमरा है जिसमें तेल का भंडारण और पीडीएस के गल्ले का भंडारण हो सकता है. आपने जीएसटी में कृषि उपकरणों में टैक्स लगा दिया, जो 12 प्रतिशत हो गया है, हम मुआवजे के लिए पटवारी के चक्कर में घूमते रहते हैं. जब कचरा ले सकते हैं तो किसान से घर में जाकर गल्ला क्यों नहीं ले सकते.

अध्यक्ष महोदय - आप बैठ जाइए हो गया, आप अच्छी बात करते हैं, लेकिन लंबी बात करते हैं.

श्री नीलेश अवस्थी (पाटन) - माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे सभी लोगों ने, सभी साथी ने किसानों के पक्ष की बात रखी. लगभग सभी बातें शासन के ध्यानाकर्षण में आ चुकी है. 6 जून को मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ है, यह मध्यप्रदेश के लिए काला दिवस के रूप में है, इसलिए इसकी हम घोर निन्दा करते हैं. मध्यप्रदेश सरकार लगातार किसानों की बात करती हैं, किसानों की उन्नति की बात करती हैं, लेकिन मध्यप्रदेश में जिस तरह किसानों के द्वारा लगातार आत्महत्या की जा रही है, इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी नाकामी सरकार की सामने आ रही है. मैं अभी बालाजी के दर्शन करके आया हूं, किसानों की सुरक्षा के लिए और किसानों की खुशहाली के लिए. मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं किसानों की सभी बातें आ चुकी हैं, अपनी मेहनत से जो अवार्ड लगातार किसान मध्यप्रदेश सरकार को दे रहे हैं वह सामने दिख रहा है, उसके लिए अगर सच्ची श्रद्धांजलि माननीय मुख्यमंत्री जी देना चाहे तो मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश के किसानों का ऋण माफ किया जाए और किसानों को उनकी फसल उचित मूल्य मिलना चाहिए, किसानों के बिजली के बिल माफ होना चाहिए. पूर्व में मैंने एक प्रश्न लगाया था, उसके जवाब में आया कि 2016 से फसल बीमा लागू हुआ है, लेकिन जबलपुर जिले के एक भी किसान को इसका लाभ नहीं मिला है, यह लाभ तुरंत मिलना चाहिए और स्वामीनाथन आयोग को तुरंत लागू होना चाहिए. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री सुखेन्द्र (बन्ना) सिंह (मऊगंज) - माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में 6 तारीख को मंदसौर में घटना हुई, जिसके बारे में आज स्थगन प्रस्ताव चल रहा है, उसके बारे में सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायक लगातार चर्चा कर रहे हैं. हम लोग विन्ध्य क्षेत्र के हैं, हमें भी पेपरों और टी.वी के माध्यम से यह जानकारी लगी कि मंदसौर में किसानों की हत्या हुई, हत्या क्यों हुई, कैसे हुई यह अलग विषय है. लेकिन जब कोई एक दिन का आंदोलन होता है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे छात्र आंदोलन हो, तमाम तरह के आंदोलन हो. यदि एक दिन के इस तरह के आंदोलन होते हैं

तो इसमें भीड़ ज्यादा रहती है, यदि प्रशासन इस तरह के आंदोलन को कंट्रोल नहीं करती है तो माना जाता है कि इस तरह की घटना हो गई, लेकिन किसान आंदोलन जो जानकारी में है, तो इससे यह प्रतीत होता है कि यह काफी दिन से चल रहा था, इसके बाद गोली के माध्यम से यह आंदोलन रोका गया, इससे प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से शासन प्रशासन इसको कंट्रोल नहीं कर पाया और गोली से इसको रोका गया, इसका मतलब प्रशासन इसको रोकने में पूरी तरह से असक्षम था. कश्मीर में पत्थर चल रहे, गोलियां चल रहीं, अभी अमरनाथ यात्रियों पर भी हमला हुआ, लेकिन वहां पर भी जहां इस तरफ से गोली चलनी चाहिए थी वहां गोली नहीं चल रही, लेकिन यहां किसानों के ऊपर गोलियां चलाकर के आंदोलन को कंट्रोल किया गया, यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है.

अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधी जी के बारे में कल से लगातार मजाक उड़ाया जा रहा था सदन में, क्यों मजाक उड़ाया जा रहा था, वह हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता है, क्या राहुल गांधी जी मंदसौर में पहली बार आए. मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन थे तो उन्होंने 72 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया था. इसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हुए तो उन्होंने भू-अधिग्रहण कानून लाया जिस पर किसानों की जमीन मनमानी तरीके से हड़प ली जाए, लेकिन राहुल गांधी ने पूरा देशव्यापी आंदोलन किया और उसका परिणाम यह हुआ कि नरेन्द्र मोदी जी को झुकना पड़ा और उन्होंने भू अधिग्रहण कानून वापस लिया. यह आपके माध्यम से बताना चाहता हूं. आप भी जानते हैं. राहुल गांधी देश में पहली घटना में नहीं आये जहां जहां भी किसान, छात्र आंदोलन हुए देश में तमाम तरह के आंदोलन होते हैं तो राहुल गांधी पूरे देश में जाते हैं, उनके साथ में खड़े होते हैं तथा अपनी सहभागिता करते हैं. अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण होना है.

श्री घनश्याम पिरोनिया -- (xxx)

श्री सुदर्शन गुप्ता -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय--बीच में श्री घनश्याम पिरोनिया एवं श्री सुदर्शन गुप्ता बोल रहे हैं उनका नहीं लिखा जाएगा.

श्री सुखेन्द्र(बन्ना) सिंह-- अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण होगा. मुख्यमंत्री जी के एक शब्द आयेंगे कि हम किसान हैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी किसान हैं. जो सामने बैठे हैं, वह सामंतवादी हैं, यही बात आयेगी. आप मुख्यमंत्री जी किसान हैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री किसान हैं मध्यप्रदेश के किसानों ने आप पर भरोसा किया था यही कारण है कि आप 13 साल से

मुख्यमंत्री हैं और पांच साल तक कृषि कर्मण पुरस्कार ले रहे हैं, लेकिन मध्यप्रदेश में हम भी किसान हैं. यह भरोसा नहीं किया था कि आप किसानों पर गोली चलवाएंगे. इसके बाद जाकर के उपवास पर बैठ जाएंगे. उपवास पर बैठने की कीमत क्या एक गिलास का जूस मैं समझता हूं कि करोड़ो रूपये का पड़ा होगा.

अध्यक्ष महोदय--कृपया समाप्त करें.

अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश विषयक

अध्यक्ष महोदय--आज भोजनावकाश नहीं होगा. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

1.03 बजे **प्रदेश के आंदोलनरत् किसानों पर लाठी चार्ज एवं गोलीचालन होना.**

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अर्चना चिटनीस)--अध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम समय में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगी. मैं कुछ बातों पर सदन का ध्यानाकर्षित कराना चाहती हूं. यह अच्छी बात है कि संवेदनशीलता से नेता प्रतिपक्ष एवं हमारे विधायक बंधुओं ने स्थगन पर चर्चा मांगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसे तत्काल स्वीकार किया और आप लगातार कल से उस पर चर्चा करवा रहे हैं. एक बड़ी विचित्र परन्तु सत्य घटना सदन के सामने रखना चाहती हूं. 5 तारीख को पिपिल्या मंडी के अनिल घी वाले की दुकान बंद कराने का प्रयास किया गया. उस दुकानदार का दुकान नीचे है और मकान ऊपर है. चूंकि जाने आने का रास्ता वहीं से है. उनके दुकान का आधा शटर खुला था. उस आधे शटर को बंद कराने के लिये जबरदस्ती की और शटर बंद करने के प्रयास में थोड़ी बहुत झूमा-झटकी हुई और अगले ही दिन बोलचाल थोड़ी बहुत हुई उसने कहा कि मेरे घर का रास्ता यहीं से है, मेरे बीवी बच्चे ऊपर रहते हैं. अगले दिन 6 तारीख को अनिल घी वाले के दुकान और मकान में आग लगा दी गई. मैं प्रशासन के अधिकारियों को इस सदन की ओर से तथा उनकी बीवी बच्चों की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूं जिनके कारण उनके बीवी बच्चे जिन्दा नहीं जले. उनका मकान ऊपर था और दुकान नीचे थी. मैं सदन को बताना चाहती हूं कि एक छोटा सा व्यापारी. झमटलाल सिंधी उसकी फल की दुकान लूट ली गयी. मल्हारगढ़ में सैंकड़ो क्विंटल अनाज जला दिया गया. मैं यह भी बताना चाहती हूं कि श्यामगढ़ थाने

में बिलखेड़ा गांव में टी.व्ही का टावर तोड़ दिया गया, विद्युत मण्डल की अनेकों गाड़ियां जला दी गयी और बी.एस.एन.एल के कार्यालय में तोड़फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की गयी. कस्बा दलौदा में 12-13 घण्टे ट्रेफिक रोका गया और उसके साथ ही मैं यह भी जवाबदारी के साथ कहना चाहती हूं कि दलौदा में यह सारा कृत्य करने वालों के लिये भोजन व्यवस्था किसने की, यह सारा कृत्य करने वालों के लिये निरंतर पेयजल की व्यवस्था कौन लोग करते रहे. जब ज्यूडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट हमारे सामने आयेगी तो सबके सामने स्पष्ट हो जायेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिलेक्शन रेडिमेट की दुकान, शगुन फायबर वाले की फेक्ट्री, सुरभी ब्रेसल्स को जलाया गया. इन सबको तो जलाते रहे लेकिन जहां पशुपतिनाथ वेयर हाऊस जहां जलाया गया. अध्यक्ष महादेय, जो दुकानें जला रहे थे, जो टोल नाके में तोड़-फोड़ कर रहे थे, जिन्होंने सुवासरा के पेट्रोल पंप को जलाने का प्रयास किया, उन्होंने नमकीन की फैक्ट्री, जहां पर नमकीन वाले का परिवार रहता था, जिसको जलाने का प्रयास किया. मैं सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूं कि उन सब उपद्रवियों के कुकृत्यों के कारण जिंदा लोग नहीं जल पाये. यह ईश्वर की बड़ी कृपा हमारे प्रदेश के ऊपर है और यह सब जो जलाते रहे, वे जब शराब की दुकान के पास पहुंचे तो शराब की दुकान को जलाया नहीं, वहां से 10 लाख रूपये की शराब लूट कर ले गये.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पशुपतिनाथ वेयर हाऊस की बात कर रही हूं, मैं 21 तारीख को सिंधपन गांव में गयी 3 घण्टे तक वहां के लोगों से बात करती रही. वहां के सरपंच मिश्रालाल माली के घर पर भोजन किया. एक हमारे वहीं के गांव के रहने वाले कंवरलाल-मोहनलाल बांवरी के घर पर में रात को रूकी. वहां कहीं के असंतोष का विषय नहीं, कहीं कोई परेशानी दिखती हो, कोई लोग शिकायत करते हों, कोई विषय सामने आता हो ऐसा कहीं दूर-दूर तक नहीं था. मैं सार भर में लगभग 10 से 11 बार मैं मंदसौर आयी और इतने ही बार नीमच भी गयी. ग्रामोदय में हम लोग गांव-गांव घूमे, कहीं तो कोई विषय निकलकर आता, कहीं तो कोई बात आती, कहीं तो कोई बात आती, कहीं तो लोग हैरान- परेशान दिखते.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बहुत दु:ख के साथ इस बात को कह रही हूं कि जो किसानों के साथ घटना हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. वह हम सबके दिल को दहलाने वाली है. ऐसा नहीं होना चाहिये था, लेकिन मध्यप्रदेश जो शांति का टापू है, यह मध्यप्रदेश का स्वभाव नहीं है. यह मध्यप्रदेश के लोगों का मंदसौर, नीमच के लोगों का, मालवा अंचल के लोगों का यह स्वभाव नहीं है, यह हमारी प्रकृति नहीं है. मालवा में तो लोग किसी को ऊंचा भी जल्दी नहीं बोलते हैं.

अध्यक्ष महोदय, हमारे इस सदन के विधायक रह चुके, हमारे पूर्व विधायक राधेश्याम जी पाटीदार, बबलू पाटीदार की अंत्येष्टि में भाग लेने जाते हैं और वहां वह अभी एक गाड़ी से उतर रहे हैं, अभी वह गाड़ी से उतरे नहीं हैं. उनकी गाड़ी को आग लगा दी जाती है. इस सदन में रह चुका हमारा विधायक, यह ईश्वर की कृपा है कि सदन की शुरूआत में वह जिंदा जले हुए विधायक के लिये हमें शोक संवेदनाएं व्यक्त नहीं करनी पड़ी. वह अपने किसी दूसरे कार्यकर्ता की मोटर सायकिल पर बैठकर अपनी जान बचाकर भागते हैं, तब भी उन्हें तलवार से मारने का प्रयास किया जाता है, मैंने उनकी लगभग एक आधी कटी हुई ऊंगली खुद देखी है.

अध्यक्ष महोदय, 4 तारीख तक शांतिपूर्ण आंदोलन चला. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से इस बात आग्रह करना चाहती हूं कि 4 तारीख को वहां बैठक किन्होंने करी. वहां बैठक करके वहां उत्तेजना किन्होंने फैलायी और आंदोलन को उपद्रव में बदलने का षड़यंत्र किसने किया. और 4 तारीख के बाद जो घटनाक्रम हुआ, वह मंदसौर के लोगों द्वारा नहीं किया गया था अपितु वह सारा घटनाक्रम बाहर से गए हुए लोगों द्वारा किया गया है. बाहर से गए हुए लोगों ने एक सोची-समझी साजिश के तहत वहां कार्य किया, जिसे हम सभी ने सुना, अखबारों में पढ़ा और हमारे वहां के जनप्रतिनिधियों ने उसे देखा भी है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि 4 से 6 तारीख के बीच जो परिस्थितियां वहां बनी, वे असामान्य थीं. वहां ऐसी स्थिति नहीं थी कि मंदसौर उबल रहा था और वह अचानक फट पड़ा. 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं वहां योग करने गई थी. अगर मंदसौर के लोगों द्वारा यह घटना की गई होती तो इतनी बड़ी संख्या में बारिश के बावजूद, छात्र-छात्रायें, वहां के सामाजिक संगठन, जन सामान्य योग करने की स्थिति में नहीं होते. वहां के लोग इस योग दिवस का भी बहिष्कार कर देते.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे प्रदेश के बारे में नहीं अपितु अपने मंदसौर जिले के संबंध में सदन को कुछ जानकारी देना चाहती हूं. मैं सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को प्रणाम करती हूं. साथ ही वहां के किसानों के पौरूष, पराक्रम, आत्मविश्वास और उनकी प्रगति करने की ललक को भी इस सदन से सलाम करना चाहूंगी. हमारे किसान बंधुओं ने वर्ष 2003 में केवल 1500 हेक्टेयर से मसाले की खेती शुरू की थी. आज 2017 में 66000 हेक्टेयर में वहां मसालों की खेती होती है. मेरे क्षेत्र में 3500 हेक्टेयर में फलोद्यान थे, आज 12000 हेक्टेयर में फलोद्यान हैं. पहले ड्रिप-इरीगेशन मात्र 2300 हेक्टेयर में था, मुख्यमंत्री जी की बदौलत आज 6900 हेक्टेयर में ड्रिप-इरीगेशन हो रहा है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जवाबदारी के साथ सदन में यह बात कहूंगी कि वहां 1500 किलोमीटर से अधिक की सड़कें "प्रधानमंत्री सड़क योजना" के तहत बनी हैं. वहां 432 किलोमीटर दूरी की चार और साढ़े पांच मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें बनी हैं. मैं अपने प्रभार के जिले की जनता की ओर से स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगी कि 160 उप स्वास्थ्य केंद्र वहां निर्मित हुए हैं. मैं और विस्तार में नहीं जाऊंगी. अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहूंगी कि मेरी बात से कोई आहत हो, इसलिए मैं पहले क्षमा मांगती हूं. यह लोकतंत्र का मंदिर है. विपक्ष मजबूत हो, सशक्त हो, ताकि हम और बेहतर सरकार चला सकें.

श्री वेलसिंह भूरिया- दीदी, कोई आस नहीं है. कांग्रेस के लोगों ने ही वहां आग लगाई है.

श्रीमती अर्चना चिटनिस- अध्यक्ष महोदय, जैसी चर्चा कल हमने सदन में देखी, जो उस घटना के समय हमने वहां देखा, मैं आपसे कहूंगी कि यदि आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजियेगा लेकिन कल मेरे क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुझे रात को फोन करके कहा कि मेरी बहन कल आप सदन में यह जरूर कहना-

"सियासत खेलता है और हमदर्दी बताता है,
वो या तो हो गया पागल या फिर हमको पागल बनाता है"

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (अटेर)- माननीय अध्यक्ष महोदय,

" अपना होश खो बैठा हूं, मंदसौर के उफान में,
कैदी होकर रह गया हूं मैं इसी सवाल में,
सीने पे गोली मार, मौत के घाट उतार के किसान को,
नींद कैसे आ रही है मध्यप्रदेश के प्रधान को,
नींद कैसे आ रही है शिवराज सिंह चौहान को,
गरीब किसानों की मौत पर तो धर्म-कर्म भी रोता है,
क्योंकि उस बेचारे के पास क्रियाकर्म का पैसा तक नहीं होता है,

चाहे वो कृषि कर्मण की बात हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप किसानों को 20-25 रूपये के चैक देते हैं.

अध्यक्ष महोदय- इसे कार्यवाही से निकाल दें.

....(व्यवधान)....

श्रीमती अर्चना चिटनीस-- यह कवि सम्मेलन नहीं हो रहा है. किसानों की बात नहीं हो रही है. यह नए विधायक हैं इन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है. (व्यवधान)

श्री गोपीलाल जाटव-- बोलना सीखो पहले. कुछ भी बोल रहे हैं. (व्यवधान)

श्री घनश्याम पिरौनियां-- कुछ तो भी मत बोलो. (व्यवधान)

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- यह कार्यवाही से निकाल दिया है रिकार्ड नहीं होगा. आप इसे बार-बार नहीं बोलेंगे. आपके शब्द निकाल दिए गए हैं इसे आप दोहराएंगे नहीं. (व्यवधान)

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे-- मध्यप्रदेश के गांव गांव को बना दिया शमशान, कुछ तो शर्म करो शिवराज सिंह चौहान. अब तो शर्म करो शिवराज सिंह चौहान. (व्यवधान)

श्री वैल सिंह भूरिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के संस्कार सदन में दिख रहे हैं. (व्यवधान)

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे-- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया. मैं सर्वप्रथम आसंदी को प्रणाम करता हूं. (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह-- माननीय अध्यक्ष जी इसे विलोपित कर दें. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- उसको निकाल दिया है. (व्यवधान)

श्री जितू पटवारी-- जो किसान जिनकी हत्या हुई उनको ट्रैक्टर ट्राली और डंपर में भरकर लाया गया था हॉस्पिटल. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- आपका बोलने का अवसर निकल गया. (व्यवधान)

श्री उमंग सिंघार-- थाने के अंदर और चौकी के अंदर किसान को मारा गया था. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- आपका समय निकल गया आपने अपनी बात कह ली. (व्यवधान)

श्री घनश्याम पिरौनिया-- जितू जी का तो वायरल हुआ है वॉट्सप पर. (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो आपत्तिजनक हो. (व्यवधान)

श्री सुदर्शन गुप्ता-- इंदौर में दंगे फैलाने वाले. सारा वॉट्सप पर चल रहा है सबसे पहले दंगा किसाने करवाया. इंदौर में दंगा किसने करवाया. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- हेमन्त जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें. (व्यवधान)

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे-- आदरणीय, मैंने अभी बोलना शुरु किया है. यह मेरे समय में से न काटें.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- आप दो मिनट में समाप्त करें. गुणवान जी आप बैठ जाइए. (व्यवधान)

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे-- मैं सर्वप्रथम आसंदी को प्रणाम करता हूं. पक्ष और विपक्ष के लोगों को एक भाव से प्रणाम करता हूं. विधानसभा के सभी अधिकारीगण और सभी कर्मचारीगण आप सभी को प्रणाम करता हूं. यहां उपस्थित मीडिया के साथी तमाम साथीगण आप सभी को प्रणाम करता हूं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- उन्हें बोल लेने दीजिए. (व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह गुणवान-- आसंदी पर थूक रहे हैं. (व्यवधान)

श्री रजनीश हरवंश सिंह-- नए सदस्य हैं पहली बार बोल रहे हैं बोलने दीजिए. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें. (व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह गुणवान-- माननीय शब्दों का चयन सीखिए. (व्यवधान)

श्री रजनीश हरवंश सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला अवसर है माननीय विधायक साथी का पहली बार वह बोल रहे हैं तो आसंदी और आप सभी को तो प्रणाम करेंगे ही. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- रजनीश सिंह जी आप बैठ जाएं. (व्यवधान)

श्री सुदर्शन गुप्ता-- अध्यक्ष महोदय, कवि सम्मेलन के लिए समय दिया है या अपनी बात रखने के लिए समय दिया है आपने दो मिनट का समय दिया है कवि सम्मेलन के लिए दिया है या कविता पाठ करने के लिए दिया है. (व्यवधान)

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे-- मेरा समय तो शुरु ही नहीं हुआ है आदरणीय आपने किसी को रोका ही नहीं अध्यक्ष बोलने से पहले मैं बोलूंगा कहां से. मेरा पहला वक्तव्य है विधानसभा में. (व्यवधान)

श्री सुदर्शन गुप्ता--कविता पाठ करने के लिए उन्हें समय दिया है क्या, कविता पाठ करने के लिए आपको समय दिया गया है क्या.

अध्यक्ष महोदय--आप उन्हें बोलने तो दीजिए.

श्री सुदर्शन गुप्ता--बोल कहां रहे हैं वे.

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ बात करना चाहता हूँ. हेमन्त कटारे जी आज पहली बार सदन में बोल रहे हैं. हो सकता है उनको उतना ज्ञान न हो लेकिन धैर्य रखिए. यदि आपको बहुत ही ज्यादा आपत्ति हो किसी चीज पर तो एक आदमी उठकर अध्यक्ष महोदय से कह दे लेकिन उनका हौंसला बुलंद रहे यह आप सबको ध्यान रखना चाहिए.

श्री घनश्याम पिरौनियां--आपने सही कहा है उनको संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है.

अध्यक्ष महोदय--मत बोलो घनश्याम जी बैठ जाओ कृपा करके.

श्री अजय सिंह--हम किसी को ज्ञान नहीं था जब पहली बार आए थे आपको भी ज्ञान नहीं था.

श्री घनश्याम पिरौनियां--मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ज्ञान नहीं है. मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपने सही कहा है कि उनको ज्ञान नहीं है.

अध्यक्ष महोदय--घनश्याम जी बैठ जाइये आप.

श्री अजय सिंह--मैंने कहा है कि संसदीय प्रणाली का उनको ज्ञान न हो सब लोग जब पहली बार विधायक बने थे तो पहली दफा बोलते थे तो क्या हालत होती थी. माननीय अध्यक्ष महोदय आपको मालूम है. गुणवान जी जैसे नहीं कि हर दो मिनट में खड़े हो जाते हैं. लीजिये वे फिर खड़े हो गए.

श्री रणजीत सिंह गुणवान--माननीय अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष महोदय--बैठ जाइए गुणवान जी. गुणवान जी का कुछ नहीं लिखा जाएगा. घनश्याम जी आप भी बैठिए क्या है यह बार-बार खड़े हो रहे हैं आप.

श्री रणजीत सिंह गुणवान--(XXX)

श्री सोहनलाल बाल्मीक--अध्यक्ष महोदय, दादा बाहर बोलते हैं कि मैं जिसके बारे में बोलूंगा वह बड़ा हो जाएगा.

अध्यक्ष महोदय--कटारे जी को बोलने दो आप. बैठो भाई. गुणवान जी बैठो आप. अब आप बोलेंगे नहीं. बिना अनुमति के बोलते हैं आप.

श्री रणजीत सिंह गुणवान--(XXX)

श्री सोहनलाल बाल्मीक--दादा को बैठा दो. बुजुर्ग हैं, वैसे ही उप-चुनाव बहुत हो गए हैं.

श्री हेमंत सत्यदेव कटारे--अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पूज्यनीय पिताजी को याद करते हुए अपनी बात कहूंगा.

अध्यक्ष महोदय--दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करेंगे.

श्री हेमंत सत्यदेव कटारे--जी अध्यक्ष महोदय. मैं आज बहुत ही दुखी मन से अपनी बात कहना चाहूंगा बहुत भारी मन से अपनी बात को कहूंगा क्योंकि आज जब मैं इस सदन में आकर बैठा हूँ यह मेरा पहला सेशन है और दुख सिर्फ इस बात का नहीं है कि मंदसौर में छह किसानों की गोली मारकर हत्या की गई, बल्कि दुख इस बात का भी है कि आज शाम को जब मैं सदन से निकलूंगा सदन समाप्त होगा, सूर्य अस्त होगा तब तक मेरे ऐसे चार या पांच किसान भाई अन्नदाता आत्म हत्या कर चुके होंगे. दुख इस बात का भी है कि कल फिर ऐसे ही सदन की कार्यवाही होगी कल फिर किसी न किसी विषय पर बहस होगी. कल फिर यही होगा कि चार से पांच मेरे किसान अन्नदाता आत्महत्या कर चुके होंगे और हम लोग अखबारों में पढ़कर उस चीज से आगे बढ़ चुके होंगे. यह बहुत दुख का विषय है, हो सकता है मेरा एकाध शब्द गलत हो उसके लिए मैं खुद क्षमा मांग लेता हूँ. उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ लेकिन मेरी भावना को समझिए. मेरी भावना गलत नहीं है. मेरी भावना उस किसान के पास जाती है उस परिवार के पास जाती है जिसके घर से एक व्यक्ति जा चुका है. वह किसी न किसी पुलिस वाले की गोली से गया है. गृह मंत्री जी ने यह तो कह दिया कि मर्ग कायम हो गया है लेकिन जब गोली चली तो उसमें धारा (307) का मुकदमा कायम क्यों नहीं किया गया. यह नहीं बता पाए. कहीं न कहीं किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का निर्देश तो नहीं था जो उन लोगों को बचाया जा रहा है. वर्ना गोली चलने पर ऐसा कब होता है कि मर्ग कायम होता है. मर्ग तो तब कायम होता है कि एक लाश पड़ी मिली उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मर्ग कायम कर दिया जाता है. मर्ग कायम करके आप लोग कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए हैं. मैं मंदसौर के लिए कहना चाहता हूँ वह जो किसान था वह यह सोचकर बाहर निकला था कि हम लोग हजारों लाखों की तादाद में आएंगे और हम लोग अपनी बात रखेंगे. हम सरकार पर दबाव बनाएंगे जब हम हजारों लाखों की संख्या में आएंगे तो हम दबाव बनाएंगे तो जो सरकार ने पहले असत्य घोषणा की थी. चाहे कहा हो कि 50 प्रतिशत बढ़ाकर हमें दर मिलेगी, चाहे कहा हो कि समर्थन मूल्य ठीक मिलेगा, चाहे कर्ज माफी का वायदा किया हो. हम अपनी मांगें उस दबाव में मनवा लेंगे उनको यह नहीं पता था कि वहां जाकर उसको सीने में गोली लगेगी और उनकी लाश घर पर पहुंचेगी. वर्ना वे ऐसी (XXX) के सामने आते ही नहीं.

श्री विजयपाल सिंह--अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो शब्द कहा है उसे कार्यवाही से निकलवा दें.

अध्यक्ष महोदय--वह निकाल दिया कार्यवाही से कृपया बैठ जाएं. अब आप बैठ जाएं. अब आपका कुछ नहीं लिखा जाएगा. प्लीज आप बैठ जाएं.

श्री हेमंत सत्यदेव कटारे--हाथ जोड़कर निवेदन है पहली बार बोल रहा हूं. दो मिनट बोल लेने दें.ठीक है अंतिम लाइन बोल लूं.

अध्यक्ष महोदय--ठीक है अंतिम लाइन बोल लीजिए.

श्री हेमंत सत्यदेव कटारे--अध्यक्ष महोदय, मेरा बस यही निवेदन है कि सदन की कार्यवाही सिर्फ भाषणों में न खत्म हो जाए. हमें उस किसान का दर्द समझना चाहिए जिसने इतना कठोर कदम उठाया. जिसने जीने से ज्यादा मृत्यु का विकल्प चुना. दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से न देखते हुए हम सब को उस किसान के लिए कुछ करना चाहिए. अपने अवार्ड और अपने आंकड़ों को नहीं गिनाना चाहिए. यह मैं हमारे लिए भी कह रहा हूँ यह मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ. यदि कोई भूल हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा. धन्यवाद.

श्री प्रताप सिंह (जबेरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह दुखद घटना हुई इस पर दो दिन से इस सदन में पक्ष और विपक्ष के लोग चर्चा कर रहे हैं. लेकिन अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं कि घटना होने के पूर्व जो आन्दोलन जिस किसान संघ ने शुरु किया था उन किसानों के दर्द के लिए जो आन्दोलन हुआ उसको राहत कैसे दी जाए. न तो शासन से ऐसा कोई बयान आया. नहीं तो इस घटना ने मालवा से लेकर पूरे प्रदेश या पूरे देश में किसानों को झकझोर न दिया होता. मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा. मैं सिर्फ यह बताऊँगा कि किसानों के जो आँकड़े होते हैं, सरकार ने किसानों के लिए जो विभिन्न योजनाओं के द्वारा फायदा पहुँचाने के लिए जो योजनाएँ चलाईं, उनका लाभ क्या उन किसानों को या प्रत्येक किसान को मिल रहा है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात ही करूँगा. हमारे यहाँ बलराम तालाब योजना के अंतर्गत 250, पूरे दमोह जिले के लिए लक्ष्य पहुँचा. लेकिन मात्र 2 गाँव के लिए बलराम तालाब योजना के 65 दे दिए गए इसलिए कि भाजपा के नेता लोग उसमें ठेकेदारी कर रहे थे. मैं इसी प्रकार अन्य योजनाओं के बारे में भी बात करूँगा, जिसमें बताते हैं कि किसानों के लिए हम कई योजनाएँ लाए, लेकिन क्या वे योजनाएँ धरातल पर लोगों तक पहुँचीं? नहीं पहुँचीं.

अध्यक्ष महोदय, किसान, समर्थन मूल्य ही तो मांग रहे थे और किसानों को समर्थन मूल्य न मिलने के कारण ही आज हमारे प्रदेश का किसान दुखी है. हमारे किसानों ने जो समर में मूँग, उड़द, अरहर, बोई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा की कि वह समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी. लेकिन क्या उन किसानों की खरीदी गई? मैं अपने दमोह जिले का किसान होने के नाते कहना

चाहूँगा कि हमारे पूरे विकासखण्ड में सिर्फ एक ही मूँग का केन्द्र खोला गया. जबकि उस क्षेत्र में उड़द बहुतायत में होती है. क्या वह किसान, जहाँ पर दूसरा केन्द्र उड़द का पथरिया में खोला गया, 100 किलोमीटर का अन्तर है. जिसके पास 3 क्विंटल निकलती है, क्या वहाँ पहुँचे?

अध्यक्ष महोदय-- प्रताप सिंह जी, कृपया समाप्त करें.

श्री प्रताप सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मैं वास्तविक बात बता रहा हूँ, राजनैतिक बात नहीं बता रहा हूँ. अध्यक्ष महोदय, किसान जब उस मण्डी में पहुँचता है, तो वहाँ के इंस्पेक्टर जब जाँच करते हैं कि इस प्रकार के दाने लाइये, यह सेंपल है, ऐसा होगा, तो वहाँ जब मेरे ही गाँव से 100 ट्रालियाँ भर कर गईं, उस दिन 500 ट्रालियाँ वहाँ पर थीं, लेकिन सबको रिजेक्ट करके सिर्फ 10 ट्रालियों का ही माल खरीदा गया, यह स्थिति है, क्या वहाँ किसानों का माल खरीदा गया? नहीं, उन्होंने वहीं औने-पौने में व्यापारियों को बेच दिया. लेकिन वही किसान का माल व्यापारियों के द्वारा पूरा मण्डी में गया, एक एक किसान को उसका फायदा नहीं मिला....

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपया समाप्त करें, आप हमेशा सहयोग करते हैं.

श्री प्रताप सिंह-- इसीलिए किसान दुखी है. अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री मधु भगत(परसवाड़ा)-- माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. अध्यक्ष जी, प्रदेश में 6 जून को किसानों के ऊपर गोली चालन की जो घटना घटी जिसमें हमारे 6 किसान मारे गए. यह अति निंदनीय और दुखदायी समाचार इस भारत और इस प्रदेश के किसान के लिए है. इसकी हम घोर निन्दा करते हैं और इस दुख में हम किसान के साथ हैं और किसान जब तक रहेगा तब तक इस सदन के अन्दर हम काँग्रेसी लोग साथ देंगे. अध्यक्ष जी, मैं कुछ अपनी वेदनाएँ प्रकट करता हूँ. किसान की समस्या इस प्रदेश के अन्दर किस तरीके से है. किसान, हमारे कृषि मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे अधिकारी राजौरा साहब भी सामने बैठे हैं. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अन्दर किसान की स्थिति मैं अपनी विधान सभा से लेकर चलता हूँ. मैं अभी 3 दिन पहले होकर के आया हूँ. 135 टन डीएपी खाद चाहिए थी. लेकिन सिर्फ 35 टन दी गई और वहाँ पर बोआर-बोनी हो चुकी है. उस फसल का क्या होगा? ...

1.30 बजे { उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए }

.....आप एक तो खाद पूरा नहीं दे पाते दूसरा जब किसान सूखे से परेशान होता है तो आप उसको बाँध नहीं दे पाते. आप उसकी नहर का मरम्मतीकरण नहीं कर पाते. उस किसान को खेत तक पहुँचने के लिए आप सड़कों का सही निर्माण नहीं करते और जब किसान उस फसल को उगाने के लिए बिजली माँगता है तो आप लोग उसको बिजली नहीं दे पाते. कहीं न कहीं पर इस प्रदेश सरकार में एक कमी है कि किसानों के हित में वह कोई कार्य को बहुत अच्छी संगति के साथ नहीं कर रही है जिसके चलते किसान के अंदर कर्जों का बोझ लदा हुआ है.इस कर्ज के चलते मेरे बालाघाट जिले में दो किसानों ने आत्महत्या की है एक रमेश पसीने हैं जो बल्लारपुर के हैं. दूसरा लिल्हारे नामक किसान मेरी विधानसभा क्षेत्र जागपुर का है. इन दोनों ने आत्महत्यायें इसलिए की कि वह कर्ज नहीं पटा पाये. यह कर्जे का लोड किसान पर कैसे आया? कहीं न कहीं पर सरकार की नाकामी इसमें उजागर होती है. कहीं न कहीं पर बैंक का एक बोझ उनके ऊपर होता है. कहीं न कहीं उनको उनकी बोनी का जो एक मूल्य होता है वह प्राप्त नहीं होता है.जब सरकार समर्थन मूल्य पर ध्यान नहीं देगी, उसके बोनस पर ध्यान नहीं देगी तो वह किसान कहीं न कहीं आत्महत्या करने पर मजबूर होता है. कर्जे से लदा हमारे प्रदेश का किसान आज बद से बदतर स्थिति में पहुँच चुका है उसके घर में बिजली का बिल इतना लंबा आता है कि वह बिजली बिल नहीं पटा पाता है. उसके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा पूरी तरह से हो नहीं पाती. हम मूल समस्याओं पर रहते हुए इस सरकार के मुख्यमंत्री महोदय जी को इतना कहना चाहते हैं कि हम उस किसान के साथ हैं जो किसान हम लोगों को जिंदगी देता है, अन्न देता है. इस भारत देश के अंदर 72 प्रतिशत करीब किसान की जनता है और हम लोग यहाँ बैठकर उन किसानों का उपहास उड़ाते हैं और अगर कोई उस कार्य को करने की कोशिश करता है तो उसको एक राजनीति का शिकार बना दिया जाता है. कहीं न कहीं पर जो हमारी दो मृतात्मायें हैं, उनको कलेक्टर महोदय के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है कि एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी और उसका कर्जा माफ किया जाएगा और उसको आने वाले समय में सहयोग किया जाएगा. लेकिन आज तक जागपुर के मरे हुए किसान के बेटे को ना नौकरी मिली है, ना उसका कर्जा माफ हुआ है. उसका कर्जा करीब चार लाख रुपये था लेकिन आश्वासन देकर के उस परिवार को यह बोल दिया गया है कि आप इस अर्थी को उठाये आंदोलन बंद करे हम आपका यह कर्जा माफ करेंगे पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है. यह भी एक असत्य आश्वासन पिछले एक माह से चल रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय-- कृपया समाप्त करें.

श्री मधु भगत-- मैं अपने क्षेत्र की वेदनायें प्रकट करना चाहता हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बालाघाट जिला एक बहुत शांत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा जिला है जिसके अंदर सौंदर्य भरा पड़ा है. जिसके अंदर धान की एक बहुत बढ़िया खेती होती है. लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक पूर्वाग्रह है.हमारे यहाँ एक ढूँटी बांध के पानी माध्यम से चार विधान सभा को सिंचित किया जाता है और वह बाँध हमारे परसवाड़ा से निकलता है लेकिन वह परसवाड़ा को सिंचित नहीं करता है उस बांध पर लाइनीकरण का काम बहुत जरूरी है और एक सतनारी बाँध की भी बहुत सख्त आवश्यकता है इसके लिए मैं लगातार साढ़े तीन साल से प्रयास कर रहा हूं. उसके लिए यह बोला गया है कि कहीं न कहीं वह बाँध साध्य नहीं हो पा रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय--- आप यह बात बजट पर बोल लीजियेगा.

श्री मधु भगत-- मैं सिर्फ किसानों की बात कर रहा हूं. वह किसान भी कल की डेट में मेरे साथ जल समाधि लेने के लिए जाने वाले हैं. अगर यह अनुशंसा आने वाले बजट में यहाँ पर पास नहीं होती है तो यह जाएंगे. फिर एक नई घटना, एक नया आंदोलन तैयार होगा. किसान को आंदोलन के लिए हम लोग उत्प्रेरित करते हैं. कहीं न कहीं पर किसान मर रहा है. किसान मर रहा है पानी से, किसान मर रहा है बिजली से, किसान मर रहा है कर्ज के बोझ से और किसान मर रहा है 6 जून को जो घटना घटी, गोली से.

उपाध्यक्ष महोदय-- समाप्त करें.

श्री मधु भगत-- माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके सामने बोलने का अवसर मिला वैसे बहुत कम अवसर मिलता है. मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप महाराष्ट्र, पंजाब अन्य प्रदेशों की तरह थोड़ी सी उनके जैसी इच्छा को प्रबल कीजिये और इस प्रदेश का किसान जो हमारा अन्नदाता है उसके कर्ज माफी की ओर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर यह प्रदेश इस सरकार का हमेशा गुणगान करेगा. लेकिन कहीं न कहीं आपको कर्ज माफी पर विचार करना चाहिए और साथ ही बिजली का बिल माफी की भी घोषणा करना चाहिए. किसानों के लिए यहीं मेरे दो शब्द थे.

श्री गोविन्द सिंह पटेल (गाडरवारा) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से मंदसौर की घटना के बारे में चर्चा हो रही है. उस चर्चा में सामने वालों का सीधा आरोप है कि मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया. आज मध्यप्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है. लोकतंत्र के इतिहास में किसानों के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है उतना बाकी समय में किसानों के लिए काम नहीं हुआ. खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात होती है इसमें मेरा यह कहना है कि खेती कोई धंधा नहीं है उसमें धंधा शब्द न जोड़ा जाए. खेती सेवा है

उसको लाभकारी बनाने का जो प्रयास केन्द्र की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है. क्योंकि किसान तो बड़ा संतोषी होता था वह तो ईश्वर पर निर्भर होने वाला होता था. किसानों की एक किवदंती है कि "सांई इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न भूखा जाए." खेती हमेशा प्रकृति पर और मौसम पर निर्भर रहती थी और किसान समझता था जैसे प्रकृति करेगी वैसा होगा लेकिन जबसे मध्यप्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आयी है प्रकृति की विपरीतता के बाद भी किसान को भरोसा हुआ है कि कोई ऐसी ताकत है ऐसी शक्ति है जो हमारे साथ खड़ी है जो हमें प्रकृति की विपरीतता के बाद भी मदद देगी. पहले फसल का नुकसान हो जाता था. यहां बात हो रही है कि किसान के लिए मदद नहीं मिल रही है. प्राकृतिक आपदा के लिए आपका बजट कुल दो सौ करोड़ रूपए होता था. सिर्फ दो सौ करोड़ रूपए एक साल के लिए होता था. लेकिन अब प्राकृतिक आपदा के लिए साढ़े अठारह हजार करोड़ रूपए की बजट में व्यवस्था रहती है. प्राकृतिक आपदा के लिए जहां 100-200 एकड़ मिलता था लेकिन ग्यारह हजार हेक्टेयर तक फसल में नुकसान हो जाए हमारी सरकार देती है. फसल ऋण के लिए पहले केवल तेरह सौ करोड़ रूपयों की व्यवस्था होती थी, लेकिन आज फसल ऋण के लिए सत्रह हजार करोड़ रूपयों की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है जो कि फसल ऋण पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है. फसल के नुकसान का भी पर्याप्त मुआवजा मिल रहा है. पहले आकाशीय बिजली गिर जाए और किसान की मौत हो जाए तो कुछ नहीं मिलता था लेकिन आज आकाशीय बिजली गिरने से किसी की मौत हो जाए तो मध्यप्रदेश सरकार 4 लाख रूपए देती है. जंगली जानवर के हमले से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो कोई मुआवजा नहीं मिलता था लेकिन आज हमारी सरकार जंगली जानवर के हमले से किसी की मौत होने पर 4 लाख रूपए का मुआवजा देती है. सर्पदंश से या जंगली जीव-जंतु के काटने से मौत हो जाए तो कुछ नहीं मिलता था लेकिन अब डेढ़ लाख रूपए मिलते हैं. पेड़ से गिरने पर या पेड़ गिर जाए या कोई बाढ़ में नदी में डूब जाए उसमें भी डेढ़ लाख रूपए देने का प्रावधान मध्यप्रदेश सरकार कर रही है. किसानों को हर जगह मदद करने का काम कर रही है. जहां तक समर्थन मूल्य की बात है समर्थन मूल्य तो पहले से ही तय हो रहे थे लेकिन हमने देखा कि कभी धान, गेहूँ की खरीदी समर्थन मूल्य पर नहीं होती थी और कोई सेंटरों पर धान, गेहूँ नहीं ले जाता था लेकिन जब से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आयी है तब से धान, गेहूँ का एक-एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है. इस साल भाव में थोड़े उतार-चढ़ाव आना एक प्रक्रिया है होती रहती थी लेकिन सरकार ने देखा, रेट कम है तो तुअर की खरीदी 5050 रूपए में सुनिश्चित की और जो गर्मी की मूंग है होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन

जिले में बहुत मूंग होती है अभी भी उसकी खरीदी चल रही है उसकी खरीदी 5225 की सुनिश्चित की और 12 जून से लेकर 30 जून तक की तारीख थी लेकिन हमारे यहां यदि 30 जून से तारीख नहीं बढ़ती तो मात्र 25 परसेंट मूंग खरीदी जाती और मूंग किसानों की रह जाती. लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारे यहां बहुत ज्यादा मूंग का उत्पादन हुआ है इस कारण तारीख बढ़ाई जाए. सरकार ने खरीदी की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी है और 7 जुलाई तक उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया. गाडरवारा मंडियों में इतनी मूंग और इतनी तुअर है कि 10-10 किलोमीटर लाइनें लगी हैं और बड़ी शांति से काम हुआ. कांग्रेस के लोगों ने भड़काने का प्रयास किया.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी लाइनें लगी. हमने 10 घंटे बिजली दी, हमने सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई है इसलिए उत्पादन हुआ है तो सरकार ने क्या नहीं किया है. इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है. अब सरकार पूरे उपाय कर रही है पूरी मदद कर रही है उसके बाद भी घटना घटित हो जाती है वह दुखद है. मुख्यमंत्री दु:ख व्यक्त कर रहे हैं, हम लोग भी दु:ख व्यक्त कर रहे हैं, उसकी जाँच की रिपोर्ट आएगी तो उसका निराकरण हो जाएगा लेकिन यह मध्यप्रदेश सरकार किसानों की हितैषी है और इस सरकार ने किसानों के लिए हर क्षेत्र में काम किया है, आज खेती के लिए बिजली 10 घंटे मिल रही है, गाँवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है और आप लोग क्या चाहते हैं. आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री सोहनलाल बाल्मीक (परासिया) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव कल आया और कल से लगातार किसानों के लिए इस पर चर्चा हो रही है, खासतौर पर मंदसौर में जो किसान आंदोलन कर रहा था और सरकार द्वारा आंदोलित किसानों पर गोली चलाकर जो हत्या की गई, मैं अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ. उपाध्यक्ष महोदय, चूँकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मेरा अपना पक्ष यह है कि मध्यप्रदेश में कुछ वर्षों से लगातार किसानों को खेती के कार्य में भारी नुकसान हो रहा है और इस नुकसान के कारण मध्यप्रदेश का किसान टूट गया है, वह आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गया है. सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार यह बात बोली जाती है कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना चाहिए, 'लाभ के व्यवसाय' का यह स्लोगन जब से मध्यप्रदेश की सरकार की तरफ से चला है, उसके बाद आप देखें कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है कि कितने किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं ? कितने किसानों ने इस खेती को लाभ के व्यवसाय के रूप में अपनाते हुए लाभ कमाया है ? इसका जब आंकड़ा आएगा तो निश्चित रूप से वह नगण्य रहेगा. सरकार जो लाभ के

व्यवसाय की बात कर रही है, वह कहीं न कहीं सिर्फ कोरे कागज पर है और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को जिस तरह से भटकाया गया है, शुरुआत में माननीय गोपाल भार्गव जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, जबकि वे जवाबदार मंत्री हैं, इन्होंने जिस तरह से पूरे विषय को भटकाने का प्रयास किया, मैं कल से आज तक लगातार इस बात को देख रहा हूँ कि हम लोग तो किसान की बात कर रहे हैं, चूँकि हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव लाया है, हम लोग किसान के हित की बात कर रहे हैं, मंदसौर में जो घटना हुई, उसकी हम सब लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, चाहे वे मंत्री लोग हों, चाहे वे विधायक हों, वे सब पूरी तरह से इस बात को नकारने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो घटनाक्रम हुआ है, यह किसानों के द्वारा नहीं हुआ है, कांग्रेस के द्वारा हुआ है, और अफीम माफिया के माध्यम से हुआ है. यह इतना बड़ा असत्य इस सदन के अंदर कहा जा रहा है तो निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसान की चिंता आज सरकार को नहीं है. यदि सरकार को किसानों की चिंता होती तो इस सदन को भटकाने का सत्ता पक्ष के लोग प्रयास नहीं करते जिसकी लगातार कोशिश की जा रही है. साथ ही साथ ही मैं यह बताना चाहता हूँ कि माननीय गोपाल भार्गव जी ने कल एक आंकड़ा रखा था कि लगभग 6 महीने में 189 किसानों ने आत्महत्या की जिसमें से कर्जे से पीड़ित किसानों की संख्या केवल 6 है, जिन्होंने कि कर्जे के कारण आत्महत्या की. मैं आपको सीधा-सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि यह जो 189 का आंकड़ा आया है यह कैसे आया है ? जो सरकारी महकमा है और जो सरकारी अधिकारी हैं, जब किसी किसान की आत्महत्या होती है तो यह लोग किस तरीके से उसको डायवर्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम-कचराम में एक किसान ने कीटनाशक दवाई खाकर आत्महत्या की क्योंकि उस पर बैंक का कर्ज था, विद्युत विभाग का कर्जा था, और उस पर लगातार एक दबाव बनाया जा रहा था, उसे डेट दी जा रही थी कि इस डेट को यदि कर्जा नहीं चुकाया तो घर की कुर्की हो जाएगी, सामान उठाकर ले जाया जाएगा, जब किसान कर्जा नहीं चुका पाया तो उसने कीटनाशक पी लिया, और आत्महत्या कर ली. जब वह इस दुनिया से चला गया और सरकारी महकमा जब उसका पंचनामा बनाने के लिए गया तो जो सरकारी नुमाइंदे, सरकारी अधिकारी गए थे, उन्होंने उस किसान को मानसिक रूप से पीड़ित कहा और यह भी कहा कि इसका पारिवारिक विवाद था इसलिए इसने आत्महत्या की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि 189 के आंकड़े में से 6 किसानों की जो बात सरकार कह रही है वह आंकड़ा इसी तरीके से बनाया गया होगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी विधायक पाठक जी बोल रहे थे कि किसान का कर्जा माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि किसान का कर्जा माफ किया तो किसान की कमर टूटेगी और किसान हताश होगा, मेरा यह कहना है कि मध्यप्रदेश में यह उदाहरण दे रहे हैं कि किसान का कर्जा माफ नहीं करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में आपको जब चुनाव लड़ना होता है तो वहां पर किसानों के कर्ज माफी की आप बात करते हैं, इस तरीके की दोहरी नीति अपनाते हुए दो तरीके की बात आपको नहीं करना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय -- बाल्मीक जी, अब आप समाप्त करें.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- एक मिनट और दे दें.

उपाध्यक्ष महोदय -- चलिए, अंतिम बात कह लें.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम वाक्य यही कहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग किसानों की चिंता कर रहे हैं, यह लाभ का व्यवसाय नहीं बन सकता. किसानों का कर्जा आप माफ नहीं कर सकते. तो कहीं न कहीं सरकार अपने आपको कृषि कर्मण अवार्ड लेकर अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रही है, उसको चिंतन करना चाहिये कि क्या यह सच्चाई है, क्या यह यथार्थ है कि कृषि कर्मण अवार्ड लेकर क्या इस प्रदेश का किसान सुखी है. किसान की जो तकलीफ, दर्द है, वह कैसे हल होगा. हम लोगों को कोई न कोई नीति बनाने की आवश्यकता है, वह नीति ऐसी बनानी चाहिये कि आज किसान को उसकी खेती का, जो वह फसलें, उपज कर रहा है, उसका सही मूल्य मिले, सही भाव मिले. एक नमक की फेक्ट्री से जो नमक का पैकेट बनता है, तो उसमें भी एमआरपी लिखा रहता है, जब किसान खेती करता है, तो उसका कोई भाव पहले से तय नहीं होता है और न बाद में तय होता है. धन्यवाद.

श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थगन प्रस्ताव के विरोध में अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ है. कल से लगातार यह चर्चा सुनने में आ रही है कि मध्यप्रदेश की सरकार किसान विरोधी है, मुख्यमंत्री जी किसान विरोधी हैं. पिछले एक डेढ़ महीने से लगातार प्रदेश में भ्रम जाल फैलाया जा रहा है कि इस सरकार ने किसानों के लिये कुछ नहीं किया है, यह किसान विरोधी सरकार है. लेकिन मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि खेती के लिये आज हमको 10 घण्टे बिजली मिल रही है. घर के लिये 24 घण्टे बिजली मिल रही है. जो पहले ब्याज दर 18 प्रतिशत थी, आज वह घटकर माइनस 10 प्रतिशत रह गई है. जो सिंचित रकबा पहले साढ़े सात लाख हेक्टेयर था, आज वह 40 लाख हेक्टेयर है. जो फसल आपदा ऋण पर पहले 1400 करोड़ था, वह आज बढ़कर 18644करोड़ रुपये है. जो फसल ऋण पहले 200

करोड़ था, वह आज बढ़कर 14000 करोड़ रुपये है. शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि जैत की खेत से निकल कर मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं.लगातार वे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि खेती लाभ का धंधा बने, किसान को उसकी लागत मूल्य से अधिक उसकी उपज का लाभ मिले. किसान समर्थ,समृद्धशाली बने. यह केवल शिवराज सिंह जी का अकेले का सोचना नहीं है. हम जिस विचार धारा से आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि भारत कहीं बसता हैं, तो गांवों में बसता है. भारत की आत्मा कहीं बसती है, तो किसान में बसती है. जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक भारत समृद्ध नहीं होगा. जब तक किसान सशक्त नहीं होगा, तब तक भारत सशक्त नहीं होगा. किसान के घर से अच्छे इंजीनीयर,डॉक्टर, वकील निकलना चाहिये, यह मध्यप्रदेश की सरकार का सपना है. मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यह वही शिवराज सिंह जी चौहान हैं, जब प्रदेश में ओला, पाला गिरता था, किसान सुबह उठकर अपने खेत पर नहीं पहुंचता था, तब यह शिवराज सिंह जी चौहान हैलीकाप्टर लेकर वहां उतरते थे और किसान की पीठ पर हाथ रखकर कहते थे कि आंख में आसूं मत लाना, अभी शिवराज सिंह चौहान जिंदा है. यह वही शिवराज सिंह जी चौहान हैं, जो खेती के लिये दृढ़ संकल्पित हैं कि खेती लाभ का धंधा बनना चाहिये. मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बसें जलाने की कोशिश हुई. पूरी बस को जला दिया गया. यात्री उतर कर खेतों में भागे. बच्चियां, महिलायें थीं और जलाने वाले कोई किसान नहीं थे. वहां का कांग्रेस का नेता, मैं नामजद आरोप लगाना चाहता हूं कि श्री महेन्द्र सिंह तालोद और कांग्रेस के नेताओं ने उन पूरी बसों को और पूरे आन्दोलन को मेनेज किया और पूरे प्रदेश में एक ऐसा आभा-मण्डल बनाने की कोशिश की है कि यह किसान आंदोलन है, किसान इतना आक्रोशित है कि बसें, ट्रेक्टर और थाना जला रहा है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के लिये हमारे पास 365 दिन होते हैं और 24 घण्टे होते हैं. लेकिन कम से कम हमें लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिये. राजनीति करने के भी अपने तय मापदण्ड होते हैं. लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिये, जनता के द्वारा, लेकिन यह लोकतंत्र में कतई हमें अनुमति नहीं दी जाती है कि हम किसी प्रदेश की जो मालवा शांति का टापू है, उसको हम आग में झोक दें और यह आग में झोकने का काम किसी ने किया है, तो मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों ने किया है. कांग्रेस के एक विधायक का वीडियो आया है, हम सब लोगों ने उसको देखा है. कांग्रेस के इन्दौर के एक विधायक को हमने देखा है कि पूरे आंदोलन को भड़काने का काम किसी ने किया है, तो कांग्रेस ने किया है. आज पूरे प्रदेश में हमको 5-5 बार कृषि कर्मण अवार्ड

मिले. यह हमारी सरकार में नहीं मिले. दो बार कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी, अभी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी, प्रणव मुखर्जी जी ने हमको कृषि कर्मण अवार्ड दिया. याद कीजिये वह जमाना, जब 2003 में किसान अपनी खेत को सूखते हुए देखता था. उसकी खेतों को बर्बाद होते हुए देखता था. आज शिवराज सिंह जी की नीति और खेतों में पानी के कारण एवं किसान की मेहनत के कारण आज हमारा 40 लाख हेक्टेयर सिंचित रकबा है. यह किसी के कारण हुआ है, तो यह सरकार की नीति के कारण हुआ है, क्योंकि सरकार की नीति,नीयत और नेता तीनों स्पष्ट है. यह गांव, गरीब और किसान की सरकार है. भारतीय जनता पार्टी का तो शुरु से ही एजेण्डा रहा है कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम,गरीब अनुसूचित जाति की झोपड़ी में सुविधा तमाम, अयोध्या में श्री राम. हम शुरु से इस बात के लिये प्रतिबद्ध हैं कि हर खेत को पानी मिलना चाहिये, हर हाथ को काम मिलना चाहिये.गरीब अनुसूचित जाति की झोपड़ी में सुविधाएं होनी चाहिये. यह हमारा संकल्प है. इसी के लिये हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एकात्म मानववाद की विचारधारा यही कहती है कि जो समाज में सबसे पीछे और सबसे नीचे है, वही सबसे तुम्हारे करीब होना चाहिये, वह तुम्हारे दिल के करीब होना चाहिये.

वह तुम्हारे दिल के करीब होना चाहिए, हम उसी के अंत्योदय के लिए काम करने के लिए राजनीति में आये हैं. राजनीति में मिशन की भावना से हम लोग काम कर रहे हैं. उपाध्यक्ष महोदय, यह गांव गरीब किसान की सरकार है, झोपड़ी में रहने वाले इंसान की सरकार है. मैं शिवराज जी के बारे में कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो खेती के लिए किया है वह भूतो न भविष्यति, आज तक कोई मुख्यमंत्री न ऐसा हुआ है और न भविष्य में कभी कोई होगा, जिसने खेती के लिए इतना सोचा है. उपाध्यक्ष महोदय खेती लाभ का धंधा बने, खेती किसान समाज की मुख्यधारा में आगे आये , यह उनका दृढ़ संकल्प है. मैं जितना शिवराज जी को जानता हूं यदि किसी को लाठी भी लगती है तो ऐसा लगता है कि उनकी पीठ पर लगी है इतने संवेदनशील और इतने हृदयस्पर्शी मुख्यमंत्री हैं. उनके बारे में अगर कहा जाय कि शिवराज सिंह चौहान गोली चला सकते हैं तो इस बात को मैं सिरे से नकारता हूं, क्योंकि जितना मैंने उन्हको 6 साल के कार्यकाल में समझा है, जितना मैंने उन्हको देखा है, शिवराज सिंह चौहान जी जैसा संवेदनशील मुख्यमंत्री कभी नहीं हो सकता है. आपने बोलने के लिए अवसर दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद्.

श्री निशंक कुमार जैन (बासौदा) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर किसान खुश, हर किसान को सकून, हर खेत में पानी, हर खेत में बिजली, जीरो प्रतिशत ब्याज ऊपर से 100 रूपये

लो और 90 दो, खाद, बीज, संसाधन सब कम राशि में, खेती बनेगी लाभ का धंधा...(व्यवधान).. (अनेक माननीय सदस्य अपने स्थान से खड़े होकर बोलने लगे)

उपाध्यक्ष महोदय -- बहादुर जी आप लोग शांत रहें अभी तो सदन कितने अच्छे से चल रहा था आप लोग बैठ जायें. अव्यवस्था न करें..

श्री निशंक कुमार जैन -- मानो ऐसा लग रहा था कि कहीं देवता स्वर्ग छोड़कर इस शांति के टापू मध्यप्रदेश में खेती न करने लगें, अरे किसान पुत्र मुख्यमंत्री जी आपका वायदा था.

श्री सतीश मालवीय -- लेकिन खेती के बारे में नहीं जानते हो. खेती नहीं है आपके पास में, आप किसान नहीं है, किसानों की बात क्या करोगे....(व्यवधान)...

श्री निशंक कुमार जैन -- उपाध्यक्ष महोदय, किसान पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का वायदा था कि आखिरी दम तक किसानों के साथ हूं. वाकइ साहब आपने आखिरी सांस तक साथ दिया है गोलियां बरसा कर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था जिस उपवास तुड़वाने के लिए किसी को लाये थे कि बेफिक्र रहिये, जिन्होंने गोलियां चलायी हैं हम उनको गिरफ्तार करेंगे.माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ याद दिलाना चाहता हूं. जब केन्द्र में 2011 में यूपीए की सरकार थी, ओला पाला पड़ा तब अतिरिक्त वित्तीय पैकेज की मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी आप दशहरे मैदान पर धरने पर बैठे थे.

श्री रामेश्वर शर्मा -- उपाध्यक्ष महोदय एक मिनट का समय चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय -- आपका इंटरवेंशन रेलेवेंट होना चाहिए.

श्री सचिव सुभाष यादव -- देश कब आजाद हुआ था.

श्री रामेश्वर शर्मा -- आपको 1947 भी बता दूंगा 1951 भी बता दूंगा, और पुरखों का इतिहास भी बता दूंगा. यह भी बता दूंगा कि देश विभाजित किन नकारों के कारण हुआ है. उपाध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश का मंत्रिमण्डल माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी से मिलने गया था और उन्से मिलकर कहा कि हमारे प्रदेश में ओला और पाला पड़ गया है किसान धरने पर बैठा है, और मनमोहन सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि शिवराज जी यह बताओ कि यह पाला क्या होता है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि (XXX).

उपाध्यक्ष महोदय -- नहीं यह ठीक नहीं है, इसे कार्यवाही से निकाल दें...(व्यवधान). रामेश्वर जी, आप समय मांग कर मुझे ठग रहे हैं क्या? मैं सोच रहा था कि कोई रेलिवेंट बात करेंगे, कोई अच्छी बात करेंगे?

श्री निशंक कुमार जैन - उपाध्यक्ष महोदय, फिर वर्ष 2012 में जब उर्वरक, खाद की कीमतें बढ़ीं तो बिट्ठन मार्केट में दशहरा मैदान पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरना दिया. तीसरी बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बने तो चार माह बाद मार्च 2014 में फसलों की ओलावृष्टि की मार के बाद अतिरिक्त वित्तीय पैकेज के साथ राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर रोशनपुरा चौराहे पर धरना दिया.

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान कुछ आंकड़ों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं. जब से मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2017 तक 18887 किसानों ने आत्महत्या की है और वर्ष वर्ष 2017 के 6 माह में 689 किसानों ने आत्महत्या की है. कल माननीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी बोल रहे थे, वे अभी सदन में नहीं हैं. उन्होंने कहा था कि एक भी किसान ने सुसाइड नोट दिया हो, एक भी परिवार ने आरोप लगाया हो कि हम कर्ज की वजह से आत्महत्या कर रहे हों तो हमें बता दें. मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, सरकार को बताना चाहता हूं, मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के एक किसान राजू रघुवंशी ने 31 जनवरी को जब आत्महत्या की, उसने पेड़ से लटककर फांसी लगा ली, उसकी जेब से सुसाइड नोट निकला, उसमें लिखा था कि मैं इस सरकार की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं. दूसरे एक किसान ने जब मई में आत्महत्या की दुरकसिंह रघुवंशी ने, वह तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, ग्यारसपुर विकासखण्ड के देहलवाड़ा गांव का रहने वाला था. वह चुनाव में आपका पोलिंग एजेंट था. उसके परिवार ने आरोप लगाया कि कर्ज की वजह से पति ने आत्महत्या कर ली.

उपाध्यक्ष महोदय - कृपया समाप्त करें.

श्री निशंक कुमार जैन - मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जैसे विदिशा जिले में 7 किसानों ने आत्महत्या कर ली. श्मशाबाद क्षेत्र के विधायक और माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इनके क्षेत्र के एक किसान ने भी आत्महत्या की.

श्री गोपाल परमार - कांग्रेस के कारनामों की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं. पुराने समय में आपने उनका भला नहीं किया.

उपाध्यक्ष महोदय - कृपया समाप्त करें.

श्री निशंक कुमार जैन - कुरवाई के विधायक इधर बैठे थे. उनके यहां भी किसान ने आत्महत्या की. चारों तरफ आत्महत्याएं हो रही हैं. मैं समाप्ति पर आ रहा हूं.

उपाध्यक्ष महोदय - आपको 6 मिनट हो रहे हैं.

श्री निशंक कुमार जैन - कल आपने 25 मिनट का समय श्री रामेश्वर शर्मा जी को दिया था. हमें 10 मिनट ही दे दें.

उपाध्यक्ष महोदय - आप भी पहले बोला करें, बाद में क्यों बोलते हैं?

श्री निशंक कुमार जैन - आगे से ध्यान रखेंगे.

श्री रामेश्वर शर्मा - आप कहां से ध्यान रखेंगे. ध्यान रखेंगे नेता प्रतिपक्ष. आप कैसे ध्यान रखेंगे? वे नाम देंगे तभी तो आएगा.

श्री गोपाल परमार - ये तो केवल गुमराह करने की बात करेंगे, जितने भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं तुम्हारे पुराने कारनामों के कारण कर रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - आप बैठ जायं. अब आप समाप्त करें.

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह) - उपाध्यक्ष महोदय, जिस गैर जिम्मेदारी से विधायक जी बोल रहे हैं, बिल्कुल साफ प्रमाणित हो गया है कि किसानों के हितैषी नहीं हैं.

श्री निशंक कुमार जैन - उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मंदसौर के किसानों को एक-एक करोड़ रुपया दिया गया. मेरी मांग है कि मध्यप्रदेश में जितने भी किसानों ने आत्महत्या की है, चाहे वे गंजबासौदा क्षेत्र के हों, चाहे विदिशा जिले के हों.

श्री गोपाल परमार - स्टे कौन लाया? विवेक तन्खा जी, आपके राज्यसभा सदस्य ने स्टे लाकर उनके पैसे रुकवा दिये, आप क्या किसान के हितैषी हैं?

श्री निशंक कुमार जैन - मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के 11 किसानों ने आत्महत्या की. यहां हमारे मंत्री जी बैठे हैं, उनके क्षेत्र में 5 किसानों ने आत्महत्या की. सभी किसानों को मुआवजा दिया जाय.

उपाध्यक्ष महोदय - अब आप समाप्त करें. श्री रजनीश हरवंश सिंह, आप शुरू करें. श्री निशंक कुमार जैन जी यह गलत बात है. अब आप बैठ जाइए. आपने 6 मिनट से ज्यादा समय ले लिया है.

श्री निशंक कुमार जैन - मेरी मांग है कि सरकार से कोई किसान वेतनमान नहीं मांग रहा था. हमारी मांग है कि उन किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाय और 5000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से उनको पेंशन दी जाय. हमारी मांग है..

उपाध्यक्ष महोदय - निशंक जी, अब लिखा नहीं जाएगा. आप बैठ जाइए.

श्री मनोज सिंह पटेल - उपाध्यक्ष महोदय, हर किसान को एक करोड़ रुपए देने की बात करते हैं और इनका ही सांसद कोर्ट में जाता है कि एक करोड़ रुपया नहीं दिया जाय. एक तरफ तो बात करते हैं कि सारे किसानों को एक करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाय.

श्री निशंक कुमार जैन - उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट.

उपाध्यक्ष महोदय - नहीं, आप 6 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं. अब आप बैठ जाइए. यह जो बोलेंगे वह लिखा नहीं जाएगा.

श्री निशंक कुमार जैन - (XXX)

उपाध्यक्ष महोदय - आपको 7 मिनट अब हो रहे हैं. जो तय हुआ है. सभी माननीय सदस्य उतना ही बोलना चाहते हैं. श्री रजनीश सिंह जी क्या आप नहीं बोलना चाहते हैं, मैं दूसरे सदस्य को बुला रहा हूं.

श्री निशंक कुमार जैन -(XXX)

उपाध्यक्ष महोदय-- निशंकजी, अधिकतम 4 मिनट तय हुआ था. नेता प्रतिपक्ष जी जानते हैं, पूछ लीजिए. आपको 7 मिनट हो गए. 1 मिनट इंटरप्शन में चला गया फिर भी 6 मिनट आप बोले हैं. संतोष रखिए.

श्री रजनीश हरवंश सिंह(केवलारी)-- उपाध्यक्ष महोदय, इस हृदय प्रदेश के किसानों ने लगातार इस प्रदेश की सरकार का इस प्रदेश के मुखिया का सम्मान बढ़ाने का काम किया है.

उपाध्यक्ष महोदय-- रजनीश जी, समय सीमा का ध्यान रखिएगा.

श्री रजनीश हरवंश सिंह-- 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करुंगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- 4 मिनट तय हुआ है.

श्री रजनीश हरवंश सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं पूरी पंचवर्षीय योजना है. इस प्रदेश के मुखिया को कृषि कर्मण का पुरस्कार मिला है उनका पूरे देश में इस प्रदेश के किसानों ने सम्मान दिलाया हो, आज इस प्रदेश के मुखिया के सामने इस प्रदेश का किसान मंदसौर में अपनी बात कहने जा रहा था तो इस प्रदेश के मुखिया की सरकार के नुमाइंदों ने जहां उसका पसीना बहा उसके सम्मान को बढ़ाने वाला किसान अपनी बात कहने आ रहे थे इस प्रदेश के मुखिया के नुमाइंदों ने गोली की बौछार करके लहू की गंगा बहा दी. धारा बहा दी. हमने तो इतिहास में जलियावालां बाग कांड में जनरल डायर का कहर पढ़ा था लेकिन इस प्रदेश के किसानों के ऊपर जो गोलीचालन हुआ और उनका लहू बहा यह पहली बार हमको देखने और सुनने को मिला है. मैं इस मंदसौर के गोलीकांड की जितनी निंदा करुं उतनी कम है.

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्तमान स्थिति की बात करना चाहूंगा. **का वर्षा जब कृषि सुखाई**. पिछले आंकड़े निकाले जायें तो इस समय वर्षा बहुत होती थी लेकिन आज खंड-खंड में वर्षा

हो रही है. अल्प वर्षा हो रही है. आज ताल-तलैया और तालाब भरने चाहिए थे वह अल्प वर्षा के कारण नहीं भरे. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि समय से चूका हुआ किसान और डाली से चूका हुआ बंदर की क्या गति होती है. आज वही गति इस प्रदेश के किसानों की है. आज जहां एक ओर अल्प वर्षा के कारण चाहे धान हो, मक्का हो, उड़द हो, मूंग हो आज किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. दूसरी ओर आज बाजार मे बिना प्रमाणीकृत, बिना रजिस्टर्ड, नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक दवाएं मिल रही हैं वह एक बार नहीं दो दो बार दवा खेतों में डालता है उसके बाद भी खरपतवार खत्म नहीं होता. किस पर क्लेम करे? किसे पकड़ें.किसके पास जाएं. जिस प्रदेश के किसानों ने इतना बड़ा कृषि कर्मण पुरस्कार सरकार को दिलाने का काम किया है उसके लिये मेरी सदन के नेता और मुखिया से प्रार्थना है कि जरा आप देखो तो किस गुणवत्ता का बीज बिक रहा है, प्रायवेट कंपनियां कैसे उन्नतशील बीज बताकर नकली बीज बेच रही हैं और आज किसानों का वह बीज खेत में बोने के बाद उग नहीं रहा है. सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी हो रही है आज पांच महिने हो गये परंतु किसानों को सोसायटियों के माध्यम से राशि नहीं मिली है.

उपाध्यक्ष महोदय - आप बोल क्या रहे हैं. मंदसौर से संबंधित घटना है. आप जनरल डिस्कशन कर रहे हैं.

श्री रजनीश हरवंश सिंह - मंदसौर की घटना का सदन के प्रत्येक व्यक्ति ने जिक्र कर दिया लेकिन मैं उस घटना की निंदा करने के बाद मौजूदा समय में जो स्थिति किसानों के साथ निर्मित हो रही है. उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं. दूसरी ओर डी.सी. विद्युत कनेक्शन जो 12 हजार रुपये में मिलता था वह 18-19 हजार रुपये में मिल रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - अब आप समाप्त करें.

श्री रजनीश हरवंश सिंह - जो किसान ग्रीष्मकाल के समय जो किसानों के घर जले, जिनके खलिहान जले उनको मुआवजा मिलना चाहिये उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला है मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मेरी इन मांगों पर ध्यान दें. धन्यवाद.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे(लांजी) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंदसौर की जो घटना है वह हम सबके लिये बहुत दुखद है.जिस समय मंदसौर में यह सब घटनाचक्र चल रहा था उस समय हम सबकी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और किसान होने के नाते यदि किसी के ऊपर नजर थी तो इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर थी. हम सब यह प्रतीक्षा

कर रहे थे कि इस सब घटना पर मुख्यमंत्री जी का क्या बयान आता है. पहली बार जब शिवराज सिंह चौहान जी मीडिया के सामने आये तो हम सबको विश्वास था कि हमारे प्रदेश के मुखिया किसानों के साथ खड़े होंगे लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पहली बार जब मंदसौर के घटनाक्रम पर अपनी बात रखी तो उन्होंने किसानों के साथ खड़े न होकर पुलिस वालों के साथ खड़े दिखे. उन्होंने बयान दिया कि जो किसानों की हत्या हुई है वह पुलिस की गोली लगने से नहीं हुई. मैं जहां तक समझती हूं कि यदि हमारे प्रदेश के मुखिया किसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर बात कह रहे हैं तो सरकारी तंत्र ने ही उन्हें सूचना दी होगी और उसी सूचना के आधार पर वह इस तरह का बयान दे रहे होंगे. जहां तक मुझे जानकारी है उनको शासकीय तंत्रों से सही सूचना मिली थी कि किसानों की हत्या पुलिस वालों की गोली से हुई है. अगर मेरी जानकारी गलत होगी तो यह वास्तव में चिंता का विषय है कि हमारे शासकीय तंत्र सही सूचना देने में असमर्थ हैं. सूचना यदि सही मिली है तो फिर यह उससे बड़ी चिंता की बात है कि हमारे प्रदेश के मुखिया ने पूरे मामले पर जो बयान देकर पूरे प्रदेश और देश को गुमराह किया तो उनका बयान शासकीय तंत्र की गलत सूचना से भी ज्यादा चिंताजनक विषय है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश की जीडीपी किसी भी देश की जीडीपी से उस देश की प्रगति, उन्नति उसको आंका जाता है. पहली बार जब हमारे देश की जीडीपी आंकी गई तो उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 51 प्रतिशत हुआ करता था और आज हमारे देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 17 प्रतिशत है. मैं यह बात इसलिये कह रही हूं कि जिस देश की उन्नति में 17 प्रतिशत कृषि का योगदान है उस देश की आबादी की 63 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है और आज मुझे अच्छे से याद है कि जिस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था मैं भी कांग्रेस की तरफ से लोकसभा की प्रत्याशी थी. मुझे अच्छे से याद है कि उस समय नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा अपने भाषण में एक ही बात कही कि न जाने सरकारें कैसे समर्थन मूल्य तय करती हैं, यदि आप हमारी सरकार बनायेंगे तो हम पहले देखेंगे कि किसान को उसका अनाज उगाने से लेकर मंडी तक पहुंचाने में कितना खर्च आता है, कितनी लागत उसको आती है और हम यह पूरी लागत निकालने के बाद ही समर्थन मूल्य तय करेंगे. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस सदन में नहीं है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आप इन सब वायदों को याद करिये और एक जो महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्र ने किया है जो गेहूं और दालों पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो पहले 25 प्रतिशत हुआ करती थी जिसको 0 से 10 प्रतिशत करने के बाद आज शून्य कर दिया गया है. इन सबका विरोध आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को करना

चाहिये. यदि इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म होगी तो निश्चित रूप से जो विदेशों से अनाज आयेगा वह कम कीमत पर मिलेगा तो हमारे किसानों का अनाज कौन ऐसा व्यापारी है जो ज्यादा कीमत पर खरीदेगा. आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद.

श्री दिलीप सिंह परिहार (नीमच)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो स्थगन पर चर्चा चल रही है बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चल रही है और मंदसौर और नीमच जिले में, मैं नीमच जिले का निवासी हूं और जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना थी और उसके प्रति, किसानों के प्रति हम सबकी संवेदना है. मगर यह आंदोलन जो चला है इस आंदोलन में भोलाभाला किसान अपनी वाजिब फसल के भाव को लेकर आंदोलन कर रहा था. मान्यवर मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने किसानों की बातों को सुना और आंदोलन समाप्ति की ओर था. 4 तारीख को जब मेरा और सांसद जी का दौरा शांतिपूर्वक चल रहा था उस समय हम जवासा में थे, उसके बाद ही पिपल्यामंडी में एक जैन की हत्या हुई थी और उस हत्या में जो हमारे जगदीश देवड़ा जी के खिलाफ जो चुनाव लड़ा था जोगचंद कांग्रेस का नेता उसने यह कहा था कि हम मालवा को अशांत करेंगे और कांग्रेस ने एक योजना बनाई और मालवा को अशांत करने का प्रयत्न किया. क्योंकि हम सब लोग जानते हैं जो मालवा लगातार सूखे की चपेट में आ रहा था, राजस्थान से लगा हुआ है. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मान्यवर शिवराज सिंह चौहान ने उस मालवा को पानी से एकदम लवालब कर दिया. मालवा में फसलें अच्छी हो रही थीं, मालवा में डेम बने चाहे वह ठीकरिया डेम हो, सोम्या डेम हो, वर्धा हो, खुमानसिंह, शिवाजी हो अनेक डेम बने और इस वजह से फसलें अच्छी हुईं और जब अच्छी फसलें हुईं तो जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया. 29 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दीं. जब भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वहां बढ़ रहा था तो उस समय जब यह आंदोलन हुआ तो मेरी विधान सभा का एक नवयुवक जो चैनराम था उसको कांग्रेस के लोग भड़काकर भड़भ्डिया फंटे पर ले गये, फंटे पर ले जाकर आंदोलन में उसको उतारने का काम किया मगर पुलिस ने वहां कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता उमराव सिंह गुर्जर पर जब डंडे बरसाये. अभी दोगने जी बता रहे थे कि नीमच अशांत था उसमें कांग्रेस के बंधू निकले और उन्होंने उपद्रव फैलाया. एक हमारे भोजू भैया हैं उसकी दुकान पर इन्होंने पथराव किया, तोड़फोड़ की और यही नहीं जावद के लोग नहीं आ रहे थे तो जावद के लोगों को राजकुमार अहीर नाम का व्यक्ति गांधी वाटिका में इकट्ठा करता है कहता है नीमच में संख्या इकट्ठी नहीं हो रही है विधायक जी का प्रभाव है इसलिये जावद के लोग लाये और केसरिया दुपट्टे उनको बांधे और बांधकर और उन लोगों को उपद्रव फैलाने के लिये भेजा.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन घटनाओं के संबंध में आपको सत्य बता रहा हूं. मेरे खुद के निवास पर कांग्रेस के बंधु कुछ भीड़ लेकर आये थे, तब वहां पुलिस प्रशासन भी आया था. जब लोगों ने मुझसे यह कहा है कि विधायक जी आप तो बाजार में घूम रहे हैं तो मैंने उनसे कहा कि मेरे यहां जो किसान मरा था, उसकी अंत्येष्टि में हमारे मण्डल अध्यक्ष जी, वहां के सरपंच भाई, हमारे कुचलोद के सरपंच साहब सुबह-सुबह गये थे. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी से उसके परिवार की बात हो गई है, उन्होंने यह कहा है कि उनके परिवार को नौकरी दी जाए. यह बात भी मुख्यमंत्री जी द्वारा मान ली गई है. मगर इसके बाद भी वहां कांग्रेस के बंधु जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि आप यह सब मत करो, आप लाश को रखो. इस प्रकार कांग्रेस के लोग लाश पर रोटी सेंकना चाह रहे थे और उनसे कह रहे थे कि आप इसका दाह संस्कार न करे. मित्रों इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन कांग्रेस के बंधुओं ने लगातार इस तरह का काम किया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि जब हमारे यहां एक किसान ने सुसाइड किया था तब वहां पर श्री दोगने जी और मीनाक्षी मेडम आई थीं. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस किसान ने सुसाइड क्यों किया था. पिपलिया व्यास में प्यारेलाल ओड़न के बेटे देवकरण ने दूसरी शादी कर ली थी और लड़की के परिवार ने उसके ऊपर दहेज प्रतिषेध अधिनियम का धारा 498 का केस लगा दिया गया था और लड़की के परिवार के लोग पांच लाख रूपये की मांग कर रहे थे. इसलिए उस किसान ने कहीं न कहीं दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी लेकिन हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष नंदू भईया और मीनाक्षी मेडम गए ओर उनसे बोला कि आप बोलना कि उसने कर्जे की वजह से आत्महत्या की है. मित्रों इस तरह की राजनीति कांग्रेस के बंधुओं को नहीं करना चाहिए. यह मेरी विधानसभा का केस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. मध्यप्रदेश में जहां भी किसी भी मामले में यदि कोई किसान आत्महत्या कर लेता है तो कांग्रेस के लोग उसको कह देते हैं कि किसान किसान ने बीजेपी के कर्जे की वजह से आत्महत्या की.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सही-सही घटना बता रहा हूं कि कांग्रेस के लोग वहां मेरे निवास पर आकर मुख्यमंत्री हत्यारे-हत्यारे की बात करते हैं. अगर मित्रों आपको संवेदना है तो आप नीमच में क्यों आगजनी करवाना चाहते थे. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और हम सभी लोग किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो सौ करोड़ रूपये की मण्डी अभी नीमच में मंजूर की है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों काम किये हैं, मैं आपको यह सारे काम गिनाना नहीं चाहता हूं, मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी सौ करोड़ रूपये के मूल्य स्थरीकरण के लिये मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है. स्वामीनाथन के आयोग की

अनुशंसा अनुरूप राज्य की भूमि के उपयोग की सेवा लागू की जा रही है. कहीं न कहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों के हित के लिये काम कर रहे थे, इसलिए से कांग्रेस के लोगों के पेट में दुख रहा है. जब माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता और किसान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ है क्योंकि उन्होंने पैंतीस हजार चार सौ चवालीस करोड़ रूपये उन्हें दिलवाये हैं उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं. आज 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार बढ़ेंगे, जनता उनके साथ, किसान उनके साथ है.

"क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिये जो जीता है,
मिलता है जहां का प्यार उसे जो गरीब के आंसू पीता है"

इस प्रकार हमारे मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों के दुख के आंसू पीने के लिये संबल प्रदान करते हैं. जब इश्कगोल का नुकसान हुआ तब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे नीमच जिले में आये और किसान के खेत में जाकर किसान को गले लगाने का काम किया है. इस प्रकार लगातार कांग्रेस के लोग शांत मालवा में उपद्रव फैलाने का काम कर रहे हैं. हमारा किसान तो मण्डी में माल लेकर जाता है, एक मुठ्ठी माल धुल जाता है तो उसको एक-एक दाना जोड़कर, उसको अबेरकर बेचने का काम करता है. हमारे किसान हमारे साथ में है, जनता हमारे साथ में है. कांग्रेस के लोग ही उपद्रव फैला रहे हैं. मध्यप्रदेश स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनेगा और यह देश वापस सोने की चिड़िया बनेगा. मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय - श्रीमती झूमा सोलंकी जी आप बोलें.

श्रीमती झूमा सोलंकी (भीकनगांव) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंदसौर की दु:खद घटना को लेकर आज किसानों से संबंधित चर्चा के विषय पर आपने जो हमारा स्थगन प्रस्ताव माना है, इसके लिये मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. राज्य की किसान विरोधी नीतियों के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, गलत फसल बीमा के कारण, फसलों का सही मुआवजा नहीं मिलना और तमाम समस्याओं को लेकर किसानों ने मंदसौर में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया और उसके बदले में उन्हें जो गोली मिली है, यह एक दु:खद घटना है. इससे भी दु:खद घटना यह है कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे के नाम से जाने जाते हैं और प्रदेश के मुखिया होने के नाते और उनके होते हुए यह घटना घटी है. इसलिए बहुत दु:खद घटना है. इस बात के लिए, किसानों द्वारा पूरे प्रदेश में अफसोस जताया जा रहा है और संविधान में यह लिखा गया है कि कोई सा भी

वर्ग हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, वह अपनी बात को रखने के लिए, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है. यही बात को लेकर किसानों ने आन्दोलन किया है और यदि वह करता है तो इस तरह से लाठी चार्ज या शासन द्वारा उन्हें कुचला जाता है तो घोर निन्दा की बात है. मैं यह कहना चाहती हूँ कि अभी हाल ही के दिनों में जो वर्षा की स्थिति हुई है, उसमें किसानों ने 2 बार नहीं, 3 बार अपने खेतों में बुवाई की है तो उन्हें उसका मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए ? ये छोटी-छोटी बातें नहीं हैं, एक किसान के लिए यह बहुत बड़ी बात है. इन समस्याओं पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित ही आने वाले दिनों में, जो इस तरह का आन्दोलन उपजा है, यह कोई बड़ा रूप ले सकता है और पूरे प्रदेश को अशान्ति की ओर ले जायेगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा में अंजन गांव है. वह एक छोटा सा गांव है, वहां के किसान के ऊपर 6 लाख रुपये का कर्ज था, उसने अपनी जान गंवाई है और कीटनाशक पीकर अपनी जीवनलीला को समाप्त किया है. ये घटनायें क्यों घट रही हैं ? यह सोचने-विचारने वाली बात है. एक तरह से हम सदन में यह देख रहे हैं कि हमने यह किया है, वह किया है किन्तु धरातल में कहीं कुछ नजर नहीं आता है. यदि आप समाज में स्थिरता लाना चाहते हैं, शान्ति और सौहार्द्र चाहते हैं तो निश्चित ही यह किसानों के उत्थान के बिना सम्भव नहीं है इसलिए किसानों का विकास आवश्यक है. मेरे समक्ष कई किसानों ने यह मांग रखी है कि एक साल के भीतर किसानों का विशेष तौर पर 3 दिन का सत्र बुलाया जाये ताकि उनकी समस्याओं पर चर्चा और उनका समाधान हो सके. आपने फसल बीमा योजना बना दी है लेकिन इससे कितने किसानों को फायदा मिल रहा है ? इससे कोई भी किसान संतुष्ट नहीं है. सुपर कॉरीडोर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इण्डिया, क्लीन इण्डिया, ग्रीन इण्डिया, इन सब में हम एग्रीकल्चर इण्डिया में पीछे छूट रहे हैं. हमारे पुरस्कार लेने से और हमारी पीठ थपथपाने से किसानों का उद्धार नहीं हो जायेगा. वास्तव में उनकी दयनीय स्थिति जो आज हम देख रहे हैं, वह सोचनीय है, उस पर विचार करना चाहिए. सदन में उपस्थित ज्यादातर माननीय किसान हैं और किसानों के बारे में मजाक करना, यह शोभा नहीं देता है. यदि मीडिया के माध्यम से बाहर संदेश जायेगा तो वे यही कहेंगे कि जितने विधायक, मंत्री और सरकार के बीच जो चर्चा हो रही है, उसमें इनको एक मजाक लगता है. इसमें चर्चा होगी और सब अपने-अपने क्षेत्रों में जाएंगे पर एक वह जो दु:खी किसान है, जिसके परिवार के सदस्यों की हत्याएं हुई हैं, एक बहू है, एक मां है, किसी मां का बेटा गया है, किसी पत्नी का पति गया है- उसके लिए संवेदनाएं क्या हैं ? मैं चाहती हूँ कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील हैं तो उस परिवार के 6 सदस्य जिनकी हत्याएं हुई हैं, उस पर तुरन्त

कार्यवाही हो और हत्यारे सबके सामने हों. एक किसान के पिता ने यहां तक कहा है कि हमारे बेटों के साथ अन्याय हुआ है यदि माननीय मुख्यमंत्री जी सहयोग देना चाहते हैं तो आरोपी कब सलाखों के पीछे होंगे ? इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि ऐसी हत्याएं करने वाले चाहे जो भी हों, उनको सजा मिलनी चाहिए और किसान समाज को एक सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें शहीद के रूप में दर्जा दें और जो उनकी सहायता कर सकते हैं, शासन उसमें देरी नहीं करते हुए जल्दी से जल्दी राहत पहुँचाये. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय - झूमा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद. आपको 100 में से 100 नंबर मिलते हैं. आपने बिना टोके अपना भाषण समाप्त कर दिया. श्री यादवेन्द्र सिंह जी, आप समय सीमा का ध्यान रखें.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा - उपाध्यक्ष महोदय, यादवेन्द्र सिंह जी बैठ जाएं तो उनको 101 नंबर देना अच्छा रहेगा.

श्री यादवेन्द्र सिंह (नागौद) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनें. मेरा 4 महीने बाद बोलने का नम्बर आया है. मेरी उम्र 65 वर्ष हो गई है और मैं पूरी जिन्दगी भूखा रहा, मैंने आधा पेट खाना खाया. मुझे 12-13 वर्षों से पूरा भोजन मिला है. जब से शिवराज भैया मुख्यमंत्री बने, आप ही लोग बता रहे हैं कि जमीन का रकबा बढ़ गया, खेती बढ़ गई, फायदे हो गए. मैं कल से सुन रहा हूं, शून्य प्रतिशत ब्याज भी हो गया है. मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सहकारिता बैंक, कॉ-ऑपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक तो टूट गया 15 साल से, कॉ-ऑपरेटिव बैंक मध्यप्रदेश सरकार के अंडर में है, बाकी स्टेट बैंक से लेकर, ओरियंटल, एसबीआई, मध्यांचल, इलाहबाद बैंक से किसान लोन ले रहा है. हमारी सभी माननीय सदस्य जीरो ब्याज, जीरो ब्याज कर रहे हैं. हमारे यहां सहकारिता से कोई लोन इसलिए नहीं लेता कि जब गेहूं उपार्जन देते हैं तो लोगों की शादी है किसानों के व्यय है उसमें सब पैसे काट लिया जाता है, इसलिए कहीं दूसरी जगह व्यापारी मंडी में गेहूं बेचते हैं, अब शून्य प्रतिशत कहां रह जाता है, मुश्किल से पांच या 10 प्रतिशत पूरे विधानसभा के लोग कॉ-ऑपरेटिव बैंक से लोन लेते हैं, बाकी 11 प्रतिशत ब्याज हर राष्ट्रीयकृत बैंकों में लगता है, वहां पांच लाख से लेकर हर किसान फिर चाहे खाद की बात हो, क्रेडिट कार्ड हो, चाहे गोल्ड कार्ड हो, सभी किसान उन्हीं बैंकों से लोन लेते हैं, सरकार किसलिए यह वातावरण बना रही है जीरो प्रतिशत ब्याज का. आप 10 प्रतिशत लोगों का ब्याज माफ करते हैं. तीन साल पहले सतना जिले में 110 करोड़ रूपए, सूखा पड़ने के कारण दिया है, जबकि उसके तीन साल पहले से सूखे की स्थिति वहां है. 110 करोड़ में एक किसान को सूखे की स्थिति में 5 हजार से 10 हजार रूपए तक

दिया गया, उसमें क्या किसान सुख अनुभव करेगा, पूरी लागत चली गई, सिर्फ 10 हजार सरकार दे रही है तो क्या उससे भला होता है. धारा 135 और 138 में इतना बिल देते हैं, एक दिन पहले किसी की टी.सी नहीं कटती, 20 हजार, 22 हजार रूपए फाइन किया जाता है और जज के द्वारा परवाना चला जाता है किसान की गिरफ्तारी के लिए, किसान कहीं न कहीं से पैसे का इंतजाम करता है फिर जज साहब के पास जमा करता है, उसके बाद उसको जेल नहीं जाना पड़ता, किसान अपनी बचत के लिए घूमता फिरता रहता है, सभी विधायकों के पास भी किसान जाता है. इतनी बड़ी मार है किसान के साथ, सभी सदस्य जानते हैं. हमारे सभी सदस्य लोग कह रहे हैं कि किसान आत्महत्या नहीं करते. उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे राजेन्द्र शुक्ल भैया बैठे हैं, यह हमारे रीवा जिले के अभी तक प्रभारी है, इन्होंने क्यों भेदभाव किया. पूरे प्रदेश में रतलाम, मंदसौर, नीमच से पूरी प्याज गई, जबकि हमारे सतना जिले का तीसरा स्थान है मध्यप्रदेश में प्याज पैदा करने का, क्यों नहीं आपने सिफारिश की. आपने प्याज खरीदी केन्द्र रीवा में तो बना दिया, लेकिन सतना को क्यों छोड़ दिया. यह दोहरी चाल क्यों हो रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय - यादवेन्द्र सिंह जी 4 मिनट हो गए, एक मिनट और है आपके पास.

श्री यादवेन्द्र सिंह - एक मिनट में का होई, कुछ नहीं होई. मेरा कहना है कि अगर किसानों की आत्महत्या रोकना है तो पूरे प्रदेश में एक बर्ताव किया जाए, पक्षापात न किया जाए. हमारे यहां का मंत्री बीमार पड़ गया कोई कहने वाला नहीं है, शंकरलाल जी तिवारी है, वह सतना के हैं, तो आप भी नहीं कह सके माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्याज खरीदी केन्द्र हो जाता,(XXX).

उपाध्यक्ष महोदय - इसको कार्यवाही से निकाल दें.

श्री यादवेन्द्र सिंह - सही बात कह रहा हूं तो कार्यवाही से निकाल रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने सदस्य को थोड़ा समझाएं.

श्री यादवेन्द्र सिंह - मेरा आपसे अनुरोध है कि सतना जिले में प्याज खरीदी केन्द्र खोला जाए. मंदसौर में किसानों के साथ गोलीकाण्ड हुआ है. 13-14 साल से हम ही कांग्रेस के किसान हैं और हम ही कांग्रेस के नेता हैं. हम लोग ही आंदोलन करते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं. 2000 के बाद से जब से भाजपा के लोग सत्ता में आये हैं. हम ही आंदोलन करते हैं और बराबर आंदोलन करते रहेंगे. कांग्रेस के लोगों ने यह किया और वह किया. हमारे गृहमंत्री जी बहुत अच्छे हैं उनको मैं मानता हूं वह शांत प्रकृति के हैं भले वह गृहमंत्री हैं. जब वहां पर आंदोलन हुआ. रीवा सतना में हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय--सचिन जी आप नहीं बोलना चाहते हैं. श्री यादवेन्द्र सिंह जी जो बोल रहे हैं उनका नहीं लिखा जाएगा.

श्री यादवेन्द्र सिंह -- (xxx)

उपाध्यक्ष महोदय--माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप इनको समझाईये कि नहीं लिखा जा रहा है. कृपया बैठ जाएं. सचिन जी आप अपना भाषण शुरू करिये.

श्री सचिन यादव (कसरावद)--उपाध्यक्ष महोदय, मंदसौर की जो घटना हुई है, वह बेहद दुःखी और नन्दनीय है. मध्यप्रदेश का किसान एक शांत प्रवृत्ति का किसान है. क्या कारण है कि हमारे किसानों को अपनी खेती-बाड़ी छोड़कर के सड़कों पर उतरना पड़ा. पहले आप तय कर लें कि किसान थे, तस्कर थे, किसान संघ के लोग थे या कांग्रेस के लोग थे.

उपाध्यक्ष महोदय--आप यहां मुखातिब होकर के बोलें आपस की बात का जवाब न दें.

श्री सचिन यादव --उपाध्यक्ष महोदय,हमें यह समझना पड़ेगा उन कारणों में जाना पड़ेगा जिसके कारण मंदसौर जैसी दुःखद घटना हुई. मंदसौर में जो हुआ वहां पर हमारे जो किसान साथी थे जो लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करके अपनी जो समस्याएं, मांगें थीं. उन मांगों के लिये वह लड़ाई लड़ रहे थे और प्रदेश की सरकार तथा अपने मुखिया का ध्यानाकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे. हमारे जो किसान आंदोलन कर रहे थे वह सरकार को वायदा याद दिलाने के लिये आंदोलन कर रहे थे कि 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों के साथ वायदा किया और उनको यह विश्वास दिलाया कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला अगर कोई काम होगा जो किसानों की लागत होगी उस लागत के ऊपर 50 प्रतिशत लाभ देकर के समर्थन मूल्य तय किया जाएगा. यह विश्वास, यह वायदा देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ किया. अगर किसान देश के प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुखिया को उस वायदे को याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे तो इसमें क्या गलत कर रहे थे. अगर हमारे देश का किसान जो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है. आज आये दिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस जिले में, किस ब्लाक में, किस गांव में कर्ज के बोझ के तले दबकर हमारे किसानों ने आत्महत्याएं कीं. पिछले 40 दिनों में लगभग 70 अन्नदाता किसानों ने आत्महत्या को गले लगाया है. हमारे किसान सरकार से दरख्वास्त कर रहे थे, सरकार से यह मांग कर रहे थे कि जिस प्रकार आज मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. महाराष्ट्र में, उत्तरप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब वहां के किसानों ने सरकार के सामने

.....

(XXX) : आदेशानुसार रिकार्ड से निकाला गया.

अपनी कर्जा माफी की मांग रखी तो वहां की सरकार ने उनकी कर्जा माफी की मांग को स्वीकार किया और वहां के किसानों के कर्ज माफ किये. क्या हमारी मध्यप्रदेश की सरकार, हमारे मध्यप्रदेश के मुखिया, जिनके लिये किसान भगवान हैं और वे स्वयं पुजारी हैं. आज अगर हमारा मध्यप्रदेश का किसान अपनी बदहाली को लेकर के, अपने कर्ज को लेकर मांग करता है तो वह क्या गुनाह या अपराध करता है.

उपाध्यक्ष महोदय :- सचिन जी, आप बैठ जायें, आपको बोलते हुए पांच मिनट हो गये हैं.

श्री सचिन यादव:- उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार केन्द्र की सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों, धन्नासेठों का डेढ़ लाख करोड़ रूपये का कर्जा माफ करती है तो क्या यह सरकार हमारे अन्नदाताओं का, जो कि हमारे देश की आबादी का 70 प्रतिशत हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ की हड्डी हैं. क्या ऐसे 70 प्रतिशत लोगों की मांग हमारे प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार नहीं मान सकती थी. जब पहली बार 2014 में केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सबसे पहले यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो वह किसानों के विरोध में लिया जाता है. पहले जो 150 रूपये का बोनस किसानों को गेहूं की उपज के ऊपर दिया जाता था, उसको बंद करने का निर्णय केन्द्र की सरकार के द्वारा लिया जाता है. यदि हमारे किसान साथी इस 150 रूपये का हिसाब लगायें तो एक-एक किसान को लाखों रूपये का नुकसान हुआ है.

2.37 बजे {अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा)पीठासीन हुए.}

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की गयी और लाखों किसानों का सीहोर में इकट्ठा किया गया और यह विश्वास दिलाया गया कि यह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ होगी तो किसानों की जो भी समस्याएं होंगी, जो भी विपदाएं होंगी] वह इस फसल बीमा योजना के माध्यम से उनकी सारी परेशानियों को, दिक्कतों को इस फसल बीमा योजना के माध्यम से दूर किया जायेगा. लेकिन उन किसानों को अन्नदाताओं नहीं मालूम था कि यह वही सरकार है, जो किसानों को 2003 में किसानों को उनके खेत में 24 घंटे बिजली देने की बात करती है. यह वही सरकार है जो किसानों को 50 उनकी लागत पर मूल्य देने की बात करती है.

अध्यक्ष महोदय :- सचिन यादव जी अब आप बैठ जायें. श्री तरूण भानोत, आप बोलें.

श्री तरूण भानोत(जबलपुर-पश्चिम):- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे जब बोलने का अवसर प्राप्त हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं. सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. आपने जब नर्मदा सेवा यात्रा की शुरूआत की थी तो इस सदन में प्रस्ताव रखा था और हमने आपसे मांग की थी कि

आप उस यात्रा को निकालें और हम भी इसमें आपका सहयोग करेंगे, स्वागत भी करेंगे. हमने एक मांग भी रखी थी कि मां- नर्मदा से जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर रोक लगा दीजिये और वह आपने लगाया. उसके लिये मैं आपको इस सदन में धन्यवाद देना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय, मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के सामने जो बात हम रखेंगे, उनके ऊपर उसी प्रकार से ध्यान देंगे. जब स्थगन प्रस्ताव के ऊपर वह अपना वक्तव्य रखेंगे तो घोषणा भी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. कल जब मंदसौर की घटना के ऊपर स्थगन प्रस्ताव आया तो सदन के सभी सदस्यों ने अपनी राजनैतिक प्रतिबद्धता के साथ, जो उनकी राजनैतिक प्रतिबद्धता थी, उसका निर्वहन बड़ी ईमानदारी से किया. सत्तापक्ष के सदस्यों ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी बात रखी, जो उनको रखना चाहिये थी. हमारे विपक्ष के साथियों ने भी अपनी बात को अपने-अपने ठंग से रखा. मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मैं घूमा-फिराकर कोई बात सदन में नहीं करूंगा. यह घटना घटी ,सरकार के जिम्मेदारी मंत्रियों ने सदन में यह कहा कि डोडा-चूरा के व्यापारियों और तस्करों का साथ देने के लिये यह घटना घटी. पूरी प्रतिबद्धता के साथ सत्तापक्ष के साथियों को ज्ञान दिया गया था और सत्तापक्ष के साथियों से कहा गया था कि कांग्रेस के लोगों ने पूरे मध्यप्रदेश में अराजकता फैला दी है. मंदसौर की घटना इसलिए घटी क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ था और शांति के टापू, मालवा की शांति को कांग्रेस के लोगों ने भंग कर दिया.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सरकार से जानना चाहता हूं कि हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि मालवा का किसान बहुत ही शांतिप्रिय है. मैं माननीय मंत्री जी, जिन्होंने यह बात कही थी, उनसे यह जानना चाहता हूं कि कौन से क्षेत्र का किसान आतंकवादी है, उग्रवादी है, पत्थर फेंकने वाला है, बस जलाने वाला है. मध्यप्रदेश के किस क्षेत्र के किसान को आप अशांतिप्रिय कहेंगे. मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान का हर किसान और दुनिया का हर किसान शांतिप्रिय है, मेहनतकश है, ईमानदारी से अपने खेतों में काम करता है. जिसके कारण हम सभी का पेट भरता है. इस प्रकार की बातें करना और मूल समस्या पर ध्यान न देना, यही सरकार की सबसे बड़ी अगंभीरता को दर्शाता है. माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री इस समय सदन में बैठे हैं. अभी कुछ देर पहले मंदसौर जिले की प्रभारी मंत्री अपना वक्तव्य दे रही थीं. उन्होंने अपने वक्तव्य में 10-12 बार ईश्वर का नाम लिया. ईश्वर को धन्यवाद कि मंदसौर में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ. ईश्वर ने बचा लिया.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं मंदसौर में हुई घटना का बहुत बड़ा कारण, जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी ने भरोसा करके वहां भेजा था, उनकी नाकामियां भी हैं.

अध्यक्ष महोदय- कृपया समाप्त करें.

श्री तरूण भनोत- माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया थोड़ा समय दें. मैं केवल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी घटनायें क्यों होती हैं और भगवान न करे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो और फिर से मध्यप्रदेश में किसी के ऊपर गोली चले. अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाया, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, ठीक नहीं है. पिछले दो दिनों से सदन में मंत्रीगण जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार नहीं अपितु कांग्रेस की सरकार चल रही है. इस प्रदेश में जो सारे काम हो रहे हैं, वह कांग्रेस के लोग कर रहे हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि 15 जनवरी 2011 को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी. यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. सदन में किसानों की बात हो रही है, बैंकों की बात हो रही है, लोन की बात हो रही है लेकिन सूदखोरों की बात कोई नहीं कर रहा है. हर गांव में सूदखोर बैठे हैं. जो किसानों का खून चूसते हैं. आज के प्रमुख अखबार ने इसे छापा भी है. (सदस्य द्वारा "नवदुनिया" अखबार की प्रति सदन में प्रदर्शित की गई.) आपने घोषणा की थी कि एक नया कानून लाया जाएगा. जिसके तहत हम सूदखोरों के ऊपर रोक लगायेंगे. ऐसे सूदखोरों को जेल में डाला जाएगा जो 10-15 प्रतिशत की दर से ब्याज लेकर किसानों का खून चूस रहे हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में मुख्यमंत्री जी और राजस्व मंत्री जी बैठे हैं. मुख्यमंत्री जी ऐसी घटनायें इसलिए घट रही हैं क्योंकि राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि जब से मैं इस विभाग का मंत्री बना हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की कोई घोषणा की थी और इसकी कोई फाईल भी मेरे विभाग में नहीं है.

अध्यक्ष महोदय- तरूण जी, कृपया समाप्त करें.

श्री तरूण भनोत- अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं. यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. अगर मध्यप्रदेश के जिम्मेदार मंत्री ही इस प्रकार की बातें करेंगे और वास्तविकता से अनभिज्ञ रहेंगे तो आपको कांग्रेस पार्टी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है. माननीय मुख्यमंत्री जी, जो

घटना 6 जून को मंदसौर जिले में घटी, अगर आप इन लोगों पर ही भरोसा करते रह गए तो भगवान न करे मध्यप्रदेश के सारे जिलों में इस प्रकार की घटनायें हो सकती हैं. आप अपने मंत्रियों को चुस्त कीजिये, जिम्मेदारियों से अवगत करवाईये और संविधान की जो शपथ इनके द्वारा ली गई है, मध्यप्रदेश की जनता की सेवा का जो प्रण लिया गया है, उसके लिए ईमानदारी से काम करवाईये. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद.

श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया (बमौरी)- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंदसौर में किसानों का जो नरसंहार हुआ, उसकी जितनी भर्त्सना की जाये, वह कम है. मैं सदन का ध्यान वर्ष 2010 के किसान संघ के भोपाल धरने की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं. भोपाल को चारों तरफ से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों ने घेर लिया था, वह धरना कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि किसान संघ का धरना था. किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग है. इसकी पुनरावृत्ति 4 तारीख को मंदसौर कांड में देखी गई. जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान संघ के नेताओं के साथ मिलकर उनसे समझौता किया. वर्ष 2010 में 180 मांगें किसान संघ ने मांगी थी जिसमें से 140 मांगें माननीय मुख्यमंत्री जी आपने पूरी करने की घोषणा की थी किन्तु दुर्भाग्य है कि आप घोषणा तो कर देते हैं मगर घोषणा करने के बाद भूल जाते हैं और यही कारण था कि 4 तारीख को जब आपने किसान संघ से समझौता किया तो किसानों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि मुख्यमंत्री जी ने जो वर्ष 2010 में समझौता किया था वह आज भी हमारे साथ न्याय करेंगे और हमारी मांगों को स्वीकार करेंगे. यह कारण था मेरे भाइयों जिसकी वजह से यह आंदोलन और गोलीकांड हुआ. माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रथम बार का विधायक हूं और आपके संरक्षण में बोल रहा हूं मगर जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए. आज मुख्यमंत्री जी के पूर्व में जो मंत्रियों ने भाषण दिए मैंने उनके चेहरों को देखा, उनकी आत्मा में झांककर देखा किसी के मन में कोई उदासी नहीं है, किसी को कोई क्षोभ नहीं है कि इतने किसानों की गोली से निर्मम हत्या कर दी गई. हमारे मित्र तरुण भनोत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वर्ष 2011 में, साहूकार अधिनियम में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम संशोधन करेंगे. आज हमारा किसान नोटबंदी के कारण अगर सबसे ज्यादा पीड़ित है तो साहूकारों से पीड़ित है मगर क्या हुआ? आप जब घोषणा करते हैं तो मुड़कर नहीं देखते हैं कि उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यह आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है. आज किसान के साथ क्या हो रहा है? यह नोटबंदी, जो काले धन को रोकने के लिए की गई थी इससे सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो मिडिल क्लास फैमिली और हमारा गरीब किसान है जो दर-दर की ठोकरें इस नोटबंदी के कारण खा रहा है. मैं मुख्यमंत्री जी से

एक निवेदन करना चाहता हूं और हमारे वित्तमंत्री जी भी बैठे हुए हैं. आपकी रबी की फसल अप्रैल और मई में आती है. मगर आपका वसूली का अभियान मार्च में प्रारम्भ होता है. आज समर्थन मूल्य के जो कांटे लगे हुए हैं उसका पेमेंट किसान को जुलाई में जाकर होता है. क्या इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है? किसान तीन महीने कैसे काटेगा? यही समय होता है जब उसको बच्चों की शादियां करनी है, यही समय होता है जब उसको बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा उठाना है और यही समय होता है जब उसको भुगतान नहीं मिलता है. वह मंडी में जाता है तो व्यापारी उसको चेक दे देता है और व्यापारी मैनेजर से सांठ-गांठ कर लेता है और किसान को कहता है कि भइया बैंक में पैसा नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही बताइए कि किसान कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएगा. मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो पांच वर्ष पूर्व किसान पुत्र थे आपका पांच वर्षीय कार्यकाल सर्वोत्तम कार्यकाल रहा है मगर इसके बाद आपने जो आंखे मूंदी हैं, अपनी घोषणाओं के बाद में आपने मुड़कर नहीं देखा कि उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अफसरशाही बेलगाम मध्यप्रदेश में हो चुकी है यही कारण है कि मध्यप्रदेश का किसान अत्यंत दुखी है. मैं आपसे एक आखिरी मिनट चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारे गोपाल भार्गव जी ने कहा कि सड़कें बन गईं, सिंचाई हो गई, तालाब बन गए सब कुछ हो गया मगर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सबकुछ अच्छा है तो हमारे मध्यप्रदेश के किसानों ने पिछले 56 दिन में 56 आत्महत्याएं क्यों की हैं. तीन से पांच सालों में 18 हजार किसानों ने आत्महत्याएं की हैं. यह क्यों हो रहा है यह कहीं न कहीं कोई लेप्स है कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है. जिसको हमको देखना पड़ेगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से तीन मांगे करना चाहता हूं कि हमारे मध्यप्रदेश के किसान नोटबंदी के बाद बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उनके कर्ज को माफ कर दिया जाए, बिजली के बिलों को माफ कर दिया जाए और स्वामीनाथन् रिपोर्ट जिसके अध्यक्ष आप स्वयं हैं उस कमेटी के सारे नियमों को लागू किया जाए. आपने बोलने का अवसर दिया धन्यवाद और सारे सदन का बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री गिरीश भण्डारी (नरसिंहगढ़)-- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं सबसे आखिरी का सदस्य हूं इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि सबसे पहले वाले को ज्यादा मौका मिलता है और एक सबसे आखिरी में बोलने वाले को ज्यादा मौका मिलता है.

अध्यक्ष महोदय-- आखिरी वाले को नहीं मिलता है.

श्री गिरीश भण्डारी-- आखिरी वाले को सबसे ज्यादा मिलता है क्योंकि सब यह कह रहे थे कि जो अंत में बैठा है उसकी चिंता करनी चाहिए तो आपको मेरी चिंता करनी चाहिए और मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि इस किसान आंदोलन और इस मंदसौर की घटना को लेकर यह स्थगन

प्रस्ताव आया दो दिन से चर्चा हो रही है लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह कारण है आज से 9 महीने पहले इस देश के अंदर नोट बंदी का एक निर्णय लिया गया था. उस नोट बंदी के बाद सबसे ज्यादा दुर्गति किसान की हुई है जितनी किसी वर्ग की नहीं हुई है. नोट बंदी के बाद पहली बार जब किसान मंडी में गया तो उसको उसकी फसल की सही कीमत नहीं मिली साथ ही उसे नगद रुपया भी नहीं मिल पाया. उसे चैक थमा दिए गए. चैक लेकर जब वह बैंकों में गया तो बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो दुर्व्यवहार किया उसके कारण उसका दिल आहत हो गया उसका मन आहत हुआ. पूरे देश के अन्दर यह स्थिति हुई जो बात करते हैं कि मध्यप्रदेश में या मंदसौर में आंदोलन हुआ. यह आन्दोलन मध्यप्रदेश में नहीं पूरे देश में था, महाराष्ट्र में भी था. सब जगह यह आंदोलन था. नोट बंदी के बाद सभी किसानों की यही दुर्गति पूरे देश में हुई. किसान फसल इसलिये बेचता है क्योंकि उसे तत्काल रुपए की आवश्यकता होती है. उसके परिवार के लालन पालन के लिए उसके बच्चों की शिक्षा के लिए. कहीं दुख दर्द में काम आने के लिए वह अपनी फसल बेचता है. उसे डेढ़ दो महीने तक नगद पैसा नहीं मिला. अधिकारी और कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया उसके कारण वह आहत हो गया और यही कारण इस आंदोलन का बना. मुख्यमंत्री जी भी घोषणा करके भूल गये. उन्होंने घोषणा की थी सदन जानता है उन्होंने कहा था कि मंडी में किसानों को 50 प्रतिशत नगद भुगतान किया जाएगा. कोई एक मंडी बता दें, प्रदेश का कोई एक किसान बता दें जिसको कि उनकी घोषणा के बाद मंडी में 50 प्रतिशत नगद भुगतान किया गया हो. किसी मंडी में किसी किसान को मंडी में 50 प्रतिशत नगद रुपया नहीं मिला है. यह सब कहीं न कहीं इस आंदोलन का कारण बने. किसान को पिछले वर्ष जो भाव मिले थे. इस वर्ष उसने औने-पौने दामों में अपनी फसलें बेची हैं. आज समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात होती है. कृषि मंत्री जी ने अपने भाषण में कल बहुत बड़ी बातें कहीं थी कि उड़द, मसूर हम 5000-5500 रुपए क्विंटल में खरीद रहे हैं. राजगढ़ जिले में मेरे नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मसूर और उड़द का एक भी केन्द्र नहीं खोला गया. आप मंडियों की पर्चियां मंगा लें 3000 और 2800 रुपए में मसूर मंडियों में औने पौने दामों में बिक रही है. जिसका समर्थन मूल्य 3950 रुपए है. मैं इसके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी भी समय है आप नरसिंहगढ़ में एक मसूर और उड़द के समर्थन मूल्य का केन्द्र खोल दें ताकि वहां के किसानों में आक्रोश कम हो सके. हम किसानों के आक्रोश की बात कर रहे हैं किसान कहीं-न-कहीं इन व्यवस्थाओं के कारण दुखी है. हम नहरों की, अनुदान की बातें कर रहे हैं. अनुदान और ब्याज माफ करने से काम नहीं चलेगा. उसको समर्थन मूल्य बढ़ाकर दिया जाए. समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए हम बात करते हैं कि यह केन्द्र के हाथ में है

इसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा को इस बात का प्रस्ताव करना चाहिए. केन्द्र की सरकार को बताना चाहिए कि आज किसान परेशानी में है उसकी उत्पादन लागत नहीं निकल रही है क्यों न उसका समर्थन मूल्य बढ़ाया जाय. किसान देश और प्रदेश में आत्म हत्या कर रहा है और जो घटनाएं हो रही हैं वह समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने के कारण हो रही हैं. आज किसी भी फसल का समर्थन मूल्य ले लें. पिछले 10 सालों का देख लें. गेहूं का 1625 रुपए समर्थन मूल्य है यह पिछले 4-5 साल से वही है. कर्मचारियों और अधिकारियों का छठा वेतनमान, सातवां वेतनमान इस कारण दे दिया जाता है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है लेकिन क्या किसानों के बच्चे नहीं हैं. किसानों का परिवार नहीं है क्या उनकी उपज की कीमत नहीं बढ़ना चाहिए. मेरी यह मांग है कि उनकी उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए. नहीं तो इस प्रकार के आंदोलन आगे भी होते रहेंगे. बात करते हैं कि यह आंदोलन कांग्रेस ने किया है. हम बिलकुल स्वीकार करते हैं. निश्चित ही आज किसान परेशानी में है आज किसान दुख में है और कहीं-न-कहीं इस देश की नीति और निर्णय के कारण किसान आंदोलित था. कांग्रेस का धर्म बनता था, दायित्व बनता था कि उस आंदोलन में किसान के साथ खड़ा हो उसके दुख दर्द को बांटे. इस बात को निभाने के लिए कांग्रेस किसान आंदोलन में साथ खड़ी थी. हमें इस बात के लिए कोई हिचक नहीं है कि हम किसान के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे. आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद.

श्री अनिल फिरोजिया--अध्यक्ष महोदय, हमको तो बोलने का मौका दो.

अध्यक्ष महोदय--नहीं अब नहीं.

श्री अनिल फिरोजिया--अरे अध्यक्ष जी. सुबह से भूखे प्यासे बिठाकर रखा है बोलने का मौका दिया करो.

अध्यक्ष महोदय--अब किसी को नहीं. आप सब लोग बैठ जाएं.

..(व्यवधान)..

श्री घनश्याम पिरौनियॉ(भाण्डेर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसानों के हित कल्याण के लिए....

अध्यक्ष महोदय-- कृपया सभी सदस्य बैठ जाएँ. ..(व्यवधान)..

श्री घनश्याम पिरौनियॉ-- माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्नीस करोड़ रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा का बाँटा है, मैं अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- घनश्याम जी बैठ जाएँ, आज आपको क्या हो गया?

श्री घनश्याम पिरौनियॉ-- इतनी बड़ी राशि केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही दी गई है, उन्नीस करोड़ रुपये बाँटे गए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. ..(व्यवधान)..

श्री अनिल फिरोजिया(तराना)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए. ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- अनिल जी, बैठिए. माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी आप बोलिए. अब कोई नहीं बोलेगा. कृपया शांति रखें...(व्यवधान)..

श्री अनिल फिरोजिया-- अध्यक्ष महोदय, बाकी सदस्यों को 25-25 मिनट बोलने का मौका दे रहे हों हमको 5 मिनट भी नहीं देते हों.

अध्यक्ष महोदय-- अब नहीं देंगे.

श्री अनिल फिरोजिया-- अध्यक्ष महोदय, यह गलत है. फिर यहाँ आने का मतलब ही क्या है? क्यों आए यहाँ? यहाँ जब हमको बहस में हिस्सा नहीं देते तो फिर आने का मतलब क्या है?

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपा करके बैठ जाएँ.

श्री अनिल फिरोजिया-- अध्यक्ष जी, यह तो बहुत ही अन्याय है. मैं आज आप से पूछ रहा हूँ कि हम यहाँ विधान सभा में क्यों आएँ? जब हमको मौका ही नहीं देते, हम तैयारी करके आते हैं मेरे जैसे....(किन्हीं माननीय सदस्य द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर) कोई रो नहीं रहा है. आप चुप रहो, मैं आप से बात कर रहा हूँ क्या? आप चुप रहो, आप से बात नहीं हो रही है, अध्यक्ष जी से बात हो रही है, मैं आसन्दी से बात कर रहा हूँ. ..(व्यवधान)..

आप नये लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देते हों. ये 25-25 मिनट बोल रहे हैं. बीच बीच में 5-5 मिनट खा जाते हैं. आपने पिछली बार भी आसन्दी से यह व्यवस्था दी थी.....

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपा करके बैठ जाएँ.

श्री अनिल फिरोजिया-- पर अध्यक्ष जी, मेरा विरोध आज आप दर्ज करिए.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, आज नहीं, आपका अनुरोध कल स्वीकार करेंगे. आज बैठ जाइये.

श्री अनिल फिरोजिया-- अध्यक्ष जी, आज ही करो आप.

अध्यक्ष महोदय-- आज नहीं.

श्री अनिल फिरोजिया-- आज करो आप.

अध्यक्ष महोदय-- आज नहीं.

श्री अनिल फिरोजिया-- मैं आप से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ.

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपा करके मेरी बात मान लें.

श्री अनिल फिरोजिया-- कल राहुल भैय्या मेरे से कह रहे थे कि तुम सदन में आते हों क्या? तो मैंने बोला कि इतनी दुबली-पतली काया नहीं दिखती? (हँसी)

अध्यक्ष महोदय-- अनिल जी, बैठ जाइये, बस अब बहुत बहस हो गई.

श्री अनिल फिरोजिया-- अध्यक्ष जी, राहुल भैय्या कह रहे थे, कल मैंने इनको टोका, तो राहुल भैय्या बोले कि आप दिखते नहीं हों. अब आप ही बताओ अध्यक्ष जी, जब हमको मौका नहीं मिलेगा तो हम हमारी समस्या कहाँ बताएँगे?

अध्यक्ष महोदय-- माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी, आप अपनी बात कहें.

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, (मेजों की थपथपाहट) मैं बड़े भारी दिल से आज खड़ा हुआ हूँ. कोई भी नेता प्रतिपक्ष हो, स्थगन लाने के पहले बहुत सोचता है कि यह विषय गंभीर है या नहीं. इस विषय को उठाना चाहिए या नहीं. आप लोग भी विपक्ष में थे. आपको भी अनुभव है. लेकिन इतने गंभीर विषय पर जिस प्रान्त में हमारा छोटा भाई किसान पुत्र और किसानों की बात मंदसौर की घटना पर हम स्थगन लाए हों, आत्महत्या की बात हो, उस पर स्थगन का विषय बिन्दु रहा, मैं बहुत दुखी मन से सत्ता पक्ष के बहुत ही प्रभावशाली मंत्रीगण और विधायकों के भाषण सुन कर, क्या किस रूप से कहते हैं आप किसान हितैषी, किस भावना से आप कहते हैं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री किसानों की समस्या को जूझ रहा है और बार बार कि काँग्रेस कहाँ थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्रता के साथ आप से कहना चाहता हूँ कि घटनाक्रम में थोड़ा जाएँ. मैं इधर-उधर की बात नहीं करूँगा. मैं सिर्फ मंदसौर की घटना को लेकर और प्रदेश में जो आत्महत्याएँ हो रही हैं, उस पर सीमित रहूंगा. घटनाक्रम में यदि आप चलें तो हमारे अधिकांश सत्ता पक्ष के विधायक शुरुआत करते हैं कि 6 तारीख को फायरिंग हुई और उसमें असामाजिक तत्वों का हाथ था, तस्करों का हाथ था और फिर धीरे से इस पर आ जाते हैं कि कांग्रेस के लोगों का हाथ था. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आंदोलन एक दिन में अचानक नहीं आया. इसकी शुरुआत अचानक नहीं हो गई. दो महीने से वहाँ पर किसान आंदोलित था.पूरे प्रदेश में चेतावनी दी थी कि 1 जून से 10 जून तक किसान आंदोलन करेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतने सारे अखबार 1 से 6 तारीख के लाया हूँ. एक अखबार में भी एक शब्द नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ है. एक बयान किसी का नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का सहयोग रहा है. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर हमारे महेन्द्र सिंह सिसौदिया जी ने अभी जो बात कही कि भोपाल में चक्काजाम हुआ था किसानों के माध्यम से,तत्कालीन किसान संघ के अध्यक्ष कक्काजी थे. उन्होंने भोपाल को चक्काजाम कर दिया था. उसमें कांग्रेस का हाथ था? बरेली में भी

वही कक्काजी, एनएच पर चक्काजाम हुआ था, पुलिस फायरिंग हुई थी तो क्या कांग्रेस का हाथ था? आप अपनी बात क्यों छुपाना चाहते हैं कि आपसे फेलियर हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय. आपसे इंटेलीजेंस फेलियर हुआ. आप उस रूप में थे कि आपके किसान कुछ नहीं कर सकते. मैं तो किसानों का इतना बड़ा हितैषी हूँ. मध्यप्रदेश के किसान को मैंने कृषि कर्मण अवार्ड दिलाया है तो यहाँ का किसान मुख-बंध रहेगा. लेकिन शिव कुमार शर्मा, कक्काजी ने जो मंदसौर में कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों के हिंसक आंदोलन के पीछे का चेहरा सिर्फ तीन संघों का था. बी.के.यू., आम किसान यूनियन और राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ. किसान संघ नहीं, मजदूर संघ. किसान संघ तो आपकी पार्टी का है लेकिन जो कक्काजी की नई पार्टी बन गई है किसान मजदूर संघ, इन्होंने आंदोलन मालवा में किया और 1 तारीख हो जाती है, 2 तारीख हो जाती है. माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शायद यह गलतफहमी रही होगी कि मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन नहीं करेगा. उनको फीड बैक नहीं मिला. न प्रशासन से न उनकी पार्टी से. जब बात थोड़ी और बढ़ गई तो 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय किसान संघ के लोगों को बुलाकर उज्जैन में कोई बैठक कराते हैं और उस बैठक में फैसला हो जाता है कि किसानों की समस्यायें हल हो जाएंगी, हड़ताल समाप्त. उस समय भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता ने यह भी कहा कि किसान संगठन के सदस्य लोग भोपाल चलो 7 तारीख को, मुख्यमंत्री का सम्मान कार्यक्रम होगा. यह 5 तारीख की बात है. 4 तारीख को आपने किसान संघ के साथ बात की. लेकिन जो बाकी और किसान संघ के लोग थे जो पहले से ही अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे थे जब भोपाल में हुआ था, जो सिसोदिया जी ने कहा 180 नंबर के ज्ञापन थे उसमें कुछ नहीं हुआ तो वही कक्का जी और सब लोगों ने कहा कि हमें भरोसा नहीं है. यह तो पहले भी मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं. हमें भरोसा नहीं है. उस दिन से आंदोलन उग्र हुआ. उसके जिम्मेदार कौन हैं ? यदि हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री महोदय जी ने उन किसान भाइयों की बात पहले से मान ली होती तो शायद यह नहीं होता. शायद मंदसौर की 6 तारीख की यह घटना नहीं होती, यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 4 तारीख को जितने और किसान संघ के लोग आंदोलन कर रहे थे उनका एक प्रतिनिधि मंडल उज्जैन में ही बुलवा लेते. सिर्फ किसान संघ के लोगों को क्यों बुलाया गया ? वह तो आपकी पार्टी का अंग है. बहुत सारे लोगों ने घटना बताई कि कोई मिठाई वाले दुकान में, कोई किसी दुकान में हुआ वह अलग कहानी है इसकी शुरूआत कहां से हुई है ? यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सही जानकारी मिल जाती, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी सचेत हो जाते कि किसान आंदोलित है तो यह घटना नहीं होती और इसलिए स्थगन लाया गया. यह साधारण बात नहीं है कि मध्यप्रदेश के किसान भाई गोली से मर जाएं. हमारे विद्वान

साथी लोग मुलताई की बात करते हैं. मुलताई की जो घटना हुई वह तो तत्कालीन समय के लोगों ने पश्चाताप किया होगा लेकिन आप मत भूल जाइए कि मंदसौर की घटना के बाद आपको मध्यप्रदेश का किसान माफ करेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी रूप में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 5 तारीख की घटना बताना चाहता हूँ किस तरह से घटनाक्रम बढ़ते गए ? 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी शायद रतलाम भी जाने वाले थे और वहां पर 4 जून की शाम को मुख्यमंत्री जी का दौरा तय था. डेलनपुर गांव में महिलाओं ने कलेक्टर की गाड़ी को रोका और अवगत कराया कि हमें भाव कम मिल रहे हैं तो किसी ने उनकी गाड़ी के कांच में कुछ किया. हवा फैल गयी कि किसान लोगों ने कलेक्टर की गाड़ी में तोड़-फोड़ की. बड़ा दुर्भाग्य है कि डेलनपुर गांव के मुखिया को तत्कालीन कलेक्टर भार्गव और एडीएम कैलाश बुंदेला का बार-बार फोन आ रहा था कि व्यवस्थित कर दो कुछ गड़बड़ी न हो पाए, मुख्यमंत्री जी का दौरा है. वे व्यक्ति जिम्मेदारी से व्यवस्था करा रहे थे. लेकिन दुर्भाग्य है. 58 लोगों के ऊपर एक ही एफआईआर तीन बार एक शाम को किया जाता है. घटना रात 8 बजे होती है और एफआईआर 4 बजकर 10 मिनट, 5 बजकर 45 मिनट और 8 बजे होती है. यदि घटना 8 बजे हुई तो एफआईआर 8 बजे के बाद होगी. आपको कैसे उम्मीद थी कि घटना होने वाली है और 3 घंटे, 4 घंटे पहले एफआईआर दर्ज कर दी जाती है. मेरे पास एफआईआर की तीन रिपोर्ट हैं और उसमें वही 58 लोगों के नाम हैं. उसके बाद यहां पर कहें कि कांग्रेस का हाथ है, बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूँ यदि आप उस समय का अखबार पढ़ें, उसमें 6 तारीख की घटना के पहले किसी मंत्री-संत्री या किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है. किसी ने नहीं कहा कि असामाजिक तत्वों का हाथ है, किसी ने नहीं कहा कि तस्कर लोग हैं. घटना हो जाती है, पुलिस फायरिंग होती है, बड़ा दुर्भाग्य है कि वह दिन मध्यप्रदेश के इतिहास में, जब 6 किसान मृत्यु के घाट उतरते हैं, उसके बाद क्या-क्या बयान आते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी रोज अखबार पढ़ते हैं, एक मंत्री महोदय कहते हैं कि असामाजिक तत्वों ने गोली चलाई, हमने नहीं चलाई, यह बयान गृह मंत्री का है, फिर वे कहते हैं कि शायद हो सकता है, चलाई.

श्री भूपेन्द्र सिंह -- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मेरी तरफ से कभी यह नहीं कहा गया कि असामाजिक तत्वों ने गोली चलाई, जब यह घटना हुई तो केबिनेट की बैठक चल रही थी, हम लोग केबिनेट में थे, और केबिनेट से जैसे ही बाहर निकले तो मीडिया के लोगों ने पूछा तो हम लोगों ने यही कहा कि जानकारी मंगाकर आपको अवगत कराएंगे, उस समय भी यह नहीं कहा, उसके बाद जब नीचे से जानकारी मंगवाई तो शुरुआती जानकारी में, चूँकि घटनास्थल दूर था, और शुरुआती

दौर में कोई बताने की स्थिति में नहीं था, लेकिन मैंने यह कभी नहीं कहा कि असामाजिक तत्वों ने गोली चलाई.

श्री अजय सिंह -- कोई बात नहीं, मैंने जो अखबार में पढ़ा, वह बता रहा हूँ, बयान छपा है, जो भी हो, ये जरूर कहा कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई. हमारे विद्वान सदस्य माननीय गोपाल भार्गव जी बार-बार यह कह रहे थे कि तस्करों ने गोली चलाई, तस्करों का हाथ है, शर्म आनी चाहिए. (श्री गोपाल भार्गव के खड़े होने पर) जिसका नाम ले लो, वही खड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा.

श्री गोपाल भार्गव -- अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया गया है, इस कारण...

श्री अजय सिंह -- मैं पूछ रहा हूँ कि आपने बोला था या नहीं बोला था.

श्री गोपाल भार्गव -- आप कृपा करके एक मिनट बैठ जाएं, अध्यक्ष महोदय, कल का मेरा पूरा वक्तव्य रिकॉर्ड से निकलवा लिया जाए, मैंने यह कहीं नहीं कहा कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, तस्करों ने गोली चलवाई. नेता प्रतिपक्ष जी, आप मिसइंटरप्रिटेशन न करें.

श्री अजय सिंह -- आपने यह जरूर कहा कि तस्करी करने वाले...

श्री गोपाल भार्गव -- आप भावार्थ मत लगाएं, आप कार्यवाही शब्दश:, अक्षरश: देख लें, किसी बात का भावार्थ न लगाएं.

श्री अजय सिंह -- अध्यक्ष महोदय, ठीक है, यदि एकाध शब्द मेरा इधर-उधर हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने यह जरूर कहा कि आंदोलन के पीछे तस्कर लोग हैं. यह कहा आपने..(व्यवधान के बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से बोलने पर) अध्यक्ष महोदय, यह देख लीजिए, ये हैं किसान हितैषी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप लोग, एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ किसानों की जब बात आती है तो कहते हैं कि यह कहा, जरूर कहा, अध्यक्ष महोदय, क्या मतलब है ? थोड़ी भावना समझो आप, आपके क्षेत्र में वह किसान आपसे पूछेगा कि क्या हम तस्कर दिखाई देते हैं ?

श्री बहादुर सिंह चौहान -- माननीय अध्यक्ष जी, हम इस बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं कि तस्कर लोगों ने..

अध्यक्ष महोदय -- यह बहस का काम नहीं है, बहादुर सिंह जी, बैठ जाएं.

श्री अजय सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, तस्करों का काम रुक रहा था, डोडा, चूरा पर शासन का बड़ा कंट्रोल हो गया था और इसलिए इस आंदोलन को तोड़-मरोड़कर वे तस्कर लोग इसके पीछे हो गए, उन्होंने सब कुछ किया. मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता

हूँ कि अपने उत्तर में वे यह बताएं कि मंदसौर में 14 साल में कितने तस्करों पर उन्होंने कार्यवाही की ? मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि वह जो राणा था, जो पीड़ित परिवार को लेकर मुख्यमंत्री के उपवास में आया था, उसके ऊपर केस है कि नहीं है ? वह तस्कर है कि नहीं है ? रोजाना उसको थाने में जाना पड़ता है, यह सही है कि गलत है. यह मुख्यमंत्री जी बतायेंगे. बहादुर सिंह जी, यह आप नहीं समझ पाओगे. सवाल यह है कि यदि हम इशू को डायवर्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम किसान हितैषी नहीं रह गये. आप किसानों के लिये लाख सेवा कर लो, आप लाख काम कर दो, 1500 किलोमीटर सड़क बना लो, बिजली की व्यवस्था सुधार दो, करोड़ों रुपये का ऋण सबसिडी माफ कर दो, आनन्द विभाग बना लो, लेकिन किसान के ऊपर आप इस तरह की कार्यवाही करेंगे, क्योंकि किसान जीवन दाता है. हम सब किसान हैं, किसी न किसी तरीके से. यह सब जुड़े हैं. मध्यप्रदेश एक तरह से किसान प्रांत है. कुछ शहरों को छोड़कर यहां अधिकांश लोग खेती, किसानी करते हैं. कोई एक एकड़ वाला होता है, कोई 10 एकड़ वाला होता है,लेकिन अधिकांश हम किसान हैं. यदि हम किसान की पीड़ा नहीं समझ पायेंगे और किसानों के लिये इस तरह से बात एवं व्यवहार करेंगे, तो यह उचित नहीं है.

अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति है, जिसने मुख्यमंत्री जी को खून से तौला था. दिनेश शर्मा नाम का व्यक्ति है. उन्होंने मुख्यमंत्री जी को खून से तौला. मध्यप्रदेश पंचायत संघ,दलौदा का वह अध्यक्ष है. इस आंदोलन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई. यदि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई,तो स्पष्ट कर दें कि वह कांग्रेस का है कि भाजपा का है. सवाल इस बात का नहीं है, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूं. मुझे तो दुख इस बात का है कि किसानों की बात करनी थी. यह मुलताई, क्या हुआ पहले, उसकी बात नहीं है. यह प्रदेश में ऐसी घटना क्यों हुई,यह न हो,वह किसान हमारा अन्नदाता है, उसका दुख दूर करें. मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं. जितने लोगों ने बोला, सब ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी के अलावा कुछ है ही नहीं. हर चीज पर वहां पर वे उपस्थित रहते हैं. बहुत संवेदनशील हैं, मैं खुद कहता हूं, आपकी तारीफ करता हूं. लेकिन जब एक ऐसी घटना मंदसौर में आपके शासन काल में हो जाती है, तो यदि हरदा में ओला पड़ जाये, तो आप उड़न खटोला से हरदा पहुंच जाते हैं. यदि किसी जिले में कोई घटना हो जाती है, तो मुख्यमंत्री जी, मैं तारीफ करता हूं, सबसे पहले पहुंचते हैं और वहां पहुंच कर गर्मी के दिन जरुर कहते हैं कि यह उड़न खटोला नहीं है, यह भट्टी है भाई भट्टी है, इसमें बहुत गर्मी रहती है. लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री,जो संवेदनशील है,यह पूरा प्रदेश

जानता है. उस संवेदनशील व्यक्ति ने इसमें पुलिस फायरिंग के बाद क्या किया. उसको तत्काल जाना चाहिये था. उसको तत्काल मंदसौर में उन किसान परिवारों के घर जाना चाहिये था, उनके आसूं पोछने के लिये. लेकिन वे वहां नहीं गये और इनसे बड़े जो प्रधानमंत्री हैं, नरेन्द्र मोदी जी. हमने पढ़ा है कि हिन्दुस्तान में नहीं दुनियां में उनका नाम ट्वीट करने में आता है. इतना ट्वीट करते हैं कि शायद दुनियां के वे नम्बर दो ट्वीटर मास्टर हैं. इंग्लैंड में आतंकी हमले में लोगों की मृत्यु होती हैं तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं सुबह 6.00 बजे, लेकिन मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए 6 किसानों की मृत्यु होती है, तो तब से लेकर आज तक ट्वीट तो छोड़ दीजिये, उन्होंने टीट भर नहीं किया.

माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार उपवास पर बैठ जाते हैं, ठीक है, उपवास पर बैठ गये. वैसे भी जब केन्द्र सरकार यूपीए की थी तब हर मामले में उपवास की धमकी देते थे. एक दो बार बैठने की भी कोशिश की फिर कुछ लोगों ने कहा कि गलत हो जायेगा आप संवैधानिक पद पर हैं, कुछ लोग मुस्करा रहे हैं उधर से जानते हैं कि क्या हो रहा था. लेकिन इस दफे क्या हो गया, आपको मंदसौर जाना था लेकिन आप बैठे कहां वातानुकूलित तंबू में, दशहरा मैदान बीएचईएल भोपाल में वह भी मात्र 28 घंटे के लिए, जब देखा शाम तक कि कोई किसान नहीं आया है किसी जिले से और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने लोग बुलाये गये, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा अब क्या होगा भाई बहुत दिक्कत हो जायेगी मैं उपवास पर तो बैठ गया हूं, तो रातों रात खबर होती है, बुलाओ उन परिवार के लोगों को, हमें किसी तरह से उठवाओ. माननीय अध्यक्ष महोदय जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो हिन्दु सनातन धर्म क्या कहता है 13 दिन तक उसके परिवार के लोग घर से वह बाहर नहीं जाते हैं. अगर आपको संवेदना व्यक्त करना हो तो आपको उसके घर जाना होता है लेकिन उन किसान भाईयों के परिवार के लोगों को रातों रात भोपाल लाया गया और उसका खुलासा एबीपी न्यूज चैनल पर हुआ, जहां पर उनके परिजनों ने बताया कि हमें इसके घर ले गये, फिर उसके घर ले गये फिर दूसरे दिन जाकर मुख्यमंत्री जी के यहां पहुंचाया और लोगों ने यह कहा कि मुआवजा नहीं मिलेगा जब तक उठवा नहीं देंगे, वह परिवारजन वैसे ही दुखी थे, किसी के पुत्र की हत्या हुई, किसी के पति की हत्या हुई, उन्होंने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप उपवास समाप्त कर दें.

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे छोटे भाई क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिसके परिवार के लोगों पर गोली चली उनके घर न जाकर उनको 400 किलोमीटर दूर भोपाल बुलाया जा रहा है, हंस लें भाई (किसी माननीय सदस्य को हंसता हुआ

देखने पर) आप किसान हितैषी नहीं हैं इसलिए हंस लो. माननीय अध्यक्ष महोदय मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि 2003 के चुनाव के पहले यदि किसी सबस्टेशन में कोई दिक्कत होती थी तो आदरणीय उमा भारती जी मध्यप्रदेश के कोने कोने में जिलों में जाती थी और उन किसान भाईयों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहती थीं, लेकिन जब दिक्कत होती थी तब, गोली चलने के बाद में हम कहते हैं कि हम किसान भाईयों के साथ खड़े हुए थे, लेकिन गोली चलने तक हमारा कोई हाथ नहीं था. कांग्रेस पार्टी के एक भी व्यक्ति का हाथ नहीं था किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि वह कांग्रेस का है या भाजपा का है, कोई पार्टी का नेता नहीं गया, शिवराज सिंह जी तो यहां पर उपवास पर बैठे थे. बहुत सारी बात हमारे राहुल गांधी जी के लिए कही गई, कम से कम वह दिल्ली से चलकर मंदसौर तक तो आये, दिल्ली से सहारनपुर तो गये, कहीं पर भी घटना होती है तो राहुल गांधी जी जाते हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटना के बाद एक बयान आता है, आरएसएसएस के किसानों के मुद्दे पर भाजपा देर से जागी, इसलिए भड़के किसान. यह घटना है महाकौशल प्रांत की समन्वय बैठक में आरएसएसएस का फीड बैक. माननीय अध्यक्ष महोदय. राममाधव जी हैं, आरएसएसएस के बहुत बड़े, पद नहीं जानता हूं, संचालक हैं, पथ संचालक हैं, कौन से चालक हैं, लेकिन वे आए. अभी भी गंभीर हो जाओ भाई. मैं सही में नहीं जानता हूं कि वे क्या है? किस पद पर हैं? भारतीय जनता पार्टी के आरएसएसएस के अंग के हैं. वे मध्यप्रदेश आए और उन्होंने फीड बैक लिया, अधिकारियों को बुलाया. अब कौन अधिकारी गये यह मैं नहीं जानता हूं. वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया और निष्कर्ष में क्या लिखा कि यह पूरी घटना जो मंदसौर में हुई, उसमें बीजेपी नेताओं की अंदरूनी गुटबाजी. मैं नहीं जानता हूं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उनके हिसाब से बनी. करप्शन और अफसरों की चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी. अखबार में जो पढ़ा है, मैं वह बता रहा हूं. कोई मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है. जो अखबार में है, आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा.

श्री कैलाश चावला - अध्यक्ष महोदय, पूरी बहस अखबार पर ही चलेगी क्या?

श्री ओमप्रकाश सखलेचा - आपके अपने बारे में जो अखबार में छपता है, आप उसे भी सच मानते हैं क्या?

अध्यक्ष महोदय - उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है. उन्होंने रिफरेंस दिया है, रिफरेंस दे सकते हैं.

श्री अजय सिंह - मैं सिर्फ आपसे यह जानकारी लेना चाहता हूं राममाधव जी भोपाल आए कि नहीं आए? बैठक हुई कि नहीं हुई?

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया - यह निष्कर्ष रिपोर्ट की सर्टिफाई कापी है क्या?

श्री शंकरलाल तिवारी - कोई बैठक नहीं हुई भोपाल में, अगर होती तो मैं अभी आपका समर्थन करता. एक अच्छा नॉवेल लिखिए.

श्री सुखेन्द्र सिंह - नॉवेल वाली शक्ल-सूरत तो आपकी दिख रही है तिवारी जी.

श्री अजय सिंह - अध्यक्ष महोदय, किसान लोगों के बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने 28 तारीख को क्या कहा, काफी सदस्य लोग कह चुके हैं कि कहीं लेपटॉप वितरित करते हुए युवा लोगों के बीच में कहा कि किसानी लाभ का धंधा नहीं है, आप तो उद्योग लगाओ. ऐसा सुना हमने. माननीय अध्यक्ष महोदय, सालों साल हम सुन रहे हैं कि किसानों का लाभ का धंधा होगा. यदि लाभ का धंधा हो जाता तो इतना बड़ा आन्दोलन क्यों होता? 6 तारीख के पहले, आप घटनाक्रम दो हिस्सों में बांट दो. 6 के पहले जब किसान आन्दोलित था. माननीय श्री गोपाल भार्गव जी ने कहा कि ऐसा कौन-सा किसान होगा, जो अपनी सब्जी सड़क पर भेजेगा, कौन-सा ऐसा किसान है जो अमृत दूध को बहाएगा. मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी मालवा में प्याज फेंकी गई थी कि नहीं फेंकी गई थी? प्याज फेंकी गई थी कि नहीं, यह आप बता दें. माननीय अध्यक्ष महोदय, तब तो आन्दोलन नहीं हुआ, तब तो पुलिस फायरिंग नहीं हुई. लेकिन किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. किसान परेशान है. हमारे भाऊ ने कल बहुत तेज तर्राट से कहा कि हम 8 रुपए में प्याज खरीद रहे हैं. कब से? घटना के बाद से. अध्यक्ष महोदय, यदि घटना के पहले प्याज खरीदी हो जाती तो शायद भण्डारण की व्यवस्था हो जाती. पुलिस फायरिंग होने के बाद किसानों के साथ इस तरह का घटनाक्रम होने के बाद मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हजार करोड़ रुपये का स्टेब्लाइजेशन फण्ड याद करिए. इस हजार करोड़ रुपये के फण्ड की घोषणा दो साल पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके थे. इसी बात से साबित होता है कि घोषणा कुछ और क्रियान्वयन कुछ होता. यदि दो साल पहले हजार करोड़ रुपये की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी तो क्या 100 करोड़ रुपये का ही फण्ड स्थापित हुआ? वाह वाही लूटने के लिए फिर से कह दिया हजार करोड़ रुपये का एक फण्ड किसानों को राहत देने के लिए हम स्थापित करेंगे.

अध्यक्ष महोदय, कृषि कर्मण अवार्ड मिला. माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने उत्तर में बहुत सारी बातें गिनाएंगे कि 2003 में क्या था और 2016-17 में क्या हो गया. हम जानते हैं आप क्या बात करेंगे.

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की कितनी क्षमता थी और आज कितनी क्षमता हो गई. बिजली में कितना खर्च हुआ और आज कितना खर्च कर रहे हैं. कितने बिजली संयंत्र स्थापित हो गए वह भी

हमें जानकारी है. आपने कितनी सब्सिडी दी वह भी हमें मालूम है. मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि हमने किसान हितैषी सरकार बनायी है. हम किसानों के लिए इतनी योजना बना रहे हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी भी फसल बीमा योजना बना रहे हैं. बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन क्रियान्वयन कहां हैं.

अध्यक्ष महोदय, आप होशंगाबाद जिले के सबसे बड़े किसान हैं. आपको भी मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है. हम विषय-वस्तु से अलग नहीं जा रहे हैं. विषय-वस्तु सिर्फ यह है कि किसान दुखी था. उसने आंदोलन किया. आंदोलन भड़क गया, उग्र हुआ और यह घटना हुई. उस घटना तक कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं था. जितने लोगों ने कहा कि कांग्रेस का हाथ था. कोई कह रहा था कि वीडियो है, कोई कह रहा था सोशल मीडिया है. मैं समझ नहीं पा रहा हूं 6 तारीख की दोपहर तक आपने क्यों नहीं यह बात कही कि कांग्रेस के लोगों का हाथ है. यह बात सिर्फ फायरिंग के बाद कही.

डॉ राजेन्द्र पाण्डेय-- अध्यक्ष महोदय,जिला पंचायत के उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ हैं. मैंने यहां पर विवरण दिया था. माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन रतलाम पहुंचे. रतलाम आने की जानकारी थी. अगर डीपी धाकड़ चाहते तो माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मुलाकात कर सकते थे. उन्होंने ऐसा नहीं किया और बेलनपुर में अनावश्यक चक्का जाम किया, भड़काया

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जायें. (व्यवधान)

(..व्यवधान..)

श्री अजय सिंह - आदरणीय तिवारी जी, कहते हैं कि 5 तारीख तक छुटभैये लगे थे. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सतना जिले की कौन सी जमीनें, कौन से छुटभैया नेता ने हड़प ली. आप सदन में यहां पीड़ा बता दें.

श्री शंकरलाल तिवारी - गैस ऐजेंसी कहां से मिली यह बता दो. जमीनें भी आपके जमाने की हड़पी हुई हैं. हमारे जमाने में तो जांच और कार्यवाही हो रही है.

अध्यक्ष महोदय - सीधे बात न करें. तिवारी जी बैठ जाईये. (..व्यवधान..) यादवेन्द्र सिंह जी बैठ जाईये.

श्री अजय सिंह - हमारे विद्वान साथी पाण्डेय जी ने एक व्यक्ति का नाम लिया. मैं इन व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन आपने बात शुरू की. मैं सदन में आप सबसे पूछना चाहता हूं कि नवीन,पुत्र श्री देवीलाल पाटीदार नेवरी,जनपद सदस्य हैं, एफआईआर उसके ऊपर हुई कि नहीं, किस पार्टी का है. राधे श्याम,पुत्र श्री मौजीराम जाट नेवरी उसके ऊपर एफआईआर

हुई, किस पार्टी का है. निर्मल पुत्र श्री छोटेलाल जाट मनासा का, युवा मोर्चा का है. गणेश आत्माराम पाटीदार,कृष्णकांत पुत्र श्री तुलसीलाम हाटपिपल्या,लखन प्रेमसिंह पाटीदार चापड़ा,महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र पाटीदार महुआखेड़ा, राकेश महुआखेड़ा, मोहन रामचन्द्र मुकादी रेवड़ी, हरि जाट और धारा सिंह जनपद सदस्य चापड़ा, किस पार्टी के हैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उत्तर में बताएं.यह किसान आंदोलन कोई नई बात नहीं है. इंडस्ट्री रेवेल्यूएशन के पहले जब पूरे विश्व में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी तब भी आंदोलन होते थे. कहीं-कहीं तो राजा-महाराजाओं के खिलाफ होते थे जिनकी सत्ता होती होगी कि हमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा. फ्रांस का एक उदाहरण है वहां एक महारानी थी वहां किसानों ने आंदोलन किया. वाइसराय पेलेस को घेरा तो जो महारानी थीं उन्होंने क्या कहा अपने साथी से कि भाई, इतने किसान हमारे पेलेस के अंदर कैसे आ गये ? तो उन्होंने कहा कि ये भूखे हैं ब्रेड नहीं है. महारानी कहती हैं उनको केट बांट दो. आदमी भूखा है रोटी के लिये,उचित मूल्य के लिये और आप दे क्या रहे हो आश्वासन. गोली चलने की बात नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि गोली तो चली किसके कहने पर चली किसके कहने पर नहीं चली. मैं एक बिन्दु पूछना चाहता हूं कि मर्ग और घटनाओं के बारे में बात हुई उस फायरिंग में किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई. साधारण तौर पर कहीं कोई घटना हो जाये तो एफआईआर होती है कि फलाने-फलाने पर और एक सौ साठ अन्य, लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई और मुझे जो जानकारी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यायिक जांच में आयेगी बात. कहेंगे कि न्यायिक जांच का मामला है. उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छह के छह किसान भाईयों के शरीर में किसी के गोली नहीं मिली. यह हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई मर जाये तो किसी में तो गोली होगी और गोली इसलिये कह रहा हूं कि गोली से प्रमाणित हो जाता कि गोली असमाजिक तत्व की थी या किसी और की गोली थी. क्यों छिपाने की कोशिश कर रहे हो. यदि आप सही में किसान हितैषी थे तो आज स्वीकार करो कि आपसे गलती हुई. हमें फीडबैक नहीं मिला. हमें जानकारी नहीं मिली कि इतना बड़ा आंदोलन हो जायेगा. हमें नहीं मालुम था कि आंदोलन इतना उग्र हो जायेगा और हमें पुलिस फायरिंग करनी पड़ेगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रांत का कि ऐसी घटना हो गई और आज हम सब लोग दुखी हैं, लेकिन बात से अलग नहीं जा सकते. हमारे विद्वान साथी लोग कहीं कांग्रेस की बात कर रहे थे कि कांग्रेस का हाथ था, कहीं मुलताई की बात कर रहे थे, यह शोभा नहीं देता. आज की बात करो, स्थगन किस विषय पर है, उसमें पीढ़ा व्यक्त करो, स्वीकार करो कि हमसे गलती हुई, हमारा इंटेलीजेंस फेल्यूअर था, हमें सही जानकारी नहीं मिल पाई कि कितना आंदोलित

हो सकता है किसान, जनता माफ कर देगी. उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उंगली उठाने का काम सत्ता पक्ष नहीं कर सकता जिसकी सबको जानकारी है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बात आई कि आत्महत्या हो रही हैं और यह अचानक एक महीने में 71 आत्महत्यायें कैसे हो जाती हैं, इसमें भी जाना चाहिये. माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग विपक्ष में हैं सिर्फ आइना दिखाने के लिये, यदि आपसे कुछ गलती हो रही है तो आप उसमें सुधार लायें. हम चाहते हैं कि अगले डेढ़ साल तक आप मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन डेढ़ साल के अंदर थोड़ी व्यवस्था सुधार दें.

श्री घनश्याम पिरोनियां-- उसके बाद भी रहेंगे.

श्री अजय सिंह-- अरे कहीं ऐसा न कर दो कि 6 महीने में केन्द्र में नगरीय प्रशासन मंत्री बन जायें.

एक माननीय सदस्य-- वह कहीं नहीं जा रहे.

श्री अजय सिंह-- यह मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि कहां जा रहे हैं और मैं भी जानता हूं कि कहां जा रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि संवेदनशीलता की हद होती है. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने केबीनेट का निर्णय जून 2011 में और आपने प्रेसवार्ता की कि रसूखदारों का कानून बनायेगें, केबीनेट में प्रेसी तैयार हो गई. मेरे पास उस प्रेसी की कॉपी है, यदि मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो वह प्रेसी भी याद दिला दूंगा कि आपकी 2011 की क्या हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने 15 जनवरी को घोषणा की थी उसके बाद जून में प्रेसी तैयार हुई जिस पर हमारे राजस्व मंत्री कहते हैं कि उनके पास फाइल नहीं आई, फाइल क्यों आयेगी, वह तो 2011 की बात थी, घोषणा 2011 जनवरी की बात थी, जून में प्रेसी तैयार हुई और दिसम्बर माह में ठंडे बस्ते में चली गई, क्या आप यही किसान हितैषी है. यदि उस समय इस रसूखदारी का बिल साहूकारी एक्ट आ जाता तो आज आत्महत्याओं में कुछ रोक लगती. बहुत सारे हमारे विधायक साथियों ने कहा कि जीरो प्रतिशत ब्याज थोड़े ही किसानों को मिलता है, जब किसान को शादी करनी होती है तो कोई जीरो प्रतिशत ब्याज पर नहीं देता, वह साहूकार ही देता है जो अनियंत्रित है, किसी के कंट्रोल में नहीं है और आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है कहीं 2 रूपये सेकड़ा तो कहीं 3 रूपये सेकड़ा माहवार होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय यह आप भी जानते हैं. यदि वह वर्ष 2011 में लागू हो जाता तो इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्यायें नहीं होतीं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आत्महत्या के बारे में सिर्फ एक जगह का जिक्र करना चाहता हूं. एक प्रश्न हमारे शैलेंद्र पटेल जी ने सीहोर जिले का लगाया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि सीहोर जिले में पिछले तीन सालों में कितनी आत्महत्या

हुई और आत्महत्या करने वालों में कितने किसान हैं. इसके जवाब में मंत्री महोदय ने सीहोर जिले में किसानों द्वारा की गई कुछ आत्महत्याओं की वजह का उत्तर यह दिया कि वे भूत प्रेत के चलते जान दे रहे हैं. यह बयान मुख्यमंत्री के जिले का स्वयं गृहमंत्री का बयान है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है.

गृहमंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह) - माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अगर कोई भी आत्महत्या होती है वह चाहे आत्महत्या हो या अप्राकृतिक रूप से कोई भी मृत्यु हो, उसके संबंध में पुलिस मर्ग कायम करती है और मर्ग कायम करने के बाद पुलिस मृतक परिवार के बयान लेती है. मृतक परिवार के बयान में कभी यह आता है कि कर्ज के कारण आत्महत्या की, कभी यह आता है कि बीमारी के कारण आत्महत्या की, कभी यह आता है कि अन्य कारण से आत्महत्या की, कभी पति पत्नी का झगड़ा होने से आत्महत्या की, कभी किसी अन्य कारण से आत्महत्या की, कभी शराब के कारण से आत्महत्या की है. अगर मृतक परिवार स्वयं यह कह रहा है कि हमारे पिताजी बीमार थे, वह झाड़ फूंक कराते थे, भूत प्रेत लगे थे, तो जिस प्रकार का बयान आयेगा सरकार वही तो बोलेगी फिर इसमें गलत कहां है.

श्री अजय सिंह - मैं समझ गया हूं, इसमें कुछ गलत नहीं है. आपका आनंद विभाग बन गया है, आप एक झाड़ फूंक मंत्रालय और बनवा दें (हंसी). वैसे भी हमने यह पढ़ा है कि अब डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, ज्योतिष करेगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समझ के परे है कि यदि डॉक्टारों की कमी है तो किसी वार्ड बॉय को बिठा दो, उसमें ज्योतिष वाला क्या करेगा. इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भूत प्रेत विभाग भी बना लो. मैं सिर्फ सीहोर जिले में जो आत्महत्याएं पिछले डेढ़ महीने में हुई हैं, उनके बारे में आपसे कह रहा हूं.

वनमंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) - माननीय अध्यक्ष महोदय, वार्ड बॉय का इस प्रकार अपमान करना उचित नहीं है. मरीज के इलाज में कहीं न कहीं वार्ड बॉय की भी भूमिका होती है, उनको इस तरीके से अपमानित करना उचित नहीं है.

श्री अजय सिंह - मैं वार्ड बॉय नहीं कहता हूं कोई भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को बिठा लो लेकिन डॉक्टर की जगह में कोई ज्योतिष आचार्य को तो न बैठाया जाए.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री रूस्तम सिंह) - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं कि यह विषय नहीं है और कोई ज्योतिष का मामला ही नहीं है. प्रेस वाले मेरे पास आए थे, मैंने उसका खंडन किया और मैंने उनको बताया कि सरकार का, शासन

का इससे कोई सरोकार नहीं है. कोई भी किसी संस्था की बात करे उसमें सरकार का कुछ नहीं है न ही ऐसा कोई विषय है.

श्री अजय सिंह - ठीक है आपने खंडन कर दिया है, आपका स्वागत है. मैं मात्र सीहोर जिले में पिछले तीस चालिस दिनों में हुई आत्महत्याओं की बात करना चाहता हूं. 14 जून को दूलचंद कीर, गांव का नाम जांजना, उसके ऊपर चार लाख रूपये का कर्ज था, उसने फसल अच्छी हुई लेकिन दाम अच्छे नहीं मिल पाने से जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी. फिर 16 जून सीहोर आष्टा में खाजूखां, ग्राम नापचा बरावट, ने खाद बीज न मिलने से परेशान होकर आत्महत्या की.

श्री रणजीत सिंह गुणवान (आष्टा) - माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि वह किसान बीमारी से मरा है. आप इस संबंध में भले उसका रिकार्ड निकाल लो. मैं उसका गवाह हूं कि वह बहुत दिनों से बीमार था और वह बीमारी से मरा था.

श्री अजय सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, बीस तारीख को बंशीलाल मीना जमुनिया खुर्द सीहोर पर 9 से 11 लाख रूपये का कर्ज था. 23 जून को बुदनी के गोहरियां गांव में शत्रुधन मीणा मण्डल महामंत्री, श्री अर्जुन मालवीय ने पांच एकड़ जमीन स्वयं के नाम पर करवा ली एक एकड़ बुधनी में ट्रायटन धागा फेक्ट्री के पास थी. पांच एकड़ जमीन पर पांच लाख रूपये एक साल पहले उधार लिया था. वह बिजली आफिस बुधनी तहसीलदार के पास पंप कनेक्शन के लिये गया, तब पता चला कि 5 एकड़ जमीन किसी अन्य के नाम हो गई, उसने सल्फास खाकर अपनी जान ले ली. 23 जून- बाबूलाल मालवीय, सीहोर जिले में इछावर का था, उसने कर्ज से परेशान होकर विषाक्त पदार्थ खा लिया, उस पर ढाई लाख रुपये का कर्ज था.

माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 जून- महारिया बारेला ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की, उस पर 80,000 रुपये साहूकारों से उधार और 20,000 रुपये सोसायटी का बकाया था, उसने खेत पर जाकर फांसी लगा ली. 5 जुलाई- सूरज सिंह गूजर, दो राहा पथरिया, सीहोर जिला, उस पर 12 लाख रुपये का कर्ज था, बैंक, सोसायटी और साहूकार से कर्ज था, 45 एकड़ जमीन थी, तीन साल से फसल खराब हो रही थी, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 7 जुलाई- रामाधार गौंड, नसरुल्लागंज थाने के ग्राम समीप खात्याखेड़ी, सीहोर जिला, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है. सोसायटी, बैंक और साहूकारों का 7-8 लाख रुपये का कर्ज था, कुल 9 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ जमीन में सोयाबीन और 4 एकड़ में उड़द की फसल, फसल पानी के अभाव के कारण खराब हो गई, जिसके कारण उसकी सदमे से मौत हो गई. मैं उदाहरण सिर्फ सीहोर जिले का इसलिए दे रहा हूँ.

अध्यक्ष महोदय - माननीय नेता जी, आप कितना समय लेंगे ?

श्री अजय सिंह - अभी तो शुरू किया है.

अध्यक्ष महोदय - एक घण्टा हो गया है.

श्री अजय सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीहोर जिले का उदाहरण इसलिए लिया है कि उस वट वृक्ष के नीचे ये घटनाएं हो रही हैं और क्या हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय, सीहोर जिले के किसान भाइयों के घर गए. चाहे किसी कारण से, पिछले महीने भर में आत्महत्या हुईं, क्या उनके घर बैठने गए ? उनके यहां संवेदना व्यक्त करने गए. आप दूसरे जिलों की तो बात छोड़ दीजिये, जब वे अपने गृह जिले में नहीं गए. मुझे आत्महत्या के मामले में और कुछ नहीं कहना है. अभी मंत्री जी ने कहा था लेकिन मंत्री महोदय चले गए हैं. समर्थ व्यापारी समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज नहीं खरीदेगा, उसके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज होगी. माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बताना चाहता हूँ कि आदेश निकला कि किसान की सहमति से उसकी उपज बेची जायेगी, जो एफ.आई.आर. का पोर्शन था, वह आदेश से बाहर हो गया. जिस तरह से मंत्री महोदय कल कह रहे थे कि किसी की जमीन, कोई बिल न चुकाने पर कुर्क नहीं होगी. ऐसी कार्यवाही चल रही है कि बिजली कम्पनी सुपरवाईजर पैसा जमा नहीं कर रहे हैं और यह उधारी लाखों में पहुँच गई है. घरों में कुर्की के आदेश हो रहे हैं और जमीन की कुर्की हो रही है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आदेश तो सही कर दो. यदि वास्तव में जमीन कुर्क नहीं होना है. यदि कोई व्यापारी को मना करता है तो उसके ऊपर एफ.आई.आर. का प्रावधान, उस आदेश में तो डाल दो. आपकी मंशा कुछ है और होता कुछ और है. आपकी घोषणाएं कुछ हैं और क्रियान्वयन कुछ हैं इसीलिए यह समस्या है. आप अपने भाषण में जरूर कहेंगे कि हमने इतने हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया लेकिन किसान आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा है. यदि किसान का नुकसान हुआ है तो यह उसका हक है. आप यह भी कहेंगे कि तत्कालीन समय में क्या मुआवजा था ? एक पाटीदार जी विधायक सन् 1980 का हवाला दे रहे थे, कोई विधायक सन् 1985 का हवाला दे रहे थे. सन् 1980 में 500 रुपये की कीमत आज क्या है ? अपको इसका भी कुछ अन्दाजा है. इन्फ्लेशन की दर कितनी हो गई है ? 1980 में ढाई रूपए में एक लीटर पेट्रोल आता था, जो आज 65 रूपए लीटर है. माननीय मुख्यमंत्री जी आप सही में किसान हितैषी है तो सबसे ज्यादा डीजल के भाव, हिन्दुस्तान में मध्यप्रदेश में ही क्यों हैं. हम लोग हर बजट में सोचते हैं कि अब जयंत मलैया जी किसान भाईयों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वही होता है, अब तो जीएसटी और जोड़ दिया है तो रेट और बढ़ जाएगा. जब आत्महत्याएं हो रही थीं, उस समय आप लोगों की क्या बयानबाजी हो

रही थी, मैं उनको उजागर करना चाहता हूं, बिना किसी के नाम लिये. एक विधायक जी बोले कि लालची किसान, एक विधायक जी बोले कि किसान सब्सिडी खाता है, एक विधायक बोले कि दो पान में बिक जाता है किसान और उसके बाद आप कहते हों कि आप किसान के संरक्षक और हितैषी हों. प्रदेश का किसान लालची, अरे हमें शर्म आना चाहिए जिसने भी यह कहा हो, कोई किसान लालची नहीं है, वह अपने हक की मांग कर रहा है, किसान समर्थन मूल्य चाहता है, वह स्वामीनाथन रिपोर्ट को कायम करना चाहता है वह अपने कर्ज को माफ करवाना चाहता है, उसके लिए आंदोलन था, लेकिन आप इसी में रहे. हमारे कृषि मंत्री यहां से चले गए, अभी हमारे रजनीश भाई कह रहे थे किसानों को सही बीज नहीं मिल रहा, लेकिन बालाघाट की एक सभा में किसान छोटे पुत्र भव और सांसद के बीच में झड़प हो गई मंच में कि कौन सी कंपनी को दिया जाए, आदेश असली या नकली. थोड़ा हमें समझना चाहिए कि जड़ कहा है, कृषि कर्मण अवार्ड आपको मिला इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कहते हैं कि 20 प्रतिशत दर बढ़ गई, लेकिन यह तो बताए दूसरा प्रांत कौन सा है और 20 प्रतिशत किस हिसाब से बढ़ा. यदि 40 प्रतिशत भी दर बढ़ जाती है और किसान आत्महत्या कर रहा है आपके प्रांत में तो आपको सोचना चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि मैं किसान का बेटा शिवराज, मैं सो कैसे पा रहा हूं, इसकी चिन्ता दिन-रात होनी चाहिए. 18 हजार 20 हजार आंकड़े यह कह दो कि वर्ष 2003 के पहले इतनी आत्महत्या हुई, तो क्या 2003 के पहले यदि आत्महत्या हुई तो हम सबक भोग रहे हैं, यदि किसान दुखी था तो हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आप तो किसान हितैषी हों. यदि किसान हितैषी हो तो काम भी उसी तरह से करों कि किसान दुखी न रहे. मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि जब पटवा जी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम 10 हजार का कर्जा माफ करेंगे, उसके बाद 50 हजार का कर्जा माफ करेंगे. एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने तो यह कहा कि भाजपा का कहना साफ, किसानों का हो कर्जा माफ और सत्ता में आते ही अपने ही नारे को कह दिया कि यह फैशन हो गया. कर्जा माफ वह भी फैशन के रूप में. पहले नारा देते हैं कि कर्जा माफ करेंगे और जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि कर्जा माफ करना तो फैशन हो गया है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि दो प्रांत है हमारे प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट, दोनों प्रांतों में किसान आंदोलित थे, दोनों प्रांतों में कर्जा माफी की बात हो गई, लेकिन दोनों प्रांतों में कहीं इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ. यह भी माननीय मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा कि मध्यप्रदेश में ऐसा क्यों हुआ. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब किसान हितैषी बातें करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं. यदि सही में यह सरकार

किसान हितैषी है तो आज मध्यप्रदेश में सभी को-आपरेटिव सोसाइटियों का ढांचा क्यों समाप्त हो गया है ? आज अपेक्स बैंक का कोई चेयरमेन नहीं है. गोपाल भार्गव जी आप भी इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं. को-आपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किसान कर्ज लेता था और अपना जीवन-यापन करता था. आज को-आपरेटिव सोसाइटी पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं. यह संस्थाएं एक दिन में खड़ी नहीं होतीं. मैं अभी हाल ही में सतना होते हुए सिंगरौली जिले में गया था. सतना में भी किसान प्याज पैदा करता है, लेकिन वहां पर प्याज नहीं खरीदी गई. वहां पर ट्रकों से मालवा से प्याज पहुंचाई गई. सिंगरौली में भी बहुत बड़े पैमाने पर प्याज पैदा की जाती है. मैं जब सिंगरौली जा रहा था तो रास्ते में एक उचित मूल्य की दुकान थी वहां पर मैंने गाड़ी रोकी इतनी लंबी कतार लगी हुई थी दो ट्रक खड़े थे. सिंगरौली जिले में जहां प्याज पैदा होती है, वहां पर खरीदी नहीं हो रही थी, लेकिन उचित मूल्य की दुकान पर उस गरीब आदमी से कहा जा रहा था कि तुम्हें खाद्यान्न देंगे जब एक कट्टा प्याज का लेकर के जाओगे जो प्याज पता नहीं कौन से जिले से आयी थी. एक गरीब आदमी जो पांच-दस किलो अनाज के लिये मोहताज होता है उसको मजबूर किया जा रहा था कि तुम्हें खाद्यान्न तब देंगे एक कट्टा प्याज लेकर के जाओगे. वहां के किसानों के साथ जो किया वह तो किया. सतना के किसानों से प्याज नहीं खरीदी वह अलग कहानी है, लेकिन यह तो जबरदस्ती मत करो कि एक कट्टा प्याज का लेकर के जाओ. यदि आपके किसानों को सही में राहत दिलवानी थी या प्याज को खरीदना था. पिछले साल से अनुमानित था कि यह फिर से समस्या हो सकती है तो क्यों नहीं पहले से क्यों नहीं खरीदने की बात कही. हमने बड़े बड़े नेताओं के बयान पढ़े. सड़ जाए तो सड़ जाए, लेकिन किसान के लिये सरकार प्याज खरीदेगी. हम भण्डारण की व्यवस्था नहीं करेंगे, लेकिन प्याज खरीदेंगे. मुख्यमंत्री जी दावे के साथ भाषण देंगे कि कुछ भी हो जाए हमने 8 रूपये किलो प्याज खरीदी. आप इसमें पता लगा लीजिये के कितने व्यापारियों की यह प्याज है. मैं 15 दिन पहले कुक्षी से लौट रहा था. धामनोद पर टोल प्लाजा है उस समय रात के 11.00 बजे थे वहां पर भारी भरकम पुलिस लगी हुई थी मैंने गाड़ी रोकी और पूछा कि कोई वारदात हुई है क्या? इतनी सारी पुलिस लगी हुई है. तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से प्याज आ रही है उसे रोकने के लिये पुलिस लगी है. हमने कहा कि उनको रोक लेते हो. तो उन्होंने कहा कि एकाध ट्रक रोक लेते हैं पता नहीं कितने ट्रक निकल जाते हैं. आप लाभ भी दिलाना चाहते हैं, लेकिन मध्यप्रदेश के किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है. सतना में पता लगा लीजिये कि कितने व्यापारियों ने प्याज के धन्धे में एक महीने में कितना कमाया.

अंत में, मैं आपसे सिर्फ एक ही मांग करना चाहता हूं, आपके माध्यम से कि यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सही में किसान हितैषी हैं, सही में उनका दर्द वह समझ रहे हैं तो जो एक केन्द्र की सरकार ने **एक लैण्ड कम्पन्सेशन का एक्ट** बनाया था उसका बरेली में अभी आप ही की पार्टी के एक राधेश्याम पालीवाल, रामकुमार श्रीवास्तव-राठी एवं भारतीय किसान संघ ने आरोप लगाया है कि यूपीए की सरकार ने जो कानून बनाया था कि यदि किसान की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसकी जमीन का चार गुना रेट दिया जायेगा. उसको भी आपने घटाकर दो गुना कर दिया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के 27 नंबर पेज में साफ लिखा है हम 50 हजार रूपये तक का कर्जा माफ करेंगे. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे. यह भी लिखा है कि उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत मिलाकर समर्थन मूल्य देंगे. यह मंदसौर की जो घटना हुई, हम इसी से सबक सीख लें. अभी भी कोई देर नहीं हुई है. मुझे इस संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय से पूरा भरोसा है कि जब वह अपना उत्तर देंगे तो वह आज कहेंगे कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे. वह उत्तर देंगे तो कहेंगे कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और छाती ठोककर कहेंगे और हम लोग थपथपायेंगे कि चलो मध्यप्रदेश के किसानों का कर्जा माफ हुआ, चाहे घटना हुई हो लेकिन आगे के लिये तो किसान ठीक हो. वह कहेंगे कि हम समर्थन मूल्य जो हमारे घोषणा पत्र में है, वह हम करके रहेंगे. मैं किसान पुत्र शिवराज, ये होना चाहिये. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, शायद किसी स्थगन पर इतनी लम्बी चर्चा सदन में हुई है. मैं स्वयं हृदय से यह चाहता था कि किसानों के इस मुद्दे पर सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिये. हमारे सत्ता पक्ष के मित्रों ने, हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने अपनी-अपनी बात को रखा है. मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं. नेता प्रतिपक्ष जब आज बोलने के लिये खड़े हुए तो मुझे उम्मीद यह थी कि वह इस मुद्दे पर जिस पर वह स्वयं और प्रतिपक्ष के कई मित्र यह कह रहे थे कि और गंभीर चर्चा होनी चाहिये, वह बहुत गंभीरता का परिचय देंगे. वह भरे मन से खड़े हुए थे, लेकिन बोलते समय कई बार उनकी जो भाव-भंगिमा थी, कई बार जो बोलने का तरीका और ठंग था, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें मुझे गंभीरता कहीं नजर नहीं आयी. यह बहुत गंभीर मामला है और उन्होंने बात हमारे प्रधानमंत्री जी की भी कर दी, ट्वीट मास्टर ट्वीट, मैं आज कहना चाहता हूं कि श्रीमान् नरेन्द्र मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं,

जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है. (मेजों की थपथपाहट) यह भारतीय जनता पार्टी का सर्वेक्षण नहीं है. दुनिया की प्रतिष्ठित एजेंसी के सर्वे के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक 70 प्रतिशत लोग यदि किसी सरकार से प्रसन्न हैं तो वह भारत की सरकार है और उसके प्रधानमंत्री हैं. आपके हाथ हिलाकर कहने से उनका मान घट नहीं सकता है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, वह कह रहे थे, उनका अपना तरीका है. मैं तो किसान पुत्र हूं. किसान परिवार से आता हूं. लेकिन जिस ढंग से वह बोलते हैं, कई बार धीरे-धीरे और कई बार जोर देकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री बता दें कि वे कौन से तस्कर हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई है. आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको बता रहा है कि पिछले 6 माह से मेरे निर्देश थे. मंदसौर के विधायक यहां बैठे हुए हैं. मैंने कहा था कि तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और कोई बचना नहीं चाहिए. मैं कहना चाहता हूं कि अफीम, डोडा-चूरा, नारकोटीक्स के अवैध धंधों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश मैंने दिए थे. मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन आपने आज मुझे विवश किया है. कयूम लाला कुख्यात तस्कर, कमल राणा के बारे में आप कम से कम पता तो कर लिया करो. आप कह रहे हैं कि कमल राणा, पीड़ित परिवारों के सदस्यों को लेकर भोपाल आया. मेरे बड़े भाई, वह तो कई दिनों से जेल में बंद है, आप जाकर देख लें, रिकॉर्ड उठाकर देख लें. (शेम-शेम की आवाज)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई को कौन सलाह देता है. कौन आपको जानकारी देता है ?

श्री अजय सिंह- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका भाई आया था. (हंसी की आवाज) मैंने राणा कहा था.

श्री शिवराज सिंह चौहान- आप हरदीप डंग से पूछ लीजिए. पीछे से आपको जो कह दिया जाता है, वह मानकर आप खड़े हो जाते हैं. मेरे बड़े भाई, आप नेता प्रतिपक्ष हैं. जो बोला करें, वो सोच-समझकर और गंभीरता से बोला करें. (मेजों की थपथपाहट) ऐसा नहीं होता है कि उधर से जितू पटवारी पर्ची दे रहा है. उस पर्ची से आप नाम पढ़ने लगे. उधर से डंग जी ने पर्ची दे दी. आपकी बात का वजन है. कम से कम ऐसे किसी के कहने पर बयान न दिया करें. मैं सदन में कहना चाहता हूं कि कमल राणा, फैय्याज़, सद्दाम, आज़म खान, कमल सिंह, इन्तेखाब इन सभी को गिरफ्तार कर, जेलों में भेजा गया है. आज फिर यह सरकार कह रही है कि अवैध धंधा करने वाले अफीम तस्करों को और अपराधियों को किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे. (मेजों की थपथपाहट) आपने बात उठाई इसलिए मैंने नाम लिए.

माननीय अध्यक्ष महोदय, रासुका के अंतर्गत कार्यवाही की गई है. मंदसौर की घटना के पहले, वरना आप कह देंगे कि तस्करों की याद आपको आज आई है, 108 लोगों के खिलाफ जिला-बदर की कार्यवाही की गई है और अपराधियों के खिलाफ हमारी कार्यवाही जारी रहेगी. आदरणीय बड़े भइया कह रहे हैं कि संघ की बैठक की पूरी जानकारी मेरे पास आ जाती है. हमारे भइया कहते भी हैं और फिर कहते हैं कि मैंने अखबार में पढ़ा है, ठीक है खंडन कर दो. आपकी बात का ऐसा वजन होना चाहिए कि एक बार बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो जाए. "रघुकुल रीत सदा चली आई" (सत्तापक्ष के विधायकों द्वारा सामूहिक रूप से कहा गया- "प्राण जाए पर वचन न जाये"). यह सही नहीं है कि आपने कह दिया तो ठीक है, अब बदल लो, अब नहीं कहते.

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर बहस है. गलत ढंग से कुछ भी कोड करते हैं. नाम पढ़ दिया और कह दिया कि इस कारण से आत्महत्या की गई. आपने स्वयं कहा कि आत्महत्या को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए. परंतु आप लोग मामला उठायेंगे तो क्या हम उत्तर नहीं देंगे ? मैं उत्तर दूंगा तो आप कहेंगे कि आप पुरानी बातें उठा रहे हैं. ऐतिहासिक रूप से मध्यप्रदेश की धरती पर अलग-अलग कारणों से किसान आत्महत्या होती रही हैं. प्रदेश में आत्महत्या का एक भी प्रकरण दुखद है, त्रासदायक है, पीड़ादायक है. आत्महत्या नहीं होनी चाहिए. ये घटनायें मन को तकलीफ देती हैं. मेरे पास 1993 से आंकड़े हैं. 1993 में कुल 6251 लोगों ने आत्महत्या की थी. 1994 में मध्यप्रदेश की धरती पर कुल 7024 लोगों ने आत्महत्या की थी. 1995 में 6843 लोगों ने आत्महत्या की थी, जिनमें 1239 किसान थे. अगर प्रतिदिन का आंकलन लगाया जाये तो औसत रूप से प्रतिदिन 4 आत्महत्यायें होती हैं. 1996 में कुल 6768 आत्महत्यायें हुई, उनमें से 1809 किसानों की थी. 1997 में कुल 7570 आत्महत्या की घटनायें थी जिसमें से 2390 किसानों की थी. 1998 में कुल 9425 आत्महत्यायें हुई जिनमें 2278 किसान थे. 1999 में कुल 9732 आत्महत्यायें हुई जिनमें 2454 किसानों की थी. वर्ष 2000 में प्रदेश में कुल 10859 आत्महत्या की घटनायें थीं जिसमें से 2660 आत्महत्यायें किसानों ने की थी. मेरे बड़े भाई, मैं पूरा विवरण आपको दे सकता हूं. यह दुखद है, मैं आनंद के साथ नहीं कह रहा हूं, मैं प्रसन्नता के साथ नहीं कह रहा हूं लेकिन आत्महत्याओं को क्या केवल राजनीति का विषय बनाया जाएगा, क्या आत्महत्याओं के आंकड़ों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए आप बाकी तथ्य भूल जाएंगे. किसी भी कारण आत्महत्या हो आत्महत्या खराब है, आत्महत्या बुरी है. सरकार भरपूर कोशिश करेगी लेकिन मेरे बड़े भाई हम जानते हैं किसान, गृहणी, छात्र पिछली बार हम लोग चिन्तित थे कि इतने विद्यार्थी आत्महत्या कैसे कर रहे हैं. रोकने के प्रयास होने चाहिए लेकिन किसी भी चीज को गलत ढंग से प्रस्तुत मत कीजिए.

आपने जो नाम पढ़े मैं भी उनके अलग-अलग कारण बता सकता हूं लेकिन मैं उस विस्तार में नहीं जाउंगा. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपने कई ऐसी चीजें कह दीं कि हर किसान का कर्जा माफ यह हमने कहा था वर्ष 1989 में, वर्ष 1990 में उस समय भाजपा का कहना था हर किसान का कर्ज माफ, तब पटवा जी ने 714 करोड़ रुपए का कर्ज उस समय माफ किया था. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस बार हमारे घोषणा पत्र में यह बात नहीं थी लेकिन मैं आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहता मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटना हुई वह बहुत दुखद है. आप भरे भाव से खड़े हुए थे. आपने कहा कि नींद नहीं आनी चाहिए मैं अगर यह बात कहूंगा कि मेरे मन में दर्द है, पीड़ा है, कसक है कौन मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसके मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं हो जाएं. कोई मुख्यमंत्री चाह सकता है क्या? क्रूर से क्रूर मुख्यमंत्री हो, क्रूरतम शासक हो वह कभी नहीं चाहेगा कि ऐसी घटना उसके राज्य में हो. कोई नहीं चाहता मुलताई में भी मैं नहीं कहता कि चाहा होगा लेकिन उस समय मुलताई में जो हुआ. मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, केवल मुलताई में नहीं हुआ मैहर में हुआ, अमरवाड़ा में हुआ, बिलासपुर में हुआ, गोलियां चलीं, लोग मारे गए, किसान मारे गए अभी बात आई कि आपने एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं की. मुलताई की घटना के बाद एफ.आई. आर. दर्ज हुई थी क्या?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग घटनाओं को अलग-अलग चश्मे से नहीं देखा जा सकता. मैं निवेदन करना चाहता हूं दर्द है, पीड़ा है. मैं तो 6 जून के दिन को अपनी जिन्दगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और दुख पहुंचाने वाला दिन मानता हूं. कोई माने या न माने मुझे उसकी परवाह नहीं है लेकिन दर्द है, पीड़ा है एक घटना थी जो हो गई. आपने कहा कि आप सजग नहीं थे. मैं कह सकता हूं आप माने न माने मुझे उसकी चिंता नहीं है लेकिन हर साल बारह महीने चौबीसों घंटे हर दिन मुख्यमंत्री के नाते अगर मैंने सोचा है तो मध्यप्रदेश की जनता का कल्याण सोचा है और किसानों के लिए रोज कुछ न कुछ सोचकर काम करने की कोशिश की है. यह बात अलग है कि हम जो सोचते हैं पूरी तरह से कई बार 100 प्रतिशत जमीन पर वह साकार नहीं हो पाता लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस आंदोलन के बारे में यह कहा गया कि सरकार को जानकारी नहीं थी, सरकार सचेत नहीं थी, सरकार सोच नहीं रही थी. अध्यक्ष महोदय, यह आंदोलन थोड़ा अलग तरह का आंदोलन था. पहले महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र के आंदोलन के बाद यह प्रारम्भ में वाट्सप पर चला. इस आंदोलन में कोई संगठन ने पहले ज्ञापन नहीं दिया था, मिलने का समय नहीं मांगा, कोई मांग पत्र नहीं रखा, हां जानकारी 31 और 1 तारीख को मिलना शुरू हुई कि किसानों के बीच में एक आंदोलन को चलाने का और जो संगठन

आए अस्तित्व में वह संगठन भी कोई बहुत पुराने संगठन नहीं थे. मध्यप्रदेश में जमे हुए संगठन नहीं थे लेकिन जैसे ही घटना की जानकारी मिली कि इस ढंग का कोई आंदोलन प्रारंभ होने वाला है. डी.जी., सी.एस. इनके साथ में मैंने बैठक की. कलेक्टर्स को यह कहा कि किसान कहीं भी आएं उनका ज्ञापन लिया जाए. कौन सी समस्याएं हैं वह देखकर उनको सुलझाने का प्रयास करें और जो ऐसी हैं कि जिसका संबंध प्रदेश की राजधानी भोपाल से, मुख्यमंत्री से, सरकार से सीधे हो सकता है, उसके बारे में जानकारी दें. 1 तारीख को छुटपुट घटनाएं प्रारंभ हुईं. 2 तारीख को हमने बैठक की. सारे डी.एम. और एस.पी. से बात की. 3 तारीख को मैंने बैठक की क्योंकि तब तक प्याज खरीदी से लेकर कुछ और दिक्कतें किसानों के सामने थीं, वह हमारे पास आ गईं थीं. प्याज खरीदने की बात आपने की, कहा गया कि पहले क्यों नहीं खरीदी. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ यह सदन यहां बैठा हुआ है, प्याज उत्पादक जिलों के हमारे माननीय विधायकगण बैठे हुए हैं सामने भी प्याज उत्पादक डंग साहब तो कम से कम बैठे हुए हैं, उज्जैन संभाग से. पिछले साल प्याज उत्पादक किसानों ने मांग नहीं की थी कि हमारा प्याज खरीदा जाए लेकिन हमने जब यह खबर देखी और पढ़ी कि किसान के प्याज के दाम गिर गए हैं काफी कम हो गए हैं, तो हमने फैसला किया कि 6 रुपए किलो प्याज खरीदा जाएगा. हमने पिछले साल भी प्याज खरीदा कोई पहली बार प्याज नहीं खरीदा है. आपने कहा सड़ रहा है आपने अपनी स्टाइल में कहा कि "चाहे कुछ हो जाए सड़े तो सड़ जाए लेकिन खरीदेंगे". हाँ मैंने कहा. मैं फिर दोहराता हूँ आप जानते हैं जब हमने प्याज खरीदी का फैसला किया तो पिछली बार भी बात आई इस बार भी यह बात आई थी कि प्याज खरीदेंगे तो प्याज रखेंगे कहां, प्याज ले जाएंगे कहां प्याज की कीमतें इतनी कम हैं. सरकार प्याज का करेगी क्या प्याज को फेंकना पड़ेगा. मैंने कहा था कि अगर फेंकेगा तो किसान नहीं फेंकेगा यह सरकार फेंकेगी. शिवराज सिंह चौहान किसान से खरीदकर फेंकेगा. किसानों को उनके पसीने की कीमत हम देंगे. जब यह मांग पत्र आया. अलग-अलग जगह से यह समस्या आई. हमने 3 तारीख को बैठक की. बैठक करके फैसला किया कि हम यह कदम उठाएंगे. उन कदमों के बारे में मैं आपको बताउंगा और 4 तारीख को किसान संघ ने मुझे कहा कि हमें ज्ञापन देना है मिलना है. मैंने कहा आप जरुर ज्ञापन दीजिए. किसान सेना के लोग मिले. मैंने आह्वान किया कि जो जो किसान संगठन मिलना चाहता है मैं उससे मिलने को पूरी तरह से तैयार हूँ. वे समय मांगें हम समय देंगे. उज्जैन में भी मैंने आह्वान किया कि जिन-जिन को आना है वे जरुर आएं. दो किसान संगठन उस समय आए. एक किसान संघ आया, एक किसान सेना आई. किसान संघ और किसान सेना ने जो जो समस्याएं मेरे सामने रखीं उन समस्याओं को सुनकर मैंने तत्काल फैसला किया. यह फैसले मैं आपको आगे बताउंगा लेकिन 4

तारीख तक आंदोलन छुटपुट चलता था. छोटी-मोटी घटनाएं होती थीं. सरकार को जब उन घटनाओं के माध्यम से मांग पत्र मिला. किसान संघ ने बात की, किसान सेना ने बात की, हमने मांगें मान लीं. उसी दिन 8 रुपए किलो प्याज खरीदने से लेकर सार्वजनिक रुप से मीडिया के बीच जाकर मैंने घोषणा की कि किसानों की यह यह समस्याएं हैं और यह यह फैसला हम कर रहे हैं. वे सारे फैसले मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हो गए, टेलीविजन में आए. सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रकाश में आए. जब तक सरकार ने मांगों के बारे में कोई फैसला नहीं किया था तब तक कोई बड़ी बात नहीं हुई. लेकिन 4 तारीख को मांगें मानने के बाद अचानक आंदोलन उग्र हो गया. हमारे भैया बड़े जोर-शोर से कह रहे थे कौन कांग्रेस का नेता ? माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 तारीख को मेरा पहले से कार्यक्रम तय था रतलाम में बहुत पहले से कार्यक्रम तय था. रतलाम में कार्यक्रम करके रात्रि विश्राम भी मुझे वहीं करना था. 5 तारीख को मुझे सैलाना जाना था. मैं चलता हूँ उज्जैन से और डेलनपुर में पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी जाती है. वह वीडियो वायरल हुआ मैं बार-बार किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ "आग लगा दो, आग लगा दो". यह आग लगाने की बात करने वाले क्या कांग्रेस के नेता नहीं थे. अध्यक्ष महोदय, क्या कांग्रेस के नेता नहीं थे ? सारे नेशनल मीडिया ने दिखाया है. टेलीविजन पर चला है. "आग लगा दो छोड़ना मत". मैं नेता प्रतिपक्ष जी से कहना चाहता हूँ. मेरी बात न मानें, रतलाम जाएं वहां पत्रकारों से बात करें. डेलनपुर में जैसी घटना हुई उसमें पत्रकारों को भी जान बचाना मुश्किल हो गया था. क्या यह किसान थे जो आग लगायें. हाथ पैर तोड़ दें. उसी दिन आष्टा में एक निरीक्षक के दोनों हाथ तोड़ दिए गए. आज तक..

श्री सुखेन्द्र सिंह--एक करोड़ की घोषणा क्यों.

श्री शिवराज सिंह चौहान--मैं बताउंगा. "बना" तुम यह दर्द नहीं समझ सकते हो कि एक करोड़ की घोषणा क्यों. एक-एक चीज पर मैं आउंगा. सुनते रहो मैं कहना चाहता हूँ. जानबूझकर मांगें मान लेने के बाद आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश की गई. कांग्रेस के हमारे मित्र मांगें पूरी होते हुए नहीं देखना चाहते थे. मुद्दा हाथ लगा है वैसे तो वश में आ नहीं रहा है. जमीन पर हरा नहीं सकते हैं वैसे पटखनी दे नहीं सकते हैं अब मुद्दा हाथ लग गया है इसलिए छोड़ो मत. इसलिए एक एम.एल.ए. किसानों से "आ जाओ रे" कहते हुए वीडियो में दिख रहे हैं. आगे के शब्द मैं नहीं बोलूँगा, वे उचित नहीं हैं, भड़काने की कोशिश की जा रही है. कैसे भी हिंसा हो जाए, आगजनी हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए, माहौल बिगड़ जाए. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आन्दोलन पहले शांतिपूर्ण चला लेकिन बाद में, 4 तारीख के बाद, आग लगाने का काम काँग्रेस ने किया. (मेजों की थपथपाहट) एक नहीं, अनेकों प्रमाण इसके मिलते हैं. अध्यक्ष

महोदय, 5 तारीख को फिर घटनाक्रम आगे बढ़ता है. 5 तारीख को मंदसौर जिले में जो घटना हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान कभी नहीं कर सकता. मैं शिवराज सिंह चौहान पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मध्यप्रदेश शान्ति का टापू है, मध्यप्रदेश का किसान हिंसक नहीं है, यह मेरा विश्वास है और मैंने उस विश्वास की कसौटी पर हमेशा किसान को खरा उतरते हुए देखा है. किसान रेल की पटरियाँ उखाड़ने की कोशिश नहीं करता. किसान रेल्वे के फाटक तोड़ने की कोशिश नहीं करता. किसान टोल बूथ में आग नहीं लगाता. किसान गाड़ियाँ नहीं जलाता. माननीय अध्यक्ष महोदय, योजनापूर्वक साजिशाना ढंग से उस आन्दोलन को हिंसक आन्दोलन में परिवर्तित किया गया और 5 तारीख को पटरी उखाड़ने के प्रयास किए गए. रेल्वे का फाटक तोड़ ही दिया गया. अध्यक्ष महोदय, कौनसे तत्व थे और अगर हम कहते हैं कि इसमें अराजक तत्व घुस गए थे, तो कौनसी गलत बात कहते हैं. अध्यक्ष महोदय, मंदसौर जिले की धरती पर यह कभी नहीं हुआ. मुझे गर्व है मंदसौर जिले के किसानों पर, मुझे गर्व है मंदसौर जिले की जनता पर, वहाँ किसान अपनी मेहनत से समृद्धि लेकर आए हैं. लेकिन जानबूझकर परिस्थितियाँ बिगाड़ने की कोशिश की गई. 6 तारीख को जिस ढंग से चक्काजाम, गाड़ियों में आग लगाना, अलग-अलग बूथ पर आग लगाना. अराजकता की स्थिति थी. दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और जब ऐसी घटना होती है, तब आप कहोगे न्यायिक जाँच, हाँ हम कह रहे हैं, न्यायिक जाँच एक व्यवस्था है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि न्यायिक जाँच पूरी होने के बाद जो तथ्य सामने आएँगे, उन तथ्यों के आधार पर, अगर कोई अपराधी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, कोई छोड़ा नहीं जाएगा. (मेजों की थपथपाहट) जो प्रारंभिक कार्यवाही हो सकती थी, वह प्रारंभिक कार्यवाही भी हमने की है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता. लेकिन पूरे तथ्य तो आने दीजिए. इसके पीछे कौन-कौन हैं, कैसे हैं, ये अलग बात है कि जिस ढंग से 6 तारीख को, जिस ढंग से मंदसौर जिले में, हिंसा का नंगा नाच हुआ, मन पीड़ा और दर्द से भर जाता है. कई बार आश्चर्य भी होता है गाँव-गाँव, कस्बे-कस्बों में, अलग अलग जगह, चिन्हित करके, कौन लोग थे वे, मुँह पर पट्टियाँ बाँधे हुए, नकाब लगाए हुए, हाथ में बोतल लिए हुए, जिनमें पेट्रोल था, आग लगाते, घूमते हुए वे लोग, कौन थे, उनको फायनेन्स किसने किया? उनको भोजन किसने कराया? अध्यक्ष महोदय, वह किसान कतई नहीं थे. अगर जगदीश देवड़ा यहाँ पर हों, मुझे पता नहीं, आज सदन में हैं कि नहीं? यहाँ यशपाल सिंह जी बैठे हैं, चावला जी, मंदसौर जिले की धरती पर ही रहते हैं, हालांकि मनासा से विधायक हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से काँग्रेस के लोगों ने वहाँ दूसरे और तीसरे दर्जे के नेताओं ने हिंसा भड़काने का प्रयास किया है, मैं आप से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि यह रास्ता प्रदेश के

कल्याण के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है. माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से दुकानें जलाई गईं, डंग साहब मेरे साथ थे, हम लोग सुवासरा भी गए थे, मैं पिपल्या मण्डी भी गया था, कहा कि, उस समय मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? मेरे बड़े भाई, उस समय एक ही चिन्ता थी लॉ एण्ड ऑर्डर को कंट्रोल करना, किसी की भी होती है, मैं तो गया, लेकिन मुलताई के बाद तो कोई मुख्यमंत्री वहाँ गया ही नहीं. मैं जाता था, सवाल उठाए गए, एक करोड़ दे दिए मुख्यमंत्री ने, हाँ दिए, मैं हमेशा लीक से हटकर चलता हूँ. केवल यही घटना नहीं है, अगर कहीं और, इन्दौर के हमारे मित्र जानते हैं, वहाँ दुर्घटना हो गई थी, तीर्थ यात्रा पर जो हमारे साथी गए थे, चारधाम की यात्रा पर, चारधाम मतलब जो हमारे उत्तराखण्ड के चार धाम हैं और पता चला कि हमारे तीर्थ यात्री एक दुर्घटना के कारण काल कवलित हो गए तो एयर इण्डिया का विशेष विमान करके उनके पार्थिव शरीर को हम लेकर आए थे. दुर्घटना हुई थी इसके पहले, तब भी एक नहीं, लीक से हटकर हमने अनेकों बार ऐसे प्रयास किए, क्योंकि मन में अगर संवेदना रहती, हाँ तकलीफ थी, मैं उस रात नहीं सो पाया, सचमुच में नहीं सो पाया. हरदीप डंग जी भी वहाँ बैठे थे. एसपी, कलेक्टर, से बात कर रहे थे. डंग साहब ने बात उठाई थी, हमारे यशपाल जी से मेरी बात हुई, हमारे चावला जी से मेरी बात हुई. जिम्मेदार लोगों से मैं लगातार चर्चा कर रहा था, मांग आपने की थी कि पचास लाख देना चाहिए था, आपने यह सोच कर मांग की थी कि पचास लाख की बात करेंगे तो दस लाख मिल ही जाएँगे. लेकिन मेरे दिल में बात कुछ और थी. मैं वेदना से भरा हुआ था, मैं पीड़ा से भरा हुआ था, मैं तकलीफ से भरा हुआ था और इसलिए हमने तय किया कि जिन परिवारों के नौजवान बच्चे चले गये, इस दर्द का अहसास केवल वह परिवार कर सकते हैं. उनके परिवारों को आउट ऑफ वे जाकर हमको मदद करनी चाहिए और इसलिए अंतरात्मा ने कहा कि इनको सहारा देने के लिए जरूरत है क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितने दिन तक लोग संवेदना प्रकट करते हैं. ऐसी घटना के बाद महीने भर संवेदना प्रकट करेंगे, दो महीने करेंगे, तीन महीने करेंगे लेकिन पहाड़ जैसी जिंदगी तो उन परिवारों को अलग काटनी है. तब हमने फैसला किया कि एक-एक करोड़ रुपये की सहायता राशि उन परिवारों की दी जाएगी. अब मैंने कोई अपराध कर दिया क्या? कल हमारे सुंदर लाल तिवारी जी कह रहे थे कि इतने रुपये तो शहीदों को भी नहीं देते हैं. मैं आज यह कहना चाहता हूं कि हमने जो शहीद परिवार हैं, उनको 25 लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया है. भगवान ना करें कि यह राशि कभी देना पड़े. कभी ऐसा दुर्दिन ना देखना पड़े कि हमारे किसी जवान को शहीद होना पड़े लेकिन जब-जब ऐसी घटना हुई. अभी जब जेल वाली घटना हुई थी उसमें 25 लाख रुपये की सहायता राशि के साथ-साथ हमने यह भी फैसला किया कि वह जहाँ

चाहेंगे जिस शहर में एक मकान या एक फ्लैट शहीद परिवार को दिया जाएगा, एक शासकीय नौकरी दी जाएगी, उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी, स्कूल-कॉलेज या सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और आज मैं यह फैसला कर रहा हूं, भगवान ना करें कभी वह दुर्दिन देखना पड़े लेकिन अगर कभी ऐसा होगा तो शहीद परिवार को एक करोड़ रुपये की राशि मध्यप्रदेश की सरकार देगी. बाकी जो सुविधायें हम देते हैं वह सुविधायें हम उनको देते रहेंगे लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, हर चीज पर सवाल उठाये गये. एक करोड़ क्यों? उपवास की बात आई. मैं कहना चाहता हूं कि हिंसा की छिटपुट घटनायें हो रही थीं और कौन कर रहे थे यह भी सबके सामने हैं. इन्दौर-भोपाल रोड पर बाद में जो एक ट्रक में आग लगाई, किन लोगों ने आग लगाई? यातायात को बाधित करने का प्रयास किया. 6 तारीख ,7 तारीख के दिन देवास के पास नेवरी फाटे पर जिस तरह की घटनायें हुई उसके लिए दो शब्द कहने को किसी भी प्रतिपक्ष के मित्र को नहीं मिले? गाड़ियों में जिसमें मातायें, बहनें, बच्चे बैठे थे, उनको आग के हवाले किया गया. हमारे धैर्य की वह परीक्षा थी. मैंने प्रशासन से कहा था, मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है, मैंने कहा था चाहे जो हो जाये, जान किसी की ना जाये. गोली ना चले. यह धरती खून से लाल नहीं होनी चाहिए. इसीलिये संयम रखो और मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस ने संयम और धैर्य रखा अगर उस दिन धैर्य नहीं रखा होता तो और दुर्घटनायें हो सकती थीं. माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसी-कैसी घटनायें हुई हैं. यह कभी मध्यप्रदेश में होती हैं क्या? पिपलिया मंडी में जिन-जिन लोगों की दुकान जलाई गई , क्या उनका दर्द, दर्द नहीं है. क्या उनके परिवार नहीं हैं? जब हम वहाँ गये, बच्चे लिपट-लिपट कर रो रहे थे और अपनी उस समय की जो कठिनाईयाँ थीं, उनका बयान कर रहे थे.माननीय अध्यक्ष महोदय, उपवास पर मैं इसलिए बैठा कि मुझे लगा, आप गंभीरता से लें ना लें मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे लगा कि शस्त्र बल से नहीं आत्म बल से मध्यप्रदेश में शांति लाने का प्रयास करना चाहिए(मेजों की थपथपाहट) यह अंतरात्मा की आवाज थी और इसलिए जो रास्ता गाँधी ने अपनाया था हमने वह अपनाया. हम जाकर उपवास पर बैठे. माननीय अध्यक्ष महोदय, ईश्वर जानता है. आरोप ऐसे लगाये गये, ये कहा गया कि पीड़ित परिवारों को बुला लिया गया. अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, पूरी ईमानदारी से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूँ कभी मैंने सपने में नहीं सोचा कि वह परिवार यहाँ मेरे पास आएं और मुझसे भेंट करें. जब वह परिवार भोपाल आ गये तब मुझे खबर मिली. तब भी मैंने जो तात्कालिक प्रतिक्रिया दी थी उसमें यह कहा था कि इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है. लेकिन यह आरोप लगाये गये कि कोई से कहा गया कि उन परिवारों को लेकर आओ और नहीं आएँगे तो एक करोड़ रुपये नहीं देंगे. मैं यह कहूँ, इतना ह्रदयहीन मैं कभी नहीं

हो सकता है मेरे भाई. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बैठे थे उपवास पर उसके लिए कहा गया कि वातानुकूलित में बैठे थे. यह एक रात आ के सो लेते, तब मैं मान जाता. हमारे सभी साथी वहाँ गये थे मैं अकेला नहीं था. सारे किसान संगठनों से दिन भर मैं मिला. 11 बजे से लेकर रात तक तांता लगा रहा. आप कह रहे थे वहाँ जनता ही नहीं थी, घबरा गये मुख्यमंत्री. अब उठाओ, मेरा क्या होगा? मेरे बड़े भाई सवेरे से लेकर देर रात जनता जनार्दन से मैं मिलता रहा, उस उमस में. कूलर जरूर वहाँ पर अंदर एक लगा था, इससे मैं इंकार नहीं करता, लेकिन ए.सी. जैसी चीज सोची भी नहीं. ए.सी. लगाने की बात तो अलग है और जो भीड़ थी उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे कई लोगों को लगना पड़ा कि कैसे मिलवाएं. हम देर रात तक मिलते रहे. सवेरे से मिलते रहे और यदि भीड़ की आप बात करते हैं तो मैं मंदसौर गया था और मंदसौर में मैं प्रत्येक परिवार में गया. प्रत्येक परिवार के साथ उनके घर गया, बातचीत की, चर्चा की. मैं अकेला नहीं गया था पूरा का पूरा मीडिया था. नेशनल मीडिया था. एक-एक परिवार के बीच में मैं गया. मैंने चर्चा की, तकलीफें कम करने की कोशिश की, लेकिन आप कह रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं गए. माननीय अध्यक्ष महोदय, उन परिवारों की पीड़ा समझ कर उसका निवारण करने का हम लोगों ने विनम्र प्रयास किया. उपवास पर भी बैठे तो मुझे यह कहते हुए संतोष है और सचमुच में संतोष है कि उसके बाद उपद्रव की घटनाएं मध्यप्रदेश की धरती पर थम गयीं और जब सब मित्रों ने कहा कि अब उपवास पर बैठने की आवश्यकता नहीं है तब हमने उपवास समाप्त किया. उपवास की जो साधना है उसको आप कितना समझ पाएंगे यह मैं नहीं कह सकता. आपके भी एक नेता ने धरना दिया था लेकिन भूखे रहकर नहीं, बल्कि पर्याप्त भोजन करके धरना दिया था. वह भी धरने पर बैठे थे. उनका भी स्वागत है. हमें उससे इंकार नहीं है. लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझसे बार-बार पूछा गया कि बताइए आप इतने दिनों से कह रहे हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे. आपने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए क्या किया ? पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक हजार करोड़ रूपए के मूल्य स्थिरीकरण कोष की बात हुई है. मैं कहना चाहता हूँ बड़े भाई पहले ही कह रहे थे तो मुख्यमंत्री तो कहेंगे कि इतना मुआवजा दिया. हाँ, हमने मुआवजा दिया इसलिए कहेंगे. आप मुआवजा देते ही नहीं थे तो आप क्या कहेंगे. आपकी सरकार में मुआवजा कितना दिया जाता था. हमने मुआवजा दिया. एक साल में मैं दोहरा रहा हूँ यदि किसान के हितैषी होने की कोई बात करते हैं यदि खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करते हैं तो यह सरकार है यह टीम है जो यहां बैठी हुई है. मध्यप्रदेश के इतिहास में किसानों को चार हजार आठ सौ करोड़ रूपए राहत की राशि सबसे ज्यादा बांटी गई है तो वह हमने बांटी है. (मेजों की थपथपाहट) यह सरकार है यहां बैठी है. यदि

हमने चार हजार चार सौ करोड़ रूपए फसल बीमा योजना की राशि बांटी है तो पिछले साल हमने नौ हजार करोड़ रूपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है और मंदसौर के मेरे विधायक साथी यहां बैठे हैं. मंदसौर का तो नाम छूट गया था. आपको पता है तब आप लोगों ने कहा था कि मंदसौर के किसान रह गए. कोई रिकॉर्ड नहीं था कि सोयाबीन का कितना उत्पादन हुआ या नहीं हुआ. लेकिन मुझे लगा कि न्याय नहीं हुआ. तब ऑउट ऑफ वे जाकर इक्यानवे करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत करके मंदसौर जिले के किसानों के खाते में इस सरकार ने पहुंचाया. (मेजों की थपथपाहट) उज्जैन में सिंहस्थ की व्यस्तता के कारण वहां पंचनामा नहीं बना. क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट नहीं हुआ और जब किसान ने सोयाबीन निकाला तो पता चला पचास किलो प्रति एकड़, अस्सी किलो प्रति एकड़ सोयाबीन हुआ. तब हमने तय किया कि अगर कुछ नहीं है तो पंचनामा पांच किसान बनाएं क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. आखिर किस आधार पर हम किसानों को मुआवजा दें. तब हमने तय किया कि पांच पंच पंचनामा बनाएं और उसके बाद हमने उज्जैन जिले में किसानों को दो सौ करोड़ रूपए से ज्यादा मुआवजा दिया. (मेजों की थपथपाहट) पूरे देवास में, उज्जैन में, शाजापुर में, नीमच में, बुंदेलखंड में, भिंड में अलग-अलग हिस्सों में जहां-जहां प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ, किसानों को राहत की राशि और फसल बीमा योजना का लाभ इस सरकार ने दिया. आपकी सरकार के समय ऊंट के मुहं में जीरा जितना भी नहीं दिया जाता था. प्राकृतिक आपदा आती थी, उसके मापदंड क्या थे. मैं अस्सी के दशक की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं वर्ष 2003 तक की बात कर रहा हूँ. आपकी सरकार के समय तो अधिकारियों से कहा जाता था कि नुकसान हो जाए तो ज्यादा मत लिखना, कम से कम लिखना ताकि मुआवजा कम देना पड़े. हम सांसद थे, उस समय हम मुख्यमंत्री जी के पास गठ्ठे लेकर आते थे कि यह देखिए फसलें तबाह और बर्बाद हो गयीं लेकिन कभी सफल नहीं हुए कि किसान को राहत की राशि मिल जाए. मैं हूँ जिसने सार्वजनिक रूप से मंच पर अधिकारियों से कहा कि ज्यादा लिख दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम लिख दिया तो नौकरी करने के लायक नहीं छोडूंगा. क्योंकि हम किसान को देना चाहते हैं. जब-जब प्राकृतिक आपदा आयी, हम किसानों के खेतों में गए. आपने मजाक उड़ाया, व्यंग्य किए. ओला-ओला, पर्यटन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ओला टूरिज्म कर रहे हैं. अब किसानों के दर्द को देखने के लिए जाना, ओला टूरिज्म है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा आयी, हाँ हमने कई तरह के फैसले किए. हमने ऋण वसूली स्थगित की. ऋण का ब्याज माफ किया. एक नहीं, बल्कि कई फैसलों में हमने किसान को एक रूपया किलों गेहूँ और चावल देने का फैसला किया कि वह भी हम देंगे, अगले साल जीरो परसेंट ब्याज पर फिर कर्जा मिलेगा और

बिटिया की शादी अगर है, तो 25 हजार रुपये बिटिया के हाथ पीले करने के लिए भी किसान को देंगे. एक ही नहीं, मैं कई चीजें भी गिना सकता हूँ, आप मूल्य स्थिरीकरण कोष की बात कर रहे थे, पिछले साल भी हमने प्याज खरीदा था, उसके पहले भी जब-जब आपदा आई, दो साल पहले एक बार जब पाला पड़ा था, तब भी किसानों की तुअर जैसी फसलें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई थीं, तब हमने कोष बनाया था, उस कोष से उन किसानों को राशि दी थी, अब हमने फिर एक हजार करोड़ रुपये का मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया है, और उस मूल्य स्थिरीकरण कोष का जो फैसला किया था, उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और जो प्याज और बाकी चीजों के दाम हम किसान को दे रहे हैं, वह इसी कोष से दे रहे हैं. क्या कभी हिंदुस्तान की धरती पर ऐसा हुआ है, यह मध्यप्रदेश में हमने किया है. हम तुअर खरीदेंगे, हम मूंग खरीदेंगे, हम उड़द खरीदेंगे और अंतर क्या आप जानते हैं, 3300 या 3400 रुपये बिकने वाली मूंग को हमने 5225 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा है और केवल इसी सीजन में इन्हीं चीजों की खरीद पर 900 करोड़ रुपये से ज्यादा अतिरिक्त लाभ किसानों के खातों में डाल दिया गया है. यदि और होगी तो और खरीदेंगे, नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में, पहले हमने तय किया था कि 30 जून तक खरीदेंगे, फिर किसी ने कहा कि 30 जून नहीं, और बच गई है तो हमने कहा कि 7-8 जून तक रजिस्ट्रेशन करा लें, 31 जुलाई तक खरीदेंगे. हमारी सरकार ऐसी नहीं है कि एक बार तारीख तय हो गई तो वह पत्थर की लकीर हो गई, तारीख बदलेगी नहीं, किसान के हित में जब जरूरत होगी, हम तारीख बदलने का काम करेंगे और इसलिए खरीदी अभी भी लगातार जारी है.

अध्यक्ष महोदय, हमने किसानों की मांग पर तय किया कि किसानों को एकमुश्त ऋण दिया जाएगा, यह दो हिस्सों में हो गया था, रबी की फसल का अलग और खरीफ की फसल का अलग, खरीफ पर 40 प्रतिशत और रबी पर 60 प्रतिशत, लेकिन किसानों की मांग आई तो हमने तय कर दिया कि ठीक है, कई बार किसान को जरूरत होती है, वह एक साथ ही रबी की और खरीफ की फसल का पूरा पैसा ले ले, यह फैसला हमने कर दिया. हमने उस समय यह भी तय किया कि किसानों को खसरे और खतौनी की नकल वर्ष में एक बार उनके घर नि:शुल्क पहुँचाने का काम करेंगे, इसको मैं पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ.

अध्यक्ष महोदय, अभी खेती को फायदे का धंधा बनाने की बात हो रही थी, एक ही नहीं, कई मित्रों ने कहा कि क्या कर लिया तुमने, अब आपने पूछा है तो मुझे बताना तो पड़ेगा कि क्या कर लिया हमने, हमने यह किया है कि खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो हमको 5 चीजें आवश्यक रूप से करनी पड़ेंगी. पहला - उत्पादन बढ़ाना बढ़ेगा, दूसरा - उत्पादन का ठीक दाम देना

पड़ेगा, तीसरा - फसलों का विविधीकरण करना पड़ेगा, चौथा - प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों की बेहतर सहायता करनी पड़ेगी और पांचवां - खेती के साथ अन्य सहायक उद्योगों को, काम-धंधों को उससे जोड़ना पड़ेगा. अब आप उत्पादन की लागत बढ़ाने की बात करेंगे, मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल गौरीशंकर जी ने बता दिए हैं, आपने पहले ही कह दिया है कि आप आंकड़े बता देंगे कि इतने परसेंट, इतने परसेंट, बार-बार यह सवाल उठाया जाता है कि 20 परसेंट कैसे ग्रोथ रेट हो गई, यह हमने नहीं कहा, भारत सरकार ने कहा, और तब भी कहा जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी एक कृषि कर्मण एवार्ड मध्यप्रदेश को मिला था. अगर आप मानते हैं कि घपले ही करके ले लिया तो क्या माननीय मनमोहन सिंह जी घपले समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, वे क्या इतने भोले थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम इनको किसानों की मेहनत का अपमान तो नहीं करना चाहिए, उत्पादन 5 साल में बढ़कर जस्ट डबल हो गया, मैं आंकड़े नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वह पहले ही बताया जा चुका है और उसमें समय जाएगा, लेकिन उत्पादन बढ़ा कैसे, यह मैं बताऊंगा. डॉ. गोविंद सिंह जी भाई साहब यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, अगर एक ही उदाहरण दूँ तो गांधी सागर की नहरें, गांधी सागर का बांध, कई साल तक आपकी सरकार रही, आप मंत्री रहे, भिण्ड जिले की धरती तक कभी चंबल की नहरों का पानी नहीं पहुँचा, पहुँचाया तो इस सरकार ने, हमने चंबल की नहरों का पानी सीधे-सीधे भिण्ड जिले की धरती तक पहुँचाया. हमने सिंचाई की जो उपलब्ध क्षमता थी, उसका भरपूर उपयोग करने की कोशिश की, हमने साढ़े 7 लाख हेक्टेयर से 40 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित कर दी और आज मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हमने मध्यप्रदेश के हर हिस्से में चाहे वह बुंदेलखण्ड हो, चाहे वह महाकौशल हो, चाहे वह विंध्य और शहडोल हो, चाहे वह भोपाल संभाग हो, चंबल हो, ग्वालियर हो, मालवा हो, निमाड़ हो, हमारा संकल्प है कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हम किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाएंगे और आज मैं कह रहा हूँ कि पहले नर्मदा जी, क्षिप्रा जी जोड़ी, अब दिसंबर तक, या ज्यादा से ज्यादा अगले साल फरवरी-मार्च तक गंभीर नदी में भी नर्मदा जी का पानी आ जाएगा, 2200 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, काली सिंध, पार्वती भी जोड़ेंगे और पूरे मालवा और उधर गांधी सागर का पानी मंदसौर जिले में, नीमच जिले में लाएंगे और मालवा की धरती को किसी भी कीमत पर रेगिस्तान नहीं बनने देंगे. मैं सारी सिंचाई की योजनाओं के नाम नहीं बताना चाहता. लेकिन विजन है, सोच है और केवल विजन, सोच से नहीं होता, मन में तड़फ है. सूखी खेती भी कोई खेती होती है. कई बार जितने दाने फेंक कर आते हैं, उतने भी नहीं उगते...

श्री यादवेन्द्र सिंह -- अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बरगी की दाईं तटवर्ती नहर है, उसका 1978-79 में शिलान्यास हुआ था. वह 2003 में पूरी होनी थी और फिर 2008 में जब नागेन्द्र सिंह जी तत्कालीन मंत्री थे, तब वह नहर कम्पलीट होनी थी. अब 2017 है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी कभी जिक्र नहीं करते.

श्री शिवराज सिंह चौहान -- अध्यक्ष महोदय, मैं अभी जिक्र कर देता हूं. एक टनल बननी है, जो अण्डर ग्राउंड बननी है. उस टनल के काम में विलम्ब इसलिये हुआ कि वहां पत्थर की जो कठोरता थी, स्टेटा था, वह अलग ढंग का था, चूंकि अन्दर मशीनों से होल करके और सुरंग को आगे बढ़ाना पड़ता है,तो जो अपेक्षित गति थी, वहां पत्थर का अलग प्रकार होने के कारण वह नहीं आई, लेकिन लगातार हम चिंता कर रहे हैं,काम कर रहे हैं. उसका काम भी हम पूरा करेंगे. दो किलोमीटर बन चुकी है और वह लगातार बनेगी. मैं चाहूं, तो हरेक सिंचाई योजना के बारे में बता सकता हूं. लेकिन उसकी प्रासंगिकता नहीं होगी, इसलिये मैं विस्तार से जिक्र नहीं कर रहा हूं. लेकिन सिंचाई आवश्यक थी और मैं कहना चाहता हूं कि यहां माननीय सदस्य सब बैठे हैं. देखिये कांग्रेस, राजा,नवाब और अंग्रेज सब ने मिलकर मध्यप्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था की 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर में और हमने 10 साल में उसको बढ़ाकर कर दी 40 लाख हेक्टेयर. इसको 60 लाख हेक्टेयर तक हम ले जायेंगे. उत्पादन बढ़ाना जरुरी है. बिना सिंचाई के वह नहीं बढ़ेगा. केवल एक सिंचाई का प्रयास नहीं, अब अभी बड़े भाई इतने अगंभीर हो गये थे, कह रहे थे कि बिजली मिल ही नहीं रही है. इतना सफेद असत्य तो मत बोला करो. देखिये इससे आपकी गंभीरता कम होती है, अगर आप यह कहते कि थोड़ी कम बिजली मिल रही है, 24 घण्टे गांव में नहीं मिल रही है, 10 घण्टे खेत में नहीं मिल रही है, तो हम मान लेते. अब आपने सीधा कह दिया कि मिल ही नहीं रही है. इससे आपकी विश्वसनीयता कम होती है. आप ऐसा मत किया करो, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता कम होती है, तो मुझे तकलीफ होती है. आप सदन के गंभीर नेता हैं. हमने बिजली का पर्याप्त इंतजाम किया. एक जमाने में आपने घोषणा की कि बिजली फ्री. एक गांव में हम गये, तो हमें किसान मिले. मैंने कहा कि भैया बिजली बढ़िया मिल रही है, फ्री है. कहने लगे कि नहीं साहब हम भी फ्री हैं. मैंने कहा कि क्यों. कहने लगे कि बिजली फ्री है तो मिल ही नहीं रही है. जब बिजली नहीं मिल रही है तो हम खेत में जा ही नहीं रहे हैं, तो फ्री तो बैठे हैं. अब फसल सूख गई तो खेत भी फ्री हो रहे हैं. अब एक जमाने में यह स्थिति हुआ करती थी. किसानों के खेत सूखते थे. उस समय आंखों में आसूं होते थे, लेकिन हमने भरपूर बिजली देने का काम किया. आप कहोगे कि मुख्यमंत्री तो कहेंगे, हां हम

कहेंगे, 17 बार कहेंगे. हमने किया, तो क्यों नहीं कहेंगे. हमको कहना पड़ेगा. जब तक हम नहीं कहेंगे, तब तक ढंग से पता कैसे चलेगा. हमने बिजली की व्यवस्था की. सड़कों के बारे में गोपाल भार्गव जी बता ही चुके हैं. अब ब्याज की बात आती है, तो आपको तकलीफ होती है. हां हमने जीरो परसेंट पर ब्याज तय किया, क्योंकि इससे लागत घटेगी. लागत घटाने के उपाय हैं और लागत घटाने के लिये हमने जीरो परसेंट ब्याज पर और फिर माइनस 10 परसेंट ब्याज पर कर्जा देने का फैसला किया, तो इस सरकार ने किया. संतुलित उर्वरकों का उपयोग हो, इसके लिये स्वाइल हेल्थ कार्ड बनाये, क्योंकि खेती को लाभ का धंधा बनाना है.

हमने वह प्रयास किये हैं ताकि किसानों को पता रहे कि किस जमीन में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, मिट्टी कैसी है, कौन सा उर्वरक डालना पड़ेगा. अब आपके जमाने में तो इस पर कभी विचार ही नहीं होता था. हमने तय किया कि मध्यप्रदेश की धरती पर माइक्रो एरिगेशन अब हम तय कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम कैनाल एरिगेशन नहीं करेंगे, पर ड्राप मोर क्रॉप, यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो हर बूंद का उपयोग कैसे करें तो नई सिंचाई की योजना जितनी भी हम बना रहे हैं माइक्रो एरिगेशन की बना रहे हैं. हम प्रेशराइज्ड पाइप लाइन डालकर और फिर पाइप में पाइप मिलाकर एक हेक्टेयर तक किसानों के खेत में आऊटलेट देंगे और उससे स्प्रिंकलर से किसान अपने खेत में सिंचाई करेगा तो ड्रिप और स्प्रिंकलर से बिजली कम लगेगी और दूसरी बात यह है कि जब ज्यादा पानी जाता है तो जमीन दलदली हो जाती है, इससे उत्पादन घटता है, इसमें स्प्रिंकलर से 30 प्रतिशत जल की बचत होती है और ड्रिप से 70 प्रतिशत जल की बचत होती है. उस दिशा में हम जा रहे हैं उससे उत्पादन अलग से बढ़ता है. अनुशंसित विथ द रिकमंडेड सीड रेट का उपयोग करके कई बार 75 किलो प्रति एकड़ डाल दिया, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो 40 किलो डालो, उससे लागत घटेगी बायोफर्टिलाइजर कंपोस्ट खाद नाडेब खाद उसमें स्वावलंबन आयेगा. हमने जीरो टिल बिना जुताई खेती उसका प्रचार प्रारम्भ किया है. 2490 सहकारी बीज उत्पादक समितियां और 144 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से प्रदेश में बीज तैयार किया है, सीड रिप्लेसमेंट की दर बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दी है और इसी का परिणाम है कि उत्पादन में जबर्दस्त वृद्धि हुई है. उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो गोपाल जी ने बात कही है तालाब और कुओं के बारे में, वह मैं दोहराना नहीं चाहता हूं. खेती के विविधीकरण के भी अनेकों प्रयास कर रहे हैं. उन प्रयासों को अगर मैं विस्तार से बताऊंगा तो आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रहे हैं. देखिये यहां पर दो तरह की चीजें हैं पहली चीज हमारी यह थी कि कैसे हम पैदावार को

बढ़ायें, उत्पादन को बढ़ायें और उत्पादन बंपर हुआ है. यह बात तो सब स्वीकार करेंगे, कितने किलो पर हेक्टेयर हुआ है यह बात कल गौरीशंकर शेजवार जी बता रहे थे. मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन उत्पादन बढ़ाने में हम लोग सफल हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है. लेकिन उसके साथ में कुछ दूसरी दिक्कतें हैं एक जमाने में आप जानते हैं कि खाद नहीं मिलता था खाद की बात किसी मित्र ने उठायी थी तो कई जगह पर लाइनें लगती थीं, लाठी चार्ज होता था तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम अग्रिम भण्डारण करके रखेंगे खाद का, 3 -4 माह पहले हम भण्डारणों में खाद को रख लेते हैं और किसान से कहते हैं कि 3 माह पहले ही उठाकर ले जायें और उसका ब्याज भी तुमको नहीं लगेगा, वह ब्याज प्रदेश की सरकार अपनी तरफ से भरेगी, लेकिन समय पर खाद मिल जाय यह जरूरी है. हमारे एक मित्र कह रहे थे कि अगर एक बार चूक गये तो फिर मतलब क्या है. इसलिए समय पर उसको खाद मिल जाय इसके लिए अध्यक्ष महोदय हमने यह व्यवस्था की है. खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं. मेड़ों पर कैसे पेड़ों की खेती कर सकते हैं, हार्टीकल्चर की हमने बात की है. हार्टीकल्चर का हमारा उत्पादन लगातार तेजी से बढ़ रहा है.

माननीय अध्यक्ष महोदय,मध्यप्रदेश में लगभग 15 लाख हेक्टेयर में हार्टीकल्चर की खेती हो रही है. मंदसौर जिला हमारा मसालों की खेती में अव्वल है यहां की लहसन की कली तो पूरे देश में प्रसिद्ध है. यहां पर अलग अलग तरह की खेती के बारे में फसलों के विविधीकरण के बारे में मैं बात कर रहा था , उस दिशा में हम जा रहे हैं. इसके बाद में नुकसान हो जाय तो उसको ठीक से राहत की राशि मिल जाय, उसके इंतजाम तो जितने भी पहलू हो सकते हैं, पशुपालन, गौपालन और मधुमक्खीपालन से लगाकर कृषिवानिकी तक उन सब पर हम काम कर रहे हैं. क्योंकि मैं जानता हू कि एक दिन में खेती लाभ का धंधा नहीं बन सकती है. यह बात जरूर है कि एक समस्या और एक संकट आता है जब बम्पर उत्पादन होता है तो कीमतें गिरती हैं, यह मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है. कल हमारे गोविंद सिंह जी कह रहे थे कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाये हैं, टमाटर महंगे बिक रहे हैं, व्यापरियों ने रख लिये हैं. मेरा कहना है कि आलू और प्याज तो व्यापारी रख सकता है लेकिन टमाटर को नहीं रख सकता है क्योंकि उसे तो एक दो दिन में ही बेचना पड़ता है, लेकिन एक प्रवृति पर जरूर हमें रोक लगाना पड़ेगी कि जब किसान को दाम ठीक मिले, चीज की कीमत बढ़े, तो कई बार हल्ला होता है कि तुवर की दाल 180 रूपये किलो, अरे किसान का टमाटर 80 रूपये किलो बिक रहा है तो बिक जाने दो मेरे भाई, कई बार दो रूपये किलो भी तो बिकता है तो कुल मिलाकर औसत रूप में किसान को सही कीमत मिल जाय तो उसमें आपत्ति क्या है, उसमें बुराई

क्या है . लेकिन खेती को लाभ का धंधा बनाने के प्रयासों में हम कोई कसर किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे. लगातार हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं. लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं और कुछ नये कदम, जो किसानों के हित में हमको उठाना है. मैं आप सबसे भी अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, हम लोगों ने अभी फैसला किया है. मध्यप्रदेश में कोई कह रहा था कि कृषि कैबिनेट बनाई. हां, हमने बनाई. हम 2-3 महीने में बैठते हैं. कैसे हम खेती को लाभ का धंधा बनाएं, उस पर विचार करते हैं. कुछ फैसले करते हैं, उन फैसलों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं. हमने कृषि टॉस्क फोर्स बना रखी है. हमने कृषि मंथन करके कुछ नयी चीजें तय की हैं जो कृषि के क्षेत्र में हम करने वाले हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तय किया है कि किसान को भुगतान चैक की जगह आरटीजीएस से किया जाएगा. यह बात मैं स्वीकार करता हूं हमने कहा, लेकिन मैंने जो बात कही है, वह बड़े भैया आप ढंग से समझ लेना. हमने यह कहा कि राज्य सरकार जब समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी, तब अगर एफएक्यू की क्वालिटी की उपज समर्थन मूल्य से नीचे कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे, यह मैंने कहा. उस पर हम अडिग हैं. लेकिन हर समय आप कहें जब सरकार खरीदेगी तब. यह बात हमने कही थी. हमने यह तय किया कि प्रदेश के सभी शहरों में जितने भी 378 नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं. एक बात बार-बार आती है. आप में से भी किसी ने कहा था कि किसान को ठीक दाम नहीं मिलता. उपभोक्ता को महंगा मिलता है तो बीच में बिचौलियों को समाप्त करने के लिए हम किसान बाजार की कल्पना को साकार रुप दे रहे हैं. 378 शहरों में किसान बाजार बनाए जाएंगे. जहां किसान अपने उत्पादन को लेकर आएगा और किसान सीधे उपभोक्ता को बेच सकेंगा. अभी बातचीत हुई स्वामीनाथन रिपोर्ट की. मैं कहना चाहता हूं. चूंकि आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बार -बार बातें कही हैं. स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें कही गईं, मैं उन पर भी जिक्र करना चाहता हूं. उसमें एक बात यह कही गई. सिंचाई के साधनों का विस्तार मैं बता चुका हूं. वह हमको करना चाहिए. स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि किसान को तुलनात्मक दृष्टि में कम ब्याज पर ऋण मिलना चाहिए. प्रदेश की सरकार दे रही है. स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा में उन्होंने कहा कि जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप इत्यादि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आय के साधन बढ़ाने का काम करना चाहिए. हम उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं. स्वामीनाथन कमेटी ने कहा कि सभी किसानों को स्वास्थ्य की सुविधाएं और जब वह ऐसे संकट में आए, जब वह बीमार हो या कोई आपदा हो तो उसकी अधिक मदद करना चाहिए. हम अस्पतालों में निःशुल्क दवाई उपलब्ध

करा रहे हैं. अगर वैसे भी कोई बीमार होता है तो गरीबों की अलग योजना है और किसानों के इलाज की व्यवस्था करने का भी काम, यहां तक कि स्वैच्छानुदान से भी हम कर रहे हैं. यह शायद पहली बार हम लोगों ने तय किया कि कृषि कार्य करते हुए कोई भी किसान, भगवान न करे, अगर उसकी मृत्यु हो जाय, करंट से, ट्रेक्टर ट्राली से, बाकी किसी दुर्घटना में तो 4 लाख रुपए की राशि उसके परिवार को हम देंगे ताकि परिवार दर-दर की ठोकरें न खाए. (मेजों की थपथपाहट)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन कमेटी ने एक बात और कही. बार-बार यह बात उठाई गई कि मुख्यमंत्री तो यह कह रहे हैं कि किसानों खेती फायदे का धंधा नहीं है, बच्चों खेती छोड़ दो. पता नहीं कहां से आपने पढ़ लिया? मैंने जो कहा था, मैं फिर आपको बताता हूं और उस पर मैं अडिग हूं. मैं उस पर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं. मैंने यह कहा था कि खेती से हमको जनसंख्या का बोझ कम करना चाहिए. खेती बंट-बंट कर घट गई है. एक पिता के चार पुत्र हो गये तो पांच एकड़ के किसान के पास सवा एकड़ खेती रह गई और इसलिए जब तक जनसंख्या का भारी बोझ खेती पर रहेगा, तब तक खेती इतने लोगों की जीविकोपार्जन का साधन नहीं बन पाएगी और इसलिए प्रयत्नपूर्वक हमको कोशिश करनी चाहिए और उसके पहले मैंने यह कहा कि कृषि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. खेती को हम पहली प्राथमिकता देंगे. कोई कसर उसमें नहीं छोड़ेंगे. लेकिन मैंने बच्चों से यह भी कहा कि कोशिश करो कि खेती के अलावा दूसरे कामों में भी हम जायं. दूसरे काम धंधों में भी हम जायं और मैंने तब उनको सलाह दी थी कि अगर चाहें बच्चे तो स्वरोजगार प्रारंभ कर सकते हैं, उसकी योजनाएं मैंने बताई थी. मैंने क्या गुनाह किया? मैंने क्या अपराध किया? क्या आप यह मानते हैं कि 65 परसेंट आबादी केवल खेती पर हो और लगातार यह बढ़ेगी. आबादी तो लगातार बढ़ रही है. परिवार का विस्तार होता रहता है तो इसलिए अगर मैंने कहा तो गलत नहीं कहा कि कुछ बच्चों को दूसरे काम धंधों में भी आना चाहिए. स्वामीनाथन कमेटी ने भी यह बात कही थी. इसमें कौन-सी गलत बात है और हम सबको मिलकर विचार करना पड़ेगा. धीरे-धीरे हमको ऐसे व्यवसाय, उद्योग प्रारंभ करने पड़ेंगे जिससे हमारे किसानों के बेटे-बेटियां भी, बच्चे भी खेती के अलावा दूसरे काम-धंधों में आगे बढ़ें. मैं कह रहा हूं. हम गंभीरता के साथ इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं. हमने एक योजना बनायी है जिसको अंतिम रुप दे रहे हैं **मुख्यमंत्री युवा कृषक उद्यमी योजना**. इस योजना के तहत हम लोगों ने फैसला किया है कि अलग-अलग तरह के जो काम-धंधे हैं विशेषकर कृषि से संबंधित चाहे कस्टम हायरिंग सेंटर हो. खाद-बीज की दुकान हो. फुड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ हो. कोल्ड स्टोरेज हो. रेफ्रीजेंट ग्रेडिंग हो. पैकिंग हाउस हो. विल्ससीलिंग प्लांट हो. अगर यह चीजें कृषक पुत्र लगाना चाहते हैं तो इनको 10 लाख रु से

लेकर 2 करोड़ रुपये तक के लोन की व्यवस्था की जाएगी जिसकी गारंटी प्रदेश की सरकार लेगी और उस पर 15% अनुदान भी देगी और 5 साल तक 5% इंटरेस्ट सब्सिडी भी देगी.(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, इस तरह की योजना हमको बनानी पड़ेगी ताकि हमारे कुछ बच्चे दूसरे काम-धंधे की तरफ भी आये तभी उनके परिवार आगे बढ़ पाएंगे. यह बात मैं कहता हूं. स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा है. इस बात का कई लोगों ने बार बार उल्लेख किया.

अध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में मुआवजे की बात कही थी. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसके लिए स्टेबलाइजेशन फण्ड की स्थापना का जिक्र भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में था.

कुंवर सौरभ सिंह-- अध्यक्ष महोदय, एक विषय है.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं. यदि वह बैठ जाते तो आप बोल सकते थे. यह मर्यादा के खिलाफ है. आप बैठिये.

श्री शिवराज सिंह चौहान--अध्यक्ष महोदय, एक प्रमुख प्रश्न खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए एक क्रांति तो हमने कर दी.उत्पादन बढ़ा और बढ़े हुए उत्पादन को पूरा देश स्वीकार कर रहा है, दुनिया स्वीकार कर रही है कि मध्यप्रदेश में बम्पर उत्पादन हुआ है. फसलों की पैदावार बढ़ी है.(मेजों की थपथपाहट) यह सारा देश स्वीकार करता है. लेकिन इसके कारण समस्या पैदा हुई है कि किसान को उत्पादन का ठीक दाम कैसे दिया जाए, यह त्रासदी है. भाव में उतार-चढ़ाव होता है. बम्पर पैदावार के कारण रेट घटते हैं, गिरते हैं. अगर चीज कम पैदा हुई तो उसके रेट बढ़ते हैं. इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है. आज अगर हमारे सामने सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वह यह कि हम किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य कैसे दें.

अध्यक्ष महोदय, आज मैं, इस सदन से और इस सदन के माध्यम से प्रदेश के किसान भाईयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि सरकार इसके लिए कटिबद्ध है. हम दो तरह की चीज करेंगे. एक, कुछ चीजों के दाम भारत सरकार तय करती है वह दाम भारत सरकार तय करेगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके दाम भारत सरकार तय नहीं करती. उसके लिए **कृषि मूल्य लागत और विपणन आयोग** का गठन हम कर रहे हैं जो यह तय करेगा कि कौन सी चीज को पैदा करने में कितनी लागत आती है. एक क्विंटल प्याज पैदा करने में कितनी लागत आती है. दूसरी फसलें पैदा करने में कितनी लागत आती है. हम रोज की सब्जियों की बात नहीं कर सकते क्योंकि रोज सब्जी टूट कर जाएगी तो उसका हिसाब रखना बहुत कठिन काम है. लेकिन जो एक बार आती है उसमें

आलू,प्याज,लहसून,संतरा, केला आदि अलग अलग तरह की फसलें हो सकती हैं. हार्टिकल्चर की फसलें भी हो सकती हैं. मसाले की फसलें भी हो सकती हैं. हमारी दूसरी फसलें हो सकती हैं. उसके लिए यह लागत आयोग उत्पादन लागत का मूल्य तय करेगा और उत्पादन की लागत में मैं आज आपसे कह रहा हूं कि मध्यप्रदेश में जहां कृषि उत्पादन में नया इतिहास रचा है. किसानों को ठीक दाम देने में भी नया इतिहास रचेगें. हम किसान को लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित करेंगे. यह फैसला हम कर रहे हैं. मैं जानता हूं इसके खतरे हैं. कई बार बम्पर उत्पादन हो जाता है. अब प्याज ही खतरा बनकर खड़ी हो गई थी. लेकिन अगर किसान को बचाना है तो यह हमको करना पड़ेगा. इसलिए किसान को उसकी उपज का ठीक दाम देने के लिए पहले लागत निकालेंगे और लागत पर लाभकारी मूल्य सरकार देगी. यह व्यवस्था हम करेंगे. हमने इसी साल तैयारी की है. हमने एक **गिरदावरी** मोबाइल एप बनाया. वह इसलिए बना रहे हैं कि हिसाब रखना पड़ेगा. एक समस्या और सामने आती है कि प्याज खरीदो. प्याज खरीदो तो लंबी-लंबी लाइनें लगी है. मूंग,उड़द खरीदो. ट्रेक्टर-ट्राली लेकर किसान खड़े हैं. प्रशासन भी खरीदी में लग जाता है. इससे बाकी काम प्रभावित होते हैं.

अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक चीज और मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं जो दिमाग में आयी कि आज के तकनीकी युग में सीधे खरीदने की आवश्यकता नहीं है. हम यह करेंगे कि जब किसान फसल बोयेगा तो मोबाईल एप के माध्यम से उसने कितने एकड़ जमीन में क्या बोया है,कितनी जमीन उसके पास है, उसका विवरण इकट्ठा करेंगे, वह इस मोबाईल में फीड करेंगे. वह किसान के मोबाईल में अपने आप चला जायेगा. किसान उसकी तसदीक करेगा कि पांच एकड़ में से एक एकड़ में फलानी फसल बोयी है,दो एकड़ में फलानी फसल बोयी है. उसके बाद उसको रिकार्ड करेंगे. रिकार्ड करने के बाद हमारे पास पूरे आंकड़े होंगे कि कितनी जमीन में कौन सी फसल बोयी गयी है और उसके बाद हम हर चीज के माडल रेट निकालेंगे. माडल रेट और समर्थन मूल्य का जो अंतर है उस अंतर को एवरेज अंतर को फसल खरीदने के बजाय हम किसान के खाते में सीधे-सीधे डाल देंगे तो सीधा पैसा किसान के खाते में पहुंच जायेगा और यह जो खरीद की प्रक्रिया है, इसमें जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है,प्रशासन को लगना पड़ता है, अब राहुल भैया को भी तकलीफ उठानी पड़ती है कि कहीं प्याज का ट्रेक्टर टोल टैक्स पर मिल गया तो उनको वहां खड़ा होना पड़ा, पूछना पड़ा क्या बात है. तो ऐसी समस्याओं से भी उनको निजात मिल जायेगी. सीधे किसान को ठीक दाम मिल जाये तो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसका प्रयास हम करेंगे. इसलिये जो बाकी दिक्कतें हैं वह दिक्कतें दूर होंगी. किसान को फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा. आप लोगों ने

कहा बगल में महाराष्ट्र लगा है,बगल में उत्तर प्रदेश लगा है. मैं आपको अंतर बताना चाहता हूं. मध्यप्रदेश में आज से नहीं दस सालों से अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को अलग-अलग तरह की सहायता,लाभ जो उनका अधिकार है,हक है उसमें एक लाख अठारह हजार करोड़ रुपये की अलग-अलग सहायता और अनुदान किसानों के खाते में गया है, जो किसान का हक है, अधिकार है, कोई दया नहीं है. मैं यह नहीं कह रहा कि बड़ा काम कर दिया. यह उनका हक और अधिकार है, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें थीं. वहां ऐसी कोई योजनाएं नहीं थीं. मध्यप्रदेश में हमारा 72 प्रतिशत किसान समय पर कर्ज चुका रहा है. अब एक बात आती है कि बाकी का क्या होगा. आज इस सदन में मैं कहना चाहता हूं कि हम एक समाधान योजना लेकर आयेंगे. वह किसान जो डिफाल्टर हैं जिनको जीरो प्रतिशत पर कर्जा नहीं मिल रहा हम उन सबको उस समाधान योजना के अंतर्गत लाकर जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्जा देना प्रारंभ करेंगे और उनकी परिस्थितियां इतनी आसान कर देंगे कि जिसके कारण वह जीरो प्रतिशत पात्रता में आ जायें, उनको तकलीफ न हो. किसान से अगर पूछो तो वह कर्ज माफी नहीं उत्पादन का उचित मूल्य चाहता है. मैं कहना चाहता हूं कि उत्पादन का उचित मूल्य प्रदेश की सरकार देना सुनिश्चित करेगी. उसमें हम माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे. किसान को और जो भी दिक्कत या परेशानी आयेगी. आपने कुछ मुद्दे और उठाये. एक मुद्दा आपने उठाया बिजली की समस्या का.

श्री बलबीर सिंह डण्डौतिया - अध्यक्ष महोदय, आलू की समस्या प्याज से भी ज्यादा है. आलू के बारे में भी कुछ सोचा जाये.

श्री शिवराज सिंह चौहान - यह सरकार हर चीज पर सोचेगी. माननीय अध्यक्ष जी, दो चीजों की यहां बार-बार बात आई. कुछ सदस्यों ने कहा रेवेन्यू की समस्या है. मैं मानता हूं जो समस्या है उसको स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार करके उसे हल करके भी हमें देना पड़ेगा. हम यह सुनिश्चत कर रहे हैं. खसरे और बी-1 की नकल पहुंचाने की बात हमने कही है वह हम 15 अगस्त के बाद हम घर-घर पहुंचाना शुरू करेंगे, लेकिन सीमांकन,नामांतरण सहित जितनी भी चीजें हैं उसकी एक कठिनाई यह थी कि पटवारियों की कमी रही. ऐतिहासिक रूप से तहसीलदारों,नायब तहसीलदारों की कमी रही. अभी हम नौ हजार पटवारियों की आनलाईन भर्ती कर रहे हैं क्योंकि वैसी भर्ती में देर लगेगी. पी.एस.सी. से अनुमति लेकर हम 900 तहसीलदारों,नायब तहसीलदारों की भर्ती तेजी से कर रहे हैं उसके बाद निश्चित समयावधि में नामांकन,अविवादित बटवारा और विवादित है तो उसकी भी समय-सीमा तय हो क्योंकि वह फील्ड में समस्या है. मैं जानता हूं, मेरे विधायक मित्रों ने मुझे बताया है, रेवेन्यू के मामलों में दिक्कत

है. आज भी मैंने 6 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग बुलाई है उसमें मैं इन मुद्दों पर चर्चा करूंगा जो किसान की दिक्कत का कारण है उन का हम निश्चित तौर पर समाधान करेंगे. दूसरी चीज, एक बिजली की बात आती है. आपने लाईनमेन की बात कही, वह भी सही हो सकती है.

श्री तरूण भनोत-- गांव-गांव में सूदखोरी हो रही है इससे भी किसान बहुत प्रताड़ित है, इस पर भी सख्ती से रोक लगायें.

श्री शिवराज सिंह चौहान-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सूदखोरी के खिलाफ कड़े कानून बनाने जो हमको विधेयक लाना है उसके लिये महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की आवश्यकता है उनके पास हमने भेजा हुआ है, जैसे ही अनुमति आती है वह विधेयक लाकर कड़ा कानून यहां बनेगा. यह बात सच है कि सूदखोरी के कारण किसान तंग होते हैं, परेशान होते हैं, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होते हैं, इसको पूरी तरह से समाप्त करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी उस दिशा में हम कदम उठायेंगे. बिजली की कुछ समस्यायें हैं वह अभी सदन में आई हैं मैंने विधायक साथियों से चर्चा की उनके बीच भी आई हैं और जनता के बीच से भी आयी है उनमें दो-तीन चीजें प्रमुख हैं. एक तो कुछ कनेक्शन परमानेंट कनेक्शन हैं और कुछ टेम्परेरी कनेक्शन हैं, परमानेंट जो कनेक्शन है उसमें फ्लेट रेट आप जानते हैं 1400 रूपये प्रतिवर्ष 5 हार्स पॉवर के हैं लेकिन उसमें एक समस्या आती है कि 3 हॉर्स पावर की मोटर 5 की और 5 की कई कहते हैं कि 7 की हो जाती है करेंट ज्यादा निकाल रही है कहकर. अब इसमें हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने हॉर्सपॉवर की है उतनी ही रहेगी अगर कोई गड़बड़ है तो किसान के सामने ही परीक्षण करना पड़ेगा उसके बिना कोई फैसला नहीं होगा, यह फैसला हम करेंगे. दूसरे टेम्परेरी कनेक्शन के बारे में एक बात आती है कि अगर 2 महीने का या 3 महीने का पानी हमारे पास है या चने जैसी फसल में 2 पानी से ज्यादा नहीं लगते हैं तो जितने समय फसल को पानी देने के लिये टेम्परेरी कनेक्शन की जरूरत होगी उतने ही समय का टेम्परेरी कनेक्शन उसको देने का काम करेंगे. टेम्परेरी कनेक्शन की व्यवस्था को भी समाप्त करके हमको परमानेंट कनेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, उसकी योजना भी हम बना रहे हैं क्योंकि लगभग 5 लाख किसान ऐसे हैं जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं उसको परमानेंट कनेक्शन में परिवर्तित करने का काम हमको करना है, इसी साल से हमने वह करना शुरू किया है लगभग 2 साल और लगेंगे 5 लाख किसानों तक पहुंचाने में उसमें एक कनेक्शन पर लगभग डेढ़ लाख रूपये तक की राशि का अतिरिक्त खर्चा आयेगा उसमें से नॉमिनल किसान कुछ देगा बाकी सरकार अपनी तरफ से करेगी ताकि टेम्परेरी का झगड़ा खत्म होकर परमानेंट हो जाये. आदरणीय विधायक जी ने लाइनमेन और स्टॉफ की बात कही उसको भी चिंता से देखेंगे

ताकि यह दो समस्यायें रेवेन्यू और बिजली जिनका किसान से रोज वास्ता पड़ता है उनका हम समाधान कर सकें.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन का एवं सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुये एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि मंदसौर की जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस घटना से सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो मैं सचमुच में आप माने न माने सबसे ज्यादा पीढ़ा और कष्ट अगर किसी को पहुंचा है तो वह मुझे पहुंचा है. हमने उस घटना की न्यायिक जांच के बाद जो तथ्य आयेंगे उसके आधार पर कार्यवाही की बात कही है, लेकिन मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार किसानों की है, खेती को लाभ का धंधा बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो बेहतर व्यवस्था है किसानों के लिये वह हम पूरी शिद्दत से लागू करने का प्रयास करेंगे, किसानों के मुद्दे को हम यह माने कि यह पूरे सदन का मुद्दा है, पक्ष, विपक्ष दोनों का मुद्दा है और मिलकर कुछ मुद्दों पर जो माननीय सदस्यों ने इधर से भी सुझाव दिये और उधर से भी सुझाव दिये उनका स्वागत करता हूं और सदैव के लिये आपको आमंत्रित करता हूं कि कोई चीज आये तो जरूर बताइये, उनको मिलकर हल करने का हम प्रयास करेंगे, इसको राजनीति में न घसीटे और मध्यप्रदेश शांति का टापू है इसको शांति का टापू बनाये रखने में सब सहयोग प्रदान करें और जो चीजें मैंने कहीं हैं, उचित मूल्य पर मध्यप्रदेश हिन्दुस्तान में उदाहरण खड़ा करेगा कि लागत पर प्राफिट मूल्य हम देंगे, यह बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं, पूरी हिम्मत के साथ कर रहा हूं और इसको हम क्रियान्वित करेंगे. बहुत-बहुत धन्यवाद.

4.14 बजे नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय-- निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी-

1. श्री जितेन्द्र गेहलोत
2. श्री के.पी.सिंह
3. इंजी. प्रदीप लारिया
4. डॉ. गोविंद सिंह
5. श्री संजय उइके
6. श्री मधु भगत
7. श्री दुर्गालाल विजय
8. श्री बाबूलाल गौर
9. श्री प्रदीप अग्रवाल
10. श्री रामनिवास रावत

अध्यक्ष महोदय - अब जो काम शेष रह गया वह प्रारंभ कर रहे हैं. पत्रों का पटल पर रखा जाना. श्री पारस चंद्र जैन.

श्री पारस चंद्र जैन - अध्यक्ष महोदय, कंपनी अधिनियम,2013(क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा(1) (ख) की अपेक्षानुसार (व्यवधान) ...

(कई माननीय सदस्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी के आसन के निकट आने पर) (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय - आप सभी कृपया व्यवस्था बनाएं. माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं. (व्यवधान) ...

श्री रामनिवास रावत - माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन के बाद कोई विषय नहीं लिया जाता है, स्थगन से पहले विषय लिये जाते हैं. ऐसा कोई नियम नहीं हैं, आप जैसा चलाना चाहे, चलाएं. (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय - आप कौल एण्ड शकधर देख लें यदि समय बचा हो तो आगे कार्यवाही चल सकती है. सदन का समय साढ़े 5:30 तक होता है.सदन की कार्यवाही चलती है. पूर्व के

उदाहरण आप देख लें. जब मुलताई कांड हुआ था उसके बाद भी कार्यवाही चली थी. यह अपने यहां का पूर्व उदाहरण हैं. आप कौल एण्ड शकधर बहुत लेकर आते हैं जरा इसको पढ़ लें. इसमें लिखा है कि यदि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद समय बचे तो रेग्युलर कार्यवाही की जा सकती है. आप सभी व्यवस्था बनवाएं. आप सभी बैठ जाएंगे तो मैं व्यवस्था बनवाउंगा. (व्यवधान) ...

श्री रामनिवास रावत- क्या व्यवस्था बनवाएं, कोई सुन रहा है. यह सदन चल रहा है. वैसे ही निकाल दें. क्या इस तरह से करना जरूरी है, आप सदन स्थगित कर दें. (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय - मैं सभी बातें करूंगा. आप सब अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं. वह विषय समाप्त हो गया है, आप बैठ जाएं. पहले आप नियम पढ़ लें.आप बैठ जाएं.(व्यवधान) ...

श्री जितू पटवारी - (जोर से चिल्लाकर) माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताएं की स्थगन प्रस्ताव कि पूरी बहस का क्या निष्कर्ष निकला है. .(व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय - भईया आप पढ़कर आया करो. .(व्यवधान) ...

श्री जितू पटवारी - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने जब आह्वान किया है कि हां मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग आएं फिर भी हम बात न करें. अध्यक्ष महोदय यह गलत तरीका है. यह गलत है. .(व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय - आप मुझे सुन तो लें. (व्यवधान) ...

श्री जितू पटवारी - नहीं अध्यक्ष महोदय यह गलत तरीका है. मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है. (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय - आप मेरी बात तो सुनिये पहले. आप बैठ जाएं. (व्यवधान) ...

श्री जितू पटवारी - कितने लोग मर गये, बहुत भावनात्मक बातें हुई, वोट बैंक की पॉलीटिक्स हुई, और एक दूसरे को दोषी ठहराया गया, कांग्रेस को दोषी ठहराया गया. (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय - बैठ जाईए आप,आप अपने सीनियर्स से सीखें.(व्यवधान) ...

श्री जितू पटवारी - पूरी बहस का क्या निष्कर्ष निकला है. हमने शांति से सुना है. (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय - श्री जितू पटवारी कृपया आप शांत रहें. (व्यवधान) ...

श्री उमाशंकर गुप्ता - (XXX) यह कोई तरीका है आसंदी से बात करने का. (XXX) (व्यवधान) ...

श्री जितू पटवारी - लोगों की हत्या कर दी. (व्यवधान) ...

श्री उमाशंकर गुप्ता - कौन-कौन शामिल है, सब नाम आ गये हैं तुम लोगों के और सबके खिलाफ कार्यवाही होगी, सब अंदर जाओगे. (व्यवधान) ...

श्री जितू पटवारी - अरे अगर दम हो तो तुम हमको भेजकर के देखो. (व्यवधान) ...

श्री उमाशंकर गुप्ता - पहले तमीज सीखो, हम भेजेंगे. (व्यवधान) ...

श्री जितू पटवारी - माननीय अध्यक्ष महोदय जी यह असंतुष्टि गलत नहीं है. (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय - श्री पारसचंद्र जैन जी आप बोलें. (व्यवधान) ...

श्री अजय सिंह - माननीय अध्यक्ष जी. (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय - माननीय नेता जी, एक मिनट आप मुझे बोलने दें. श्री जितू पटवारी जी बहुत जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं, इसमें माननीय मंत्री उनकी गलती नहीं है उनको समझ नहीं हैं, इसलिए दिक्कत है. आप सभी नियम 57 सुने. 53 से 58 तक स्थगन प्रस्ताव के नियम हैं.

मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 57 में स्पष्ट लिखा है कि- "प्रस्ताव मध्याह्नोत्तर 3:00 बजे या यदि सभा नेता से परामर्श के पश्चात् अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे तो उससे पहले किसी भी समय, जबकि उस दिन का कार्य समाप्त हो जाए, लिया जायेगा" जिस समय से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो, उससे 2 घण्टे बीत जाने पर यदि वाद-विवाद पहले ही समाप्त न हो चुका हो तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा. अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात् कोई प्रश्न नहीं रखा जा सकेगा. उसके बाद कुछ नहीं पूछ सकते. आप लोग पढ़ा करें. .....(व्यवधान) ..दो घण्टे से ज्यादा चर्चा कराई, उस पर वाद-विवाद नहीं होता और न ही कोई प्रश्न रखा जाता है. अब रही बात रामनिवास रावत जी की तो अभी समय नहीं है. कॉल एण्ड शकधर की पुस्तक, जो आप हमेशा लेकर आते हैं, मैं उसी में बता दूँगा कि यदि समय बचे तो काम किया जा सकता है, शेष कार्य किया जा सकता है. मुलताई काण्ड का पूर्व उदाहरण भी है.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, आप पूर्व उदाहरण के अनुसार चलाइये. आपको कौन मना कर रहा है ?

राज्यमंत्री, सहकारिता (श्री विश्वास सारंग) - अध्यक्ष महोदय, इनकी कलई खुल जायेगी, राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आने दीजिये.

श्री अजय सिंह - अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति चुनाव में क्या कलई खुल जायेगी ? राष्ट्रपति चुनाव की बात करने लगे. मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कही, किसानों की हत्या हुई है. आपने न्यायिक जांच बैठा दी. एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिये. ....(व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) - अध्यक्ष महोदय, अब यह कहां से शुरू हो गए ? पूरा एक घण्टा टाइम दिया गया है. यह बात कहां से शुरू हो गई ?

.....(व्यवधान) .....

5.24 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. **(क) शहपुरा थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16**

   (ख) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की 14 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2015-16

   (ग) एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 तथा

   (घ) बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16.

ऊर्जा मंत्री (श्री पारस चंद्र जैन) - अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) शहपुरा थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016,

(ख) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की 14 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2015-2016,

(ग) एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016,

(घ) बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखता हूँ.

2. मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का चतुर्थ वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016

लोक निर्माण मंत्री (श्री रामपाल सिंह) - अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) की धारा 8 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का चतुर्थ वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखता हूँ.

3. विभिन्न विभागों की अधिसूचनाएं :-

(1) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-5, दिनांक 18 मई, 2015,

(2) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-13, दिनांक 18 मई, 2015,

(3) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 18 मई, 2015,

(4) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 18 मई, 2015,

(5) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-12, दिनांक 18 मई, 2015,

(6) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-4, दिनांक 18 मई, 2015,

(7) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 18 मई, 2015,

(8) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.- दिनांक 04 जून, 2015,

(9) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1, दिनांक 27 जून, 2015,

(10) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.- दिनांक 01 जुलाई, 2015,

(11) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-13,दिनांक 25 जुलाई, 2015,(शुद्धि पत्र)

(12) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-11, दिनांक 25 जुलाई, 2015,

(13) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 24 अगस्त, 2015, (शुद्धि पत्र)

(14) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 10 सितंबर, 2015,

(15) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 24 सितंबर, 2015,

(16) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 29 सितंबर, 2015,

(17) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1, दिनांक 29 सितंबर, 2015,

(18) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015,

(19) क्रमांक एफ 2-13-2012-61-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015,

(20) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-09, दिनांक 02 नवम्बर, 2015,

(21) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 04 जनवरी, 2016,

(22) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 17 फरवरी, 2016,

(23) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 09 मार्च, 2016,

(24) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 12 अप्रैल, 2016, (शुद्धि पत्र)

(25) क्रमांक एफ2-10-2016-61-लोसेप्र, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016,

(26) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-24, दिनांक 24 जनवरी, 2017,

(27) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-28, दिनांक 24 जनवरी, 2017,

(28) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-27, दिनांक 24 जनवरी, 2017,

(29) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-26, दिनांक 24 जनवरी, 2017,

(30) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-25, दिनांक 24 जनवरी, 2017,

(31) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17, दिनांक 28 फरवरी, 2017,

(32) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-18, दिनांक 28 फरवरी, 2017,

(33) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-7, दिनांक 28 फरवरी, 2017,

(34) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-30, दिनांक 09 मार्च, 2017,

(35) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-31, दिनांक 09 मार्च, 2017,

(36) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-29, दिनांक 09 मार्च, 2017,

(37) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-26, दिनांक 01 अप्रैल, 2017,

(38) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-32, दिनांक 01 अप्रैल, 2017,

(39) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-21, दिनांक 29 मई, 2017,

(40) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-04, दिनांक 29 मई, 2017,

(41) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-09, दिनांक 07 जून, 2017,

(42) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 07 जून, 2017,

(43) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-24, दिनांक 07 जून, 2017,

(44) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-34, दिनांक 07 जून, 2017,

(45) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-35, दिनांक 07 जून, 2017,

(46) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-36, दिनांक 07 जून, 2017,

(47) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-37, दिनांक 07 जून, 2017,

(48) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-38, दिनांक 07 जून, 2017,

लोक सेवा प्रबंधन मंत्री (श्री जयभान सिंह पवैया) - अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विभिन्न विभागों की निम्न अधिसूचनाएं :-

(1) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-5, दिनांक 18 मई, 2015,

(2) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-13, दिनांक 18 मई, 2015,

(3) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 18 मई, 2015,

(4) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 18 मई, 2015,

(5) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-12, दिनांक 18 मई, 2015,

(6) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-4, दिनांक 18 मई, 2015,

(7) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 18 मई, 2015,

(8) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.- दिनांक 04 जून, 2015,

(9) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1, दिनांक 27 जून, 2015,

(10) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.- दिनांक 01 जुलाई, 2015,

(11) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-13,दिनांक 25 जुलाई, 2015,(शुद्धि पत्र)

(12) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-11, दिनांक 25 जुलाई, 2015,

(13) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 24 अगस्त, 2015, (शुद्धि पत्र)

(14) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 10 सितंबर, 2015,

(15) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 24 सितंबर, 2015,

(16) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 29 सितंबर, 2015,

(17) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1, दिनांक 29 सितंबर, 2015,

(18) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015,

(19) क्रमांक एफ 2-13-2012-61-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015,

(20) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-09, दिनांक 02 नवम्बर, 2015,

(21) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 04 जनवरी, 2016,

(22) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 17 फरवरी, 2016,

(23) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 09 मार्च, 2016,

(24) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 12 अप्रैल, 2016, (शुद्धि पत्र)

(25) क्रमांक एफ2-10-2016-61-लोसेप्र, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016,

(26) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-24, दिनांक 24 जनवरी, 2017,

(27) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-28, दिनांक 24 जनवरी, 2017,

(28) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-27, दिनांक 24 जनवरी, 2017,

(29) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-26, दिनांक 24 जनवरी, 2017,

(30) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-25, दिनांक 24 जनवरी, 2017,

(31) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17, दिनांक 28 फरवरी, 2017,

(32) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-18, दिनांक 28 फरवरी, 2017,

(33) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-7, दिनांक 28 फरवरी, 2017,

(34) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-30, दिनांक 09 मार्च, 2017,

(35) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-31, दिनांक 09 मार्च, 2017,

(36) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-29, दिनांक 09 मार्च, 2017,

(37) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-26, दिनांक 01 अप्रैल, 2017,

(38) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-32, दिनांक 01 अप्रैल, 2017,

(39) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-21, दिनांक 29 मई, 2017,

(40) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-04, दिनांक 29 मई, 2017,

(41) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-09, दिनांक 07 जून, 2017,

(42) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 07 जून, 2017,

(43) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-24, दिनांक 07 जून, 2017,

(44) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-34, दिनांक 07 जून, 2017,

(45) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-35, दिनांक 07 जून, 2017,

(46) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-36, दिनांक 07 जून, 2017,

(47) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-37, दिनांक 07 जून, 2017,

(48) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-38, दिनांक 07 जून, 2017

पटल पर रखता हूँ.

05:24 बजे **ध्यानाकर्षण**

(1) इंदौर स्थित एम. वाय. अस्पताल में मरीजों की मौत होना.

डॉ. गोविन्द सिंह (लहार) {श्री रामनिवास रावत} - अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है -

इंदौर शहर के महाराज यशवंत राव चिकित्सालय लापरवाही एवं कुप्रबंधन तथा चिकित्सकों की आपसी तनातनी का खामियाजा वहां आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है. दिनांक 21 जून 2017 की रात से 22 जून 2017 तक की सुबह तक चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को लगाई गई आक्सीजन की सप्लाई फेल हो जाने से 17 से अधिक मरीजों की मौतें हो गईं. अस्पताल में 350 मरीजों को आक्सीजन सप्लाई किए जाने हेतु प्लान्ट लगा हुआ है. जिस प्लान्ट से अस्पताल में आक्सीजन की पूर्ति की जाती है, उसकी कमान सिर्फ एक ही कर्मचारी के हाथ में रहती है. यदि कर्मचारी कहीं चला जाए और कोई आपात स्थिति बने तो मरीज की जान खतरे में बनी रहती है. इस घटना का जायजा लेने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री ने तत्काल जांच की घोषणा की किन्तु जांच अभी तक पूर्ण नहीं की जा सकी है. अस्पताल प्रबंधन ने प्लान्ट के रखरखाव का कम एक निजी कंपनी को दे रखा है, जिसको प्रतिवर्ष लाखों रूपए का भुगतान किया जाता है. अनुबंध की शर्तों में 24 घंटे कर्मचारियों को रखा जाना है किन्तु मात्र एक कर्मचारी से ही काम चलाया जा रहा है. आक्सीजन सप्लाई के लिए बिछायी गई पाइप लाइन काफी पुरानी है. यह आए दिन लीकेज होती रहती है, किन्तु प्रबंधन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उक्त मौतों की जांच के लिए 23 जून को एसडीएम सहित सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था कमेटी को पहले ही दिन रिपोर्ट देने का कहा गया था, जांच तीन दिन तक शुरू ही नहीं की गई. बाद में नए तथ्य जोड़ने का हवाला देकर जांच का समय अनावश्यक रूप से 30 जुलाई तक बढ़ाया जाकर दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है. इस घटना की समय सीमा में जांच नहीं कराए जाने एवं संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने एवं मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं किए जाने को लेकर इंदौर की जनता में रोष व्याप्त है.

अध्यक्षीय घोषणा

5:26 बजे **सदन के समय में वृद्धि विषयक**

अध्यक्ष महोदय - आज की कार्यसूची में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए. मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

5:27 बजे **सभापति महोदय (श्री कैलाश चावला) पीठासीन हुए.**

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा(शरद जैन)- अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन द्वारा इंदौर स्थित एम.वाय. चिकित्सालय के साथ साथ प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध चिकित्सालयों सभी चिकित्सालयों में ड्रग ट्रायल करने पर 25 अक्टूबर 2010 से रोक लगाए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं. एम.वाय. चिकित्सालय इंदौर में मरीजों के उपचार एवं जांच हेतु पर्याप्त सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध है. यह सत्य नहीं है कि दिनांक 21 जून 2017 की रात से दिनांक 22 जून 2017 की सुबह तक एमवाय चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को लगाए जाने वाले आक्सीजन की सप्लाई बाधित होने से 17 से अधिक मरीजों की मौत हुई है, उक्त अवधि में उल्लेखित मरीजों की मृत्यु गंभीर बीमारियों के कारण प्राकृतिक रूप से हुई है. चिकित्सालय में आक्सीजन की सेन्ट्रल सप्लाई हेतु लिक्विड आक्सीजन का प्लांट स्थापित है एवं आक्सीजन सिलेण्डर द्वारा भी गैस सप्लाई होती है. आक्सीजन की आपूर्ति प्राइवेट कम्पनी आयनोक्स द्वारा की जाती है. आक्सीजन सप्लाई का संचालन चिकित्सालय कर्मचारियों द्वारा नियमित रोस्टर अनुसार किया जाता है. आक्सीजन की पाइप लाइन पर समय समय पर आवश्यक मरम्मत एवं विस्तारण का कार्य अधिकृत एजेंसी द्वारा कराया जाता है दिनांक 21 जून एवं 22 जून 2017 की घटना की जांच हेतु अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर द्वारा जांच समिति गठित की गई थी. जांच समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन में चिकित्सालय में आक्सीजन गैस सप्लाई संबंधित कोई बाधा/रिफलिंग संबंधी कोई त्रुटि नहीं पाई गई. समिति के जांच प्रतिवेदन पर अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रतिवेदन संभागायुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा सहमति व्यक्त की गई है. अत: यह सत्य नहीं है कि इंदौर की आम जनता में राज्य सरकार की उदासीनता के प्रति भीषण रोष एवं आक्रोश व्याप्त है.

डॉ.गोविन्द सिंह--माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, आयुक्त श्री दुबे जी संतुष्ट हैं. जो दोषी हैं इस व्यवस्था के

लिये एम.वाय हॉस्पीटल स्वशासी है उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरह से चेयर पर्सन होने के नाते खासकर वहां के अधीक्षक की होती है. मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जांच कराने की घोषणा की थी. अगर चोर को ही चोरी का इन्वेस्टीगेशन दे दोगे तो क्या जांच के प्रति संदेह नहीं होगा. क्या यह सचाई है कि जो अपराधी हैं उनके ही द्वारा जांच करा ली और आप संतुष्ट हो गये. यह एक विडम्बना है और आपकी सोच पर प्रश्नचिन्ह लगता है. अगर सही में मरीजों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो आप जांच निष्पक्ष अधिकारी अथवा वरिष्ठ समिति से करानी होगी, तब सचाई सामने आयेगी. दूसरा मैं पूछना चाहता हूं.

श्री शरद जैन--सभापति महोदय, एक सवाल का जवाब दे दूं.

डॉ.गोविन्द सिंह--सभापति महोदय, यह प्रश्न नहीं है.

श्री सुदर्शन गुप्ता--माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का भी मामला है मुझे भी बोलने दिया जाये.

सभापति महोदय--आपका इसमें नाम नहीं है.

डॉ.गोविन्द सिंह--यह तो आपको सुझाव दे रहे हैं.

श्री शरद जैन--सभापति महोदय,आपके सुझाव का स्वागत है. मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आपने उल्लेखित किया है कि जांच रिपोर्ट नहीं आयी है. हमारा कहना है कि जांच रिपोर्ट आयी है.

डॉ.गोविन्द सिंह--सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने यह तो अपने जवाब में बता दिया है कि जांच रिपोर्ट आ गई है.

सभापति महोदय--आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लीजिये.

डॉ.गोविन्द सिंह--सभापति महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं.

सभापति महोदय--आप प्रश्न पूछ लीजिये वह तो आपकी भूमिका का जवाब दे रहे हैं.

श्री शरद जैन--सभापति महोदय, अभी जो प्रश्न पूछा है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं.

डॉ.गोविन्द सिंह--सभापति महोदय, मैंने प्रश्न कहां किया है. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले तो आप यह बतायें जो घटना उस समय थी, उस समय ऑक्सीजन टेंक की कितनी क्षमता थी. 21 तारीख को घटना के समय रात को 2.00 बजे से लेकर के साढ़े तीन बजे तक उस समय कितनी लिक्विड ऑक्सीजन गैस थी, इसके साथ ही साथ आपने कहा कि कर्मचारी प्रायवेट नहीं था. हमारी जानकारी में है कि एक कर्मचारी था. कौन कौन से कर्मचारियों की 24 घंटे में ड्यूटी लगायी उनके नाम बता दें. किसकी कब तक ड्यूटी थी ताकि सचाई का पता लग जाएगा कि

कौन कर्मचारी उस समय दोषी था. उनके पद भी बतायें उन्होंने ट्रेनिंग कहां से ली. क्या वे ट्रेंड थे अथवा अन्ट्रेंड थे. तीसरा इसी में प्रश्न यह भी पूछना चाहता हूं कि हॉस्पीटल की व्यवस्था का सम्पूर्ण दायित्व वहां के अधीक्षक को होता है. आपका उस समय कौन अधीक्षक था उस अधीक्षक का नाम बतायें, कब से था तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री शरद जैन--सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न के माध्यम से जानकारी मांगी है. ऑक्सीजन का जो सेन्ट्रल पाईंट है वहां पर तीन कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है. तीनों कर्मचारी रोटेशन से 8-8 घंटे वह अपना काम करते हैं उस दिन भी एक कर्मचारी वहां पर था उसका नाम है श्री सुरेश भागीरथ वह ड्यूटी पर था. ऑक्सीजन लीक होने का तो कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि जो ऑक्सीजन का प्लांट है पांच साल पहले 2012 में लगा था. प्लांट अच्छा है. मेसर्स आयनोक्स प्रायवेट कंपनी के द्वारा दिन में दो तीन बार वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है. यदि और भी व्यवस्थाओं में ऑक्सीजन कम होती है.

डॉ.गोविन्द सिंह--आपको तो जो लिखकर के दे दिया है वही पढ़ रहे हैं. आप तो इतना कह दो कि मैं तैयारी से नहीं आया हूं.

श्री शरद जैन--सभापति महोदय, जवाब तो करने दें.

डॉ.गोविन्द सिंह--हमारा जवाब तो आप दे नहीं रहे हैं.

सभापति महोदय--आप मंत्री जी का जवाब आने दीजिये.

डॉ.गोविन्द सिंह--सभापति महोदय, हमने पूछा कि कर्मचारी ट्रेंड थे , उनकी कब कब से ड्यूटी थी, टैंक में ऑक्सीजन कितनी थी?

सभापति महोदय--आप तो एक एक प्रश्न करिये तभी तो जवाब आयेगा. आप चार सवाल एक साथ पूछ रहे हैं.

डॉ.गोविन्द सिंह--आप तो यह कह दो कि तैयारी से नहीं आया हूं मैं बैठ जाता हूं.

श्री उमाशंकर गुप्ता:- मेरा गोविन्द सिंह जी से आग्रह है कि इसकी जो विषय वस्तु है, आप वही पूछो.

डॉ. गोविन्द सिंह :- अच्छा ज्यादा नहीं पूछें. संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि ज्यादा नहीं पूछो.

श्री शरद जैन :- आपकी जो इच्छा है, वह पूछो.

डॉ. गोविन्द सिंह :- चलो मैं अब कुछ नहीं पूछ रहा हूं.

श्री शरद जैन :- मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहते हो.

डॉ. गोविन्द सिंह :- आप हमारे मित्र और साथी हो, आप आखिरी में केवल यह ही बता दो कि अधीक्षक या कमिश्नर की जिम्मेदारी थी. वर्तमान में जिसने सच्चाई बता दी उसको तो निलंबित कर दिया और जिसकी ड्यूटी ही नहीं थी उसको निलंबित कर दिया और जो इसके लिये जिम्मेदार था..

श्री सुदर्शन गुप्ता :- सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है, हमको भी बोलने दिया जाये.

डॉ. गोविन्द सिंह :- आप पहले हमारी बात तो हो जाने दीजिये.

श्री सुदर्शन गुप्ता :- हमारे क्षेत्र का मामला है, हमको भी बोलने दिया जाये. हमने भी दौरा किया है और सभापति महोदय मैंने भी एक-एक चीज देखी है.

डॉ. गोविन्द सिंह :- यदि आप इतने जिम्मेदार पर्सन थे, चिंतित थे तो आपने ध्यानाकर्षण क्यों नहीं लगाया है.

श्री सुदर्शन गुप्ता :- सभापति महोदय हमने भी दौरा किया है और मैंने भी एक-एक चीज देखी है.

सभापति महोदय:- आपको भी अवसर देंगे. आप बैठिये.

श्री रामनिवास रावत :- सभापति महोदय, (व्यववधान)यह क्या तमाशा है.

डॉ.गोविन्द सिंह :- यदि जनता के प्रति आप इतने चिंतित थे,मरीजों के प्रति तो ध्यानार्षण लगाते.

सभापति महोदय :- गुप्ता जी, आपको भी आपको भी अवसर देंगे. पहले जिनके नाम हैं उनको पूछ लेने दीजिये.

डॉ. गोविन्द सिंह :- मंत्री जी, आप तो सिर्फ इतना बता दीजिये मैं तो चुप हो रहा हूं आप सिर्फ यह बता दो कि डीन जो वर्तमान में अधीक्षक थे, उनका नाम है कि वह जिम्मेदार हैं जो इस व्यवस्था से दूर हैं उसको आपने निलंबित किया है. क्या उसके विरूद्ध आप अलग से आप दोबारा से परीक्षण कराकर, जांच कराकर. इसमें मुख्य रूप से आपके अधीक्षक और कमिश्नर दोषी हैं, जो वहां के चेयरपर्सन हैं. आप इसका परीक्षण करा लेना, यह हमारा सुझाव है. अब गुप्ता जी ने बोल दिया है तो मैं ज्यादा पूछ ही नहीं रहा हूं.

श्री शरद जैन :- सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जांच रिपोर्ट आ गयी है, जांच में जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सिर्फ वही लोग थे. आप बोलने ही नहीं दे रहे हो, मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं.

डॉ. गोविन्द सिंह :- मंत्री जी, जांच रिपोर्ट तो हमने पढ़ ली है. आपने कह दिया कि लोग दोषी थे, उन्हीं लोगों से जांच करा ली.

श्री शरद जैन :- माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं. मेरा कहना है कि जो जांच हुई है. उसमें में दो डॉक्टर थे, साथ में एक प्रशासनिक अधिकारी, एक इंजीनियर और अन्य लोग थे. उसमें विशेषज्ञ लोग भी शामिल थे. उनकी जांच रिपोर्ट आ गयी है. जांच में ऑक्सीजन लीकेज नहीं पाया गया है और जानकारी देना चाहेंगे कि वहां पर ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था है. वहां पर दिन में दो या तीन बार वहां पर ऑक्सीजन के सिलेण्डर भरे जाते हैं. ऑक्सीजन की एक एक चीज और है कि वहां पर जो सिस्टम है, उसमें सेफ्टी सिस्टम भी है. यदि कभी कोई ऐसा लीकेज होता है या ऑक्सीजन खाली होती है तो तत्काल अलार्म बजता है. उसकी जांच हो गयी है और जांच में यह नहीं पाया गया है कि ऑक्सीजन लीकेज के कारण घटना हुई है.

डॉ. गोविन्द सिंह:- अब मैं और कुछ नहीं पूछ रहा हूं. आप कृपया करके दोबारा एक बार और परीक्षण करा लेना.

श्री शरद जैन :- आपसे चर्चा कर लेंगे.

डॉ. गोविन्द सिंह:- ठीक है.

श्री रामनिवास रावत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को पहले तो मैं इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि जैसे ही घटना घटित हुई, वहां पर मंत्री जी खुद पहुंचे और उन्होंने जांच के आदेश दिये. लेकिन मंत्री जी ने वहां पहुंचने के बाद प्रारंभिक रूप से जो तथ्य वहां पर सामने आये प्रारंभिक रूप से उसमें कहीं न कहीं गलती गलती पायी इसलिये उन्होंने दो व्यक्तियों को निलम्बित भी किया और ड्यूटी पर भी नहीं थे, जो दोषी भी नहीं थे. उनको निलंबित कर दिया. लेकिन घटना में कहीं न कहीं चूक तो है, आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा. क्योंकि आप जब वहां पर पहुंचे थे, तब भी वहां पर यह बात आयी थी कि अलार्म बजा था और गैस की सप्लाई बाधित हुई थी.

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी ने जो 70 मरीजों की बात की है कि वह गंभीर रूप से बीमार थे. मैं इनके बारे में जानना चाहूंगा कि एक तो वह मेडीसिन आईसीयू में भरती थे, जो पांचवीं मंजिल पर है. जहां पर कम ऑक्सीजन पहुंचती है. यह कितने दिनों से भरती थे, किस दिनांक को भरती हुए और उनकी स्थिति क्या थी.क्या आपने इनकी जांच में मेडिकल रिकार्ड दिखवाया है. मरीज कब-कब भर्ती हुए. भर्ती होने के कितने दिनों बाद इन मरीजों की मौत हुई. इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि 3-4 बजे के बीच, जिस समय की यह घटना है, क्या उस समय ऑक्सीजन बाधित हुई थी, उस समय ऑक्सीजन की कितनी मात्रा प्लांट में थी.

सभापति महोदय- रावत जी, आप एक-एक करके सवाल पूछ लीजिए. जिससे कि मंत्री जी ठीक से जवाब दे पायें.

श्री शरद जैन (एडवोकेट)- माननीय सभापति महोदय, ऑक्सीजन के सिस्टम के अलावा हॉस्पिटल में 14 जंबो सिलेंडर रहते हैं. कभी ऑक्सीजन की कमी होती है तो तत्काल वॉल्व खोलकर लगा दिया जाता है. मेरा कहना है कि ऑक्सीजन बाधित नहीं हुई थी और यही जांच रिपोर्ट में भी आया है.

सभापति महोदय- मंत्री जी, उन्होंने पूछा है कि 17 मरीज कब से भर्ती थे और उन्हें क्या बीमारी थी. इसकी जानकारी आप दे दें. यदि अभी आपके पास जानकारी उपलब्ध नहीं है तो बाद में दे दीजियेगा.

श्री शरद जैन (एडवोकेट)- कौन सा मरीज कब भर्ती हुआ, कौन सी बीमारी की वजह से भर्ती हुआ, इसकी जानकारी मैं पहुंचवा दूंगा.

श्री रामनिवास रावत- जिस समय मरीज मरे हैं, उस समय प्लांट में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी ? प्लांट की क्षमता कितनी थी और ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा कितनी थी ?

श्री शरद जैन (एडवोकेट)- माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि मध्यप्रदेश में एस.एम.सी.यू. वार्ड की शुरूआत हुई थी.

सभापति महोदय- मंत्री जी, आप इसकी जानकारी भी भिजवा दीजियेगा.

श्री शरद जैन (एडवोकेट)- मैं आपको सारी जानकारी भिजवा दूंगा.

श्री रामनिवास रावत- माननीय मंत्री जी, आप अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं. मैं यह चाहता हूं कि उस जांच पर विश्वास न करते हुए, ऐसी भूल न हो, ऐसे निर्देश जारी करते हुए पुन: जांच करवा लें.

श्री सुदर्शन गुप्ता (इंदौर-1)- माननीय सभापति महोदय, इंदौर का एम.वाय.अस्पताल, इंदौर ही नहीं पूरे संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है. इसमें पूरे प्रदेश और आस-पास के प्रदेशों से भी मरीज आते हैं. इंदौर के एम.वाय.अस्पताल में अत्यंत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग आते हैं. ऐसे लोग जिन्हें सारे अस्पतालों से जवाब दे दिया जाता है, ऐसे मरीजों की वहां देख-रेख की जाती है. मेरा निवेदन है कि मैंने भी उस अस्पताल का दौरा किया है और वहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं थी. लगातार नियमित रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी. मरने वाले लोग इतनी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे कि औसतन इंदौर के एम.वाय.अस्पताल में ऐसी मृत्यु हर रोज होती हैं. बेवजह इस तरह के आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

डॉ.गोविन्द सिंह- आप मंत्री जी का जवाब क्यों दे रहे हैं ? क्या आप उनकी (XXX) कर रहे हैं ?

श्री सुदर्शन गुप्ता- मैं (XXX) नहीं कर रहा हूं. आप लोग बेमतलब सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं. इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं.

श्री रामनिवास रावत- क्या 17 लोग वहां नहीं मरे हैं ?

श्री सुदर्शन गुप्ता- वहां गंभीर रूप से बीमार लोग ही भर्ती होते हैं और औसतन वहां इतनी मौतें होती ही हैं.

सभापति महोदय- रावत जी, कृपया आपस में बात न करें.

श्री रामनिवास रावत- फिर तो आपको यह भी पता होगा कि उस दिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा थी.

श्री सुदर्शन गुप्ता- पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी. ऑक्सीजन के सारे सिलेंडर भरे हुए थे. घटना रात्रि के 3-4 बजे की है और वहां अस्पताल का कर्मचारी ड्यूटी पर था.

सभापति महोदय- गुप्ता जी, मैं पुन: कह रहा हूं कि आपस में चर्चा न करें. रावत जी, आप मंत्री जी से सवाल करें.

श्री रामनिवास रावत- माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि गैस नापने की इकाई क्या है ?

श्री शरद जैन (एडवोकेट)- सभापति महोदय, गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी और हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था भी है. एस.एम.सी.यू. वार्ड की बात हो रही थी. एक बच्चे की मृत्यु वहां हुई. वह 500 ग्राम का बच्चा था. नवजात शिशुओं के वार्ड में समय से पूर्व जन्मे बच्चे और ऐसे बच्चे आते हैं जो बेहद कमजोर होते हैं. यदि ऑक्सीजन बाधित होती तो उस वार्ड के सभी

लोगों पर असर होता. सिर्फ एक या दो मरीज पर असर क्यों हुआ ? बाकी की जानकारी हम रावत जी तक पहुंचा देंगे.

श्री रामनिवास रावत- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक बात के लिए मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन परिवारों के लोगों की मृत्यु हुई है, जो बीमार थे, भर्ती थे. क्या उनके अटैण्डर के बयान लेकर जांच में सम्मिलित किए जायेंगे ? उससे पता चल जायेगा और स्पष्ट हो जाएगा कि क्या उस समय गैस बाधित होने का अलार्म बजा था या नहीं. क्या मंत्री जी पुन: नए सिरे से जांच करवायेंगे ?

श्री शरद जैन (एडवोकेट)- माननीय सभापति महोदय, अटैण्डर के बयान जांच में लिए गए हैं. 7 सदस्यीय जांच कमेटी द्वारा जांच की गई है.

सभापति महोदय-- आप सीधा कह दीजिए.

श्री शरद जैन-- जो जानकारी आपने मांगी है मैं प्रस्तुत कर दूंगा.

सभापति महोदय-- माननीय सदस्य के अनुरोध पर ध्यानाकर्षण क्रमांक दो बाद में लिया जाएगा.

5.45 बजे याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय-- आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की गईं मानी जाएंगी.

5.45 बजे

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन-तीन सदस्यों का निर्वाचन

सभापति महोदय-- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के क्रमश: तीन-तीन सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में घोषित किए गए कार्यक्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् केवल तीन-तीन उम्मीदवार शेष हैं, चूंकि दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के प्रबंध मण्डल के लिए केवल तीन-तीन सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं, अत: मैं, निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं:-

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

1. श्री केदारनाथ शुक्ल
2. श्री गिरीश गौतम
3. श्री तरुण भनोत

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

1. श्री दिलीप सिंह शेखावत
2. श्री लाखन सिंह यादव
3. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार

5.46 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) का पुर:स्थापन

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता)-- सभापति महोदय, मैं मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

सभापति महोदय-- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गई

श्री उमाशंकर गुप्ता-- सभापति महोदय, मैं, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 का पुर:स्थापन करता हूं.

(2) मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) का पुर:स्थापन

पर्यावरण मंत्री (श्री अंतर सिंह आर्य) -- सभापति महोदय, मैं, मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

सभापति महोदय-- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गई

श्री अंतर सिंह आर्य -- सभापति महोदय, मैं, मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 का पुर:स्थापन करता हूं.

(3) मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) का पुर:स्थापन

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता)-- सभापति महोदय, मैं मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

सभापति महोदय-- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गई

श्री उमाशंकर गुप्ता-- सभापति महोदय, मैं, मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 का पुर:स्थापन करता हूं.

सभापति महोदय-- विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 20 जुलाई, 2017 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराह्न 5.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 20 जुलाई, 2017 (आषाढ़ 29, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल: **अवधेश प्रताप सिंह**

दिनांक: 19 जुलाई, 2017 प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा